अष्टम माला, खंड 49, अंक 31

बुधवार, 12 अप्रैल, 1989
22 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 49 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 12 अप्रैल, 1989/22 चैत्र, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
33	नीचे से 10	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
39	11	"मुत्तेवार" के स्थान पर "मुत्तेमवार" पढ़िये।
49	2	"बी0ए0शेलेरा" के स्थान पर "बी0एल0शेलेरा" पढ़िये।
62	नीचे से 12	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
69	10	"तांतो" के स्थान पर "तांती" पढ़िये।
75	नीचे से 13	"पंक्ति के प्रारम्भ में "(ग)" पढ़िये।
82	6	प्रश्न संख्या "5838" के स्थान पर "5830" पढ़िये।
89	नीचे से 15	"(ग)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
90	9	"कृपा सिंह" के स्थान पर "कृपासिन्धु" पढ़िये।
92	12	"ख" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
104	14	"प्राक्किरण" के स्थान पर "प्राधिकरण" पढ़िये।
108	12	"सी0सम्भु" के स्थान पर "सी0सम्बु" पढ़िये।
135	नीचे से 8	शीर्षक में "यट" के स्थान पर "पुट" पढ़िये।
137	15	"नारायण चन्द पाराशर" के स्थान पर "नारायण चन्द पराशर" पढ़िये।
144	नीचे से 7	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अंत:स्थापित करिये।
156	16	"ख" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये।
172	नीचे से 4	"फार्मासिल्टो" के स्थान पर "फार्मसिस्टों" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 49, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 31, बुधवार, 12 अप्रैल, 1989/22 चैत्र, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	...	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 595, 596, 598 और 599	...	2-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 597, 600 से 615 और 493	...	19-33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5773 से 5786, 5788 से 5792, 5794 से 5908 और 5910 से 5943	...	33-180
पटल पर रखे गये पत्र	...	180-182
खान समिति		
70 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	....	183
लोक लेखा समिति		
148वां और 150वां प्रतिवेदन	...	183
तरी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		
5वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	...	183

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

45वां प्रतिवेदन ... 183-184

सभा का कार्य ... 184-187

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1989-90 ... 187-216

कृषि मंत्रालय

श्री मदन पांडे ... 189-191

श्री राम नारायण सिंह ... 191-194

श्री शांताराम नायक ... 194-198

श्री जगदीश अवस्थी ... 199-202

श्री वी. एस. विजयराघवन ... 202-204

श्री राम सिंह यादव ... 204-207

श्री शंकर लाल ... 207-209

श्री श्याम लाल यादव ... 210-215

श्री जुझार सिंह ... 215-216

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... 216

64वां प्रतिवेदन

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किए जाने के लिए उपायों के बारे में संकल्प ... 217-249

श्री कम्मोदी लाल जाटव ... 217

श्री अजय मुशरान ... 217-219

श्री हेत राम ... 219-221

श्री चिन्तामणि जैना 221-225

श्री ई. अय्यपू रेड्डी ... 225-227

श्री पीयूष तिरकी ... 227-229

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही ... 229-232

श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव ... 232-236

श्री राज कुमार राय ... 236-239

श्री हरीश रावत ... 239-242

श्रीमती गीता मुखर्जी ... 242-245

श्री मनोज पांडे ... 245-249

आधे घंटे की चर्चा ... 249-255

सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा का विकास

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 249-252

श्री एल. पी. शाही 252-253

श्री हरीश रावत ... 253-254

श्री शांतिराम नायक ... 254-255

लोक सभा

बुधवार, 12 अप्रैल, 1989/22 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़े दुख के साथ सभा को यह सूचित करना है कि हमारे दो भूतपूर्व साथियों सर्वश्री धर्मवीर सिन्हा और गयूर अली खां का निधन हो गया है।

श्री धर्मवीर सिन्हा 1971-77 तथा 1980-84 में बिहार के बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से पांचवी और सातवी लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले 1967-69 और 1969-71 के दौरान वह बिहार विधान सभा के सदस्य रहे।

पेशे से एक पत्रकार श्री सिन्हा सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। तथा वह विभिन्न संस्थाओं से संबंधित रहे। श्री सिन्हा 1961 में वियना में हुए विश्व पत्रकार सम्मेलन में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार फैडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। वह 1962 में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार फैडरेशन की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे।

एक विद्वान संसदविद श्री सिन्हा ने बिहार सरकार में राज्य के श्रम तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री के पद पर बड़ी प्रतिष्ठा के साथ कार्य किया। तत्पश्चात् 1971-77 में वह केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में सूचना और प्रसारण उपमत्री रहे। श्री सिन्हा सातवीं लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी रहे।

श्री सिन्हा का निधन 57 वर्ष की आयु में 6 अप्रैल 1989 को अकस्मात बंबई में हुआ।

श्री गयूर अली खां 1967-70 और 1980-84 में चौथी और सातवी लोकसभा के सदस्य रहे इस दौरान वह उत्तर प्रदेश के क्रमशः केराना और मुजफ्फर नगर निर्वाचन क्षेत्रों से चुन कर आए थे। श्री खान 1976-80 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी रहे। इससे पहले 1957-62 के दौरान वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक श्री खान की ग्रामोत्थान की योजनाओं में विशेष रुचि रहती थी और वह सदैव किसानों के हित की बात सोचते थे।

प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री खान अनेक शिक्षण और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे।

श्री खान का निधन 80 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 1989 को नई दिल्ली में हुआ। और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदना प्रकट करने में यह सभा मेरे साथ है।

अब यह सभा दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का कम होना

[अनुवाद]

*595. **डा० दत्ता सामंत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 1982 श्रृंखला लागू किये जाने के परिणामस्वरूप मूल्य सूचकांक के अचानक कम हो जाने को लेकर बंबई और महाराष्ट्र के औद्योगिक श्रमिकों ने जबरदस्त आन्दोलन और प्रदर्शन किये थे; और

(ख) मूल्यों में हो रही वृद्धि के बावजूद मंहगाई भत्ते में हुई कमी के बारे में इन मजदूर संघों ने केन्द्रीय सरकार को जो शिकायतें भेजी हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कुछ श्रमिक संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें नवम्बर, 1988 की तुलना में दिसम्बर 1988 माह के लिए बंबई केन्द्र के बारे मे औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) में कमी का उल्लेख किया गया है। व्यवसाय संघों ने उल्लेख किया है कि इससे मूल्यों में वृद्धि होने से भुगतान किए गए मंहगाई भत्ते में कमी आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स्तरों में एक माह से दूसरे माह की तुलना सूचकांक में परिवर्तन को जांचने की संतोषजनक पद्धति नहीं है। एक माह से अधिक अवधि यानि कि तिमाही आधार पर, या लम्बी अवधि यानि कि वार्षिक आधार पर परिवर्तन का मूल्यांकन करना अधिक सार्थक होगा। भारत में यह सर्वविदित है कि कुछ मौसमी कारक हैं जो खाद्यान्नों, वनस्पति, खाद्य तेलों, चीनी आदि जैसी वस्तुओं के मूल्यों पर काफी प्रभाव डालते है। यह भी सर्व विदित है कि फसल के बाद के मौसम में और विशेष कर खरीफ मौसम के बाद कीमतें सामान्यतः स्थिर या पूर्व तिमाही से कम रहती है। अक्तूबर-दिसम्बर तिमाही को लेकर पिछले पांच वर्षों की हर वर्ष इस तिमाही का औसत परिवर्तन स्थिति निम्नानुसार है :

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन, अक्तूबर-दिसम्बर तिमाही

माह	1984	1985 (पूर्व वर्ष की तुलना में परिवर्तन)	1986 (पूर्व वर्ष की तुलना में परिवर्तन	1987 (पूर्व वर्ष की तुलना में परिवर्तन	1988 (पूर्व वर्ष की तुलना में परिवर्तन
अक्तुबर	615	647	709	787	173 (886)*
		(3)	(82)	(78)	(99)
नवम्बर	618	654	726	7 8	174 (891)*
		(36)	(72)	(72)	(93)
दिसम्बर	612	658	788	822	189 (885)*
		(46)	(70)	(74)	(53)
तिमाही की औसत	615	653	721	796	172 (881)
		(38)	(68)	(75)	(85)

कोष्टकों में दिए गए आंकड़े प्रति माह/तिमाही परिवर्तन दर्शाते हैं।

* बम्बई केन्द्र के 5.12 के संबद्ध कारक की सहायता से वर्ष 1960 से 1982 श्रृंखला के आधार पर सूचकांकों का अनुमान लगाया गया है।

इस तालिका से मालूम होगा कि अक्तूबर-दिसम्बर, 1988 तिमाही में औसत परिवर्तन पिछले वर्षों में उसी तिमाही के परिवर्तनों के साथ अच्छी प्रकार से तुलना करते है।

बम्बई में, अक्तूबर-दिसम्बर, 1988 तिमाही में अक्तूबर तथा नवम्बर महीनों मे परिवर्तन पिछले वर्षों के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक रहे है। इसे नवम्बर, 1988 की तुलना में दिसम्बर, 1988 माह में हुई। भारी गिरावट से आंशिक रूप से सम्बद्ध किया जाए। तथापि. इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) पर नवम्बर, 1988 की तुलना में दिसम्बर, 1988 मे अन्य केन्द्रों में हुए प्रभाव के संदर्भ में देखा जाना है। इससे पता लगता है कि 1982 श्रृंखला के अन्तर्गत आने वाले 70 केन्द्रों में से 53 केन्द्रों में से 10 केन्द्रों पर 1 प्वाइन्ट की, 12 केन्द्रों पर 2 प्वाइन्ट की 18 केन्द्रों पर 3 प्वाइन्ट की, 9 केन्द्रों पर 4 प्वाइन्ट की, 3 केन्द्रों पर 5 प्वाइन्ट की तथा एक केन्द्र पर 6 प्वाइन्ट की गिरावट आई है। महाराष्ट्र में अन्य केन्द्रों मे भी अर्थात शोलापुर, नागपुर में नवम्बर, 1988 की तुलना में दिसम्बर, 1988 के सूचकांक में अपेक्षाकृत गिरावट आई थी, अर्थात क्रमशः 4 प्वाइन्टों से गिरावट आई। यदि अक्तूबर, 1988 और फरवरी, 1989 सूचकांक आंकड़े लिए जाते है तो महाराष्ट्र केन्द्रों में संबद्ध गतिशीलता निम्नानुसार है :

बम्बई	(—) 3
शोलापुर	(—) 1

नागपुर	(—) 2
पुणे	(+) 3
नासिक	(+) 3

सूचकांक कतिपय प्रमुख समूहों के लिए अपनाई जाने वाली मूल्य संग्रहण प्रक्रिया निम्ना नुसार है :

(क) चावल और गेहूं

चावल और गेहूं दोनों के लिए उचित दर की दुकान (उ. द. दु.) प्रणाली से उपलब्धता और उ. द. की दुकानों से कीमतें ली जाती है। इसके अतिरिक्त चावल के लिए बाजार में दो किस्मों एक बेहतर किस्म (बासमती) और दूसरी बीच की किस्म की दरें ली जाती है। चावलों की कीमतें जो कि सूचकांक में दिखाई गई हैं, 3 स्तरीय प्रक्रिया का अनुकरण करके निकाली गई है अर्थात् खुले बाजार की कीमतों का औसत और उचित दर की दुकानों में विभिन्न किस्मों की कीमतों का औसत और उचित दर की दुकानों में उपलब्धता तथा उपभाग की शेष आवश्यकता को खुले बाजार से लेकर इनके अनुपात में दोनों को मिलाकर निकाली आती हैं। गेहूं के लिए चावल के अनुसार उसी सिद्धांत पर केवल एक किस्म की कीमतें एकत्रित करने के लिए लिया जाता है अर्थात उचित दर की दुकानों की प्रणाली में उपलब्धता और खुले बाजार से शेष मात्रा। सूचकांक में दर्शायी गयी अन्तिम कीमतें, दो कीमतों अर्थात उचित दर और बाजार मूल्य, का तुलनात्मक औसत है।

यह कीमतें 13 बाजारों से और प्रत्येक बाजार से कम से कम 2 दुकानों से ली जाती है।

(ख) खाद्य तेल

खाने के तेलों के लिए उ. द. दु. प्रणाली से पामोलीन को उपलब्धता ली जाती हैं और यदि उपलब्धता आवश्यकता से कम पड़ जाती है तो शेष मात्रा अन्य खाद्य तेलों जैसे मूंगफली का तेल, नारियल का तेल आदि से ले ली जाती है।

(ग) कपड़ा

कपड़े की वस्तुओं के लिए सूती साड़ियों और धोतियों, सूती कमीज, सिंथेटिक ट्राउजर का कपड़ा, सिंथेटिक साड़ियों आदि की कीमतें, प्रमुख मिलों अर्थात श्री राम मिल्स, खटाऊ, बाम्बे डाइंग, मफतलाल, मोरारजी गोकुलदास, एन. टी. सी. फोनिक्स, बिन्नी, टाटा की दुकानों से ली जातीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि केवल एक ही मिल की कीमतें ली जाती हैं।

(घ) चीनी

चीनी के संबंध में क्योंकि उचित दर की दुकानें लेवी और आयातित चीनी दोनों की आपूर्ति करती है, इन किस्मों की उपलब्ध की गई वास्तविक मात्रा उचित दर की दुकानों में बिक्री की गई कीमतों पर ली जाती है और यदि वह आवश्यकता से कम पड़ती है तो शेष मात्रा को बाजार कीमतों पर लिया जाता है।

(ङ) दालें :

दालों की आपूर्ति उचित दर की दुकानों की प्रणाली के माध्यम से नहीं की जाती। केवल खुले बाजार की कीमतें ली जाती हैं।

डा. दत्ता सामन्त : महोदय, सरकार ने इस सवाल का उत्तर बड़ी चतुराई से दिया है। आपका कद लगभग 6 फुट 2 इंच है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मेरा कद 6 फुट 3 इन्च है।

डा. दत्ता सामन्त : किन्तु महोदय, इस सरकार ने काले बाजार से एक फुटा खरीदा है जो 13 इंच लम्बा है। इसलिए यदि वह आपको इस फुटे से मापें तो आप का कद 5 इंच कम हो जाएगा। यही बात करोड़ों औद्योगिक श्रमिकों, दुकानों में काम करने वाले श्रमिकों और न्यूनतम मंजूरी श्रमिकों के लिए मंहगाई भत्ते की गणना करने के लिए नई 1982 शृंखला में की गई है? श्रमिक संघों से सलाह लिए बिना एक एक नई शृंखला आरम्भ की गई है। इसके अनुसार मैंने हिसाब लगाया है कि यदि आप 1985 में पुरानी और नई शृंखलाएं आरम्भ करते है तो अखिल भारतीय सूचकांक 20 प्वाइन्ट कम हो जाएगा; कानपुर 14 प्वाइन्ट; बम्बई 2.6 प्वाइन्ट तथा हैदराबाद 23.10 प्वाइन्ट कम हो जाएगा। नई शृंखला में शामिल यहां की संख्या 171 से 226 हो गई है और नई शामिल की गई मदें इस प्रकार हैं : सूखे मेवे, काजू, देसी शराब, बीयर, अंग्रेजी शराब, बाम्बे डाइंग, मफतलाल और खटाऊ का बढ़िया कपड़ा, रेडियो, टेलीविजन आदि। इस प्रकार की मदों की मंहगाई भत्ते की गणना के प्रयोजन से शामिल किया गया है। बम्बई में श्रमिकों को केवल 900 रुपए मिलते हैं तो भी आपने यह मदें शामिल की हैं। उन्होंने बिजली के बिलों में मीटर डिपाजिट की लागत जोड़ी है ताकि बिजली के बिलों में अन्तर न बढ़े। बम्बई जैसे शहरों में 1960 की तुलना में 1982 मे आवास पर होने वाले खर्चों में कमी आई है क्योंकि वे कहते हैं मानक किराया लागू है। बम्बई में किसी को भी मानव किराए पर मकाननहीं मिल सकता। 1962 और 1982 में श्रमिकों की संख्या, परिवारों और बाजार का वही पैमाना है। इससे पता चलता है कि यह कितना अपर्याप्त है।

इसमें बच्चों की शिक्षा, कापियों तथा परिवहन पर होने वाले खर्च को शामिल नहीं किया गया। मेरे विचार से इन नए सूचकांक की रचना इतनी बेहूदा है, और इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि यह 1982 शृंखला लागू करने से पूर्व इन सभी त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए और इस नई शृंखला का ठीक प्रकार से अध्ययन करके लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें करोड़ों लोग शामिल हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा करेगी या नहीं?

[हिन्दी]

श्री विन्देश्वरी दुबे : अध्यक्ष महोदय, जो न्यू सीरीज 81-82 पर आधारित थी उसकी कवरेज बहुत बड़ी रखी गई थी और वाइड कंसल्टेशन के बाद इसे इन्ट्रोड्यूस किया गया था। इसके पूर्व 1970-71 में स्टडी हुई थी। उसके बाद सैंट्रल ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने कहा कि 60 बेसिस पर जो सीरीज बनी थी उसमें कवरेज बहुत कम थी, उसको बढ़ाया जाए और ज्यादा आइटम्स कवर किए जाएं। उसके ऊपर श्री नीलकंठ रथ की कमेटी बनी थी जिसमें सभी इन्डैक्स यूजर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज थे, एम्प्लाइज के भी रिप्रेजेन्टेटिव्ज थे और उस कमेटी ने यह रिकमैंड किया कि इसकी प्राइस कलैक्शन की मैकेनिज्म भी ठीक की जाए और इसकी कवरेज भी बढ़ाई जाए और काफी कंसल्टेशन के बाद इसको लागू किया जाए। उसके बाद जो नई स्टडी हुई, उसमें पहले 3

सैक्टर स्टडी हुई और फिर 1982 बेसिस पर 670 सैक्टर में स्टडी किया गया। जहां सिर्फ पहले माइनिंग, प्लान्टेशन और फैक्टरीज में हुई थी उसके बदले फैक्टरीज, माइनिंग, प्लांटेशन, रेलवे इलैक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट वर्क्स, डोक एंड पोर्ट 7 सैक्टर में हुई इसी तरह से नम्बर आफ सैंटर्स जहां 50 थे, 70 में यह सब हुआ और जहां 21 और 23 हजार फैमिलीज ली गई थी उससे कहीं अधिक बढ़कर 35 हजार फैमिलीज पर यह स्टडी किया गया। इसी प्रकार से बासकिट के आइटम्स भी बढ़ाये गये। बासकीट के आइटम्स में उन्होंने कुछ बातों पर चर्चा की उसके बारे मे मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय वर्क्स रिप्रेजेंटेटिव्ज ने हमें कहा था कि 1960 में जो कोर्स वैराइटी के कपड़े और एफ. पी. एस. में मिलने वाला जो अनाज है और जो एडमिसिबल है उसी का प्राइस का आप क्यों लेते हैं। आप ऐवेलेबिलटीज के हिसाब से उन्हें लें क्योंकि जब मार्किट मे उन चीजों को खरीदते है तो वह ऐवेलेबल नहीं होती है। इस कारण उसकी वेटिड एवरेज ही लीजिए। उसी तरह से हम कोर्स कपड़े की वैराइटी लेते हैं क्योंकि उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा वह निकालना होता है। इस विषय पर जब स्टडी की गई थी तो चर्चा हुई थी उसमें यह भी कहा गया था कि जो पुरानी स्टडी हुई है उसकी बजाय नई स्टडी की जाये। रथ कमेटी ने हमें कहा था कि उसकी कवरेज बढ़ायी जाये। गवर्नमेंट ने उसकी काफी इलैबरेट स्टडी की और उसकी कवरेज बढ़ायी। कंसल्टेशन के मामले में 1987 में उसकी सेंट्रल लैवल पर मीटिंग हुई जिस में सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव शामिल किये गये थे। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि इस पर विचार-विमर्श होना चाहिये। रीजनल लैवल पर उसकी मीटिंग हुई और वह आधा एक साल तक चलती रही। फिर एक नेशनल वर्कशाप हुआ। फिर मेरी अध्यक्षता में अक्टूबर 1988 में एक मीटिंग हुई उसमें झगड़ा इस बात पर था कि ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : एक बात आप मुझे बतायें कि मदिरापान का किस ने सुझाव रखा था।

श्री विन्देश्वरी दुबे : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उस वक्त मार्किट मे जो कामन वैराइटी के राइस थे उसके बारे में वर्कर्स ने कहा कि वह सभी दिन कामन वैराइटी के राइस तो खाते नहीं हैं। कभी बासमती राइस भी खरीदते हैं अतः उसको भी लीजिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर नीचे न जाने पाये इसलिये उनकी मांग थी कि हर एक सामान को आप लीजिए व जो सामान गरीब लोग लेते हैं और जो घटिया होता है उसको ही आप क्यों लेते है। महोदय, मैं भी उनके बीच में से आया हूं। इस कारण यह सब जानता हूं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही रथ कमेटी की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिये रीजनल लेवल पर कांफ्रेंस हुई। सेंट्रल लैवल पर दो दफा मीटिंग हुई। यह सब ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया गया। सीरिज में जो चेंजिस हुई उनसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। माननीय सदस्य ने बम्बई के बारे में जो प्रश्न किया उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बम्बई में दिसम्बर महीने में कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स में फर्क पड़ा। जो खाद्यान्न हैं या जो दूसरी खाद्यान्न से संबंधित वस्तुयें हैं उनकी कीमतों में तेजी से गिरावट आई। यह जो कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स है वह कंज्यूमर्स के सामान को कट्रीब्यूट करता है। जब चीजों की कीमतों में कमी आई तो दिसम्बर के महीने में कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स जरूर कम हुआ, फिर जनवरी में एक प्वाइन्ट बढ़ा, फिर फरवरी में स्टैबल रहा। इसलिये उसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता।

[अनुवाद]

डा. दत्ता सामन्त : महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है। माननीय मंत्री महोदय ने

बम्बई की बात की है। बम्बई में दिसम्बर और जनवरी के महीने में औद्योगिक श्रमिकों को 30 से 150 रुपए प्रति माह कम वेतन प्राप्त हुआ है। इसमें एक दम गिरावट आई है। इस भयानक गिरावट के कारण बम्बई में श्रमिकों को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और यह सारा पैसा बड़े उद्योगपतियों को मिला है। कालाबाजारियों को इसका लाभ मिला है। राशन की दुकानों के मूल्यों की गणना में नहीं लिया जाता जबकि राशन की दुकानों में 20 पैसे की वृद्धि हुई। बासमती केवल गणना के लिए है। मेरे पास रिकार्ड है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि नवम्बर, 1988 से दिसम्बर, 1988 के दौरान मूल्यों में कमी आई। बासमती के मूल्य 8.51 रुपए से घट का 8.12 रुपये हो गए। गेहूं के मूल्य 3.27 रुपये से घट कर 3.08 रुपये हो गए चने की दाल का मूल्य 13.51 रुपये से घट कर 12.22 रुपये हो गया, चीनी का मूल्य 8.47 से 7.58 हो गया, बाम्बे डाइंग की साड़ी 135.77 से घट कर 100.81 हो गई. और सिन्थोटिक बाम्बे डाइंग 181 से घट कर 153,85 हो गई। सिन्थोटिक शीटिंग 33.00 रुपए से 20.91 रुपए। इसके बाद वह यह दावा भी करते हैं कि मूंगफली का तेल टमाटर, दूध, आलू, गोभी, नारियल आदि के भाव भी गिरे हैं। उनके अनुसार 21 मदों के मूल्यों में भयानक कमी आई है। सिनेमा टिकटों के दाम भी एक रुपया कम हो गए है। इस हद तक बात को तोड़ा मरोड़ा गया है हमें लगभग 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और वह सब उद्योगपतियों और मिल मालिकों के पास पहुँच गया है। सभी दलों द्वारा इसके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योग पतियों और बड़े मिल मालिकों को बचाने के लिए सरकार को गुमराह किया गया है।

इसका प्रभाव सम्पूर्ण देश पर पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा दिसम्बर, 1988 में बम्बई में जो कुछ किया गया, सरकार द्वारा उसकी पुनरीक्षा की जाएगी तथा सरकार इस पूरी प्रणाली का नए सिरे से अध्ययन करेगी। वंछित सुधार होने तक 1960 श्रृंखला जारी रहनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बिन्देश्वरी दुबे : अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ बम्बई की बात नही है, सभी मैट्रोपोलिटन सैण्टर्स में दिसम्बर में कमोडिटीज में, सी. पी. इण्डैक्स में कमी आई है और इसका मुख्य कारण जैसा मैंने बताया कि इस साल अच्छे मानसून का होना है। खरीफ की अच्छी फसल देखकर व्यवसायियों ने हटात् अपने जमा किये हुए माल को मार्केट में रिलीज कर दिया, जैसे ही उन्होंने देखा कि इस साल अच्छा मानसून आया है तो वे नवम्बर से अपना माल निकालने लगे और दिसम्बर में खाद्य पदार्थ, फूडग्रेंस, एडीबल आयल्स या दूसरी कंज्यूमर गुडस में मन्दी आई, गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप कंज्यूमर प्राइस इण्डैक्स में कमी न सिर्फ बम्बई में बल्कि, दिल्ली में, कलकत्ता मे कानपुर में और जगहों में भी आई है। जनवरी में एक पाइण्ट राइज भी हुआ, इसलिए यह प्रश्न नही है कि बम्बई में कोई मैनीपुलेशन हुआ। आखिर प्राइस कलैक्टर्स पर भी इसका असर होगा, स्टेट गवर्नमेंटस के एम्पलाइज भी प्राइस कलैक्ट करते हैं, लेबर ब्यूरो के अफिसर उसको क्रास रीकंसीलिएट करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, इसलिए मैनीपुलेशन करके बम्बई में प्राइस गिराई गई, ऐसी कोई बात कहना, हम समझते हैं कि, उचित नहीं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. दत्ता सामन्त : करोड़ों श्रमिकों को वित्तीय नुकसान हुआ है क्योंकि उनका मंहगाई भत्ता कम कर दिया गया है। इसके विरोध में मैं वाक आउट करता हूं।

तत्पश्चात डा. दत्ता सांमत सदन से उठकर चले गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह वाक आउट कर रहे हैं, वाक आउट करने के लिए स्वन्तत्र हैं।

[अनुवाद]

श्री. सी. माधव रेड्डी : श्रृंखला को बदलने और 1982 श्रृंखला शुरु करने के संबंधी में जो वक्तव्य दिया गया है वह कोई आश्वस्त करने वाला नहीं है। स्वतन्त्रता के 4 2 वर्ष पश्चात भी सरकार की कोई वैतन नीति नहीं है। कम से कम आप मंहगाई भत्ते के संबंध में कोई नीति तो बना ही सकते हैं। विभिन्न रिकार्डों से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि नई श्रृंखला आरम्भ करने के पश्चात बम्बई में मंहगाई भत्ता 45 से 50 रुपए कम हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 1982 श्रृंखला पर पुनः विचार करेगी। यह एक माप दण्ड है और यह बदला नहीं जाना चाहिए। यदि यह गलत भी है तो आप इसे जारी रखें ताकि निरन्तरता बनी रहे। यदि आप ऐसी मदें शामिल करते हैं जो पहले शामिल नहीं की गई थी तो इससे सम्पूर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न संगठनों के श्रमिकों ने इस मामले को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है ?

[हिंदी]

श्री विन्देश्वरी दुबे : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं नहीं समझता कि वर्कर्स के लिए नाराजगी की क्या बात हो सकती है। वैरिएबल डीयरनैस एलाउन्स का करोस्ट मार्केट प्राइस पर बेस्ट है मार्केट प्राइस जब बढ़ेगी तो वैरिएबल डीयरनैस एलाउन्स बढ़ेगा, इसलिए कि कंज्यूमर प्राइस इण्डैक्स बढ़ेगा। मार्केट प्राइस इण्डैक्स नीचे आने से कंज्यूमर प्राइस इण्डैक्स नीचे आयेगा और उसका असर वैरिएबल डियरनैस एलाउन्स पर पड़ेगा ही।···दिसम्बर महीने में मार्केट प्राइस कम हो गया, उसके फलस्वरू पसीपीआई-कन्जयुमर प्रापस इन्डैक्स-कम हुआ और वेरीयस डीयरनैस एलाउन्स कम हुआ। यह तो नेचुरल कौरालरी है इसमें, नाराजगी की कोई बात नहीं है। अगर बढ़ जाता तो कहते ठीक है। बराबर बढ़ता ही जाएगा तो इसकी मीतो गारन्टी नहीं हो सकती है। राइज इन फाल इन प्राइसेस पर डिपेन्ड करता है। इसमें नेशनल वेज पालिसी कहां से आगई। यह वेज और डीयरनैस एलाउंस की बात अलग है। कि वेरियेबल डीयरमैन एलाउन्स का कान्सेप्ट इस आधार पर आधारित है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से उसकी वेज को प्रोटैक्स कियाजाए। इसीलिए यह दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री वासुदेव आचार्य : महोदय, यह शंका सभी राष्ट्रीय श्रमिक संघों ने व्यक्त की थी कि यह नई श्रृंखला श्रमिक वर्ग को गम्भीर रूप से प्रभावित करेगी। यह अब सच सिद्ध हुआ है। इस श्रृंखला के संबंध में निर्णय लेते समय भारत सरकार ने न श्रमिक संघों से सलाह ली और न ही उनकी सलाह की ओर ध्यान दिया और न ही रथ समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों पर विचार किया। भारत सरकार ने रथ समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों का उल्लंघन किया और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानदंडों का भी उल्लंघन किया।

अतः क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार आई. एल. ओ. के मानदंडों का पूरी तरह पालन करेगी जिन्होंने मूल्य सूचकांकों की नई श्रृंखला निर्धारित करने से पूर्व श्रमिक संघों से सलाह लेने की सिफारिश की है और क्या रथ समिति की सर्वसम्मत सिफारिशें लागू होंगी ?

इसको देखते हुए क्या भारत सरकार मूल्य सूचकांक की पुरानी शृंखला की समीक्षा और बहाली करेगी ?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिश यह है कि परिवार निर्वाह अध्ययन अर्थात औद्योगिक कर्मकारों की आय तथा व्यय का अध्ययन कम से कम 10 वर्ष में एक बार होना चाहिए । रथ समिति ने सिफारिश की कि यह हर पांच वर्ष के पश्चात किया जाना चाहिए । हमने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है । हम ने रथ समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों का भी उल्लंघन नहीं किया है हमने केन्द्रीय श्रमिक संघों के साथ व्यापक परामर्श किया है । मैंने स्वय उनके साथ विचार-विमर्श किया जब केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के सभी महत्वपूर्ण प्रतिनिधि उपस्थित थे और उसी सर्वसम्मति के आधार पर यह शृंखला आरम्भ की गई है ।

श्री बसुदेव आचार्य : कोई सर्वसम्मति नहीं थी । वे इसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : जी हां, सर्वसम्मति थी ।

सरकारी आवास के आवंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षण

*596. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सरकारी आवास के आवंटन के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए टाइप "ए" तथा "बी" मे 10 प्रतिशत तथा टाइप "सी" और "डी" में 5 प्रतिशत आरक्षण कोटा किस आधार पर निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिये सभी श्रेणियों के आवास के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सरकारी वास के आवंटन के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण आवंटित किए जा रहे वास के विभिन्न टाइपों में तुष्टीकरण की प्रतिशतता के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

(ख) से (घ) इस समय, टाइप "ए" और "बी" में स्पष्ट खाली स्थानों का 10 प्रतिशत तथा टाइप "सी" और "डी" में स्पष्ट खाली स्थानों का प्रतिशत आवंटन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारिनों में क्रमश: 2:1 के अनुपात में किया जाता है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारीगण अपनी-अपनी अग्रता तारीख के अनुसार वास के आवंटन के भी पात्र हैं, चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों के हित समुचित रूप से सरक्षित हैं अत: सरकार आरक्षण की प्रतिशतता में बढ़ोत्तरी करना आवश्यक नहीं समझती है ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया के प्रश्न के "क" भाग के

उत्तर में बताया है—तुष्टीकरण की प्रतिशतता के आधार पर आवास निर्धारित संख्या में एलाट किए जा रहे हैं। मैं तुष्टीकरण का क्या तात्पर्य है, समझ नहीं सका। जब संविधान में 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए की गई है और आवास के आवंटन में "क" और "ख" के लिए दस प्रतिशत, "ग" और "घ" के लिए 5 प्रतिशत की जो व्यवस्था की गई है, इसका क्या तात्पर्य है ? इसमें क्यों इतनी असमानता है ? और आप जानते है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवास के सिलसिले में कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है और इसमे तुष्टीकरण का तात्पर्य क्या है। यह कोई डील तो है नहीं। यह तो संविधान में गारन्टी दी गई है कि इन जातियों के जो लोग हैं, उन के जो अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उन को सहायता दी जाए। तो क्या सरकार संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए जो गारन्टी संविधान में दी गई है, उस के आधार पर आवास के आवंटन में प्राथमिकता के आधार पर उनके आवास के प्रतिशत के हिसाब से आवंटन की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, पहले यह आरक्षण नहीं था लेकिन 19 9 में यह महसूस किया गया कि टाइप ए और टाइप बी की जो एकोमोडेशन है, उस में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दिक्कत आ रही है, तो सब से पहले रिजर्वेशन 5 पर सेन्ट 1969 में किया गया। उस के बाद फिर 1973 में यह देखा गया कि वह कम पड़ रहा है, तो उस को फिर मिनिस्ट्री ने बढ़ाकर 10 परसेन्ट कर दिया और टाइप ए और टाइप बी में जो यह 10 परसेन्ट रिजर्वेशन था, 1975 में टाइप सी और टाइप डी के लिए भी 5 परसेन्ट रिजर्वेशन कर दिया गया। इस तरह से यह अलग रिजर्वेशन है और जो उनकी प्रायरटी लिस्ट है, उस के हिसाब से फर्ज कीजिए 50 की प्रायरटी लिस्ट है, उस में अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों की संख्या 7 या 8 है, तो उन को अपने आप मिल जाता है। यह 10 परसेंट उस के अलावा मिलता है। हमारे पास अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, जाहिर है कि 100 परसेंट सेटिस्फैक्शन किसी का नहीं हो पाता। इस वक्त जितनी संख्या में एकोमाडेशन है, उस के हिसाब से जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इम्पलाइज हैं, उन के लिए कोशिश करते हैं कि उनका सेटिस्फैक्शन बना रहे और किन्हीं-किन्हीं जगहों पर काफी अच्छी उनकी पोजीशन है और यह बात भी है कि अभी तक किसी क्वार्टर से ऐसी शिकायत नहीं आई है कि उन को कोई परेशानी है।

श्री राम प्यारे सुमन : मैं मंत्री महोदया के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। आज देश के अन्दर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं, मैंने पिछले दो वर्षों में पूरे देश के करीब-करीब सभी प्रदेशों का दौरा किया और जब भी हम दौरे पर गये, तो कार्फ संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों ने शिकायत की कि उन को क्वार्टर नहीं मिल पा रहे है और जो परसेन्टेज उन के लिए फिक्स किया गया है, उतने क्वार्टर उन को नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं यह कैसे मान लूं कि ये क्वार्टर अलावा है, अतिरिक्त हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त सुविधा की बात कही जा रही है, वही प्रतिशत पूरा नहीं किया गया है। इसलिए अतिरिक्त कहने का कोई प्रश्न नहीं उठता। आज देश में जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है और देश के तमाम अंचलों में छूआछूत की स्थिति है, उस के बारे में बहुत सी शिकायतें हमें प्राय: मिलती रहती हैं और मिनिस्ट्री को हम लिखते भी रहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों या कर्मचारियों को अगर मकान मिल भी जाता है, तो जैसे ही मकान

मालिक को पता चलता है कि यह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो उसको वह निकाल बाहर कर देता है। आज देश के अन्दर ऐसी स्थिति है और मैं ने खुद मौके पर देखा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आज जिन परिस्थितियों में इन कमजोर वर्गों के कर्मचारियों का रहना पड़ रहा है उन को प्रोत्साहन देने की जरूरत है और उन को आवास का आवटन करने की जरूरत है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और वे बड़े शहरों में महंगे मकान ले कर नहीं रह सकते। तो क्या सरकार प्राथमिकता दे कर ऐसे वर्गों के कर्मचारियों के लिए एलांटमैंट का प्रतिशत बढ़ाएगी और यह घोषित करेगी कि इतना प्रतिशत उन को दिया जा रहा है?

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, इस तरह की शिकायत हमारे पास नहीं आई है और न ही माननीय सदस्य ने आज तक कोई चिट्ठी लिखी कि इस तरह की इन जातियों के लोगों को परेशानी है। ··(व्यवधान)···अध्यक्ष जी, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारियों और अधिकारियों के इन्ट्रेस्ट्स को पूरी तरह से सेफगार्ड किया जा रहा है। जे. सी. एम. की जो मीटिंग होती है, उस में भी कभी यह प्रश्न नहीं आया लेकिन हम उन को तकलीफ नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट क्वार्टर्स का जो एलाटमेंट है और जिस हिसाब से गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनते हैं, उन की बहुत सख्त कमी है लेकिन इस के अलावा अगर कहीं कोई जरूरत दिखाई पड़ी, तो उस को पूरा करेंगे। इस में कोई रिजिड एटीट्यूड गवर्नमेंट का नहीं है और हम इस को जरूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जहां यह महसूस होगा कि इनकी परेशानी है। मेरे कहने का मतलब यह था कि जे. सी. एम. की जो मीटिंग होती है, उसमें भी ऐसा सवाल कभी नहीं आया, न कभी कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आया। दूसरे प्रदेशों में भी यह आर्डर गये हैं कि इस बिना पर उनका रिजर्वेशन करें और उनके केसिज को देखा जाए।

श्री अरविंद नेताम : अध्यक्ष, जी, ऐसा लगता है कि आवास में रिजर्वेशन के बारे में सरकार धीरे-धीरे अपनी मर्जी से आरक्षण की व्यवस्था करती है। जबकि होना यह चाहिए था कि संविधान में जो व्यवस्था है, उसी आधार पर यह व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। मैं जानना चाहूंगा कि संविधान के आधार पर आरक्षण की यह व्यवस्था करने में सरकार को क्या दिक्कत है?

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह गवर्नमेंट अकोमोडेशन के बारे में है। अगर आप चाहें तो संविधान भी लागू किया जा सकता है। मैं कह रही हूँ कि मकान इतने बने ही नहीं हैं तो हम उसको पूरा कर पायेंगे या नहीं, यह सवाल है।

अध्यक्ष जी, मैं आंकड़ों से बताती हूं। इसमें हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है कि संविधान के अनुसार हम आरक्षण न करें। लेकिन चूंकि हमारे हिसाब से इनका सेटिसफेक्शन मुनासिब है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। हम सोचेंगे। अगर हो सकेगा तो जरूर करेंगे। जो हमारे शेड्युल्ड ट्राइब्स के भाई हैं, अगर टाइप III में जनरल 4 हजार है तो वे उससे जम्प करके ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह से शेड्युल्ड कास्ट्स की बात है। उसमें भी कमी नहीं है। उसमें कमी इस बात की नहीं है कि 4 हजार है या 2 हजार 372 है वे भी जम्प कर जाते हैं। टाइप II में यदि उनका नम्बर 294 है तो वे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए सेटिसफेक्शन के लिहाज से आरक्षण में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितने मकान हमारे पास हैं, उसके हिसाब से हम ज्यादा संख्या में मकान नहीं दे सकेंगे।

श्री पीयूष तिरकी : अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गत वर्ष सितम्बर, अक्टूबर, में शाप्स और स्टोर्स शेड्युल्ड कास्ट्स के लिए और शेड्युल्ड

ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड थे। हम 20-25 मेम्बर्स ने ज्वाएंटली आपको चिट्ठी लिख कर दी जिसका कि कोई जवाब नहीं आया। उनमें से एक भी शेड्युल्ड ट्राइब्स को नहीं दिया गया। इसमें जो नियम है, अगर उस तरह से होता तो वे सारे के सारे शेड्युल्ड कास्ट्स वाले नहीं ले जाते। वे सारे के सारे ले गये। अब शेड्युल्ड कास्ट्स ने शेड्युल्ड ट्राइब्स पर शोषण करना शुरू कर दिया है। उनमें शेड्युल्ड ट्राइब्स को एक भी नहीं मिला। मंत्री महोदया ने कोई जवाब भी नहीं दिया। क्या आप इसकी थोड़ी इन्क्वायरी करायेंगी कि शेड्युल्ड ट्राइब्स को क्यों नहीं मिला ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी यह गवर्नमेंट अकोमोडेसन की बात है। (**व्यवधान**) ठीक है शाप्स और स्टोर्स की भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं कब इससे मुकर रही हूं। आपने शाप्स काम्पलेक्स के बारे में मुझे लिखा है तो मैं देखती हूँ कि उसमें क्या हुआ।

घटिया औषध तथा उपकरण सप्लाई करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध जांच आयोग का गठन

[अनुवाद]

*598. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार उन कम्पनियों के विरुद्ध जाँच आयोग गठित करने का है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य संगठनों को औषधियों तथा चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई की और सप्लाई की गई वस्तुओं को घटिया स्तर तक पाया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा आयोग गठित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे मामलों से निपटने के लिए मौजूदा कानून में पर्याप्त व्यवस्था है।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हमारा इतना आसान है कि उसका जवाब है "प्रश्न नहीं उठता", "नियम के अनुसार देखा जा रहा है" अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि औषधियों और चिकित्सा उपकरणों को जो नकली किस्म का सप्लाई किया जाता है और उनके चलते इतने पेशियेंट की मौतें हो रही हैं। हाल ही में सरकार द्वारा जो जवाब मिला था उसमें कहा गया था कि दिल्ली में 16 कम्पनियों को नकली दवाइयां पकड़ाने के अभियोग में पकड़ा गया था और उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। अध्यक्ष जी, आपने भी अपनी रूलिंग में दिया था कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के अन्दर जो 16 कम्पनियां पकड़ी गयीं, उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी ? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई कमीशन आप बिठायेंगी ?

दूसरा प्रश्न चिकित्सा उपकरणों के बारे में है। परिवार नियोजन के लिए नसबन्दी की मशीन लेप्रोस्कोप तथा गोलियां के एल आई और उस्केरिंग, ये अमरीका की एक कम्पनी केबोट से

मंगाई जाती हैं। क्या देहात लेवल पर ये उपयोगी सिद्ध हुई है, क्या इस बारे में कभी जांच कराई गई है तो इसकी क्या रिपोर्ट है।

कुमारी सरोज खापर्डे : माननीय सदस्य ने 2-3 सवाल इकट्ठे पूछे हैं। पहले तो इन्होंने दिल्ली की 4 कम्पनियों के बारे में पूछा है, जिनके बारे में शिकायतें आई है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। अगर कोई मैन्यूफैक्चरर स्पूरियल ड्रग्स में पकड़ा जाता है तो उसको सजा देने की जिम्मेदारी इस मंत्रालय की नहीं है, इसके लिए कानून की अलग व्यवस्था है और इसके अन्तर्गत उनको सजा दी जाती है। यह सवाल सब स्टैंडर्ड ड्रग्स के बारे में है और आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह भी इसी प्रकार का सवाल सदन में पूछा गया था, उसके बारे में हमने कहा था कि—

[अनुवाद]

"घटियां औषधियां वे हैं जो औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम और इसके अन्तर्गत नियमों के अनुरूप नहीं हैं। घटियां औषधियों दो वर्गों में श्रेणीबद्ध है।"

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : हम उन 14 कम्पनियों के नाम जानना चाहते हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे : इनमें एक तो अशोका लिक्विड एक्स्ट्रेक्ट है, दूसरी पी एल आई, यह बहुत लम्बी लिस्ट है। मैं इसको सदन के समक्ष रख दूंगी, माननीय सदस्य इसको देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आप लिस्ट दे दीजिए।

श्री राम भगत पासवान : डब्ल्यू एच ओ परिवार नियोजन या अन्य स्कीम्स के तहत जो निर्देश देता है, उसका हैंडलिंग कौन करता है। क्या इसके लिए कोई कमेटी बनाई गई है, यदि बनाई गई है तो इसमें कौन-कौन से आफिसर्स हैं, कौन लोग इसके सदस्य हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे : इसके लिए कमेटी बनाई गई है, लेकिन इस वक्त मेरे पास सदस्यों के नाम नहीं हैं। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको नामों की लिस्ट बाद में दे सकती हूं।

[अनुवाद]

डा. डी. एन रेड्डी : क्या आप जानते हैं कि देश में घटिया औषधियों और अन्तःशिरा तरल पदार्थों की सप्लाई में आकस्मात वृद्धि हुई है ? आप ने इन बातों के संबंध में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और प्रसारण माध्यमों में भी देखा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे और भी अधिक मामले हैं। क्या माननीय मंत्री जानती है कि हाल में ही अन्तर्में शिरा तरल पदार्थों के कारण कुछ मौतें हुई हैं ? एक डाक्टर की पत्नी जो दिल्ली में रहती थी गर्भवती थी और उसे खून की आवश्यकता हुई। उस भाग्यशाली व्यक्ति को यह विचार आया कि खून देने से पूर्व उस के नमूने की जांच किसी विशेषज्ञ से करवा ली जाये परीक्षी के पश्चात् देखा गया कि रक्त में "एड्स" के कीटाणु हैं। क्या मंत्री महोदया जानती हैं कि वर्तमान नियम इस प्रकार की बुराई को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ? मैं समझता हूं कि या तो मंत्री महोदय इस संबंध में बहुत अज्ञात हैं अथवा परिहार्य परेशानियों और मौतों के संबंध में लापरवाह हैं। हाल ही में दिल्ली ही में एक रोगी को अन्तः शिरा तरल दिया गया और दक्षिण में एक कम्पनी का एक नमूना पकड़ा गया और जांच के लिए

भेज दिया गया। छः महीने पूर्व नमूना भेज दिया गया और परिणाम अभी नहीं आए है। और अभी भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी मंत्री कहती है कि *वर्तमान नियम पर्याप्त है। क्या सरकार एक जांच आयोग स्थापित करने पर विचार करेगी और औषधि कम्पनियों द्वारा उनकी गलतियों* के विरुद्ध सख्त कदम उठाएगी ?

कुमारी सरोज खापर्डे : माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार में उल्लेख किया है। इस संबंध में मैं यहां यह कहना चाहती हूँ कि सफदरजंग अस्पताल से "चार रिंगर लैक्टीट घोल" के छः "बैच" परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं। आदरणीय सदस्य ने "एड्स" के संबंध में कुछ कहा है। मैं इस मामले के संबंध में जानती हूं। इस मामाले में हमने पहले ही कार्यवाही की है और जो भी शीशियां बाजार में बेची गई थीं वे बाजार से जब्त की गई हैं और सरकार अन्य बातों की छानबीन कर रही है

डा. डी. एन. रेड्डी : एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें इन औषधियों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्यवाही का गई है। क्या मंत्री जी मुझे ऐसे कुछ मामले बता सकते हैं जहां सख्त कार्यवाही की गई है ?

कुमारी सरोज खापर्डे : जिन घटनाओं का मैंने उल्लेख किया है उन के अतिरिक्त जैसा मैं ने कहा हाल ही में समाचार पत्रों में समाचार आया था और उस संबंध में हमने पहले ही कार्यवाही की है : हमनेनमूना लिया है और हमने इसे यहां गाजियाबाद प्रयोग शाला में जांच के लिए भेज दिया है।

डा. कृपा सिन्धु भोई ; कुछ दिन पहले भी यह विवाद उठा था। उस दिन मैंने यह सुझाव दिया था कि औषध नियंत्रण को जो अब रसायन विभाग के अधीन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन लाया जाये ताकि स्वास्थ्य मंत्री आसानी से यह जिम्मेदारी दूसरे मंत्रालय पर डाल सके। किंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। निश्चय ही मंत्रिपरिषद की संयुक्त जिम्मेदारी है। मंत्री महोदया ने सदन में कहा कि जांचों के परिणम आने में दो या तीन महाने लग जाएंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं और सभा को भी मालूम है कि इसमें इतना समय नहीं लगता। अ. भा. आ. सं. में या सफदरजंग अस्पताल में पांच मिनट में परिक्षा हो सकती है। अनेक प्रकार की जांच होती है देश में सहस्रों लोगों की मृत्यु हो रही है और हम गाजिबाबाद प्रयोगशाला में परिक्षाओं के परिणामों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतः क्या मंत्री निश्चित रूप से मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या कोई व्यक्ति सफदरगज अस्पताल मे "रिंगर लैक्टेट घोल" के दूषित होने के कारण मर गया; विभिन्न अस्पतालो में परीक्षण की प्रयोगशालाएं हैं, किंतु यह पर्याप्त नहीं है क्यों कि 100 नमूनों में से वे केवल एक परीक्षण करेंगे और वह ठीक भी हो सकता है। किंतु सहस्रों लोग मर रहे हैं जैसा पिछले छः महीनों में हुआ है। सप्लाइ करने वाला, आस्लस फार्मा अभी तक काली सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है उस रिंगर लैक्टेट घोल तथा अन्य चीजों के निर्माता के खिलाप कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साधारण व्यक्ति भी देख सकता हैं कि यह दूषित है उन औषध कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई हैं ? कुछ ठोस कदम उठाने के बदले सरकार गाजियाबाद की पुरानी प्रयोगशाला के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है और मंत्री अभी भी नियमों और कानूनों और अधिनियमों का उल्लेख कर रहा है जब कि पूरे देश में क्षति हो रही है। हम 2000ई. तक सभी नागरिकों के लिए चिकितसा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आशा करते है। यदि इस प्रकार की गलतियां होती रहीं तो क्या होगा ? मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं और मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इन गलतियों के लिए दोषी औषधी नियंत्रकों के खिलाप केन्द्रीय जांच

ब्यूरो द्वारा पूरी छानबीन कराई जायगी और कालाबाजारी करने वालों तथा ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ? मैं मंत्री महोदया से निवेदन करता हूँ कि वे कार्यवाही करें और मैं अपनी ओर से सभी प्रमाणों सहित उन सभी औषध कम्पनियों के खिलाप साक्ष्य दूंगा। महोदय क्या आप सरकार से कहेंगे कि वह दिल्ली महाराष्ट्र और तमिलनाडू के औषध नियंत्रणकों के खिलाप केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये ?

कुमारी सरोज खापर्डे : माननीय सदस्य महोदय ने औषध नियंत्रकों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्यकरण के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने यह सारी बातें मुझे बताई हैं।

मैं सदस्यों को आश्वासन देती हूँ कि मैं सारे मामलों पर विचार करूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो गाजियाबाद प्रयोगशाला के विलम्ब के कारण माननीया सदस्य बहुत ही नराज हैं। मेरे विचार से यह एक सांविधिक प्रयोगशाला है · (व्यवधान)

डा कृपा सिन्धु भोई : यह एक पुरानी प्रयोगशाला है इससे देश के सारे चिकित्सक समुदाय को होष दिया जाता है··· (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : बंध्यता और विषालुता के परिक्षण में कुछ ज्यादा वक्त लगता है मैं सोचती हूँ कि उसमें लगभग दो से तीन सप्ताह का समय लगेगा। मैं यह आश्वासन देती हूँ कि दो या तीन सप्ताह के बाद हम इस संबंध में की गई जाँच की रिपोर्ट दे सकेंगे—(व्यवधान)

डा. कृपा सिन्धु भोई : अगर आप इसे सफदरजंग अस्पताल भेजें तो वे आपको इसका उत्तर एक मिनट में दे देंगे।

यातायात व्यवस्था ठप्प हो जाना

*599. **श्री शरद दिघे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1989 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जो पुणे स्थित केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान की भारत में शहरी परिवहन व्यवस्था के संबंध में एक अध्ययन रिपोर्ट के बारे में है, जिसमें परिवहन आरोपों तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाली अव्यवस्था के कारण 'मेगा ट्रांसपोर्ट कोलेप्स' की आशंका व्यक्त की गई है जिसके कारण शताब्दी के अन्त तक शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की यातायात व्यवस्था ठप्प हो जाने से बचाव के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

शहरी परिवहन में अत्यधिक भीड़-भाड़ की समस्या को सरकार को जानकारी है तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण को उच्च महत्व देता है। कलकत्ता, बम्बई और

मद्रास में मेट्रो-रेल प्रणालियों के निर्माण पर कार्य प्रगति पर है। कलकत्ता में इस प्रणाली का एक भाग प्रचालन में है। दिल्ली में प्रस्तावित मेट्रो-प्रणाली के चयनित कोरिडारों के संबंध में एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन आरम्भ करने का प्रस्ताव है। कुछ अन्य महानगरों के सम्बन्ध में, व्यवहार्यता अध्ययन विभिन्न सोपानों में हैं। इन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन और प्रगति आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। विश्व बैंक की सहायता से शहरी परिवहन परियोजनाओं सहित कुछ शहरों में सड़क परिवहन को सुदृढ़ किया गया है। शहरी परिवहन क्षेत्र के महत्व को मान्यता देते हुए, योजना आयोग द्वारा उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया गया है जिस पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की सम्पूर्ण उपलब्धता के आलोक में आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जाएगा।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकर खुश हूं कि सरकार शहरी परिवहन प्रणाली में असामान्य भीड की समस्या के प्रति जागरूक है और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अत्यधिक महत्व देती है। इस संबंध में किए गए एक अनुसधान से पता चलता है कि दो पहिया गाड़ियां जिन की संख्या करीब 35 मिलियन है, यह सड़क पर प्रति इकाई ज्यादा जगह लेती है और उनकी संख्या कुल वाहनों का 81.8 प्रतिशत है। लेकिन वास्तव में बस परिवहन जो प्रति इकाई कम जगह लेती है और कम ऊर्जा की खपत करती है, उसकी संख्या कुल वाहनों का 2 प्रतिशत है। इसलिए, क्या सरकार इस दिशा में विशेष ध्यान देते हुए ऐसा कदम उठायेगी जिससे कि बम्बई और दिल्ली जैसे महानगरों में बस सड़क परिवहन को विकसित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष महोदय, अर्बन ट्रांसपोर्ट जिस तरह से बढ़ रही है 1940 में 41 प्रतिशत इनकी पापुलेशन थी जो पूरे देश की पापुलेशन को ग्रोथ से मेल खाती थी। लेकिन 1981 में यह टोटल पापुलेशन से 25 प्रतिशत अधिक हो गई। यह अनुमान है कि शताब्दी के अन्त तक यानि 2000 तक यह चौंतीस हजार कुछ हो जायेगी। जिस तेजी से अर्बन पापुलेशन बढ़ रही है उसी तेजी से समस्यायें बढ़ रही हैं। हमारा एक कमीशन बैठा था चार्ल्स कोरिया का, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और गहराई से अध्ययन करके रिकमडेशंस दी हैं। दिघे जी जो कह रहे हैं वह सही है कि बड़े शहरों में यह काफी बड़ी प्राब्लम है। हमने इस संबंध में कदम उठाने की कोशिश की है और उठा रहे हैं कि रोड का कंजेशन कम हो। उसके लिए माल रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात को है, जैसे मैट्रो है कलकत्ता में। बम्बई में भी मानपुर-बेलापुर का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसी तरह से मद्रास में भी शुरू किया गया है। विश्व बैंक ने भी बहुत से प्रोजेक्ट रोडवेज को ठीक करने के लिए बसों के लिए दिए हैं। इसमें महाराष्ट्र, बम्बई, शामिल हैं, कह भी काफी बड़े प्रोजेक्टस लिए हैं विश्व बैंक ने। इसी तरह से मद्रास, कलकत्ता के लिए उन्होंने कोशिश की है कि किस सूरत में रोड ट्रांसपोर्ट को ठीक करें। उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्टस

[अनुवाद]

जो 1988 में कुल 33.14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरी की गयी थी। 700 बसें और चेसिस के संघटक निर्माणहै तथा तीन बस डिपो के लिए वित्त की अधिप्राप्ति की गई है।

[हिन्दी]

यह सारे उससे मुतल्लिक जितनी चीजें हैं वह विश्व बैंक ने तीन प्रोजेक्टस लिए हैं। कलकत्ता में 108 करोड़ का फाइनेंस किया है बसों के लिए और डिपो बनाने के लिए···दिल्ली में जैसा कि जाहिर है, यह दुनिया का ऐसा बाहिद सिटी है, जहां हम बसों के जरिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते और ले जाते हैं। इसके लिए एक स्टडी रिपोर्ट तैयार हो रही है कि यहां पर कौन सा सिस्टम ज्यादा स्यूट करेगा, लाइट रेलवे या हैवी रेलवे जैसे ही वह फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल हो जायेगी, हम तदनुसार कोई निर्णय लेंगे।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : इसी तरह, दूसरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था—मेट्रो रेल ने कलकत्ता में अत्यधिक प्रगति की है। लेकिन जहां तक बंबई का प्रश्न है, कई सालों से सम्भाव्यता अध्ययन किया जा रहा है। क्या सरकार बंबई शहर की भीड़ को कम करने के लिए तुरन्त भूमिगत मेट्रो रेल परिवहन व्यवस्था शुरू करेगी ?

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : सर, बंबई में मेट्रो सिस्टम का जहां तक ताल्लुक है, जब तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सामने न हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कण्डीशन्स ही ऐसी हैं, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, उसके बीच में से अण्डर ग्राउण्ड रेलवे ले जाना, खास तौर से कोस्टल एरिया में बड़ा मुश्किल पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है और मैं समझती हूं कि हिन्दुस्तान के लिए यदि बैस्ट स्यूटेड सिस्टम कोई है तो वह यही हो सकता है, लेकिन जैसा हम कलकत्ता में देख रहे हैं, यह सिस्टम बहुत कोस्टली पड़ता है। इसलिए सारी बातों को देखते हुए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी, हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

प्रो. मधु दंडवते : बम्बई कोई अण्डरग्राउण्ड एक्टिविटी पसन्द नहीं करता है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : लेकिन सबसे ज्यादा अन्डरग्राउन्ड एक्टिविटीज यदि कहीं चलती हैं तो बम्बई में ही चलती है, सारी दुनिया में बम्बई अन्डरग्राउण्ड एक्टिविटीज के लिए मशहूर हैं।

[अनुवाद]

श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव : कलकत्ता और बम्बई अपनी परिपूर्णता की स्थिति पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा है कि जो शहर परिपूर्णता की स्थिति में पहुंच चुके हैं, वहां मेट्रो रेल इत्यादि जैसी योजनाएं सम्भव नहीं हो सकतीं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जो एक बहुत ही विस्तृत शहर है, और जो पिछले 10 सालों में अत्यधिक भीड़भाड़ पूर्ण हो गया है वहां इसके फलस्वरूप प्रदूषण और अन्य समस्यायें उत्पन्न हो गई है। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था अब करेगी क्योंकि अगर हम रिपोर्ट के लिए इन दलों पर निर्भर करेंगे जो कि 10 या 15 साल में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो हम भी बम्बई और कलकत्ता जैसी स्थिति में पहुंच जायेंगे और निर्णय कभी नहीं ले पायेंगे। इसलिए आप दिल्ली के लिए कैसी वैकल्पिक व्यवस्था सोच रहे हैं, क्या यह मेट्रो रेल है या ट्यूब रेल, या मोनो रेल ? यह मंहगा हो सकता है पर अन्ततः आपको मांग की पूर्ति करनी होगी।

क्या इस संबंध में कोई समय निश्चित किया गया है जिसके अन्दर आपको इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करनी है।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं और मेरी भी राय है कि हम यहां जो भी सिस्टम टेक-अप करें, खास तौर से दिल्ली में, उसकी प्लानिंग 10 या 20 वर्ष की न हो बल्कि वह प्लानिंग कम से कम 50 वर्षों की होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, विशेषकर माइग्रेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हर साल एक या डेढ़ लाख लोग आ जाते हैं। हमने सबसे पहले 1974 में इसका सर्वे कराया था परंतु उस वक्त से अब तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। फिर भी, अब जो रिपोर्ट आप फरमा रहे हैं, मैंने कहा है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री आफ अर्बन डेवलपमेंट तथा डी. डी. ए. तीनों मिलकर इस कार्य को देख रहे हैं, यह काम राइटस के सुपुर्द किया गया है, जिनकी पहली रिपोर्ट अगस्त मास तक, दूसरी रिपोर्ट नवम्बर मास तक और तीसरा पार्ट दिसम्बर तक मिल जाने की आशा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली के लिए हम जल्दी से जल्दी किसी फैसले पर पहुंच सकें।

[अनुवाद]

श्री अताउर्रहमान : शहरी परिवहन का प्रश्न तो उठाया गया है पर हम लोग उधर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस कारण शहरी परिवहन में भीड़भाड़ हो रही है। बाहर से शहर के भीतर आने वाले अनेक प्रकार के वाहन यह सब समस्यायें उत्पन्न करते हैं : और यह समस्या तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक सरकार अपने विचारों में स्पष्ट नहीं हो जाती। इसके लिए गृह मंत्रालय भी उत्तरदायी है क्योंकि इन्होंने कम से कम राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को अधिकार प्रदान कर गुनाह करने वालों के लिए उचित दंड की व्यवस्था नहीं की है। अन्यथा इन मामलों में न्यायालयों में मुकदमा कभी नहीं चलाया जाता। हजारों मामले देश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। इसके परिणामस्वरूप अनुशासनहीनता बढ़ रही है। मेरे विचार से परिवहन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठ कर देश में इन समस्याओं से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सोचना चाहिए। मेरे विचार से किसी आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। उदाहरणार्थ, असम में हजारों ट्रक पश्चिम भाग के द्वार से अन्दर आते हैं। लोगों को उस रास्ते पर वाहन चलाना मुश्किल है। इसलिए जब तक ग्रामीण यातायात को भी ध्यान में नहीं रखा जाता तब तक किसी प्रकार का सुधार सम्भव नहीं है। इसलिये, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस दिशा में ग्रामीण यातायात के बारे में भी सोच रही हैं या नहीं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष : जी अभी तो हमारे सामने अर्बन ट्रांसपोर्ट का ही मामला है जिसका फैसला करना है। यह बात सही है कि हिन्दुस्तान की रोड्स पर और खास-तौर से दिल्ली में हर तरह की सवारी है और हम इसमें कोई हैल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर तरह के लोग यहां हैं जिनके पास थ्री व्हीलर भी है टू व्हीलर भी हैं। यह बात जरूर है कि दिल्ली में 116 परसेंट ग्रोथ हुई है, जब कि बम्बई और कलकत्ता में इसके मुकाबले गाड़ियों की ग्रोथ कम हुई है इतनी ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर आ जाती हैं जिससे परेशानी पैदा हो जाती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि बाई-पास निकालें ताकि कंजैशन कम हो। इस के लिए हमने एक कंसोशियम फण्ड भी बनाया है, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में छोटी सिटीज की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगा। हमें उम्मीद है कि इस काम के लिए प्लानिंग कमीशन हमें और ज्यादा मदद बढ़ाएगा।

अध्यक्ष महोदय : सबसे जरूरी काम यह है कि गांवों से शहरों मे लोगों का आना बन्द किया जाए। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि गांवों को ऐसा बनाया जाए जिससे लोग गांव छोड़ें नहीं, तब बात बनती है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा मेट्रो रेलवे की लागत के संबंध में जो कहा गया है, मुझे संदेह है उससे यह धारणा बनाई गई है कि कलकत्ता मेट्रो रेलवे का खर्च बहुत ही ज्यादा हो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसा नहीं है। जब इसे शुरु किया गया था इसकी अनुमानित लागत बहुत ही कम थी और यह अव्यावहारिक तरीके से निकाली गई थी। इसके शुरू होने के पहले इसकीअनु-मोदित लागत 250 करोड़ रुपये थी—रेलवे का वर्तमान अनुमान है कि इसकी लागत 430 करोड़ रुपया होगी। इसलिये यह इस हद तक नहीं बढ़ी जिस हद तक लोग रेलवे और दूसरे माध्यम के बताने बढ़ी से हुई समझ रहे थे। इसलिए लोक लेखा समिति ने कलकत्ता मेट्रो संबधी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह विशेषज्ञता अब हमारे पास आ गयी है। और यह कलकत्ता में मौजूद है इसलिये इसका उपयोग किया जाना चाहिए और इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये इसे दिल्ली बम्बई या किसी भी अन्य शहरों के उपयोग में लाया जा सकता है। मैं केवल मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं। लेकिन जहां तक कलकत्ता मेट्रो के बारे में हमें पता चला है, वहां तीन लाइनें थीं। अन्य दो लाइनों का निर्माण अब नहीं किया जा रहा है। यह लाइन जमीन के ऊपर भी लाई जानी चाहिये दुनिया में हर जगह मेट्रो रेलवे का इसी तरह निर्माण किया जा रहा है। यह शहर के बाहर भूमि पर आ जाती है और फिर शहर के मध्य में 12 से 15 किलोमीटर तक जमीन के भीतर चली जाती है और फिर बाहर आ जाती है। इसी बाहरी सतह के बारे में प्रश्न पूछे गये हैं। रेल मंत्रालय के कथनानुसार, यह शहरी विकास मंत्रालय की रिधि में आता है। इस तरह अब वह जिम्मेबार हैं। अतः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे मेट्रो रेलवे का विस्तार करके उसे जमीन की सतह पर ला रहे हैं या नहीं ?

श्री मोहसिना किदवई : महोदय, मैं कलकत्ता की मेट्रो रेलवे के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं इस व्यवस्था के बारे में बात कर रही हूं। यह मेट्रो व्यवस्था निश्चित तौर पर जमीन की ऊपरी रेल व्यवस्था से ज्यादा मंहगी है। इसलिए मैं इसके लिए आपसे निवेदन कर रही थी। लेकिन हम इस तरह की व्यवस्था दिल्ली के लिये प्रस्तावित कर रहे हैं जो कहीं जमीन के भीतर होगी, कहीं पर जमीन पर और कहीं उससे ऊपर इसलिये यह व्यवस्था है। हमें जिसके बारे में ध्यान देना होगा और जो भी व्यवस्था हमारे देश के लिये उपयुक्त होगी हम उसे अपना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मानकीकरण नियन्त्रण और प्रतिरक्षण विज्ञान संबंधी संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

[अनुवाद]

*597. **श्री एच. एन. नन्जे गौड़ा** :

श्री पी. आर. कुमारमंगलम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी भारतीय और आयातित टीकों और रक्त उत्पादों की जांच के लिए राजधानी में मानकीकरण नियंत्रण और प्रतिक्षण विज्ञान संबंधी एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अन्य शहरों में भी ऐसे ही संस्थान खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे : (क) जी, हां। प्रतिक्षण जैविकों का राष्ट्रीय मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, जो दिल्ली के समीप स्थापित किया जाएगा, देश में निर्मित और आयातित टीकों और रक्त उत्पादों दोनों की जांच का कार्य करेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी आवास परिसरों का रख-रखाव

* 600 **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के सरकारी आवास परिसरों के असंतोषजनक रख रखाव के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षण के बारे में क्या नियम हैं और क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपेक्षित निरीक्षण करते हैं ; और

(ग) प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई : (क) से (ग) :—इस संबंध में समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यानपूर्वक जांच की जाती है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है। नियमावली में कनिष्ठ इन्जीनियरों, सहायक इन्जीनियरों और कार्यपालक इन्जीनियरों द्वारा नियमित सांवधिक निरीक्षण करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं उनके द्वारा रेजिडेन्टस एसोसिएशनों के साथ बैठकें भी की जाती हैं। इसके अलावा, विभाग द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण किए जाते हैं ताकि आवंटितियों द्वारा शिकायतें किए जाने से पहले ही समस्याओं का समाधान हो सके।

पेशेवर रक्त दाताओं पर निगरानी रखने के लिये कदम उठाना

*601. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान द्वारा

किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि 5 प्रतिशत पेशेवर रक्तदाता मानव प्रतिरक्षाहीनता वाइरस से पीड़ित हैं; और

(ख) पेशेवर रक्तदाताओं पर निगरानी रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, पुणे ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है जिसमें पेशेवर रक्त दाताओं के बीच एच. आई. वी. प्रतिपिण्डों के प्रति 5 प्रतिशत सीरा-पाजिटिविटी का पता चला हो।

(ख) रक्त दानों, जिनमें पेशेवर रक्त दाताओं द्वारा दिए रक्तदान भी शामिल हैं, की जांच का एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है।

केले में अल्सर रोधी गुण

*602. **श्री नरसिंह सूर्यवन्शी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कुछ शोध वैज्ञानिकों ने वर्ष 1984 में केले में अल्सर रोधी गुण होने का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस देश में भी इस संबंध में कोई शोध किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे : (क) से (ग) 1961 में डा. ए. के. सन्याल, इंटिस्ट्यूट आफ मेडिकल साईंसि, बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसी के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने केले की अल्सर रोधी क्रिया शीलता के बारे में रिपोर्ट दी थी। गिनीपिग पर किए गए प्रयोगों से उन्होंने यह दर्शाया था कि कच्चे केले के सार से आमाशय व्रण (मेस्ट्रिक अल्सर) में और हिस्टामीन के बार-बार इन्जेक्शन लगने से होने वाले छिद्रण में स्पष्टतया कमी होती है। गिनी पिगों पर किए गए अध्ययनों द्वारा यह भी पता चलता है कि कच्चे केले का गूदा उन्हें फेबिलबुटाजोन द्वारा उत्पन्न आमाशय गुण (मैस्ट्रिक अल्सर) से बचा सकता है। चूहों पर किए गए परीक्षणों से यह भी पता चला है कि कच्चा केला मनोवैज्ञानिक तनाव द्वारा उत्पन्न अल्सर से उनकी रक्षा करता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक अभियंताओं का वेतन निर्धारण

*603. **श्री सोमजीभाई डामर** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों द्वारा अपने तदर्थ कार्यपालक अभियंताओं को कनकार्डेन्स टेबल के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का इस बारे में क्या विनिर्णय है;

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सभी कार्यपालक इन्जीनियरों को समझौता (कनकार्डेन्स) तालिका के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है जहां 1.1.1986 से पूर्व दोषकालीन रिक्तियों पर

नितांत तकनीकी कारणों से तदर्थ आधार पर सहायक इन्जीनियर ग्रेड से पदोन्नतियां की गई थी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कुछ तदर्थ कार्यकालक इन्जीनियरों द्वारा दायर याचिकाओं में, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (ट्रीब्यूनल) ने वित्त मंत्रालय के दिनांक 14.11.1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-12/21/74-आई. सी. द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ देने का निर्देश दिया था।

"बाड़मेर और जैसलमेर में मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व स्थापित करना"

*604. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बाड़मेर और जैसलमेर में मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व स्थापित करने के लिये 900 लाख रुपये मन्जूर किए हैं;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले में और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के थार मरुस्थल में जीवमंडल रिजर्व स्थापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और उसे राजस्थान सरकार को उसकी सहमति के लिए भेज दिया गया है। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जनशक्ति निर्यात

*605. **डा. सुधीर राय** : क्या **श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की है कि भारत ने जनशक्ति निर्यात के बारे में समुचित प्रबन्ध आयोजना अथवा कोई केन्द्रीय एजेंसी नियुक्त करने की दिशा में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया है जैसा कि दक्षिण कोरिया और चीन द्वारा किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

*606. **श्री राम प्यारे पनिका** :
श्री अनंत प्रसाद सेठी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं में बड़े पैमाने पर मिलावट होने के

समाचार आ रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली और अन्य महानगरों में लघु उद्योग क्षेत्र में ऐसे अनेक कारखाने लग गये हैं जिनमें खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए पदार्थ बनाये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दिल्ली, बम्बई मद्रास और अन्य बड़े शहरों में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में 11 मार्च, 1989 के दि हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार छपा है। खाद्य पदार्थों में मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वाली निर्माता यूनिटों की वृद्धि होने के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य अपमिश्रण निवारण प्राधिकारियों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिकारी निर्माताओं/थोक विक्रेताओं फूटकर विक्रेताओं का अचानक निरीक्षण करते हैं और खाद्य पदार्थों जिनमें मिलावटी वस्तुएं भी शामिल हैं, के नमूने लेते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के अचानक लिए गए नमूनों के आधार पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के कार्यकरण की वर्ष 1983 से 1987 की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर 10 से 14 प्रतिशत नमूनों के मिलावटी होने का पता चला है। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे अपने खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यान्वयन तन्त्र को सुदृढ़ करें और खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या को हल करने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करें।

विदेशों में रोजगार के लिये भर्ती एजेंसियां

607. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भर्ती एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान अरब तथा अन्य देशों को जनशक्ति निर्यात करने के लिये प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक कर्मकारों की भर्ती करने के लिये लाइसेंस दिया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1988 के दौरान इन एजेंसियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनशक्ति का निर्यात करने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) उन भर्ती एजेंटों के ब्यौरे, जिनको जनशक्ति निर्यात के लिए 1000 से अधिक कर्मकारों के लिए लाइसेंस दिया गया था, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1988 के दौरान दो भर्ती एजेंटों के खिलाफ दो शिकातें प्राप्त हुई थी। एक शिकायत भर्ती व्यवसाय करने और पंजीकृत कार्यालय के अलावा अन्य स्थान पर साक्षात्कार से संबंधित है। पासपोर्टों चिकित्सा रिपोर्टों और जीवन वृत तथा अन्य दस्तावेजों को स्थल पर जब्त

किया गया। अन्य शिकायत भर्ती एजेंट द्वारा निर्धारित प्रभार से अधिक राशि मांगने से सम्बन्धित है।

(ग) जनशक्ति निर्यात प्रक्रिया में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्न शामिल हैं :—

(i) वर्तमान प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाना तथा सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारियों को शामिल करके "उत्प्रवास चैक जरूरी नहीं" के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणियों का विस्तार करना।

(ii) उत्प्रवास संरक्षियों के क्षेत्रीय अधिकार की परिभाषा की गई है।

(iii) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की मुख्य विशेषताओं के बारे में प्रत्याशित उत्प्रवासियों का व्यापक प्रचार

(iv) उत्प्रवासी संरक्षियों के कार्यालयों को प्रशासनिक रूप से कारगर बनाना ताकि निहित स्वार्थों को संस्थापित या उसे बढ़ने की गुन्जाइश को कम किया जा सके और इन कार्यालयों का निरीक्षण करना।

(v) जोर्डन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 22 अक्तूबर, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे। जनशक्ति संगठन के बारे में एक करार पर भारत और कतार के बीच 11.4.85 को हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें यह व्यवस्था है कि कर्मकार ठेके के आधार पर नियोजित किए जाएगें जिनमें रोजगार की शर्तें अर्थात् मजदूरी, रोजगार की अवधि, आवास तथा अन्य विवरण शामिल होगीं।

विवरण

वर्ष 1986 से 1988 की अवधि के दौरान हजार कर्मकारों से अधिक कर्मकारों के लिए दिए गए तथा बढ़ाये गए पंजीकरण प्रमाणपत्र

वर्ष		
1986	1. मैसर्स तैसीर कंसलटेंट्स (प्रा.) लि.	403-ए. ए. वी. जी. भवन, एम-3, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
	2. मैसर्स वेस्टर्न इन्डिया इन्टर—प्राइजिज लि.	सहयाद्रो सदन, तिलक रोड, पुणे-411030
	3. मैसर्स वेस्ट एशिया एक्सपोर्टस एंड इम्पोर्टस (प्रा.) लि.	5, मूरे रोड, कैथेड्रिल, मद्रास-6
	4. मैसर्स कुरैशी इन्टरप्राइजिज	289/91 नागदेवी स्ट्रीट, चौथा तल, कमरा सं. 12, बम्बई-3
	5. मैसर्स रेटिको हेबतुल्ला इन्टर—नेशनल	29, दूसरी हसनाबाद लेन सांताक्रुज (डब्ल्यू) बम्बई-54

	6. मैसर्स ए. जी· इन्टरप्राइजिज	कमरा न. 202, दूसरा तल, एयर कंडीशन मार्किट, तारदेव रोड, बंबई।
	7. मैसर्स ओसियन एक्सपोर्टस	52/1384, आदर्श नगर, एम. आई. जी. वर्ली बम्बई।
	8. मैसर्स विस्को	421, तुलसियानी चैम्बर्स, बम्बई-21
	9. मैसर्स अमर इन्टरप्राइजिज	89, मोहम्मद अली रोड, बम्बई-3
	10. मैसर्स सइदस ट्रेवल एण्ड टूर	संख्या 225, पहला तल, खलील शिराजी इस्टेट, पांथेव रोड मद्रास।
वर्ष		
1987	1. मै. एवरेस्ट इन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली।	49, नजफगढ़, नई दिल्ली-35
	2. मै. अब्दुल अजीज एण्ड एसोसिएटस मैनपावर कंसलटेंटस, बम्बई	309, एम्बेसी सेंटर, तीसरा तल, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई-21
	3. मै. इम्मार इन्टर प्राइजिज बम्बई	612/613, रहेजा सेंटर, नरीमन, प्वाइन्ट, बम्बई-21
	4. मै. अल-करीम ओवरसीज कंसलटेंटस एण्ड ट्रेनिंग कं. प्रा. लि. बम्बई	सी-2, शिवकुटीर, सामने होटल एमिग्रो, वीर सावर मार्ग, बम्बई।
	5. मै. अल-रहमान एसोसिएटस	दिदवाना, जिला नागोर (राजस्थान)
	6. मै. रुकाई किंग ट्रेवल सर्विस	दुकान सं. 23 और 23 ए. सुपर बाजार स्टेशन रोड सांतक्रुज (डब्ल्यू), बम्बई-54
	7. मै. स्टारलाइट फेडेई मैनपावर एजेंसी	गुरूकृपा बिल्डिंग दूसरा तल 2/3652, 53, 54 नानसार बाजार, पुलिस गेट के पीछे, सूरत गुजरात।
	8. मै. शावन ट्रेवल एजेंटस प्रा. लि., बम्बई।	518, मोहाता मार्किट, 6 वांसल, पलटून रोड, बम्बई।
	9. मै. रोहिणी इन्टरनेशनल, बम्बई	फ्लैट सं. दूसरा तल, कुलसोम टेरेस, वालटन रोड, कोलाबा, बम्बई-39
1988	1. मैसर्स हरी इन्टरनेशनल	37, 5वां तल, टारडियो, एयर कंडीशन मार्किट, नरीमन प्वाइन्ट बम्बई-21

2. मैसर्स जयजाल इन्टरप्राइजिज	218, तुलसियानी चैम्बर्स, नरीमन प्वाइन्ट, बम्बई-21
3. मैसर्स अमर ट्रैवल्स, मद्रास	पो० बा० सं. 1999, 152, ए एन, स्ट्रीट मद्रास-1
4. मैसर्स राही ट्रैवल्स	दुकान सं. 14, शिवाजी नगर, सबवे रोड, नजदीक मिलन, सांताक्रूज (डब्ल्यू), बम्बई-54

उड़ीसा में छोटे और मझोले कस्बों का विकास

*608. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में धवागढ़ और पाराद्वीप कस्बों का छोटे एवं मझोले कस्बों के समन्वित विकास की योजना के अन्तर्गत विकास करने लिए चयन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के लिए प्रत्येक कस्बे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

शहरी विकास मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई : (क) इस प्रयोजनार्थ केवल पाराद्वीप कस्बे का ही चयन किया गया है।

(ख) 1988-89 के दौरान पाराद्वीप कस्बे के लिए 18.00 लाख रुपये की धन राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। यह अधिकतम 42 लाख रुपये की राशि की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हो गया, जो योजनाओं के प्रतिपादन और कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगा।

बीड़ी मजदूर

*609. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में बीड़ी निर्माता बीड़ी मजदूरों की सेवा शर्तों और उनको दिये जाने वाले लाभों से संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के उपबंधों का पालन नहीं कर रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन अधिनियमों के उपबंधों के कार्यान्वियन का सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय तंत्र स्थापित करने का विचार है ?

श्रम मंत्री श्री बिन्देश्वरी दुबे : (क) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के कार्यान्वियन के बारे में समुचित सरकार है

(1) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976;

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

बीड़ी कर्मकार कल्याण निनिधि अधिनियम 1976 के बारे में यह अवसर सुचित किया गया है कि नियोजिक पहचान पत्र जारी करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जैसा की बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978 के नियम 41 के अन्तर्गत अपेक्षित है। अनुदेश जारी कर दिए गए हैं

कि केन्द्रीय श्रम कल्याण संगठन के अधिकारी पहचान पत्र जारी करें तथा राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निकायों के कार्यपालक प्राधिकरणों को भी पहचान पत्र जारी करने के अधिकार दिए जाएं।

बीड़ी और (सिगार नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1961, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 आदि सहित अन्य केन्द्रीय अधिनियमों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है उक्त अधिनियम के अधीन समुचित सरकारें हैं। ऐसे अधिनियमों के उपबंधों के उल्लंघन कीकिसी भी घटना को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जाता है।

(ख) जी नहीं,।

"संजय सागर (बैंक रीवर) परियोजना और मोघा बांध सिंचाई परियोजना को मंजूरी

[हिन्दी[

*610. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन संजय सागर(बैंक रीवर) परियोजना और मोघा बांध सिंचाई परियोजना से संबंधित सभी विवरण उनके मंत्रालय को भेज दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए मंजूरी कब तक दिये जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) और (ख) संजय सागर (बैंक-रीवर) परियोजना नामक कोई प्रस्ताव अभी तक इस मंत्रालय को नहीं भेजा गया। फिर भी, संजय सागर (बाह)परियोजना नामक एक प्रस्ताव इस मंत्रालय को भेजा गया था तथा उसे मई 1988 में नामंजूर कर दिया गया व राज्य प्राधिकारियों से जनवरी, 1989 में कैचमेंट क्षेत्र सुधार, क्षतिपूरक वनरोपण, पुनर्वास और कमांड क्षेत्र विकास के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगे गए थे जो उन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं।

मोघा बांध परियोजना को पुनर्वास और कैचमेंट क्षेत्र सुधार सम्बन्धी कार्य योजनाएं उपलब्ध न होने के कारण जनवरी, 1989 में नामंजूर कर दिया गया। ये कार्य योजनाएं अब तक भी नहीं भेजी गई हैं।

श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्डों की रिपोर्ट

[अनुवाद]

*611. **श्री शांति लाल पटेल** :

श्री जी. एस. वासवराजू :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए गठित मजूरी बोर्डों ने सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो मजूरी बोर्डों द्वारा की गई सिफारिशों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (श्री विन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उद्योगों में अपशिष्ट पदार्थ शोधन सुविधायें

*612. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के किनारे स्थित उद्योगों को गत वर्ष अपशिष्ट पदार्थ शोधन सुविधाओं की व्यवस्था करने के निदेश दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी उद्योगों ने अपशिष्ट पदार्थ शोधन सुविधाओं की व्यवस्था कर ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनकी व्यवस्था न करने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पिछले वर्ष अर्थात 1988 के दौरान मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गंगा के किनारे स्थित 25 उद्योगों को बन्द करने के निदेश देने के बारे में नोटिस जारी किए क्योंकि ये उद्योग निर्धारित बहिस्राव मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। प्रत्येक मामले की उसके गुण दोषों के आधार पर जांच करने के बाद सात मामलों में इकाइयों को बन्द करने के बारे में अन्तिम निर्देशों की पुष्टि की गई। बाकी 18 मामलों में, निश्चित समय के भीतर बहिस्राव शोधन संयत्र लगाने के निर्देश दिये गये जिनके न लगाने पर उन्हें इन इकाइयों को बन्द करना पड़ेगा।

(ख) और (ग) जिन सात इकाइयों को बन्द करने के निर्देश जारी किए गये थे उनमें से किसी भी इकाई ने अभी तक बहिस्राव उपचार सुविधायें मुहैय्या नहीं की हैं। जिन छः मामलों के बारे में निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई है उनमे से एक यूनिट ने बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा लिया है, जिन पांच इकाइयों ने अभी तक बहिस्राव शोधन संयंत्र नहीं लगाये हैं, वे हैं :— (1) पनकी थर्मल पावर हाउस, कानपुर, उत्तर प्रदेश- (2) नन्दगंज सिहोरी सुगर मिल, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, (3) काशीपुर गन एंड शैल फैक्ट्री, काशीपुर, पश्चिम बंगाल, (4) केसोराम रेयन, नया सराय पश्चिम बंगाल और (5) सुप्रीम पेपर मिल्स, नदिया, पश्चिम बंगाल। बाकी बारह यूनिटों के मामलों में अभी निर्धारित समय समाप्त नहीं हुआ है।

नए वनस्पति एकर्कों के लिये आश्रय-पत्र

*613. **चिंतामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनस्पति बनाने वाले एककों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में कितने-कितने एकक हैं;

(ग) क्या सरकार देश में नए वनस्पति एककों की स्थापना के लिये आशय-पत्र जारी करने के बारे में नीति की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) देश में इस समय वनस्पति उत्पादक एककों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एककों की की संख्या	क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एककों की संख्या
1.	हरियाणा	4	16.	मणिपुर	1
2.	हिमाचल प्रदेश	2	17.	मेघालय	—
3.	जम्मू व कश्मीर	3	18.	नागालैंड	—
4.	पंजाब	10	19.	उड़ीसा	2
5.	राजस्थान	7	20.	सिक्किम	1
6.	उत्तर प्रदेश	15	21.	त्रिपुरा	1
7.	चंडीगढ़	—	22.	पश्चिम बंगाल	6
8.	दिल्ली	2	23.	अरुणाचल प्रदेश	—
9.	आन्ध्र प्रदेश	6	24.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—
10.	कर्नाटक	6			
11.	केरल	2	25.	मिजोरम	—
12.	तमिलनाडु	5	26.	गुजरात	11
13.	पांडिचेरी	—	27.	मध्य प्रदेश	5
14.	असम	1	28.	महाराष्ट्र	15
15.	बिहार	4	29.	गोवा, दमन और दीव	—

वनस्पति एककों की क्षेत्रवार संख्या

क्षेत्र	लाइसेंस शुदा एककों की संख्या
सहकारी	11
सार्वजनिक	4
संयुक्त	10
निजी	84

देश में नए वनस्पति एकक स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने की नीति की उपयुक्त समय पर पुनरीक्षा की जाएगी।

चावल का रक्षित भंडार

*614. श्री सनत कुमार मंडल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पूल में चावल के भंडार की वर्तमान स्थिति क्या है, और विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकता कितनी है;

(ख) इस वर्ष विभिन्न चावल उत्पादक राज्यों में हुई कथित भारी फसल को ध्यान में रखते हुए चावल का रक्षित भंडार बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) केन्द्रीय भंडार में हो रही चावल की कमी को ध्यान में रखते हुये चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चावल का आयात किये जाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केन्द्रीय पूल में 1.3.1989 को स्थिति के अनुसार 41.95 लाख मीटरी टन चावल का स्टाक होने का अनुमान है। *राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ने अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से* अप्रैल, 1989 के लिए 12.29 लाख मीटरी टन चावल की मांग की थी।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी हटाओ कार्यक्रमों आदि की परिचालन संबंधी *आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बफर स्टाक तैयार करने* के लिए वर्ष के दौरान चावल की अधिकतम वसूली करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय स्टाक की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो चावल का आयात करने का विकल्प भी रखा जाता है।

कपास का वायदा बाजार पुनः आरम्भ करना

*615. डा. दिग्विजय सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री कपास का वायदा बाजार के बारे में 30 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2668 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के संबंध में वायदा बाजार पुनः प्रारम्भ करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) रुई के भावी सौदा व्यापार के संबंध में समग्र रूप से अपनाए जाने वाले समेकित दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में तथा रुई की कुछ किस्मों में ऐसा व्यापार शुरू करने से प्राप्त होने वाले अनुभवों के आधार पर कपास में भावी सौदा व्यापार पुनः शुरू करने के बारे में जांच की जानी है।

भारत में पोषक तत्वों का सेवन स्तर

*493. श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985, 1986, 1987 और 1988 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एक भारतीय वयस्क (पुरुष तथा महिला) (और बच्चे) 1 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक) को प्रतिदिन औसतन कितने पोषाहार की आवश्यकता पड़ती है और उनके पोषाहार सेवन का स्तर क्या है;

(ख) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति कितना प्रोटीन (प्रोटीन-युक्त मांस सहित) का सेवन किया जाता है और पोषाहार के स्तर के सेवन के अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में भारत में पोषाहार सेवन का स्तर कितना है और कितनी प्रोटीन का सेवन होता है;

(ग) क्या यह सच है कि कई वर्षों से कुपोषण बढ़ता जा रहा है और इसके फलस्वरूप पिछले पांच वर्ष के दौरान सेवन-स्तर में गिरावट आयी है; और

(घ) भारत में कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए औसत पोषाहार बढ़ाने और मूल्य पोषक पदार्थों की खपत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) यद्यपि पोषण और उपभोग स्तरों संबंधी पंचवर्षीय राष्ट्रव्यापी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अभी प्रकाशित किए जाने हैं, तथापि वर्ष 1982 के आंकड़े उपलब्ध हैं जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग बोर्ड द्वारा संकलित किए गए हैं। राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग बोर्ड के संकलन के अनुसार एक भारतीय वयस्क (पुरुष और महिला) और शिशु के लिए प्रोटीन के अनुपात में ऊर्जा की आवश्यकता और उसका उपभोग नीचे तालिका में दिया गया है :

	ऊर्जा केलोरीज (के. कल्स)		प्रोटीन ग्राम	
	आवश्यकता	उपभोग (अन्तर्ग्रहण)	आवश्यकता	उपभोग (अन्तर्ग्रहण)
वयस्क				
(I) पुरुष	2400	2243	55	58.7
(II) महिला	1900	1789	45.0	50.4
बच्चे (आयु वर्ष)				
1—3	1228	780	22.0	22.9
4—6	1720	1110	29.4	32.1
7—9	2050	1328	35.6	37.9

कुछ देशों में 1977 में ऊर्जा और प्रोटीन की उपलब्धता को दर्शाने वाले आंकड़े इस प्रकार हैं :—

देश	ऊर्जा (के. काल)	प्रोटीन (ग्राम)
चीन	2,531	64.9
बंगला देश	1,812	36.4
ब्राजील	2,562	62.7
इण्डोनेशिया	2,272	47.0
नेपाल	2,002	48.0
पाकिस्तान	2,281	63.0
श्रीलंका	2,126	43.0
भारत	2,021	50.0

कुपोषण कितना गम्भीर है और वह किस हद तक है, इसका निर्धारण उम्र के अनुसार के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 1976-81 की अवधि में 1—5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में गम्भीर कुपोषण की व्यापकता में निरन्तर कमी हुई है जो 1976 के 8.5 प्रतिशत के मुकाबले 1981 में 4.4 प्रतिशत हो गई तथा आयु के अनुसार सामान्य वजन के बच्चों की प्रतिशतता 1976 के 10.6 प्रतिशत से बढ़ कर 1981 में 15.9 प्रतिशत हो गई। बैठे रहने वाले एक कार्यकर्त्ता वयस्क पुरुष में कैलोरी (के कैल) के अन्तर्ग्रहण के संबंध में उपभोग के औसत स्तर में 1976-81 के दौरान 100 के. कैल. की आंशिक वृद्धि हुई।

कुपोषण की समस्या को हल करने की बहुमुखी कोशिशों के महत्व को समझते हुए विभिन्न मंत्रालयों में कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं ·

(1) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के कार्यक्रम (कृषि मंत्रालय)

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने संबंधी कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

(3) राष्ट्रीय विपत्ति राहत कार्यक्रम, जिसका मुख्य घटक प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करना है (कृषि मंत्रालय)

(4) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जिसमें एक मुख्य घटक 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पोषण देना है (महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

(5) 6 से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (कुछ राज्य सरकारें)

(6) विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तन्यपान कराने वाली माताओं के लिये गेहूं पर आधारित पूरक भोषण संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम (महिला और शिशु विकास मंत्रालय)

(7) माताओं और बच्चों में पौषणिक रक्ताप्पता की रोकथाम के लिये तथा विटामिन 'ए' की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिए बचाव कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

(8) सार्वजनिक वितरण पद्धति के माध्यम से उचित मूल्यों पर कुछ अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति करना (खाद्य और सिविल आपूर्ति मंत्रालय)

(9) पोषण क्षिक्षा कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खाद्य और सिविल आपूर्ति जैसे कई मंत्रालय)

भारतीय खाद्य निगम में फाइलों का गुम होना

[हिंदी]

5773. **श्री एस. डी. सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारतीय खाद्य निगम के नेहरु प्लेस, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से कुछ गोपनीय फाइलों की चोरी हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी फाइलों की चोरी हुई थी;

(ग) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) । भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय से गत वर्ष 183 पुरानी फाइलों की चोरी हो गई थी । ये फाइलें गोपनीय स्वरूप की नहीं थीं ।

(ख) इस चोरी के लिए कैन्टीन के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था । उस समय ड्यूटी पर तैनात भारतीय खाद्य निगम के तीन चौकीदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और इन चौकीदारों में से एक चौकीदार को जारी किए गये पदोन्नति आदेश को भी रोक लिया गया है ।

(घ) सुरक्षा उपाय को कड़ा कर दिया गया है और कैन्टीन से मुख्य बिल्डिंग को जाने वाले दरवाजों को स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है ।

सर्व प्रिय विहार, नई दिल्ली में फ्लैटों का आवंटन

[अनुवाद]

5774. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्व प्रिय विहार, नई दिल्ली में एक बहुमंजिली समूह आवास निर्माण समिति के "सर्व प्रिय एपार्टमेंट" में उसके सदस्यों को आवंटन हेतु मूल रूप से कितने फ्लैट मन्जूर किये गए थे और वर्ष 1985 में मूल आवंटन के समय कौन-कौन से क्षेत्र सार्वजनिक स्थानों के रूप में घोषित किए गए थे ;

(ख) क्या सर्व प्रिय सरकारी आवास निर्माण समिति ने बाद में सदस्यों की पूर्व स्वीकृति लिए बिना भू-तल पर स्थित वाहनों के खड़ा करने के स्थान को फ्लैटों में बदल दिया और प्रत्येक तल पर "जेनीटर" सेवा यूनिट को भी फ्लैट के रूप में बदल दिया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस भवन में सामुदायिक हाल के रूप में प्रयोग के लिए छोड़े गए सार्वजनिक क्षेत्र को भी हाल ही में कुछ प्राइवेट पार्टियों को आवंटित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है और इस समिति के विरुद्ध क्या कदम उठाये गए हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वसन्त विहार, स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय में अनियमितताएं

5775. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान मुख्य अभियन्ता (सतर्कता), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वसन्त विहार स्थित पूछताछ कार्यालय (सिविल और विद्युत) के कार्यकरण में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह : (क) जी हां ।

(ख) शिकायत में उठाये गए मुद्दों को निपटा लिया गया है । शिकायतें शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित कर्मचारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। चूंकि किसी के विरुद्ध कोई बदनीयती स्थापित नहीं की जा सकी, इसलिए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

दिल्ली सहकारी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत जांच

5776. **श्री बी. तुलसीराम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी समितियों के पन्जीकार द्वारा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 54 और 55 के अन्तर्गत सहकारी ग्रुप आवास समितियों और सहकारी भवन निर्माण समितियों के कार्यकरण के बारे में कितनी संख्या में जांच के आदेश दिए गए और 31 दिसम्बर, 1988 तक इस हेतु क्या नियम बनाए गए हैं;

(ख) अब तक जांच अधिकारी द्वारा कितनी संख्या में जांच पूरी की गई है और सहकारी समितियों के पन्जीकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ग) शेष प्रत्येक मामले में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह :

(क)	धारा 54 के अन्तर्गत निरीक्षण	= 56
	धारा 55 के अन्तर्गत जांच	= 53
(ख)	धारा 54 के अन्तर्गत	= 28
	धारा 55 के अन्तर्गत	= 25

(ग) निरीक्षणों/जांच के लिए रिकार्ड प्रस्तुत न करने के कारण प्रारम्भ में शेष सभी निरीक्षण/जांच लम्बित पड़े हुए हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम नई दिल्ली के चेयरमेंन एवं प्रबन्ध निदेशक को सुविधायें

5777. **श्री अनिल बसु :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (होल्डिंग कम्पनी) के चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक सहकारी दौरों के समय पांच सितारा होटलों में ठहरते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये पदाधिकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान ब्यूरो द्वारा स्वीकृत नियुक्ति की शर्तों के अनुसार इस प्रकार की सुविधा पाने के पात्र हैं; और

(ग) क्या यह सुविधा पूर्व निर्देशकों को भी प्राप्त थी ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शफीक आलम) : (क) एन डी सी (नियन्त्रक कम्पनी) नई दिल्ली के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निर्देशक तथा अन्य कार्यशील निर्देशक के सहकारी दौरों के समय, एन टी सी (नियन्त्रण कम्पनी) के निर्देशन मंडल द्वारा अनुमोदित यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार फाइव स्टार होटलों में ठहरने के हकदार हैं।

(ख) कार्यशील निर्देशकों की नियुक्ति की शर्तों में बताया गया है कि वे एन टी सी लि. के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते के लिये हकदार हैं।

(ग) यह सुविधा बोर्ड की स्वीकृति से एन टी सी (नियन्त्रण कम्पनी) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निर्देशक तथा कार्यशील निदेशकों को केवल 27 जून, 1988 से ही उपलब्ध कराई गई है।

विभिन्न जांचों के लिए तारीखें निश्चित किये जाने में विलम्ब

5778 **श्री डालचन्द जैन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को एक्स-रे/ई.सी.जी./वी.सी.ओ./बेरियम मील और अन्य जांचों की तारीखें प्राप्त करने के लिए कई सप्ताह/महीनों तक प्रतीक्षा करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो पुराने रोगों को शीघ्रता से और उचित जांच के लिए केन्द्रीय सरकार

स्वास्थ्य योजना के औषधालयों/सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकारी कालोनियों में क्षेत्र समन्वयन समितियों ने इस संबंध में कुछ निर्णय लिए हैं यदि हां, तो इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कौन सी कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) क्या विभिन्न जांचों के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा तारीखें प्राप्त किए जाने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सामान्यतः नेमी एक्सरों/पैथालाजिकल परीक्षणों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। बशर्ते अस्थायी तौर पर अभिकर्मकों (री एजेन्ट्स) की कमी नही हो हो गई हो। लेकिन, रक्त शर्करा जैसे विशिष्ट किस्म के परीक्षणों के लिए कुछेक औषधालयों में 2 से सप्ताहों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परन्तु, यदि कोई परीक्षण तत्काल करना होता है, तो लाभार्थियों को निकटतम अस्पताल/पालिक्लीनिक में भेज दिया जाता है जहाँ पर ऐसे परीक्षण आमतौर पर उसी दिन कर दिए जाते हैं।

(ग) इस संबंध में क्षेत्रीय समन्वयन समितियों के निर्णयों की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) जी नहीं।

वायु की स्वच्छता पर निगरानी रखने संबंधी प्रयोगशालाओं के लिये बजट में धनराशि की व्यवस्था

5779. **श्री. सी सम्बु** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू बजट में शहरी प्रदूषण नियन्त्रण के लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(ख) वायु की स्वच्छता पर निगरानी रखने संबंधी प्रयोगशालाओं के लिए कितना आवंटन किया जाता है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) शहरी प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग से कोई आवंटन नही किया जाता है।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आरम में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को 1989-90 में 98.00 लाख रुपए का आवंटन किया है।

"वन में आग लगने से नुकसान"

5780. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :

श्री राधाकांत दिगाल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान अब तक वन में आग लगने के राज्यवार कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान आग लगने के कारण राज्यवार कितने वन क्षेत्र का विनाश हुआ है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खेलगांव में फ्लैटों का आवंटन

[हिन्दी]

5781. **श्री राम रतन राम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खेलगांव में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए कितने फ्लैटों का आरक्षण किया है और उनमें से अब तक कितने फ्लैटों का आवंटन किया गया है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी फ्लैटों का आवंटन कब तक किया जाएगा;

(ग) सामान्य श्रेणी के कितने व्यक्तियों ने फ्लैट लेने से मना कर दिया है और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनके आवंटन रद्द कर दिये हैं; और

(घ) इन रद्द किए गए फ्लैटों सहित कुल कितने फ्लैट आवंटन के लिए उपलब्ध हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

[अनुवाद]

5782. **डा. सी. पी. ठाकुर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के कितने मामले पिछले दो-तीन वर्षों से लम्बित पड़े हैं और इन मामलों के इतनी अधिक अवधि से लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ख) ये नियुक्तियां कब तक की जायेंगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन व्यक्तियों को मंत्रालय के नियंत्रणाधीन किन्हीं अन्य विभागों में नियुक्त करने का है, यदि हां, तो इन्हें कब नियुक्त किया जायेगा;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दो

(ख) मुद्रणालय में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर ही नियुक्तियों पर विचार किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि निवेदन मिंटो रोड मुद्रणालय में नियुक्ति के लिए किया गया है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कियास्कों/स्टालों का निर्माण

5783. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) नई दिल्ली पालिका ने अगस्त, 1985 के बाद से अब तक कितने कियास्कों/स्टालों/पान की दुकानों का निर्माण किया है;

(ख) आवंटितियों का ब्यौरा क्या है, उन्हें आवंटन कब किया गया तथा आवंटन किस आधार पर किया गया;

(ग) क्या जिन्हें इनका आवंटन किया गया है वे सभी नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं;

(घ) क्या उक्त इकाईयों के निर्माण से पहले शहरी कला आयोग की मंजूरी ले ली गई थी;

(ङ) क्या इनमें से किसी इकाई को गिराया गया था अथवा अन्यत्र स्थानांतरित किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) उन व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है जिन्हें इन इकाईयों को बाद में आवंटित किया गया; और

(छ) उपर्युक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऐसे कितने कियास्कों का आवंटन किया गया;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के ठेकेदार

5784. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्लू. बी. ए. बी. ओ.) लिमिटेड, कलकत्ता के अधिकांश आधुनिकीकरण कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके हैं और इस प्रयोजन के लिये खरीदे गये अधिकांश उपकरण अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सिविल ठेकेदारों को भी मिलों कारखानों के विस्तार से संबंधित प्रस्तावित सिविल निर्माण-कार्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई है यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) 31-12-1988 तक एन. टी. सी. (डब्ल्यू बी. ए. बी. एण्ड ओ.) के अधीन वस्त्र मिलों के नवीकरण/आधुनिकीकरण

पर 3 60.75 लाख रु. की राशि व्यय हो गई थी : लगभग 30 लाख रु. (31 0.75 रु. के कुल निवेश में से) मूल्य की मशीनरी/प्रयुक्ता संस्थापित नहीं हो सकी।

आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप कतौंई उत्पादकता, करघा उत्पादकता सूचकांक और बुनाई उपयोग में सुधार हुआ है।

(ग) और (घ) वित्तीय बाधाओं के कारण अधिकांशत: विस्तार कार्यक्रमों से संबंधित आधुनिकीकरण की अनुमोदित योजनाएं रुक गई। इस समय इन योजनाओं को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि एन. टी. सी. का केवल चुनिन्दा अर्धक्षम मिलों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों का निरीक्षण

[हिन्दी]

5785. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) किन-किन सरकारी एजेंसियों ने अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों का निरीक्षण किया है और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है;

(ख) उनकी रिपोर्ट के आधार पर कितने मकानों को खतरनाक घोषित किया गया है और वे किन-किन स्थानों पर बनाये गये हैं; और

(ग) इस प्रकार से खतरनाक घोषित किए गए मकानों के बारे में सरकार की क्या नीति है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण का मुख्य इन्जीनियर (कोटि नियंत्रण) और उसका स्टाफ प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों का नियमित आधार पर निरीक्षण करता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार का मुख्य तकनीकी परीक्षक समय-समय पर इस प्रकार के निरीक्षण करता है।

प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए गए कुछ निर्माण कार्यों की 1982-83 में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त तथ्य जांच समिति द्वारा निरीक्षण किया गया था।

1988 के बरसात के दौरान कालका जी में कब मकानों में ध्यान में आयी दरारों को देखते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इन्जीनियर के अधीन एक जांच समिति नियुक्त की थी जिसने प्रभावित संपत्तियों की जांच की थी।

1982-83 की तथ्य जांच समिति ने चल रही कुल 180 योजनाओं में से 26 आवास योजनाओं का निरीक्षण करने के पश्चात सूचित किया था कि 13 योजनाओं में कार्य की कोटि बहुत घटिया पायी गई।

कालका जी के मकानों में 1988 की जांच समिति ने कुछ मकानों को खतरनाक घोषित किया था।

(ख) उन योजनाओं के ब्यौरे जहां 1982-83 में तथ्य जांच समिति द्वारा कार्य की कोटि को बहुत घटिया पाया और 1988 की जांच समिति द्वारा जिन मकानों को खतरनाक पाया, उनका विवरण संलग्न है।

(ग) खतरनाक घोषित किए गए मकानों को या तो गिराया दिया जाता है या उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जाता है जो प्रत्येक मामले में तथ्यों पर निर्भर करते हैं।

विवरण

I वैश्य समिति द्वारा जिन मकानों को बहुत घटिया पाया गया उनकी संख्या

1. गुलाबी बाग में स्ववित्त पोषित योजना के 330 मकान
2. ईस्ट आफ कैलाश में स्ववित्त पोषित योजना के 120 मकान
3. पश्चिमपुरी में जनता के 1892 मकान
4. दिलशाद गार्डन ग्रेड-IV में मध्यम आय वर्ग के 96 तथा निम्न आय वर्ग 96 मकान
5. मालवीय नगर एक्स में स्ववित्त पोषित योजना के 194 मकान
6. मालवीय नगर एक्स साकेत में स्ववित्त पोषित योजना के 204 मकान
7. 224 स्ववित्त पोषित योजना पाकेट-बी, बोडेला एक्सटेंशन विकासपुरी
8. पीतमपुरा ग्रुप-1 में 208 मध्य आय वर्ग/निम्न आय वर्ग फ्लैट
9. पीतमपुरा ग्रुप-III पाकेट-ए. पी. में 192 मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग फ्लैट
10. शालीमार बाग ब्लाक बी. पाकेट एफ. में 160 स्ववित्त पोषित योजना
11. लारेन्स रोड में 960 जनता
12. जहांगीरपुरी में 320 मध्यम आय वर्ग
13. त्रिलोकपुरी में 168 मध्यम आय वर्ग और 56 निम्न आय वर्ग

II. गंगाधरण समिति द्वारा गिराये जाने के लिए पहिचान किए गए फ्लैटों की संख्या ब्लाक नं. 25, 26, 45, 46, में 16

उद्योगों द्वारा खतरनाक रसायनों का भंडारण

[अनुवाद]

5786. **श्री के. प्रधानी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने देश में उद्योगों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करके खतरनाक रसायनों का भण्डारण किये जाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे उद्योग राज्य-वार कहां-कहां स्थापित किये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाये गये उद्योगों/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ की खतरनाक पदार्थों तथा उनकी प्रभावी मात्रा संबंधी रिपोर्ट में निर्धारित मानदंडों के आधार पर 27 मार्च, 1989 तक

देश में 399 प्रमुख दुर्घटना जोखिम संस्थापनों का पता लगाया गया है। यह कहना सही नहीं है किये संस्थापन सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करके जोखिमपूर्ण रसायनों का भण्डारण कर रहे हैं। इन संस्थापनों की राज्य-वार स्थिति तथा उनके द्वारा प्रयोग किए गए जोखिमपूर्ण पदार्थों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

यह अपेक्षा की जाती है कि प्रबन्धतंत्र कारखानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में दिए गए उपबंधों का अनुपालन करें। कारखाना अधिनियम, 1948 में एक संशोधन करके, "जोखिमपूर्ण सक्रियाओं" सम्बन्धी एक अलग अध्याय जोड़ा गया है जिसमें कार्यस्थल मूल्यांकन समिति गठित करने की व्यवस्था की गई है जो प्रारम्भिक स्थान तथा जोखिमपूर्ण सक्रियाओं, वाले मौजूदा कारखानों के विस्तार, अधिष्ठाता द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना देने, जोखिमपूर्ण संक्रियाओं, कार्यस्थल तथा कार्य स्थल से दूर आपातकालीन योजनाएं तैयार करने, सुरक्षा प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता, आदि के संबंध में अधिष्ठता के विशेष उत्तरदायित्व के लिए अनुमित दे सके। इस अधिनियम में रासायनिक तथा नशीले पदार्थों के अनावरण की अनुज्ञेय सीमा भी निर्धारित की गई है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है।

श्रम मंत्रालय "भारत में प्रमुख दुर्घटना जोखिम पद्धति की स्थापना तथा इसका प्रारम्भिक संचालन" के बारे में अ. श्र. स. परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक दुर्घटनाओं के रोकने के लिए राष्ट्रीय पद्धति को सुदृढ़ करना है ताकि उन जोखिमपूर्ण पदार्थों तथा संक्रियाओं सहित औद्योगिक क्रियाकलापों का पता लगाया जा सके, उनका विश्लेषण किया जा सके तथा उन पर नियंत्रण किया जा सके जिनके कारण प्रमुख दुर्घटनाएं हो सकती है।

विवरण

क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रमुख दुर्घटना जोखिम संस्थापन	प्रमुख दुर्घटना जोखिम पदार्थ
1.	आंध्र प्रदेश	31	17
2.	असम	4	7
3.	गोवा	7	6
4.	गुजरात	65	17
5.	हरियाणा	2	2
6.	कर्नाटक	18	8
7.	केरल	10	9
8.	महाराष्ट्र	48	22
9.	मध्य प्रदेश	22	9
10.	नागालैंड	1	1
11.	उड़ीसा	13	10

1	2	3	4
12.	पंजाब	11	5
13.	राजस्थान	50	17
14.	तमिलनाडु	41	23
15.	उत्तर प्रदेश	32	12
16.	पश्चिम बंगाल	29	17
17.	दिल्ली	13	5
18.	पांडिचेरी	2	2

संस्थापनों की कुल संख्या—399

पालिएस्टर बुनाई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

5788. **श्री बरसराम भारद्वाज** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने सहकारी पालिएस्टर बुनाई केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1989 के दौरान पालिएस्टर और पालिएस्टर मिश्रित कपड़े की बुनाई में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान सहकारी पालिएस्टर बुनाई केन्द्र' स्थापित करने के लिए राज्यों से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मै. पेट्रोफिल्म लि. बड़ौदा के सहयोग से बुनकर सेवा केन्द्र चुनिंदा बुनकर ग्रुपों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सरकार और मै. पेट्रोफिल्म दोनों मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला खर्च वहन करते हैं। इसमें कच्चे माल की लागत तथा प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृद्धि आदि शामिल हैं।

रोग प्रतिरक्षण और शरीर में पानी की कमी दूर करने संबंधी कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता देना

5789. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समग्र रूप से देश में तथा राज्यवार शिशु (0 से 1 वर्ष के आयु वर्ग में) की वर्तमान अनुमानित मृत्यु दर कितनी है;

(ख) रोग प्रतिरक्षण तथा शरीर में पानी की कमी दूर करने संबंधी कार्यक्रम के लिए अब तक दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों को अब तक आवंटित की गई वास्तविक धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों द्वारा अब तक व्यय की गई वास्तविक धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) शिशु मृत्यु दर (0-1 वर्ष आयु वर्ग में) के नवीनतम आंकड़े इस प्रकार हैं :—

अनुमानित शिशु मृत्यु दर 1987 (अनन्तिम)

बड़े राज्य	अनुमानित शिशु मृत्यु दर
आंध्र प्रदेश	79
असम	102
बिहार	102
गुजरात	97
हरियाणा	87
हिमाचल प्रदेश	88
जम्मू व काश्मीर	73
कर्नाटक	75
केरल	26
मध्य प्रदेश	119
महाराष्ट्र	66
उड़ीसा	126
पंजाब	62
राजस्थान	103
तमिलनाडु	76
उत्तर प्रदेश	126
पश्चिम बंगाल	72
भारत	95

(ख) से (घ) रोग प्रतिरक्षण तथा ओरल रिहाइडेशन थिरेपी कार्यक्रम के लिए राज्यवार किया गया अस्थायी आवंटन, जारी की गई राशि और अब तक किया गया खर्च संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

(लाख रुपये)

वर्ष		1985-86		1986-87		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्थायी आबंटन	रिलीज की गई	खर्च	आबंटन	रिलीज की गई	खर्च
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश		3.28		19.69	12.99	15.90
2. अरुणाचल प्रदेश		—		1.48	—	0.63
3. असम	यह कार्यक्रम	2.59	85-86 के	9.99	8.52	21.78
4. बिहार	नवम्बर, 85	—	दौरान	19.25	15.00	17.77
5, गोआ	में शुरू किया	—	व्यापक	3.17	—	0.06
6. गुजरात	गया था	3.13	रोगप्रतिरक्षण	15.58	10.02	—
7. हरियाणा	कोई आबंटन	1.62	कार्यक्रम के	5.82	8.87	3.88
8. हिमाचल	नहीं किया	—	लिए कोई	7.53	5.01	6.78
प्रदेश	गया		अलग उप-			
9. जम्मू व		1.45	शीर्ष नहीं	6.09	3.42	3.42
कश्मीर			तथा व्यय			
10. कर्नाटक		2.68	को जच्चा	20.26	14.67	17.29
11. केरल		1.91	बच्चा	16.07	9.99	5.55
12. मध्य प्रदेश		3.35	स्वास्थ्य	17.94	12.78	19.84
13. महाराष्ट्र		6.02	कार्यक्रम के	26.73	19.86	—
14. मणिपुर		—	साथ मिला	1.77	0.96	1.25
15. मेघालय		—	दिया गया था	1.77	0.96	0.35
16. मिजोरम		—		1.65	—	2.00
17. नागालैंड		—		1.57	0.81	0.87
18. उड़ीसा		—		13.01	11.10	19.64
19. पंजाब		—		12.79	7.41	1.87
20. राजस्थान		2.34		15.62	10.29	55.40
21. सिक्किम		—		1 50	0.78	—
22. तमिलनाडु		—		24.09	8.78	5.38

1	2	3	4	5	6	7
23. त्रिपुरा		—		2.10	1.14	8.66
24. उत्तर प्रदेश		5,13		34.25	25.32	6.40
25. पश्चिम बंगाल		—		14.08	10 35	12.42
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह		—		—	—	—
27. चंडीगढ़		—		—	—	—
28. दादरा व नागर हवेली		—		—	—	—
29. दमन व दीव		—		—	—	—
30. दिल्ली		—		5.99	—	19.17
31. लक्षद्वीप		—		—	—	0.01
32. पांडिचेरी		—		—	—	—

नोट—सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

	19 7-88			1988-89		
	आवंटन	रिलीज की गई राशि	खर्च	आवंटन	रिलीज की गई राशि	खर्च
	8	9	10	11	12	13
1.	35.90	25.54	32.73	71.65	35.82	9.00
2.	2.85	1.53	—	8.99	8.47	1.98
3.	13.83	30.40	6.70	45.49	22.74	7.26
4.	44.98	27.24	17.30	73.76	36.37	—
5.	2.49	0.09	0.27	2.61	1.29	0.49
6.	31.33	18.00	38.88	56.70	28.35	26.97
7.	13.47	9.39	7.70	35.99	17.97	3.97
8.	14-74	19.27	12.32	29.59	14.79	3.60
9.	9.37	5.07	5.99	29.44	19.70	—
10.	43.88	24.06	20.89	63 06	31.53	17.86

	8	9	10	11	12	13
11.	27.32	17.00	17.15	64.60	52.30	11.60
12.	29.72	18.45	—	64.58	42.28	—
13.	58.53	60.17	51.46	97.66	58.81	39.02
14.	3.66	1.92	—	10.00	5.48	3.20
15.	3.11	1.55	1.08	11.94	1.97	0.64
16.	1.43	1.90	1.42	7.45	3.72	8.74
17.	2.68	1.38	4.57	12.94	12.45	—
18.	21.01	21.77	23.79	46.34	33.16	16.17
19.	19.84	11.04	—	44.02	16.99	4.23
20.	29.38	22.50	29.87	58.85	44.40	21.70
21.	3.20	1.62	1.61	4.58	2.28	0.61
22.	40.07	24.32	—	57.62	48.80	25.65
23.	3.55	1.20	—	8.20	14.08	—
24.	55.96	70.35	30.71	145.68	42.84	55.43
25.	26.91	17.19	17.19	82.35	26.16	2.14
26.	—	—	—	3.16	—	0.23
27.	—	—	0.80	3.50	—	0.24
28.	—	—	—	2.79	—	0.16
29.	—	—	—	1.37	—	—
30.	10,66	—	25.59	10.89	—	3.18
31.	—	—	—	2.85	—	0.17
32.	1.00	—	—	18.23	—	2.06

विवरण—2

राज्य	1986-87			1987-88			1988-89		
	आबंटन	वास्तविक जारी की गई राशि	किया गया खर्च	आबंटन	वास्तविक जारी की गई राशि	किया गया खर्च	आबंटन	वास्तविक जारी की गई राशि	किया गया खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	7.39	—	—	28.59	14.28	—	36.315	18.15	—
अरुणाचल प्रदेश	0.875	—	—	2.11	1.05	0.88	2.715	1.35	—
असम	4.245	—	—	11.16	5.58	7.92	16.71	8.34	—
बिहार	6.11	—	—	31.36	15.66	—	26.81	13.38	—
गोआ	1.235	—	—	—	—	—	2.21	1.08	0.25
गुजरात	6.67	—	—	26.72	13.35	15.85	23.07	11.52	—
हरियाणा	2.445	—	—	9.85	4.92	2.97	18.52	9.24	0.56
हिमाचल प्रदेश	5.435	—	—	17.02	8.49	6.34	9.46	4.71	5.10
जम्मू व कश्मीर	2.715	—	—	7.20	3.60	—	11.81	5.88	8.67
कर्नाटक	7.615	—	—	35.87	17.91	—	23.705	11.85	—
केरल	5.41	—	—	23.86	11.91	—	28.31	14.13	1.16
मध्य प्रदेश	7.905	—	—	19.04	9.51	—	19.82	9.90	8.80
महाराष्ट्र	8.085	—	—	31.16	15.57	31.80	59.27	29.61	27.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणीपुर	0.83	—	—	2.22	1.11	0.60	3.08	1.53	1.17
मेघालय	1.01	—	—	2.77	1.38	0.98	5.135	1.55	1.44
मिजोरम	1.10	—	—	1.88	0.94	2.85	3.61	1.80	—
नागालैंड	0.83	—	—	2.11	2.05	0.98	4.495	1.25	—
उड़ीसा	7.27	—	—	23.17	11.58	11.57	19.335	9.66	0.09
पंजाब	4.13	—	—	13.83	6.90	6.08	19.025	9.51	1.70
राजस्थान	6.60	—	—	21.25	10.62	10.75	16.885	8.43	12.00
सिक्किम	0.785	—	—	3.65	1.80	0.75	1.425	0.69	1.32
तमिलनाडु	7.613	—	—	37.49	18.72	1.26	22.065	11.01	0.54
त्रिपुरा	1.01	—	—	3.98	1.77	3.55	3.74	1.86	1.03
उत्तर प्रदेश	14.69	—	—	45.84	27.96	—	56.18	28.08	—
पश्चिम बंगाल	3.325	—	—	17.54	8.66	—	19.39	9.69	—
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	1.66	*	0.66
चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	0.67	*	0.66
दादरा व नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	1.00	*	0.03
दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	0.785	—	—	—	—	—	2.00	*	0.63
लक्ष द्वीप	—	—	—	—	—	—	1.33	*	0.35
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	3.78	*	—

नोट—यह कार्यक्रम 1986-87 के अन्तिम छह महीनों में शुरू किया गया था इसलिये धनराशि जारी नहीं की जा सकी।

* संघ राज्यक्षेत्रों से व्यय विवरण मिल जाने के बाद उन्हें आवश्यक धनराशि जारी कर दी जाएगी।

"बाडी डेट हैज बिकम ए शटलकाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

5790 डा. बी. ऐ. शैलेश: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1989 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "बाडी डेट हैज बिकम ए शटलकाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मामले का ब्यौरा क्या है, और

(ग) राजधानी में विभिन्न अस्पतालों के लिए शव परिक्षण करने हेतु सीमांकन करने और न केवल दिल्ली पुलिस, बल्कि संबंधित अस्पतालों, के मार्ग निर्देश हेतु भी इस संबंध में एक सरकारी अधिसूचना जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वाध्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां। श्री रमेश कुमार, आयु 20 वर्ष, कल्याणपुरी निवासी की कालका जी मन्दिर से अपने स्कूटर पर आते समय सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाए जाने पर मृत घोषित किया गया। शव को सफदरजंग अस्पताल द्वारा स्वीकार किया गया था।

(ग) दिल्ली प्रशासन (गृह विभाग) ने मेडिको-लीगत मामलों के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों के बीच क्षेत्रों का वितरण करने के लिए समय-समय पर आदेश अधिसूचनाएं संलग्न विवरण-1 विवरण-2 विवरण-3 और विवरण-4 जारी की हैं।

विवरण-1

संख्या एफ- 10/27/78-एच.पी.-11
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
गृह विभाग (पुलिस-11)
5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली -54
दिनांक..... .....

आदेश

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 20.10.87 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा उप खण्ड (3) के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित 25-11-87 की इसी संख्या की अधिसूचना के तहत सफदरजंग अस्पताल में अपराध विज्ञान चिकित्सा विभाग से सम्बद्ध चिकत्सा अधिकारियों की नियुक्ति के परिणाम-स्वरूप सफदरजंग अस्पताल द्वारा निम्नलिखित तीन पुलिस स्टेशनों के शव-परीक्षणो का कार्य भी किया जाएगा।

(1) पुलिस स्टेशन, कोटला मुबारकपुर
(2) पुलिस स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन
(3) पुलिस स्टेशन, मोदी कालोनी

आदेश से
हस्ताक्षर
(आर .के.गोस्वामी)
संयुक्त सचिव (गृह)
दिल्ली प्रशासन दिल्ली

संख्या एफ. 10/27/78-एच.पी-II

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अन्सारी नगर, नई दिल्ली सं.एफ. 35-32/85-तथा II दिनांक 12/13 जनवरी, 1989

उपर्युक्त आदेश की एक प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

हस्ताक्षर (एस. खिलनानी)
प्रशासनिक अधिकारी

1. डा. ए. एन. सफाया, चिकित्सा अधीक्षक
2. डा. टी. डी. डोगरा, सह प्रोफेसर, अपराध चिकित्सा विज्ञान

विवरण-2

(दिल्ली के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ)

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
गृह (पुलिस-II विभाग
दिनांक 25.11.87

संख्या 10/27/78 एच. पी.-11-दंड प्रक्रिया संहिता के खंड 174 के उप-खंड (3) के उपबंधों के अनुसरण में तथा 19 मई, 1969 की प्रशासनिक अधिसूचना सं. एफ 5(150)/64-होम (पी) के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल सफदरगंज अस्पताल के अपराध शाखा विभाग से संबंद्ध चिकित्सा अधिकारी को दक्षिण दिल्ली जिले के पुलिस थाना की स्थानीय सीमा में मरने वाले व्यक्तियों की मेडिकोलीगल शवपरीक्षा करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आदेश से तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के नाम

हस्ताक्षर/-
(के. के. भसीन)
संयुक्त सचिव (गृह)
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

विवरण-3

संख्या एफ. 10/13/82 एच. पी.—II
दिल्ली प्रशासन दिल्ली
गृह विज्ञान

5, शाम नाथ मार्ग. नई दिल्ली-54
दिनांक 26-5-88

सेवा में,

1 डीन,
एम. ए. एम. कालेज, नई दिल्ली
2. पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली

3. चिकित्सा अधीक्षक, स्वामी दयानन्द अस्पताल, शाहदरा

4. चिकित्सा अधीक्षक,
हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली।

5. सिविल सर्जन,
सिविल अस्पताल, दिल्ली

6. चिकित्सा अधीक्षक,
लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली

7. चिकित्सा अधीक्षक,
डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली

8. चिकित्सा अधीक्षक,
डी. डी. यू. अस्पताल, नई दिल्ली

9. चिकित्सा अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

0. चिकित्सा अधीक्षक,
सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

विषय : मेडिको लीगल कार्य को सुदृढ़ बनाना

ोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस प्रशासन के 7 मई, 1984 के इसी संख्या के पत्र के क्रम में मुझे पको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 10.87 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के संदर्भ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा दरजंग अस्पताल के बीच शव-परीक्षा सम्बन्धी मेडिको-लीगल कार्य के वितरण का ब्यौरा नीचे ा गया है।

ताल का नाम	पुलिस थाने का नाम
ल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	1. डिफेन्स कालोनी
	2. लाजपत नगर
	3. ग्रेटर कैलाश
	4. श्रीनिवास पुरी
	5. ओखला औद्योगिक क्षेत्र
	6. बदरपुर
	7. कालका जी
	8. चितरंजन पार्क
	9. अम्बेदकर नगर

10. मालवीय नगर
11. महरौली
12. होजखास

सफदरजंग अस्पताल

1. बसंत बिहार
2. बसंत कुंज
3. दिल्ली कैंट
4. आर. के. पुरम
5. विजय नगर
6. नारायणा
7. इन्द्रपुरी
8. माबापुरी
9. पालम
10. इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
11. महिपालपुर

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अन्य पुलिस थानों से संबंधित शव-परीक्षा का मेडिको-लीगल कार्य इस मंत्रालय के इसी संख्या के 17-5-84 के इस प्रशासन के पत्र और इसी संख्या के 5-5-84 तथा 25-5-85 तथा 15-9-86 के पत्रों के तहत किए गए संशोधन के अनुसार किये गए वितरण के आधार पर अस्पतालों द्वारा किया जाता रहेगा।

भवदीय,
हस्ताक्षर
(आर. के. गोस्वामी)
संयुक्त सचिव (गृह)
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ :—

1. सचिव (चिकित्सा) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
2. अवर सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

हस्ता.
(आर. के. गोस्वामी)
संयुक्त सचिव (गृह)
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

विवरण-4

सं. एफ, 10/13 /82-एच. पी. II
दिल्ली प्रशासन दिल्ली
गृह (पुलिस-II) विभाग
दिनांक 10 अक्तूबर, 1988

सेवा में,

1. पुलिस आयुक्त दिल्ली
2. पुलिस सर्जन. सिविल अस्पताल, दिल्ली
3. चिकित्सा अधीक्षक, स्वामी दयानंद अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली
4. चिकित्सा अधीक्षक, हिन्दुराव अस्पताल, दिल्ली
5. चिकित्सा अधीक्षक, एल एम जे. पी. अस्पताल, नई दिल्ली
6. चिकित्सा अधीक्षक, राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली
7. चिकित्सा अधीक्षक दल बीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरिनगर, नई दिल्ली
8. चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
9. चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
10. चिकित्सा अधीक्षक श्री गुरुतेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली

विषय :—मेडिको-लीगल कार्य के लिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों के बीच क्षेत्रों का जिला/उप-मण्डल पुलिस स्टेशन वार संशोधित वितरण।

महोदय,

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में तीन नए जिलों के सृजन के परिणामस्वरूप उप मण्डलों एवं पुलिस स्टेशनों का पुनः समंजन/पुनः आबंटन किया गया है। इससे विभिन्न अस्पतालों में मेडिको-लीगल कार्य का पुनः वितरण करने की आवश्यकता हो गई है। इस संबंध में पुलिस प्रस्ताव पर 23-8-88 को गृह सचिव के कक्ष में हुई बैठक में विचार विमर्श हुआ तथा दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में मेडको लीगल कार्य के पुनः वितरण को कुछ मामूली संशोधनों के बाद अन्तिम रूप दे दिया गया है।

2. विभिन्न अस्पतालों में कार्य भार का संशोधन वितरण उपाबंध के अनुसार है। पुलिस और अस्पताल प्राधिकारियों को अनुरोध किया गया है कि वे मेडिको लीगल कार्य के जोनल वितरण का उपाबंध के अनुसार सख्ती से पालन करें। इस लिए अपने नियंत्रणाधीन स्टाप को समुचित निदेश जारी किए जाएं।

3. इस संबंध में पहले जारी किए गये सभी आदेशों के अधिक्रमण में इसे जारी किया गया है।

भवदीय
हस्ताक्षर
(आर. के. गोस्वामी)
संयुक्त सचिव गृह

सं. एफ 10 (13)/82-एच. पी. -II

प्रतिलिपि

1. सचिव (चिकित्सा) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

2. आयुक्त म्यूनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली।

हस्ताक्षर/
(आर. के. गोस्वामी)
संयुक्त सचिव (गृह)
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

उपाबन्ध

मेडिको-लीगल कार्य के लिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों के बीच क्षेत्रों का जिलों/उपमंडल/पुलिस स्टेशन-वार संशोधित वितरण

जिले का नाम	उपमडल का नाम	पुलिस स्टेशन का नाम	अस्पताल का नाम
1. दक्षिण जिला			
	1. लाजपत नगर	1. लाजपत नगर	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
		2. हजरत निजामुद्दीन	—ददेव—
		3, श्रीनिवास पुरी	—तदेव—
	2. डिफेंस कालोनी	4. डिफेंस कालोनी	—तदेव—
		5. ग्रेटर कैलाश	—तदेव—
		6. चितरंजन पार्क	—तदेव—
	3. कालका जी	7. कालका जी	—तदेव—
		8. बदरपुर	—तदेव—
		9. ओखला औद्योगिक क्षेत्र	—तदेव—
	4. हौज खास	10. हौज खास	—तदेव—
		11. अम्बेडकर नगर	—तदेव—
		12. मालवीय नगर	—तदेव—
		13. महरोली	—तदेव—
2, दक्षिण पश्चिम जिला			
	5, वसंत विहार	14. वसंत विहार	सफदरजंग अस्पताल
		15. वसंत कुंज	—तदेव—
		16. आर. के. पुरम	—तदेव—

1	2	3	4
		17. दिल्ली कैंट	सफदरजंग अस्पताल
		18. पालम गांव	—तदेव—
		19. इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	—तदेव—
		20. महिपाल पुर	—तदेव—
	6. लोधी कालोनी (दिल्ली कैंट के बदले)	21. लोधी कालोनी	अखिल भारतीस आयुर्विज्ञान संस्थान
		22. कोटला मूबारकपुर	—तदेव—
		23. विनय नगर	—तदेव—
	7. नारायणा	24. नरायणा	सफदरजंग अस्पताल
		25. इन्द्रपुरी	—तदेव—
		26. मायापुरी	—तदेव—
	8. नजफगढ़	27. नजफगढ़	—तदेव—
		28. दाबड़ी	—तदेव—
		29, जफरपुरी कालान	—तदेव—
3. पश्चिमी जिला			
	9. तिलक नगर	30. तिलक नगर	दीनदयाल उपाध्याव अस्पताल
		31. जनकपुरी	—तदेव—
		32. विकासपुरी	—तदेव—
	10. पटेल नगर	33. पटेल नगर	लोकनायक जयप्रकाल नारायण अस्पताल
		34. आनन्द पर्वत	—तदेव—
		35. मोती नगर	दीनदयाल उपाध्याव अस्पताल
	11. राजौरी गार्डन (मोतीनगर के स्थान पर)	36. राजोरी गार्डन	—तदेव...
		37. हरी नगर	—तदेव—
		38. कीर्ति नगर	—तदेव—
	12. पंजाबी बाग	39. पंजाबी बाग	—तदेव—
		40. पश्चिमी विहार	—तदेव—
		41. नांगलोई	—तदेव—

1	2	3	4
4. उत्तर पश्चिम जिला			
	13. सरनावती विहार	42. सरनावती विहार	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल
		43. कंझावला	हिंदूराव अस्पताल
		44 मंगोलपुरी	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल
		45. सुलतान पुरी	—तदेव—
	14. नरेला	46. नरेला	हिन्दुराव अस्पताल
		47. समयपुर बादली	—तदेव—
		48. अलीपुर	—तदेव—
	15. किंग्सवे कैम्प	49. किंग्सवे कैम्प	—तदेव—
		50. आदर्श नगर	—तदेव—
		51. जहांगीर पुरी	—तदेव—
		52. मुखर्जी नगर	—तदेव—
	16. अशोक विहार	53. अशोक विहार	सिविल अस्पताल दिल्ली
		54. शालीमार बाग	—तदेव—
		55. केशवपुरम (लारेंस रोड)	हिन्दु राव अस्पताल
5. उत्तरी जिला			
	17. सिविल लाइन (रोशनआरा के स्थान पर)	56. सिविल लाइन	सिविल अस्पताल
		57. तिमारपुर	—तदेव—
		58. दिल्ली विश्वविद्यालय	—तदेव—
		59. रोशनआरा	—तदेव—
	18. सब्जी मंडी	50. सब्जी मंडी	सिविल अस्पताल, दिल्ली
		51. प्रताप नगर	—तदेव—
		52. सराय रोहिल्ला	एच. आर. अस्पताल
	19. सदर बाजार	53. सदर बाजार	सिविल अस्पताल
		54. कश्मीरी गेट	—तदेव—
		55 बारा हिन्दु राव	एच. आर. अस्पताल
	20. कोतवाली	56 कोतवाली	सिविल अस्पताल
		57. लाहोरी गेट	—तदेव—
		58. टाउन हाल	—तदेव—

1	2	3	4
6. केन्द्रीय जिला			
	21. दरियागंज	59. दरियागंज	लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल
		60. चांदनी चौक	—तदेव—
		61. जामा मस्जिद	—तदेव—
	22. कमला मार्किट	62. कमला मार्किट	—तदेव—
		63. हौज काजी	—तदेव—
		64. आई. पी. एस्टेट	—तदेव—
	23. पहाड़गंज	65. पहाड़ गंज	—तदेव—
		66. नबी करीम	—तदेव—
		67. डी. बी. गुप्ता रोड	—तदेव—
	24. करोल बाग	68. करोल बाग	—तदेव—
		69. प्रशाद नगर	लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल
		70. राजेन्द्र नगर	—तदेव...
7. नई दिल्ली जिला			
	25. पार्लियामेंट स्ट्रीट	71. पार्लियामेंट स्ट्रीट	राम मनोहर लोहिया अस्पताल
		72. मंदिर मार्ग	—तदेव—
	26. चाणक्यपुरी	73. चाणक्यपुरी	—तदेव—
		74. तुगलक रोड	—तदेव—
	27. कनाट प्लेस	75. कनाट प्लेस	—तदेव—
		76. तिलक मार्ग	—तदेव—
8 उत्तर पूर्वी जिला			
	28 सीलम पुर	77. सीलम पुर	जी. टी. बी. अस्पताल
		78. यमुना विहार	—तदेव—
		79. भजन पुरा	—तदेव—
	29. शाहदरा	80. शाहदरा	—तदेव—
		81. ब्रलकम	—तदेव—
		82. मानसरोवर पार्क	—तदेव—
	30. सीमापुरी	83. सीमापूरी	—तदेव—
		84. नन्द नगरी	—तदेव—

1	2	3	4
9. पूर्वी जिला			
	31. गांधी नगर	85. गांधी नगर	एस. डी. नन्द अस्पताल
		86. गीता कालोनी	—तदेव—
		87 शकर पुर	—तदेव—
	32. विवेक विहार	88. विवेक विहार	—तदेव—
		89. आनन्द विहार	—तदेव—
		90. कृष्णा नगर	—तदेव—
	33. प्रीति विहार	91. प्रीति विहार	—तदेव—
		92. त्रिलोकपुरी	—तदेव—
		93. कल्याणपुरी	—तदेव—
रेलवे	रेलवे	94, दिल्ली मैन	सिविल अस्पताल दिल्ली
		95. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	एल. एन. जे. पी. अस्पताल

चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय

एल. एन. जे. पी. अस्पताल नई दिल्ली-110002

प्रतिलिपि :

1. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आपाती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

हस्ता./—

डा. श्रीमती एस. माथुर

अपर चिकित्सा अधीक्षक

बीड़ी, हथकरघा और कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन

5791. **श्री एच. वी. पाटिल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में हथकरघा, बीड़ी, मुद्रण और दियासलाई उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षिणी क्षेत्र में न्यूनतम वेतनों का उद्योगवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) हथकरघा, बीड़ी, मुद्रण और दियासलाई उद्योगों में कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरियों का नियतन/संशोधन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य-सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, दक्षिणी राज्यों में हथकरघा, बीड़ी, मुद्रण और दियासलाई नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	बीड़ी	हथकरघा	मुद्रण	दियासलाई
1.	आंध्र प्रदेश	11.15 रु. से 12.00 रु. प्रतिदिन (9-1-89 से)	कार्य की श्रेणी पर निर्भर 20 पैसे से 8 50 रु. के बीच उजरती दरें (5-6-87 से)	368 रु. प्रतिमाह से 400 रुपए प्रतिमाह (12-5-87 से)	335.00 रु. प्रतिमाह (31.10-85 से)
2.	कर्नाटक	11.50 रु. से 19.25 रु. प्रतिदिन (25-7-86 से) परिवर्ती मंहगाई भत्ता 2 पैसे/प्रति प्वाइन्ट/दिन	मजदूरियां निर्धारित नहीं की गई।	15.14 रु. प्रतिदिन (14-3-86 से)	मजदूरियां निर्धारित नहीं की गई है।
3.	केरल	24.20 रु. से 25.20 रु. प्रतिदिन और 19.20 रु. /उजरती दर (1987)	21.10 रु. से 23.60 रु. प्रतिदिन (1987)	7.50 रु. से 9.00 रु. प्रतिदिन+प्रत्येक प्वाइन्ट के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता 6 पैसे (24-3-86 से)	2.20 रु. से 4.40 रु. (1-4-74 से) प्रत्येक 5 प्वाइन्टों के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ता 2 पैसे।
4.	तमिलनाडु	11.60 रु. प्रतिदिन (1987)	2.25 रु. से 3.88 रु. प्रति-मीटर (सूती) 129.55 रु. 377.72 रु. प्रति 16.2 मीटर (सिल्क) (1987)	210 रु. प्रतिमाह+परि-वर्ती मंहगाई भत्ता /(50 रु.) प्रतिदिन (1-4-86 से)	7.00 रु. प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता 1.33 रु. प्रति दिन (1-4-85 से)

दिल्ली में जाली राशन कार्ड

5792. डा. जी. विजयरामा राव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा नगर में जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस कदाचार को रोकने और दोषियों को सजा देने के लिए क्या ठोस उपाय करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि पात्र आवेदकों को खाद्य कार्ड निवास के दस्तावेजी सबूत के आधार पर जारी किए जाते हैं। कार्डधारकों को अपना निवास स्थान बदलने पर खाद्य कार्डों को उस मंडल कार्यालय में वापिस करना होता है, जहां से वे जारी किए गए थे। कभी-कभी ऐसा नहीं किया जाता है और ये खाद्य कार्ड बने रहते हैं। आम जनता से ऐसे कार्डों को वापिस करने के लिये एक अपील की गई थी। प्रशासन ने भी यादृच्छिक आधार पर चुनी गई उचित दर की दुकानों से संबद्ध खाद्य कार्डों की शत-प्रतिशत जांच करने की एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत 59000 से अधिक खाद्य कार्डों की जांच की जा चुकी है और 14000 से अधिक मामलों में खाद्य कार्डों पर दिये गए पतों पर कार्डों में उल्लिखित व्यक्ति रहते हुए नहीं पाए गए। ऐसे मामलों में विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को तत्काल रोक दिया गया।

विदेशियों द्वारा ऐड्स मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना

5794 श्री गुरुदास कामत: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत आने वाले अनिवासी भारतीयों सहित सभी विदेशियों के लिये एड्स मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाने हेतु एक कानून लाने का विचार है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारतीय विश्वविद्यालयों में दाखिले से पूर्व सभी विदेशी छात्रों में एच. आई. वी. संक्रमण की अनिवार्य रूप से जांच की जाती है। ऐसे विदेशी जो भारत में एक वर्ष से अधिक अवधि तक रुकना चाहते हैं, उन्हें भी यह परीक्षण कराना होता है।

कैंसर संस्थान, मद्रास को प्राप्त विदेशी सहायता

5795. श्री एल. डेनिस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मद्रास स्थित कैंसर संस्थान, को हाल ही में विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादों की बिक्री के लिए एजेंटों की नियुक्ति

5796. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड और इसके सहायक निगमों ने वर्ष 1988 के दौरान 13 अधिगृहीत मिलों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए नये एजेंट नियुक्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और नियुक्त एजेंटों के नाम क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (टी. एन. एण्ड पी.) लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त एजेंटों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) वर्ष 1988 के दौरान, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (साउथ महाराष्ट्र) लिमिटेड बम्बई ने बम्बई की 13 अधिग्रहित मिलों के कुछ उत्पादों की बिक्री के लिये पांच मांगकर्त्ता एजेन्टों को नियुक्त किया :

मांगकर्त्ता ऐजेन्टों के नाम	मिलों का नाम
1. सुमन टेक्सटाइल ऐजेन्सी, कानपुर	एल्फिंस्टोन मिल्स
2. श्री कृष्ण मन्त्री, इन्दौर	न्यू सिटी
3. सुशील एण्ड कं., दिल्ली	न्यू सिटी
4. चतुर्भुजी आत्माराम, रतलाम (मध्य प्रदेश)	कोहिनूर
5. श्री रुकिमनी इन्टर नेशनल, कलकत्ता	फिनलेक

(ग) एन. टी. सी. (टी. एन. एण्ड पी. के उत्पादों की बिक्री के लिये लगभग 46 एजेन्ट हैं ।

चितरंजन पार्क में भूमि के लिये विकास शुल्क

5797. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये 712 विस्थापितों से चितरंजन पार्क, नई दिल्ली क्षेत्र में भूमि के आवंटन हेतु विकास शुल्क वसूल कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विकास कार्य वर्ष 1986 तक पूरा होना था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह पूरा किया जा चुका है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार आवेदकों को भूखंड कब तक हस्तांतरित कर देगी ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग एक करोड़ रुपये पहले के पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों से प्राप्त किये हैं, जो चित्तरंजन पार्क में भूखण्डों के आवंटन के लिये पात्र घोषित किए गये थे।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। विकास की प्रगति निम्नलिखित कारणों से रुक गई थी :—

(I) भूमि उपयोग का परिवर्तन

(II) झुग्गियों को न हटाना

(III) वास्तविक पात्र व्यक्तियों की शिनाख्त विकास कार्य प्रगति पर थे, किन्तु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थगनादेश वर्ष, 1988 में प्राप्त होने के पश्चात विकास कार्य रुक गया था। स्थगन स्थगनादेश निरस्त हो चुके हैं।

(घ) प्लाटों को सुपुर्द करने की सिफारिश की गई है।

भूतपूर्व मन्त्रियों की ओर लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि

5798. **श्री कमल चौधरी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) 28 फरवरी, 1989 को जिन भूतपूर्व मंत्रियों की ओर सरकारी आवास के किराये अथवा लाइसेंस शुल्क की राशि बकाया थी, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक भूतपूर्व मंत्री की ओर कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) सरकार द्वारा उनसे बकाया राशि वसूलने हेतु क्या कार्रवाही की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नये राशन कार्ड जारी करने पर प्रतिबन्ध

5799. **श्री पी. एम सईद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने नए राशन कार्ड जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को इस निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ थाहै;

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एस. बंठा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

स्वतन्त्रता सेनानियों/भूतपूर्व सांसदों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का पारी से पहले आवंटन

[हिन्दी]

5800. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व सांसदों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का पारी से पहले आवंटन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार अब तक कितने फ्लैट आवंटित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी तथा भूतपूर्व संसद सदस्य बिना बारी के आवंटन के विद्यमान मार्ग निर्देशनों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली का दर्जा बदलने संबंधी प्रस्ताव

[अनुवाद]

5801. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राव वाडियर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हिमाचल प्रदेश को पंजीकृत सोसायटी के रूप में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस आशय के समाचार से इस केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली और बी. सी. जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डो को पंजीकृत सोसाइटियों में बदलने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था। तथापि, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली के कर्मचारियों के रोष के कारण उक्त प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में परती भूमि विकास बोर्ड के अन्तर्गत केन्द्र

5802. **श्री कैलाश यादव** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में परती भूमि के विकास हेतु कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश में परती भूमि विकास बोर्ड ने कुल कितने क्षेत्र भूमि का विकास किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में कोई केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार के विभागों तथा रूचि रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(ख) परती भूमि विकास कार्यक्रम अभी तक वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलापों पर केन्द्रित रहा है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण किया गया क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

वर्ष	वृक्षारोपण किया गया क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1985-86	1.77
1986-87	2.43
1987-88	2.21
1988-89	2.65 (दिसम्बर, 1988 तक)

सरकारी ग्रुप आवास समितियों द्वारा पीतमपुरा में निर्मित फ्लैटों में बाजारों की व्यवस्था

5803. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पाकेट-4 पीतमपुरा (बाहरी रिंग रोड पर मगोलपुरी के सामने) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर सहकारी ग्रुप आवास समितियों ने अपने फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में बाजार बनाने हेतु कोई कदम उठाये है या उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दुग्ध केन्द्र, बैंक और डाक घर आदि स्थापित करने का प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केवल कुछ ही समितियों ने निर्माण कार्य पूर्ण किया है।

(ख) इस क्षेत्र में 26 सुविधाजनक विपणन केन्द्रों तथा स्थानीय विपणन केन्द्रों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। 21 सुविधाजनक विपणन केन्द्रों और स्थानीय विपणन केन्द्रों का कार्य प्रगति के विभिन्न सोपानों में है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्पनियों द्वारा भारतीय नागरिकों को ठगा जाना

[हिन्दी]

5804. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कम्पनियां भारतीय नागरिकों को विदेशों में रोजगार दिलाने हेतु उन्हें भेजने के बहाने से ठग रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार से शोषण किये जाने के बारे में कितनी शिकायतें मिली है जिनमें यह आरोप है कि रोजगार चाहने वालों विशेषत: अशिक्षित और अकुशल श्रमिकों को विदेश भेजा गया किन्तु जो वहां रोजगार न मिलने के कारण स्वदेश लौटने तक के लिए किराया तक न कमा सके; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) धोखाधड़ी, नियोजन संविदा बदलने, संविदाओं को समय से पूर्व समाप्त करने और असंतोषजनक कार्य और रहन-सहन की दशाओं आदि के बारे में शिकायतें हुई हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1986, 1987 और 1988 के दौरान भर्ती एजेन्टो/परियोजना नियातिकों के विरुद्ध 151 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की पुलिस और विदेशों में संबंधित भारतीय मिशनों की सहायता से जांच की जाती है। इन वर्षों के दौरान उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अन्तर्गत 45 पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निलम्बित किया गया और 12 को रद्द किया गया था।

ऊनी मिलों की स्थापना करने के लिए राज्यों को सुविधायें

[अनुवाद]

5805. **श्री प्रतापराव बी. भोंसले :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारी मात्रा में फालतू ऊन का प्रयोग करने के लिए ऊनी मिलों की स्थापना करने हेतु राज्यों को अतिरिक्त सुविधायें देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार शीत-पट्टी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा सभी प्रमुख ऊन उत्पादक/भेड़ पालन राज्यों में ही नई कम्पोजिट एककों को स्थापित करने की अनुमति दी जाती है।

गन्दी बस्तियां हटाने संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

[हिन्दी]

5806. **श्री हरीश रावत :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ में शहर के लिए गन्दी बस्तियां हटाने संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान

[अनुवाद]

5807. श्री राज कुमार राय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्थल विभाग ने अपने कर्मचारियों कोई 1 अप्रैल 1987 से 14 मई 1980 तक की उस अवधि के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान किया है जब यह विभाग दिल्ली नगर निगम के नियंत्रणाधीन था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त अवधि के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान अपने झुग्गी, झोंपड़ी विभाग के कर्मचारियों को भी किया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अवधि के लिए झुग्गी झोंपड़ी विभाग के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान कराने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : यह प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है।

अमरीका में भारतीय नर्सों को नियुक्ति

5808. प्रो. के. वी. थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका में रोजगार पाने की इच्छुक भारतीय नर्सों को कमीशन आन ग्रेजुएट्स आफ फारेन नर्सिंग स्कूल्स' नामक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है;

(ख) क्या इस परीक्षा के लिए भारत में कोई केन्द्र नहीं है और अनेक भारतीय नर्सों को इस प्रयोजनार्थ विदेश जाना पड़ता है जिस पर खर्च भी बहुत आता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने भारत में ऐसा केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) जी , हां । भारत में इस परीक्षा के लिए कोई केन्द्र नहीं है। इस मन्त्रालय को यह जानकारी नहीं है कि इस परीक्षा को देने के लिए कितनी फीस निर्धारित की गई है।

(ग) भारत सरकार का इस परीक्षा के लिए भारत में कोई केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गन्ना उपलब्ध न होने के कारण चीनी मिलों का बन्द होना

[हिन्दी]

5809. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या खाद्य और सार्वजनिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होने के बावजूद चीनी मिलों को उनकी मांग के अनुरूप गन्ना न मिलने के कारण उनके शीघ्र बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गन्ना उत्पादकों ने अपना गन्ना खण्डसारी मिलों के बजाय चीनी मिलों को बेचना बेहतर समझा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार चीनी मिलों को उनकी मांग के अनुसार गन्ना उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) 22.3. 1989 की स्थिति के अनुसार कुल 70.6 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ जबकि 22 3. 1988 को स्थिति के अनुसार 50 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने 22.3.89 तक 18.5 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन कर लिया था जबकि पिछले मौसम में उसी तारीख तक उन्होंने 17.9 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया था। अतः पिछले मौसम की अपेक्षा इस मौसम में अब तक समूचे देश में और उत्तर प्रदेश में भी चीनी का उत्पादन अधिक हुआ है। तथापि, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की बजाए गुड़ और खण्डसारी निर्माताओं को गन्ने की बिक्री करने के समाचार मिले हैं। राज्य सरकार से उपयुक्त उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारें फैक्ट्रियों के लिए गन्ना प्राप्त करने हेतु क्षेत्र आरक्षित करने, खण्डसारी यूनिटों को लाइसेंस देने को विनियमित करने आदि द्वारा चीनी फैक्ट्रियों के लिए पर्याप्त गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहले ही पग उठा रहे हैं।

खुले मुहाने वाली खानों में दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

5810. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री राम कृष्ण मोरे : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यंत्रचालित खुले मुहानों वाली खानों में दुर्घटनायें कम करने के लिए एक बहुसूत्री कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) खानों में जिनमें ओपन कास्ट खानें शामिल हैं नियोजित कर्मकारो की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य तथा कल्याण के उपबन्ध खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों व विनियमों में दिए गए हैं। यह आपेक्षा की जाती है कि खान प्रबंधतंत्र इन उपबंधों का पालन करें। 19 तथा 20 दिसम्बर, 1988 को हुए खानों में सुरक्षा संबंधी सम्मेलन में ओपन कास्ट खानों में सुरक्षा स्तर को सुधारने के लिए अनेक सिफारिशें की गई। ये सिफारिशें (1) हैवी अर्थ मूविंग मशीश (एच. ई. एम. एम.) के संचालन का विनिय- मित करने के लिए ट्रैफिक संहिता, (ii) स्टाक ढेरों को गिराने लोडिंग प्वाइन्टों पर डम्प यार्डों में ओवरबर्डन की डम्पिंग, आदि में लगे व्यक्तियों को चोटों से बचने की प्रक्रिया संहिता, (iii) अग्नि से निपटाने, डिजाइन निर्धारित करने तथा ढुलाई सड़कों का अनुरक्षण और हैवी अर्थ मूविंग मशीनिरी के उचित रख रखाव, मरम्मत, ओवरहाल तथा निर्माण हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए अर्हता प्राप्त आपरेटरों/ड्राइवरों का चयन इन ड्राइवरों/आपरेटरों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था तथा पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था आदि के लिए योजनाएं तैयार करने तथा कार्यान्वित करने की व्यवहार संहिता तैयार करने से सम्बन्धित थी। सम्मेलन की सिफारिशों को उचित कार्रवाई के लिए खान प्रबन्धकों, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियन संगठनों, नियोक्ता संगठनों का कानून प्रवर्तन एजेन्सियों को भेज दिया गया है।

पटसन उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए उपाय

5811. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पटसन उद्योग को सिन्थेटिक पैकिंग सामग्री उद्योग की प्रतिस्पर्धा के सफल मुकाबले के लिए उत्पाद-मिश्रण को बदलने और पटसन उत्पादों में विभिन्नता लाने हेतु कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से पटसन का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई; और

(ग) क्या पटसन उद्योग सिन्थेटिक पैकिंग सामग्री उद्योग के साथ स्पर्धा में पिछड़ता जा रहा है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान कच्चे पटसन के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमन्त्री के पैकेज उपाय के रूप में विशेष कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए पटसन विकास निधि के अन्तर्गत 25 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। पटसन/मेस्टा उगाने वाले राज्य यह योजना वर्ष 1987-88 से कार्यान्वित कर रहे हैं जिसका उद्देश्य देश में उत्पादकता बढ़ाना और पटसन फाईबर की क्वालिटी में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन कार्यों के लिए राज्यों की उत्पादन के रूप में सहायता दी जा रही है, वे हैं, प्रमाणित उन्नत बीज, उपकरणों का वितरण, प्रदर्श फार्म, रसायनिक उर्वरकों और भूमि सुधारक पदार्थों की सप्लाई, रैलिंग टैंकों की खुदाई, कृषि पैकेज और कृषक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पेलिष्ट प्रतिस्थापनों से पटसन पैकेजिंग सामग्री की प्रतिकूल स्पर्धा के कारण हाल ही के वर्षों में पटसन के निर्यात को धक्का लगा है। घरेलू बाजार की स्थिति भी

पटसन उद्योग के लिए प्रतिकूल हो गई है और यही कारण है कि सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 बनाया है तथा उसके तहत आरक्षण आदेश जारी किये हैं जिसमें सिमेंट, उर्वरक, खाद्यान्न और चीनी जैसी कुछ मदों के उत्पादन की पैकिंग उनके उत्पादन के कुछ प्रतिशत तक पटसन के बोरों में करने की व्यवस्था की गई है।

3. इसके साथ सरकार ने संगठित तथा विकेन्द्रीकृत हथकरघा/हस्तशिल्प/लघु क्षेत्रों द्वारा विविधिकृत/गैर-परामरागत किस्म के पटसन उत्पादों के उत्पादन के लिए पटसन क्षेत्र में योजनाएं शुरू की हैं। देश के भीतर और विदेशों में इन मदों के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए आन्तरिक बाजार सहायता और बाह्य बाजार सहायता योजना भी शुरू की गई है।

'प्राणि जाति सर्वेक्षण'

5812. **श्री महेश्वर तांतो :** क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण ने हाल ही में प्राणिजात संसाधनों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समुद्री प्राणिजात का पता लगाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्तर पर सहयोग प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास भी किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां,। यह भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का लगातार चलने वाला मुख्य कार्य है।

(ख) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सहयोग से समुद्री प्राणिजात का पता लगाने के लिए दो सर्वेक्षण किए गए थे।

(ग) किए गए ऐसे सर्वेक्षणों के ब्योरे तिम्नलिखित हैं :—

(1) सोवियत रूस की सहायता से 1960-62 में विटयाज नाम रूसी पानी जहाज से समुद्री जीव के संग्रह से सम्बन्धित इन्टरनेशलन इन्डियन ओसेन एक्पेडिशन में भारतीय प्राणि सर्वेक्षण से एक वैज्ञानिक ने भाग लिया था।

(2) भारतीय राष्ट्रीय समुद्री अनुसंधान समिति द्वारा विभिन्न अनुसंधान संगठनों के सहयोग से 1662-6३ में इन्स किस्तना नामक पानी जहाज पर आयोजित इन्टरनेशनल ओसेन एक्पेडिशन में भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के 3 वैज्ञानिकों ने भाग लिया था।

आठवीं योजना हेतु कार्य दल

5813. **श्रीमती वसवाराजेश्वरी :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु परियोजनाओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा एक कार्य दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य दल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) कार्य दल द्वारा प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हसबीर सिंह : (क) जी, हां।

(ख) कार्यदल का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 30 अप्रैल, 1989 तक रिपोर्ट को प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना पूंजीनिवेश प्रस्तावों पर कार्यदल का गठन

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
सहभागी राज्यों के नगर विकास के प्रभारी सचिव —	
2. हरियाणा	सदस्य
3. राजस्थान	सदस्य
4. उत्तर प्रदेश	सदस्य
5. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	सदस्य
प्रत्येक राज्य के योजना विभाग के प्रतिनिधि —	
6. हरियाणा	सदस्य
7. राजस्थान	सदस्य
8. उत्तर प्रदेश	सदस्य
9. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य	
10. हरियाणा	सदस्य
11. राजस्थान	सदस्य
12. उत्तर प्रदेश	सदस्य
13. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	सदस्य
केन्द्रीय मन्त्रालयों/योजना आयोग/निम्नलिखित विभागों के प्रतिनिधि —	
14. भूतल परिवहन मन्त्रालय	सदस्य
15. रेल मन्त्रालय	सदस्य
16. दूर-संचार विभाग	सदस्य
17. विद्युत विभाग	सदस्य
18. योजना आयोग	सदस्य
19. प्रमुख क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य— संयोजक

रसायन उद्योगों में सुरक्षा प्रबंध

5814. श्री रणजीतसिंह गायकवाड : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खतरनाक रसायन उद्योग समूहों के चारों ओर रहने वाले लोगों के जीवन को खतरा बना रहता है क्योंकि वहां दुर्घटनाओं, विस्फोटों और जहरीली गैस के रिसाव की संभावना बनी रहती है;

(ख) क्या अनेक उन्नत प्रौद्योगिकी वाले उद्योग समूहों में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपेक्षित उपकरणों का भी अभाव है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि औद्योगिक एककों, विशेषकर उन औद्योगिक एककों के लिए, जो खतरनाक रसायनों के उत्पादन और तत्संबंधी प्रक्रियाओं से सम्बद्ध है, यह आवश्यक किया जाये कि दुर्घटना होने की स्थिति में वे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए बीमा की, "थर्ड पार्टी" की बीमा पालिसियों की भांति, जन दायित्व पालिसियां लें; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से कार्यान्वित किया जाएगा और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) (क) और (ख) देश में ऑखिमपूर्ण रसायन स्थापनों की मौजूदगी के बारे में सरकार सचेत है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा भेजे गए एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट में बताए गए मानदंडों के आधार पर देश में 27 मार्च, 1989 तक जोखिमपूर्ण पदार्थों का उपयोग कर रहे/स्टोर कर रहे 399 प्रमुख दुर्घटना जोखिम वाले स्थापनों का पता लगाया गया है। कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करके "ज़ोखिमपूर्ण संक्रियाओं" पर एक अलग अध्याय जोड़ा गया है जिसमें प्रारम्भिक स्थान की अनुमति देने और जोखिमपूर्ण संक्रियाओं में लगे विद्यमान कारखानों के विस्तार की अनुमति देने के लिए कार्य स्थल मूल्यांकन समिति के गठन, अधिष्ठाता द्वारा सूचना अनिवार्य रूप से देना, जोखिम-पूर्ण संक्रियाओं के संबंध में अधिष्ठाता का विशिष्ट उत्तरदायित्व, कार्य-स्थल आपात योजनाएं बनाना, विनाश नियंत्रण और प्रबन्ध योजनाएं सुरक्षा प्रबंध में श्रमिक सहभागिता आदि के लिये व्यवस्था है। इस अधिनियम के प्रावधानों को राज्य सरकारों द्वारा अपने कारखानों निरीक्षणालयों के माध्यम से लागू किया जाता है। उच्च तकनीकी औद्योगिक काम्पलैक्सों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी का कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख दुर्घटना जोखिम स्थापनों के बारे में सलाहकार और पर्यवेक्षी कार्य करने, दुर्घटना जांच में भाग लेने और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने आदि के लिये प्रमुख दुर्घटना जोखिमों पर बहु-उद्देश्यीय सैल गठित करें। राज्यों के कारखाना निरीक्षणालयों के अधिकारियों को भी प्रमुख दुर्घटना जोखिम उत्पन्न करने वाले स्थापनों में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर देश में और विदेशों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) और (घ) जोखिमपूर्ण रसायनों के रख रखाव के दौरान हुई दुर्घटनाओं के शिकार को प्रतिपूर्ति के लिये आदेशात्मक सार्वजनिक दायित्व बीमा शुरू करने के प्रश्न पर सरकार विभिन्न सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों आदि से परामर्श करके पर्यावरण और वन मन्त्रालय में जांच कर रही है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की अनिवार्य जमा राशि वापस करना

5815. श्री गंगाराम :

श्री बनवारी लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्यरत सभी अधिकारियों और डाक्टरों को अनिवार्य जमा राशि योजना के अन्तर्गत उनके वेतन से कटौती की गई अनिवार्य जमा राशि की धनराशि अब तक वापस कर दी गई है :

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं और कितने अधिकारियों/डाक्टरों को अब तक यह धनराशि वापस नहीं की गई है और ऐसे अधिकारियों/डाक्टरों का ब्यौरा क्या है जो वर्ष 1990 और 1991 के दौरान सेवानिवृत हो रहे हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को इन अधिकारियों को अनिवार्य जमा राशि की धनराशि कब तक वापस करने का विचार है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली अपार्टमेंट आनरशिप एक्ट, 1986 को लागू करना

5816. श्री वाई. एस. महाजन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अपार्टमेंट आनरशिप एक्ट, 1986 और इसके अन्तर्गत बनाये गये उपनियमों को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अधिनियम को कब लागू किया जाएगा और दिल्ली में फ्लैट का स्वामित्व कब तक किया जायेगा ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अधिनियम के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

कृषि श्रमिकों का बाहर जाना

5817. श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री बी. वी. रमैया :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से बड़ी संख्या में ग्रामीण कृषि श्रमिक प्रत्येक वर्ष काम की खोज में दिल्ली,

पंजाब, हरियाणा इत्यादि को जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि इस प्रकार बड़े पैमाने पर लोग बाहर क्यों जाते हैं; और

(ग) ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करके और उनके बहिर्गमन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी हां। बिहार उन राज्यों में से एक है जहां प्रति वर्ष श्रमिकों का मौसमी प्रवास होता है।

(ख) और (ग) यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, इस क्षेत्र में विशेषकर आलसी मौसम में नियोजन अवसरों की कमी प्रवास का एक मुख्य कारण है। अन्तर्राज्यिक प्रवास रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

5818. **श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कपास उत्पादकों के हित में कपास के मूल्य में इसके समर्थन मूल्य से नीचे गिरावट आने की प्रतीक्षा किये बिना फसल का कम से कम ›% बिना जिन्ड कपास बाजार दर पर खरीदने के लिए भारतीय कपास निगम को निर्देश देने का विचार है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) निगम को निदेश दिए गए हैं कि वह तभी मूल्य समर्थन प्रचालन शुरू करें जब रूई की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे चली जाएं। साथ ही निगम पुख्ता मांगों को कवर करने के लिए प्रचालित बाजार मूल्यों पर वाणिज्यिक प्रचालन भी शुरू करता है।

काफी पाउडर में मिलावट

5819. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खुदरा विक्रेताओं द्वारा काफी में "चिकरी" की प्रतिशतता बढ़ाए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का काफी पाउडर में मिलावट को रोकने हेतु कर्नाटक में इसको अनौपचारिक राशन व्यवस्था के अन्तर्गत लाकर इसे उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1955 के तहत काफी तथा काफी चिकोरी मिश्रण के मानक निर्धारित किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन कर्मचारी सभी खाद्य वस्तुओं, जिनमें काफी-चिकोरी मिश्रण शामिल है, के नमूने यादृच्छिक आधार पर लेते हैं और जो नमूने निर्धारित विशिष्टियों के

अनुरूप नहीं होते हैं, उनके संबंध में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत उपयुक्त कार्यवाही करते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों, के जरिए सप्लाई करने हेतु सात आवश्यक वस्तुएं, अर्थात गेहूं चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, कंट्रोल का कपड़ा तथा साफ्ट कोक मुहैया करती है। यह राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर निर्भर करता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के जरिए वितरण हेतु अतिरिक्त मदें शामिल करें।

तथापि, काफी बोर्ड उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर अच्छी किस्म की अपरिष्कृत काफी तथा पाउडर उपलब्ध कराने के लिए देश भर में संवर्धनात्मक यूनिटों की श्रृंखला चला रहा है।

बन्धुआ मजदूरों को रोजगार देना

5820. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1989 की स्थिति के अनुसार राज्यवार मुक्त कराए गए कितने बन्धुआ मजदूरों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान मुक्त कराए गए राज्यवार कितने बंधुआ मजदूरों को रोजगार प्रदान किया गया ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधीन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने तथा उन्हें पुनर्वासित करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। रोजगार कार्यालयों में बंधुआ श्रमिकों के पंजीकरण तथा उन्हें रोजगार दिलाये जाने के बारे में सूचना श्रम मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

गर्भस्थ शिशुओं में हृदय रोग होना

[हिन्दी]

5821. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक शिशुओं को गर्भ में ही हृदय रोग हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके उपचार के लिये सरकार ने कोई नई औषधि उपलब्ध कराने/विकसित करने के लिये कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस देश में गर्भ में ही हृदय रोग हो जाने के संबंध में कोई वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जहां हृदय धमनियों में जन्मजात असंगतियां होने का पता चलता है, वहां ये कम हैं और इनकी आसानी से रोकथाम नहीं की जा सकती है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण हटाना

[अनुवाद]

5822. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, सरकारी खाली पड़ी भूमि पर से अनधिकृत कब्जे हटाने सम्बन्धी अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं अपने द्वारा निर्मित और आवंटित स्व-वित्त पोषी और अन्य फ्लैटों के सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत निर्माण और अवैध कब्जों का विस्तृत सर्वेक्षण भी किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार कब तक ऐसे अनधिकृत निर्माण और कब्जो को तेजी से और व्यवस्थित तरीकों से हटाने का है;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी-गण अनधिकृत निर्माण और कब्जों के मामलों पर उचित ध्यान नहीं देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि स्ववित्त पोषित योजना और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित किये गये फ्लैटों के सामने क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण और अवैधानिक अतिक्रमणों का सर्वेक्षण फील्ड स्टाफ द्वारा समय-समय पर किया जाता है और अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाती है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जैसे ही अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमणों का पता चलता है तो इसे स्थानीय पुलिस तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (भूमि विभाग) के मकान गिराऊ दस्ते की सहायता से हटाया जाता है।

(अधीनस्थ स्टाफ की ओर से लापरवाही के कुछ मामलों को छोड़ कर यह प्रणाली सन्तोष-जनक रूप से व्यापक कार्यवही कर रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमलापुरम, आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद

5823. श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम आंध्र प्रदेश में अमलापुरम डिवीजन पूर्व गोदावरी जिले में कोई गोदाम न होते हुए भी धान की खरीद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त केन्द्र में गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ और वर्षा के कारण कितनी मात्रा में धान और कितनी धान की बोरियां नष्ट हुईं;

(ग) क्या सरकार का अमलापुरम क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने वर्तमान खरीफ फसल के दौरान आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में 23 धान क्रय केन्द्र चलाएं हैं। इन 23 केन्द्रों में से 12 केन्द्र अमलापुरम तालुक में हैं। तथापि, खरीफ फसल, 1988-89 के दौरान अमलापुरम में धान की कोई खरीदारी नहीं की गई है। क्योंकि वहां चल रहे मूल्य समर्थन मूल्यों से अधिक थे। भारतीय खाद्य निगम के पास पूर्वी गोदावरी जिले में उपलब्ध भंडारण क्षमता पर्याप्त है।

(ख) अमलापुरम तालुक में बाढ़ों और वर्षा के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान धान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

(ग) और (घ) 1.1.1989 को स्थिति के अनुसार, भारतीय, खाद्य निगम के पास पूर्वी गोदावरी जिले में 1.24 लाख मीटरी टन ढकी हुई भण्डारण श्रमता उपलब्ध थी जिसमें से क्षमता उपयोग केवल 16% था। अत: निगम का फिलहाल अमलापुरम तालुक सहित इस जिले में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का कोई विचार नहीं है।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

5824. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या श्रम मंत्री प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में 8 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1989 तक सरकारी क्षेत्र के किन्हीं अन्य उद्यमों ने भी प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना को लागू किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यम इसे लागू करें; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार 8 अगस्त, 1988 को अतरांकित प्रश्न संख्या 1838 के उत्तर में उल्लिखित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अलावा छह और उद्यमों ने योजना को लागू किया है। इन उद्यमों के नाम निम्नानुसार है :—

(1) हुगली डाक एण्ड फोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड

(2) साऊथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड।

(3) परादीप फास्फेटस लिमिटेड।

(4) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मासियूटिकल्स लिमिटेड।

(5) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड

(6) भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड

तथापि, कोयला विभाग ने महसूस किया है कि कोल इन्डिया लिमिटेड एक प्रभावी कम्पनी है तथा इसलिए श्रमिक सहभागिता योजना का कार्यान्वयन केवल उन सहायक कम्पनियों के स्तर पर ही संगत होगा जहां संचालनात्मक निर्णय लिए जाते हैं। अतः उन्होंने श्रम मंत्रालय को भेजी गई नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में कोल इण्डिया लिमिटेड को शामिल नहीं किया है।

(ग) सरकार सभी सम्भव प्रयास कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यम यह योजना लागू करें।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धकों को कहा गया है कि वे श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करे ताकि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त महोल उत्पन्न किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंध प्रशासनिक मंत्रालयों से भी कहा गया है कि वे उक्त योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे तथा समय-समय पर प्रगति की पुनरीक्षा करें। योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की सामयिक पुनरीक्षा करने के लिए सरकार ने एक त्रिपक्षीय समिति भी गठित की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कम गहराई पर हैंडपम्प लगाना

5825. **डा. ए. के. पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जून-जुलाई, 1988 के दौरान आंत्रशोथ और हैजे के फैलने का मुख्य कारण कम गहराई पर लगाए गए (12 से 15 फीट गहरे) हैंड-पम्पों से लिया गया पीने का पानी था जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग द्वारा लगाया गया था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाई की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) ऐसे कितने हैंडपम्प लगाये तथा उन्हें लगाने पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) आंत्रशोथ तथा हैजा जो कि पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, के फैलने के लिए प्रभावित क्षेत्र के ही वे लोग उत्तरदायी हैं जो कम गहराई वाले हैंडपम्पों का पानी इस्तेमाल करते हैं। इनमें से अधिकांश हैंडपम्प जिनकी संख्या 20,000 से अधिक आंकी गई है, स्वयं नागरिकों द्वारा निजी रूप से कई वर्ष पहले विशेषकर 1986-87 के सूखे के दौरान लगाये गए थे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम स्कन्ध ने अप्रैल-जून, 1988 के दौरान 5.35 लाख रुपये की लागत से केवल 271 पम्प लगाये थे। ये सभी पम्प 20 से 40 फीट तक गहरे थे। ये सभी पम्प पानी पीने की अपेक्षा अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाये गये थे। स्थानीय निवासियों को पूरी तरह से सचेत कर दिया गया था कि इन हैंडपम्पों का पानी पीने योग्य नहीं है।

दिल्ली प्रशासन ने उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए अलग से जांच पड़ताल की थी। उत्तरदायी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

दिल्ली नगर निगम

(I) श्री एस. पी. कपिल, निदेशक (II) श्री जे. सी. नारंग, निगम स्वास्थ्य अधिकारी	समय से पूर्व सेवा निवृत्त किया

2. उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई है

दिल्ली नगर निगम

(I) श्री आर. के. गुप्ता, कनिष्ठ इन्जीनियर (II) श्री इन्दर सिंह, सहायक स्वच्छता निरीक्षक (III) श्री डी. एस. राणा, सहायक स्वच्छता निरीक्षक (IV) श्री दीपक खोसला, कनिष्ठ इन्जीनियर (V) श्री नाहर सिंह, सहायक स्वच्छता निरीक्षक	आरोप-पत्र जारी किया गया

3. उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विचार है

दिल्ली नगर निगम

(I) श्री जी. सी. गर्ग, संयुक्त निदेशक

(II) श्री आर. एस. खरोड़ा, कार्यपालक इन्जीनियर

(III) श्री जमीर उल—इस्लाम, कार्यपालक इन्जीनियर

(IV) श्री एम. एल. काकड़ा, स्वच्छता अधीक्षक

(V) श्री जे. पी. नाथ, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक

(VI) श्री रतन लाल, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक

(VII) श्री एस. के. शर्मा, स्वच्छता निरीक्षक

(VIII) श्री टी. पी. गुप्ता, कार्यपालक इन्जीनियर

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उन कर्मचारियों के ब्यौरे जो प्रथम दृष्टि में उत्तरदाई पाये गए तथा जिनके मामले जांचाधीन है।

(I) श्री आर. के. भण्डारी, मुख्य इन्जीनियर

(II) श्री एस. के. कपूर, कार्यपालक इन्जीनियर

(III) श्री आर. एस. बैन कार्यपालक इन्जीनियर

(IV) श्री एस. के. खुराना, सहायक इन्जीनियर

(V) श्री ए. के. गोयल, सहायक इन्जीनियर

(VI) श्री प्रभात चड्ढा, सहायक इन्जीनियर

(VII) श्री बी. एम. कुलफिया, सहायक इन्जीनियर

(VIII) श्री एस. के. जैन, सहायक इन्जीनियर

(IX) श्री हरिओम वर्मा, कनिष्ठ इन्जीनियर

(X) श्री एस. सी. जैन, कनिष्ठ इन्जीनियर

(XI) श्री बी. के. तलवार, कनिष्ठ इन्जीनियर

(XII) श्री एस. सी. सौलंकी, कनिष्ठ इन्जीनियर

(XII) श्री जे. एस. फोगाट, कनिष्ठ इन्जीनियर

(XIV) श्री डी. के. गुप्ता, कनिष्ठ इन्जीनियर

(XV) श्री मन्दिर, कनिष्ठ, इन्जीनियर

(XVI) श्री एस. सी. अग्रवाल, कार्यपालक इन्जीनियर

(XVII) श्री बी. एस. जैन, सहायक इन्जीनियर

(XVIII) श्री जे. पी. बंसल, सहायक इन्जीनियर

(XIX) श्री सुरेश महेता, अधीक्षक इन्जीनियर

(XX) श्री एस. के मल्होत्रा, अधीक्षक इन्जीनियर

कैंसर रोग के मामलों का पता लगाना

5826. **श्री प्रकाश चन्द्र :**

श्री एम. रघुमा रेड्डी :

श्री धर्मपाल सिंह :

श्री चिंतामणि जेना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1986, 1987 और 1988 में कैंसर रोग के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) क्या कैंसर के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कैंसर के रोगी का कोई स्थायी उपचार नहीं होता है; और यदि हां, तो देश में कैंसर रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सम्पूर्ण देश के लिए प्रामाणिक सूचना जैसी कि मांगी गई है, उपलब्ध नहीं है। वैसे, वर्ष 1986 के दौरान बंगलौर, बम्बई, मद्रास, भोपाल और दिल्ली में स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अधीन जनसंख्या पर आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों में 12,810 रोगी दर्ज थे।

(ख) कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि तम्बाकू और तम्बाकू रहित चबाने और धूम्रपान संबंधी आदतें आरल केविटी, ग्रासनली, उच्च ओषण और श्वसनी नलियों के अतिरिक्त श्वसनी, स्वरयंत्र के कैंसरों के लिए उत्तरदायी हैं। सिग्रेट पीने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। जननांगी संबंधी स्वच्छता में कमी भी गर्भाशय ग्रीवा और लिंग के कैंसर के लिए उत्तरदायी हो सकती है।

(ग) कैंसर की प्रमाणित उपचार संबंधी विधियों में रसायन चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और विकीर्ण चिकित्सा हैं। यदि रोगियों का शुरू में ही पता लगा लिया जाए और उनका उपचार कर दिया जाता है तो इन चिकित्सीय विधियों के परिणाम अच्छे हैं।

कैंसर का पता लगाने की आवश्यक सुविधाओं सहित प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत 74 चिकित्सा कालेजों में/पैपस्मीयरिंग एकक हैं। 30 संस्थानों में कैंसर का शुरू में ही पता लगाने संबंधी केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। देश के 95 संस्थानों में विकीर्ण चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

केरल में आदिवासियों में कुष्ठ रोग

5827. **श्री ए. चार्ल्स** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में आदिवासियों में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या कुष्ट रोग से प्रभावित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए राज्य में स्थानिकमारी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों को डाक्टरी जांच कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कुल कितने आदिवासियों की डाक्टरी जांच की गई और उक्त रोग से प्रभावित पाए गए; और

(घ) सरकार उक्त राज्य स्थानिकमारी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत संक्रमित कुष्ठ रोगियों का पता लगाने के संबंध में डाक्टरी जांच करने की सुविधाएं सभी व्यक्तियों के लिए उनकी जाति अथवा धर्म का लिहाज किए बिना एक समान हैं और इस प्रकार आदिवासी कुष्ठ रोगियों के अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) बहु-औषध उपचार केरल के एलेपी जिले में पहले ही उपलब्ध कर दिया गया है। त्रिचूर जिले को बहु-औषध उपचार के लिए धनराशि का भुनतान भी कर दिया गया है। केरल के चार अन्य स्थानिकमारी वाले जिलों को भी बहु-औषध उपचार के लिए अनुमोदित कर दिया गया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपेक्षित आधारभूत ढांचा स्थापित करें जिसमें रोगियों की जांच करना, जिला कुष्ठ सोसायटी की स्थापना करना और कुष्ठ के कार्य में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षित करना शामिल है क्योंकि ये बहु-औषध उपचार शुरू करने के लिए पूर्वापेक्षाएं हैं।

सभी स्थानिकमारी वाले जिलों को आठवीं योजना के दौरान बहु-औषध उपचार के अन्तर्गत शामिल करने का विचार है।

आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र की स्थापना

5828. डा. टी. कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार कितने क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र विद्यमान हैं;

(ख) वर्ष 1986 से 1988 के दौरान प्रत्येक वर्ष इन केन्द्रों में राज्यवार कुल कितने मरीज आए और कुल कितने मरीजों का इन केन्द्रों में उपचार किया गया;

(ग) क्या ये क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र सभी कैंसर के रोगियों की आवश्यकताएं पूरी कर सकने में समर्थ हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में और अधिक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की स्थापना करके कैंसर के रोगियों के लिए बेहतर उपचार सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं, जो अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता कटक, गुवाहाटी, ग्वालियर नई दिल्ली, मद्रास और त्रिवेन्द्रम् में हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) : कैंसर रोगियों के लिए रसायन चिकित्सा और शल्य चिकित्सा की सुविधाएं देश के सभी प्रमुख अस्पतालों में उपलब्ध हैं। कोबाल्ट थिरेपी सुविधाएं 95 संस्थाओं में उपलब्ध हैं जिसमें देश में स्थित क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र शामिल हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कोई नया क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है :

केरल की परियोजनाओं के लिए स्वीकृति

5829. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के पास केरल से संबंधित कौन-कौन सी विद्युत उत्पादन परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) और (ख) केवल चार विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, अर्थात् अन्नाकयाम लघु जल विद्युत स्कीम, अदिरापल्ली जल विद्युत परियोजना, कयाकुलम ताप विद्युत केन्द्र और कोचीन डीजल सावर स्टेशन पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित हैं। ये परियोजनाएं इस मंत्रालय को क्रमश: मार्च, 1986, जनवरी, 1989, जुलाई, 1987 और अक्टूबर, 1987 को भेजी गई थी।

(ग) मंत्रालय की संबंधित मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञों द्वारा इन परियोजनाओं पर विचार किया गया है। लेकिन मांगे गए पर्यावरणीय ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण इन पर निर्णय नहीं किया जा सका। पूरे पर्यावरणीय आंकड़े प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर पर्यावरणीय मंजूरी पर निर्णय लिया जाता है।

रक्तदाताओं का शोषण

5830. श्री श्री. कृष्ण राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में रक्तदाताओं का शोषण किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) रक्तदाताओं की तीन श्रेणियां अर्थात् स्वैच्छिक रक्तदाता, प्रतिस्थापन रक्तदाता तथा पेशेवर रक्तदाता हैं। भारत सरकार को स्वैच्छिक तथा प्रतिस्थापन रक्तदाताओं से शोषण के बारे में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कुछ समय पहले, दिल्ली के व्यवसायिक रक्तदाता संघ से व्यावसायिक रक्त बैंकों द्वारा कम भुगतान करके उन्हें परेशान किए जाने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। सरकार न तो व्यवसायिक रक्तदाताओं अथवा रक्त का व्यावसायीकरण करने को प्रोत्साहित करती है अतः इस मामले को वाणिज्यिक रक्त-बैंकों के साथ निपटाने का कार्य राज्य-संघ का है।

पालिकाओं का अतिलंघन

5831. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अतिलंबित पालिकाओं तथा निगमों का विवरण क्या है ;

(ख) क्या चुनाव की प्रक्रिया शीघ्र कराने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या शहरी विकास मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में राज्य सरकार द्वारा पालिकाओं और कारपोरेशनों के अतिलंघन के बारे में किसी मार्ग निर्देशन में कोई सहमति व्यक्त की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आधार पर क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठते।

छोटे परिवार अपनाने हेतु सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन

5832. चौधरी राम प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों को जो बिना आपरेशन कराये अथवा आपरेशन करवाकर अपने

परिवार में दो या तीन बच्चे रखने के मानदण्ड का अपनी इच्छा से पालन कर रहे हैं, पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की गई है क्योंकि इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों को वर्ष 1975 के बाद बनाया गया था;

(ख) क्या सरकार ने स्वेच्छा से परिवार नियोजन कार्यक्रम में अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करने की वांछनीयता पर विचार किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) गर्भ निरोधन के स्थायी तरीके के जरिए छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आकर्षित करने हेतु सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना दिसम्बर, 1979 से चलाई गयी है। यह योजना परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके विगत वर्षों में की गई उपलब्धि हेतु पुरस्कार प्रदान करने के लिए नहीं है। अस्थायी तरीकों से छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"महाराष्ट्र में बाघ अभयारण्य परियोजना"

5833. **श्री बालसाहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 तक महाराष्ट्र में बाघ अभयारण्य परियोजनाओं की संख्या क्या थी;

(ख) क्या पिछले छह माह के दौरान अभयारण्य परियोजनाओं के निकट इन बाघों द्वारा काफी संख्या में ग्रामीणवासियों को मार डाला गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए अभयारण्य परियोजनाओं के चारों ओर कंटीले तार लगाने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) महाराष्ट्र में मेलघाट बाघ रिजर्व ही एक बाघ रिजर्व है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में बाघ रिजर्व के निकट बाघों द्वारा ग्रामिणों को मारने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को बाघ रिजर्वों में बाड़ लगाने के लिए कोई वित्तीय सहायता मुहैय्या नहीं करती है ?

नर्सों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्रों की स्थापना

5834. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय नर्सों के प्रशिक्षण के लिए चल रहे केन्द्रों का विवरण क्या है;

(ख) इन केन्द्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष कितनी नर्सों को प्रशिक्षित किया जाता है;

(ग) क्या देश में और अधिक नर्स प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारतीय नर्सिंग परिषद् के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 347 नर्सिंग विद्यालयों की राज्यवार संख्या और इन विद्यालयों से प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होने वाली नर्सों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम. सं.	राज्य परिषदों के नाम	विद्यालयों की संख्या	उत्तीर्ण नर्सें
1.	आंध्र प्रदेश	27	485
2.	असम	20	240
3.	बिहार	20	381
4.	गुजरात	19	719
5.	हरियाणा	5	200
6.	हिमाचल प्रदेश	3	7
7.	केरल	50	1066
8.	महाकोशल	17	150
9.	महाराष्ट्र	46	943
10.	मद्रास	21	731
11.	कर्नाटक	24	753
12.	उड़ीसा	5	201
13.	पंजाब (दिल्ली सहित)	25	608
14.	राजस्थान	9	109
15.	उत्तर प्रदेश	21	384
16.	पश्चिमी बंगाल	22	501
परीक्षा बोर्ड			
17.	मिड इन्डिया बोर्ड	8	78
18.	साउथ इन्डिया बोर्ड	20	273
19.	ए.एफ.एम.एस. बोर्ड	8	353
	कुल योग	547	8208

(ग) और (घ) राज्य सरकारें नर्सों के प्रतिक्षण के लिए मुख्यत: जिम्मेदार हैं। कुछ राज्य सरकारों ने नर्सिंग विद्यालयों में उनकी आवश्यकता के अनुसार सीटों की संख्या बढ़ा दी है।

"कोलार सोने की खानों के आस-पास प्रदूषण"

5835. डा. वी. वेंकटेश : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कोलार सोना खान क्षेत्र में और उसके आस-पास काफी प्रदूषण है;

(ख) क्या इस प्रदूषण से खान क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के स्वाथ्यय पर बुरा असर पड़ रहा है यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)

(क) सरकार को भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड सहित खनन क्षेत्रों में आम प्रदूषण की समस्याओं के बारे में जानकारी है ।

(ख) खान क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने कुछ प्रदूषण नियंत्रण उपाए किए हैं जिनकी कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी की जा रही है ।

उड़ीसा की स्वीकृति हेतु लंबित सिंचाई परियोजनाएं

5836. श्री सोमनाथ रथ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 तक वन(संरक्षण)अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी के लिए उड़ीसा की लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक जिन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष परियोजनाओं को आवश्यक मंजूरी प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) विवरण-1 संलग्न है ।

(ख) विवरण-2 संलग्न हैं ।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार द्वारा पूरी सूचना न भेजे जाने के कारण विलम्ब होता है राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित ब्यौरे भेजे जाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

विवरण-1

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लंबित पड़े रहने का कारण
1	2	3
1.	क्योंझार जिले में कनूपुर सिंचाई परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय से निरीक्षण रिपोट की प्रतीक्षा है ।
2.	बोलंगीर जिले में ओस्टालीलघु सिंचाई परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय से निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

1	2	3
3.	गंजम जिले में बघाती मझोली सिंचाई परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय से निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
4.	मयूरभंज और क्योंझर जिलों में देव मंझोली सिंचाई परियोजना	राज्य सरकार से दिनांक 8.3.1989 को अतिरिक्त ब्यौरे मांगे गए हैं। उत्तर की प्रतीक्षा है।
5.	संभलपुर जिले में हातियानाला लघु सिंचाई परियोजना	सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
6.	तर्कगीगर लघु सिंचाई परियोजना	सक्रिय रूप में विचार किया जा रहा है।

विवरण-2

क्रम संख्या	सिंचाई परियोजना का नाम
1.	पुरी जिले में मोडोनाला लघु सिंचाई परियोजना
2.	बालासोर जिले में रिसिया लघु सिंचाई परियोजना
3.	पुरी जिले में कामर खेती लघु सिंचाई परियोजना
4.	कालाहांडी जिले में लिम्पर लघु सिंचाई परियोजना
5.	कालाहांडी जिले में अपर जोंक सिंचाई परियोजना
6.	फुलबनी जिले में पेताबांध लघु सिंचाई परियोजना
7.	कालाहांडी जिले में पेंड्रावान लघु सिंचाई परियोजना
8.	फुलबनी जिले में लखरापर्वत लघु सिंचाई परियोजना
9.	कालाहांडी जिले में घाटपारा लघु सिंचाई परियोजना
10.	धेनकनाल जिले में सपुवा बैडजोर मझोली सिंचाई परियोजना
11.	संबलपुर जिले में कुलियारीजोर लघु सिंचाई परियोजना
12.	संबलपुर जिले में सरस्वती नाला लघु सिंचाई परियोजना
13.	फुलबनी जिले में पारहेल लघु सिंचाई परियोजना
14.	फुलबनी जिले में दुंकुच लघु सिंचाई परियोजना
15.	गंजम जिले में भीतरीबैंडीगुबा लघु सिंचाई परियोजना
16.	कालाहांडी जिले में लाथोधामजी लघु सिंचाई परियोजना
17.	कालाहांडी जिले में काटीफुटा लघु सिंचाई परियोजना
18.	कालाहांडी जिले में खास बहल लघु सिंचाई परियोजना
19.	फुलबनी जिले में सपुवा लघु सिंचाई परियोजना

कृषि पुनर्वित्त विकास निगम योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के भांडागारों को खाली करना

5837. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि पुनर्वित्त विकास निगम योजना (ए. आर. डी. सी. योजना) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के भण्डागारों को खाली करवा रही है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित भारी फसल को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त खाद्यान्न के भण्डारण के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1989 की अवधि के दौरान 19.3 लाख मीटरी टन की किराये की क्षमता, जो प्राइवेट पार्टियों से किराये पर ली गई थी, को खाली कर दिया है। इसमें कृषि पुनर्वित्त विकास निगम योजना के अधीन किराये पर ली गई क्षमता भी शामिल है। किराये की इस क्षमता को इसलिए खाली कर दिया गया है क्योंकि यह क्षमता खाद्यान्नों के स्टाक की मात्रा में कमी हो जाने के कारण फालतू हो गई थी।

(ख) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भांडागार निगम, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए उपलब्ध क्षमता आगामी वसूली मौसम की भण्डारण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों की मांग

[हिन्दी]

5838. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश के आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों ने सरकार को कोई मांग पत्र पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो इन विद्यार्थियों की मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार का यह प्रयत्न होगा कि वह आठवीं योजना के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आयुर्वेद सहित) को और बढ़ावा देने के लिए अधिक

वित्तीय निवेश, शिक्षा और चिकित्सा परिचर्या की गुणवत्ता और गैर-अर्हता प्राप्त लोगों द्वारा प्रेक्टिस करने पर नियंत्रण किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के डाक्टरों के अच्छे और प्रभावी सुप्रयोजन के लिए भी सरकार प्रयत्न करेगी। आशा है कि इससे भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर और प्रोन्नति के अवसर इत्यादि प्राप्त होंगे।

विवरण

अखिल भारतीत आयुर्वेद संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों का चार्टर

अखिल भारतीय आयुर्वेद छात्र संघ के छात्रों ने निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की हैं :—

(1) आयुर्वेद को एक राष्ट्रीय उपचार पद्धति के रूप में घोषित करना जैसा कि नेपाल, मारिशस और श्रीलंका में है।

(2) आयुर्वेद स्नातकों को केन्द्रीय सेवाओं और रेलवे, मिलिटरी और बीमा इत्यादि जैसे केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों में नियुक्त किया जाए।

(3) योजना आयोग में एक अलग आयुर्वेद विभाग स्थापित किया जाए।

(4) स्वास्थ्य बजट का 50 प्रतिशत आयुर्वेद को दिया जाना चाहिए।

(5) केन्द्र और राज्यों में आयुर्वेद मंत्रालय से अलग से स्थापित किया जाए जैसा कि गुजरात राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में हैं।

(6) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी कालेजों को सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपेक्षाएं पूरी की जा सके।

(7) आयुर्वेद प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, स्वास्थ्य अधिकारियों, स्नातकोत्तर छात्रों और जूनियर डाक्टरों को एलोपैथी की तरह ही भत्ते और सुविधाएं दी जाएं।

(8) केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुर्वेदिक डाक्टर को नियुक्त किया जाए और जनसंख्या के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने चाहिए।

(9) हरेक आयुर्वेदिक कालेज में, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अनुसंधान केन्द्र खोले जाएं और आर. एम. पी. और नकली डिग्रियों और पंजीकरणों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में महिला मुख्य लिपिकों का स्थानांतरण

[अनुवाद]

5839. **श्री हरिहर सोरन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि, संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारियों का प्रधान कार्यालय से उप-क्षेत्रीय कार्यालय में चक्रानुक्रम के आधार पर स्थानांतरण के बारे में जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन अनुदेशों का उल्लंघन करके विशेष रूप से पंजाब में कोई स्थानांतरण किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) चक्रानुक्रम आधार पर महिला कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों से उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरित करने संबंधी अलग से कोई अनुदेश नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आई. एन. ए. मार्किट, नई दिल्ली में अतिक्रमण

5840. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आई. एन. ए. मार्किट, नई दिल्ली के दुकानदारों ने सार्वजनिक भूमि का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अतिक्रमण को जल्द हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"परियोजनाओं को मंजूरी देने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण"

5841. श्री महेन्द्र सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन संरक्षण की दृष्टि से परियोजनाओं को मंजूरी देने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) पर्यावरणीय और वानिकी दृष्टि से विकास परियोजनाओं को मजूरी देने की प्रक्रिया को सितम्बर, 1988 में सरल और कारगर बनाया गया है। अब कोई और प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरल और कारगर बनाई गई प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

—एक साथ मंजूरी देने की प्रणाली आरम्भ की गई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्यावरणीय और वानिकी की दृष्टि के साथ-साथ निर्णय लिया जाता है।

—पर्यावरणीय मंजूरी के लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि इन

सभी मामलों पर निर्णय लिया जा सके जिनके बारे में पूर्ण ब्यौरे प्राप्त हो गए हैं। जिन मामलों के बारे में तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण ब्यौरे प्राप्त नहीं होते हैं, उन सभी मामलों को आंकड़े न भेजे जाने के कारण नामन्जूर कर दिया जाता है।

—वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मन्जूरी से संबंधित मामलों में पूर्व सूचना प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय से लिया जाता है। यदि मांगी गई आवश्यक सूचना एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्ताव को सूचना न भेजे जाने के कारण नामन्जूर कर दिया जाता है।

"पौधों का वितरण"

5842. **डा. कृपा सिंह भोई :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौध-रोपण के मौसम के दौरान लोगों में वितरित करने के लिये पौध मुख्य रूप से जलावन की लकड़ी, चारा एवं फल देने वाली, प्रजातियों के पौधे उगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से वनों पर दबाव को किस सीमा तक कम किया जा सकेगा; और

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र मे इस योजना को आरम्भ करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्र प्रायोजित विकेन्द्रित जन पौदशाला परियोजना के अन्तर्गत, जो कि वर्ष 1986-87 से कार्यान्वित की जा रही है, जनता में वितरण के लिए ईन्धन लकड़ी, चारा और फलदार प्रजातियों वाली पौध उगाई जा रही है।

(ख) परियोजना के अन्तर्गत, फार्म फोरेस्ट्री एवं कृषि वानिकी को बढ़ावा देने और व्यक्तियों की ईन्धन लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी इत्यादि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए पौद उपलब्ध कराई जा रही है। अत: इससे वनों पर दबाव के कम होने की आशा है।

(ग) उक्त परियोजना को वर्ष 1986-87 से कार्यान्वित किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों की प्रगति नीचे दी गई है :—

	दी गई धनराशि (लाख रु. में)	उगाई गई पौद सं. करोड़ में)
1986-87	1408.29	32.71
1987-88	803.83	34.54
1988-89	1881.69	42.20 (लक्ष्य)

दिल्ली में पेयजल की कमी

5843. **श्री बेजावाडा पपी रेड्डी :**
श्री राजा करन सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अनेक क्षेत्रों/कालोनियों में अभी भी पेयजल की कमी है, यदि हां, तो विशेषकर दक्षिण दिल्ली के ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डोयर पार्क बूस्टिंग स्टेशन ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है, और यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ओर से केन्द्रीय सरकार की बसंत बिहार कालोनी को पानी की सप्लाई आरम्भ हो गई है; यदि हां, तो फरवरी, मार्च, 1989 के दौरान उपरोक्त कालोनी को प्रतिदिन औसतन कितना पानी सप्लाई किया गया है; और

(घ) क्या कालोनी में पानी का वितरण एक समान नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) किसी क्षेत्र विशेष में पानी की चिरकालिक कम आपूर्ति की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है। तथापि, कभी-कभी पानी की मुख्य लाइनों में खराबी अथवा विद्युत के उतार-चढ़ाव के कारण, वितरण पद्धति के अन्तिम छोर पर स्थित दक्षिणी दिल्ली की कुछ कालोनियों में थोड़े समय के लिए पानी की कम आपूर्ति महसूस की जाती है। ऐसी कालोनियों के नाम रामकृष्ण पुरम, पुष्प विहार, मुनीरिका, राज्य सभा फ्लैट्स आदि हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) सरकारी कालोनी बसन्त विहार के लिए दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को लगभग 30,000 गैलन पानी प्रतिदिन अतिरिक्त सप्लाई प्राधिकृत की गई है। नई मुख्य लाइनें चालू किए जाने के पश्चात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इसे प्राप्त करना आरम्भ करेगा।

सिक्किम में पर्यावरणीय जागरूकता

5844. **श्रीमती डी. के. भंडारी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम में पर्यावरण जागरूकता आन्दोलन के लिए गवर्नमेंट कालेज, सिक्किम से कोई संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को इस बीच मंजूरी दे दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) क्या इस परियोजना के चरण—एक का कार्य इस बीच प्रारम्भ किया जा चुका है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी. हां। प्रस्ताव में सिक्किम के ताडोंग में और इसके आस पास छात्रों, शिक्षकों, आदिवासियों आदि जैसे विभिन्न लक्ष्य दलों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता लाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय से संशोधित प्रस्ताव के लिए 1,44,500 रुपए की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सर्वप्रिय सहकारी भवन निर्माण समिति के विरुद्ध शिकायत

5845. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान सर्वप्रिय सहकारी भवन निर्माण समिति, नई दिल्ली, के विरुद्ध कई शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखदी जायेगी :

परिधान निर्माताओं द्वारा विदेशी सहयोग प्राप्त करना

5846. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड ने कमीजें, पतलूनें, किटें और औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली वर्दियां तैयार करने के लिए विदेशी सहयोग समझौता किया हैं;

(ख) क्या इसके लिए सरकार ने मंजूरी प्राप्त की गई है;

(ग) भारत की अन्य किन-किन कम्पनियों ने परिधान निर्माण के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों से सहयोग समझौता किया है; और

(घ) सरकार ने परिधान निर्माण क्षेत्र में विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति किन आधारों पर दी है और तत्संबंधी नियम और शर्तें क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार परिधानों के विनिर्माण के लिए विदेशी सहयोग को स्वीकृति देने में उदार है जिससे कि प्रौद्योगिकी को उन्नत किया जा सके, क्वालिटी में सुधार किया जा सके और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि की जा सके। ऐसे सहयोग की शर्तें मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित की जाती हैं और अलग-अलग करार में भिन्न-भिन्न होती हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के निदेशकों का आवास एवं कार्यालय

5847. **श्री अनिल बसु** :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (आर. सी.), नई दिल्ली के निदेशकों ने 7 फरवरी, 1989 से भारी लागत पर आवास-एवं-कार्यालय बना लिए हैं;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित होते हुए भी दिल्ली में आवास एवं कार्यालय बनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा इन कार्यालयों में कितने कर्मचारी उपलब्ध किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) एन. टी. सी. (धारक कम्पनी), नई दिल्ली के कार्यशील निदेशकों के निवास पर एक छोटा कार्यालय खोला गया है। इसका उद्देश्य कार्यालय घंटों के पश्चात तथा छुट्टियों/बीमारी के दौरान कार्यालय के कार्य को घर पर ही करने की सुविधा प्रदान करना है।

(ग) कार्यशील निदेशकों ने अपने सम्बन्धित निवास-सह-कार्यालय पर कार्यालय में अपने कार्यालय के समय तक के लिए कोटिमिनस दैनिक मजदूरी पर कुछ व्यक्तियों को रखा है। यह लोग एन. टी. सी. के कर्मचारी नामावली में नहीं हैं। फिर भी इन व्यक्तियों को दैनिक मजदूरी दर पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

"आन्ध्र प्रदेश में वन कटान"

5848. **श्री बी. तुलसी राम** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 से 1988 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में कितना वनकटान हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने भूभाग पर वनरोपण किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग विस्थापित हुए और उनमें से कितने लोगों का पुनर्वास किया गया; और

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 1986 और 1988 के बीच आंध्र प्रदेश में वनेतर उपयोगों के लिए लगभग 11,333 हैक्टेयर वन भूमि उपयोग में लाई गयी है।

(ख) 1985-86 से 1988-89 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 5,88,438 हैक्टेयर क्षेत्र में वन लगाए गए हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी :

आन्ध्र प्रदेश में सहकारी कताई मिल

5849. **श्री सी सम्बु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की रुग्ण सहकारी कताई मिलों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि पुरानी मशीनों के कारण वे घाटे में चल रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) वित्तीय संस्थानों द्वारा आधुनिकीकरण के लिए ऋण संबंधित एककों द्वारा प्रस्तुत अर्थक्षम योजनाओं के आधार पर दिए जाते हैं। आन्ध्र प्रदेश की केवल चार सहकारी कताई मिलों ने हाल अभी तक ऋण के लिए वित्तीय संस्थानों से अनुरोध किया है।

"वनों का घनत्व"

5850. श्री मुल्लाप्पल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनों की सघनता अर्थात् प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल में पेड़ों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आंकड़े विश्व औसत से किस प्रकार तुलनीय हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश के वास्तविक वन क्षेत्र में उगे वनों का अनुमानित स्टाक विश्व के 110 घन मीटर के औसत स्टाक की तुलना में 65 घन मीटर प्रति हैक्टेयर है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से आटा चक्की
मिलों को गेहूं का आवंटन

5851. श्री सनत कुमार मंडल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से आटा चक्की मिलों को गेहूं के आवंटन अथवा इसकी बिक्री संबंधी वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गत मार्च महीने के दौरान आटा चक्की मिलों को गेहूं की बिक्री का प्रस्ताव करने की अनुमति प्रदान की है; यदि हां, तो कितनी मात्रा में गेहूं की बिक्री की जायगी;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा आटा चक्की मिलों को कितनी मात्रा में गेहूं की सप्लाई की गई;

(घ) इसकी बिक्री किस प्रकार की जाती है; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि आटा चक्की मिलों के मालिक न केवल खुले बाजार के आटा पर बल्कि अन्य मैदा और सूजी जैसे सह-उत्पादों पर अत्यधिक मुनाफा न कमाने लग जायें?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) (घ) और (ङ) : रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग को 1986 में लाइसेंसमुक्त कर दिया गया था जिसके बाद सरकार का इन मिलों के कार्यचालन पर कोई नियंत्रण नहीं था। मिलें अपनी जरूरत के गेहूं को बिना किसी प्रतिबंध के बाजार से खरीदने और अपने पदार्थों को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, मूल्य रेखा को बनाए रखने और बाजार में गेहूं के पदार्थों को आसानी से उपलब्ध करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम इन मिलों को गेहूं बेचता रहा हालांकि सरकार कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं थी। जून' 1988 तक भारतीय खाद्य निगम रोलर फ्लोर मिलों को जनवरी, 1987 से मई, 1987 तक किन्हीं महीनों के दौरान मिल द्वारा किए गए अधिकतम उठान की मात्रा के 50% तक की मात्रा बेच रहा था लेकिन इसे जुलाई, 1988 में कम कर 25% कर दिया गया था। सरकार ने अगस्त, 1988 से रोलर फ्लोर मिलों से टैंडर आमन्त्रित कर उन्हें गेहूं बेचने की नीति अपनायी।

(ख) : सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को मार्च, 1989 के दौरान 3 लाख मीटरी टन गेहूं बेचने की पेशकश करने की इजाजत दी थी।

(ग) : रोलर फ्लोर मिलों को अप्रैल 1988 से फरवरी, 1989 के दौरान 8.05,800 मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति की गई।

लघु क्षेत्र के उद्योगों में मजदूरों के लिए छुट्टियां

5852. **श्री आर. एम. भोये :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों की अपेक्षा लघु क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के लिए सवेतन छुट्टियों की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का सवेतन छुट्टियों के संबंध में लघु क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत मजदूरों को संगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों के बराबर स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी औद्योगिक श्रमिकों के लिए सरकारी कर्मचारियों की तरह एक समान आधार पर सवेतन छुट्टियों की वार्षिक संख्या नियत करने का है;

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) : कारखानों में नियोजित कर्मकारों को मजदूरी सहित साप्ताहिक तथा प्रतिपूरक अवकाश तथा वार्षिक छुट्टी दिये जाने से संबंधित सर्वाधिक उपबंध कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52,53 तथा 79 में दिए गए हैं। इस अधिनियम में बड़े और छोटे कारखानों, जिन पर यह लागू होता है, के बीच भेदभाव नहीं किया गया है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई कर्मकार किसी कानून के तहत या किसी पंचाट' करार (जिसमें समझौता शामिल है) या सेवा संविदा की शर्तों के अधीन किसी अधिकार का पात्र है, तो उसकी वार्षिक छुट्टी से संबंधित इसके प्रतिकूल लागू नहीं होंगे।

(ग) जी, नहीं।

बेरोजगार आयुर्वेदिक चिकित्सक

5853. **श्री परस राम भारद्वाज :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने अपना पंजीकरण करवाया;

(ख) इनमें से राज्यवार, कितने चिकित्सकों को रोजगार मिला है; और

(ग) इनमें कितनी महिला चिकित्सक हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) देश में 1985. 1986 और 1987 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सकों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या निम्न प्रकार है :-

	रोजगार चाहने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सक (हजारों में)
1985	8.8
1986	11.0
1987	8.9

(ख) और (ग) 1985, 1986 और 1987 के दौरान राज्यवार रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्त किए गये रोजगार चाहने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। महिलाओं के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1985	1986	1987
राज्य			
1. आन्ध्र प्रदेश	3	15	7
2. अरुणाचल प्रदेश**			
3. असम	—	—	—
4. बिहार	—	—	—
5. गोवा	—	—	—
6. गुजरात	2	2	3
7. हरियाणा	3	5	—
8. हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9. जम्मू व कश्मीर	—	—	—
10. कर्नाटक	—	2	—
11. केरल	1	4	18
12. मध्य प्रदेश	3	—	—
13. महाराष्ट्र	79	102	60
14. मणिपुर	—	—	—
15. मेघालय	—	—	—
16. मिजोरम	—	—	—
17. नागालैंड	—	—	—

1	2	3	4
18. उड़ीसा	1	28	76
19. पंजाब	41	—	—
20. राजस्थान	170	—	—
21. सिक्किम ××			
22. तमिलनाडु	1	—	1
23. त्रिपुरा	—	—	—
24. उत्तर प्रदेश	1	1	3
25. पश्चिम बंगाल	—	—	—
संघ शासित प्रदेश			
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
2. चंडीगढ़	—	—	—
3. दादर और नगर हवेली ××			
4. दिल्ली	—	3	4
5. दमन और दीव ××			
6. लक्षदीप	—	—	—
7. पांडिचेरी	—	—	—
कुल :	305	162	172

टिप्पणी—1. * कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

2. ×× आंकड़े नहीं रखे जाते।

शैक्षिक संस्थाओं के लिए भूमि का मूल्य

5854. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में बिना सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के लिए भूमि के मूल्य में तिगुणी वृद्धि करके 8 लाख रुपये प्रति एकड़ से 24 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दी है ;

(ख) क्या हाल तक शैक्षिक प्रयोजनों के लिए मामूली मूल्य पर भूमि आवंटित की जाती थी;

(ग) क्या सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अब भी भूमि बहुत कम दरों पर आवंटित की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं को हतोत्साहित करने के लिए यह नीति-निर्णय लिया है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मान्यता प्राप्त परन्तु बिना-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को भूमि के आवंटन की दर को 1.4.87 से निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है :—

(I) दक्षिणी अंचल : 28.50 लाख रुपये प्रति एकड़

(II) पश्चिमी अंचल : 23.75 लाख रुपये प्रति एकड़

(III) उत्तरी अंचल : 19.00 लाख रुपये प्रति एकड़

(Iv) पूर्वी अंचल : 14.25 लाख रुपये प्रति एकड़

(ख) जी, नहीं। ऐसी संस्थाओं को 31.3·87 तक भूमि का आवंटन "लाभ-हानि रहित" आधार पर 8.00 लाख रुपये प्रति एकड़ पर किया गया था।

(ग) सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को भूमि 1.4.87 से 9.50 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर पर "लाभ-हानि रहित" आधार पर आवंटित की जाती है।

(घ) शैक्षिक संस्थाओं को 1.4.1987 से भूमि की कीमतों में संशोधन से मात्र 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) प्रति एकड़ के नाममात्र कीमत पर भूमि के आवंटन के पात्र मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त निजी संगठनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

मुद्रण निदेशालय के अन्तर्गत मुद्रण एकक

5855. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुद्रण निदेशालय के अन्तर्गत मुद्रणालय एकक किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक एकक की स्थापना का क्या उद्देश्य है और प्रत्येक की कार्य क्षमता कितनी है;

(ग) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए समूह क, ख, ग और घ में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ;

(घ) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक समूह में प्रत्येक जॉब श्रेणी में रिक्त पदोंकी संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या पदों के सृजन/रिक्त पदों को भरे जाने पर प्रतिबंध है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) 1.1.89 की स्थिति के अनुसार, सभी मुद्रणालयों/शाखाओं में समूहवार स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या तथा रिक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

समूह	स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्तियों की संख्या
क	60	56	4
ख	235	198	37
ग	10735	9394	1341
घ	5632	4178	1454

सीधी भर्ती द्वारा रिक्तियां भरने पर प्रतिबंध है, सिवाय पदोन्नति के लिए रिक्तियों के मामलों में अथवा अनुकम्पा के आधार पर तथा त्यागपत्र देने/सेवा निवृत्त होने, मृत्यु के कारण नियुक्तियों के मामले में।

विवरण

भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों का प्रयोजन और उनकी क्षमता को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	भारत सरकार मुद्रणालयों की स्थिति	प्रयोजन सारांश में	1986 की स्थिति के अनुसार मूल्यांकित वार्षिक क्षमता	
			ए-5 पृष्ठों में कम्पोजिंग	शीट आवृत्ति में मुद्रण
1	2	3	4	5
1.	मिंटो रोड (लैटर प्रैस यूनिट) नई दिल्ली।	संसद के दोनों सदनों का मुद्रण कार्य तथा असाधारण राजपत्रों, मत पत्रों, अन्य विभागों की रिपोर्टों और किताबों आदि का कार्य।	2,58,366	17,96,63,900
2.	मिंटो रोड (फोटोलीथो यूनिट नई दिल्ली	संसद के दोनों सदनों तथा योजना एवं सांख्यिकी सहित अन्य मंत्रालयों/विभागों के बहुरंगीय मुद्रण कार्य।	×	22,94,20,000
3.	रिंग रोड, मायापुरी. नई दिल्ली	भारत सरकार राजपत्र का कुछ भाग, दिल्ली गजट, कतिपय पत्रिकायें/प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्टें, निष्पादन बजट, अनुदान मांगें और गोपनीय प्रकृति के कतिपय कार्यों का मुद्रण।	1,79,431	12,55,69,700

1	2	3	4	5
4.	राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री सचिवालयों का मुद्रण कार्य।	××	××
5.	शिमला	प्रकाशनों, रिपोर्टों आदि तथा गोपनीय प्रकृति के कतिपय कार्यों का मुद्रण।	61,028	6,57,23,500
6.	नीलोखेड़ी	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के फार्मों और रजिस्टरों का मुद्रण	7,991	13,38,74.600
7.	फरीदाबाद (लैटर प्रेस)	भारत सरकार के राजपत्र का कतिपय भाग, सरकारी प्रकाशन, रिपोर्टें संहितायें, वार्षिक रिपोर्टें, निष्पादन बजट, अनुदान मांगें तथा कुछ फार्मों का मुद्रण कार्य। ब्लाक्स तैयार करने के लिए भी सुविधायें विद्यमान हैं।	1,23.014	12,40,67,000
8.	फरीदाबाद (फोटोलीथो यूनिट)	फार्म कार्य के अतिरिक्त बहुरंगीय पोस्टरों/ पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकार की विज्ञापन सामग्रियों का मुद्रण	19,202	12,79,11,700
9.	अलीगढ़	डाकतार विभाग के फार्मों का मुद्रण	××	22,26,20,600
10.	नासिक	किताबों तथा फार्मों, पत्रिकाओं और गोपनीय प्रकृति के कतिपय कार्यों का मुद्रण।	1,14,641	23,82-66,100

11.	कोयम्बतूर	पुस्तकों संहिताओं, प्रकाशनों एवं रिपोर्टों तथा कुछ सीमा तक फार्मों का मुद्रण कार्य ।	55,649	10,06,51,900
12.	कोरट्टी	अधिकांशत: डाक तथा तार विभाग के फार्मों का मुद्रण ।	××	12,65,12,000
13.	संतरागाछी (पी. यू. हावड़ा)	वैज्ञानिक प्रकाशनों तथा कुछ अन्य पत्रिकाओं का मुद्रण कार्य ।	1,04,524 (एफ.यू. सहित)	11,77,17,600
14.	संतरागाछी (एफ. यू.) हावडा	डाक एवं तार सिविल तथा रक्षा विभागों के फार्मों का मुद्रण तथा डी. ओ. लैटर हैड्स एवं लिफाफे का मुद्रण कार्य ।	पी. यू. में शामिल किया गया	23,71,42,800
15.	टैम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता	सिविल तथा रक्षा कार्यकर्ताओं के मानक फार्मों का मुद्रण कार्य	2,793	11,20,10,600
16.	गंगतोक	विज्ञापन सामग्री तथा कम मात्रा के फार्मों का मुद्रण कार्य	2,793	1,52,05,000
17.	बम्बई	पेटेंट एण्ड डिजाइन नियंत्रक के प्रत्यक्ष विशिष्टियों का मुद्रण—इन हाउस मुद्रण युनिट ।	××	50,76,400
18.	विलिंग्टन	रक्षा सेवा स्टाफ कालेज, विलिंग्टन का मुद्रण कार्य तथा इन हाउस मुद्रण एकक ।	××	××

1	2	3	4	5
19.	मैसुर	विभिन्न राज्य सरकारो की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा फार्म कार्य ।	××	7,68,67,500
20.	भुवनेश्वर	विभिन्न राज्य सरकारों की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा फार्म कार्य ।	××	5,78,65,300
21.	चंडीगढ़	विभिन्न राज्य सरकारों की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा फार्म कार्य ।	××	6,89,09,100
22.	बाह्य मुद्रण संगठन, कलकत्ता	निजी मुद्रकों के माध्यम से फार्मों के मुद्रण का प्रबन्ध (जिनके भारत सरकार मुद्रणालयों में निष्पादित किए जाने की सम्भावना नहीं है ।	—	—

× चूंकि उपकरण अभी भी परीक्षण तौर पर कार्य कर रहे हैं इसीलिए क्षमता का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

×× राष्ट्रपति भवन मुद्रणालय, पाठ्य पुस्तक मुद्रण प्रेसों और फार्म मुद्रण एककों की बहुत कम कम्पोजिंग क्षमता है क्योंकि ये मुद्रणालय अधिकांशत: आवर्ती प्रकार कार्य के मुद्रण कार्य में लगे हैं ।

हथकरघों की संख्या की राष्ट्रीय स्तर पर गणना

5856. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हथकरघों की संख्या की राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक गणना आरम्भ की थी;

(ख) उक्त सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण के परिप्रेक्ष्य में तथा हथकरघा बुनकरों की आवश्यकताओं और जरूरतों के प्रति सरकारी तंत्र को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में क्या परिवर्तन किए गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हथकरघा विकास कार्यक्रमों और योजनाओं की रचना और कार्यान्वियन के लिये सांख्यिकीय आधार को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हथकरघों की गणना का कार्य शुरू किया गया है। इस सम्बन्ध में 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों की जांच की गई है। आंकड़ों की इस जांच के अनन्तिम निष्कर्षों के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय के दौरान कार्यान्वियन के लिए नीतियां बनाई गई हैं। वैकल्पिक नीतियों में वितरण प्रणालियों के सम्पूर्ण परिवर्तन और योजनाओं के स्वरूप विन्यास की पूरी तरह पुनः रचना करने की व्यवस्था है। इस समस्त योजना प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बुनकर को केन्द्र बिन्दु मानकर उसे लाभ पहुँचाना है। इसमे हथकरघा बुनकरों को योजनाओं और हस्तक्षेपी संगठनों दोनों ही रूप में सहायता प्रदान करने में लोचशीलता लाने की भी व्यवस्था है। इन कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वियन और मानीटरिंग में व्यावसायिक दृष्टिकोण पर भी जोर दिया गया है। योजनाओं के वैकल्पिक स्वरूप की रचना और कार्यान्वियन में तीन भिन्न एकीकृत पैकेजों अर्थात् "परियोजना पैकेज" "कल्याण पैकेज" और 'संगठन विकास पैकेज' के अन्तर्गत केफेटेरिया दृष्टिकोण की व्यवस्था है।

"रिसेन्ट एड्वांसिस इन रेडिएशन आनकोलोजी" विषय पर विचार गोष्ठी

5857. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इन्स्टिट्यूट आफ न्यूक्लियर मेडिसिन एण्ड एलाइड साईंसिस में "रिसेन्ट एडवांसिस इन रेडिएशन आनको-लाजी" विषय पर एक पांच द्विवसीय भारत-जर्मन विचार गोष्ठी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और गेसेल्लेवॅफ्टफर सरेहिन एण्ड अनवेल्ट फोरस्कग म्यूनिश, जर्मन संघ गणराज्य द्वारा आयोजित की गयी थी और

(ख) यदि हां, इस विचार गोष्ठी में कैंसर के संबंध में क्या सुझाव दिए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) भारत-जर्मन विचार गोष्ठी में विचार विमर्श के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए गए :

1. रेडिएशन अनुक्रिया (सामान्य ऊतकों के लिये प्रोटेक्टर एवं ट्यूमर टिशुओं के लिये सेन्सिटाइजर के समुचित डिफरेंश्यल मोडिफायरों के विकास के लिये चिकित्सा जीव वैज्ञानिक अनुसंधान को तेज किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिये अनुसंधान कार्मिकों के लिए दो अल्पावधि (कम से कम एक माह) एवं दीर्घावधि (एक वर्ष तक) अध्येतावृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. सुनियोजित नैदानिक परीक्षण करने के लिये एक केन्द्रीय सुविधा स्थापित की जानी चाहिए ताकि माडल पद्धतियों से प्राप्त प्रयोगशालीय परिणामों की वास्तविक क्लीनिकी स्थिति में रूपांतरित करना आसान हो सके।

3. रेडियो थिरेपी के लिए नई लागत सार्थक मोडेलिटी का विकास किया जाना चाहिए।

4. ट्यूमरथिरेपी को विशिष्ट बनाने हेतु आवेटरिन एवं थिरेपी की अनुक्रिया जानने के लिये इन विट्रो एवं इन-वायो तकनीक का विकास किया जाना चाहिए।

5. डोसिमटरी, उपचार योजना सुविधाओं और चिकित्सा भौतिकी में प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवंटित फ्लैटों के मूल्यों की वसूली

[हिंदी]

5858. श्री राम प्यारे सुमन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को, उनके लिए 25 प्रतिशत आरक्षित कोटे के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों के मूल्य किन दरों पर वसूल किए जाते हैं और इस मूल्य-आंकलन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या सभी योजनाओं में मध्यम आय समूह और उच्च/आय समूह के फ्लैटों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनसे नए आवेदन पत्र आमंत्रित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों का विक्रय मूल्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित पंजीकृत व्यक्तियों के सभी वर्गों से एक-समान रूप से चार्ज किया जाता है। अनुमोदित मूल्य-निर्धारण-नीति के अनुसार किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर विक्रय मूल्य निकाला जाता है। मूल्य निर्धारण फार्मूला इस तरह तैयार किया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपने समस्त आवास कार्यक्रम में न तो लाभ और न ही कोई हानि होती है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की सभी योजनाओं में प्रतीक्षा सूचियां समाप्त हो गई हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के पंजीकरण के लिए विशेष योजना पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है।

बीड़ी, हथकरघा और कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी

[अनुवाद]

5859. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी, हथकरघा, निर्माण कार्य और कृषि क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यदि कोई राष्ट्रीय मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं तो क्या उत्तरी राज्यों के लिए क्षेत्रीय मानदण्ड लागू किए गए हैं; और

(ग) यदि कोई क्षेत्रीय मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं तो बिहार सहित उत्तर भारत के राज्यों में इस समय उद्योग-वार और राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी/क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी के गठन के प्रश्न पर विभिन्न मंचों में चर्चा की गई है । नवम्बर, 1985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में सिफारिश की गई कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के व्यवहार्य होने तक, क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी रखना वांछनीय होगा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार दिशा निर्देश निर्धारित करे । इन दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप दिया गया तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया । उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार सहित उत्तरी राज्यों में बीड़ी हथकरघा, निर्माण तथा कृषि नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

क्र. सं.	राज्य का नाम	विवरण			
		बोड़ी	हथकरघा	निर्माण	कृषि
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	11.40 रुपये से 13.00 रु. प्रतिदिन (29-4-85)	मजदूरियां अभी निर्धारित नहीं की गई हैं।	20.50 रु. प्रतिदिन (17-12-88 से)	10.00 रु. प्रतिदिन या 5 किलो धान या इसी मूल्य का कोई अन्य अनाज और एक समय का नाश्ता (16-10-86 से)
2	चंडीगढ़ प्रशासन	मजदूरियां निर्धारित नहीं है।	मजदूरियां निर्धारित नहीं हैं।	22.94 प्रतिदिन बिना भोजन के (1-10-88 से)	23.85 रु. प्रतिदिन बिना भोजन के, 19.25 रु, भोजन सहित (1-10-88 से)
3.	दल्ली प्रशासन	मजदूरियां निर्धारित नहीं है।	21.60 रु. प्रतिदिन (16-3-88 से)	21.60 रु. प्रतिदिन (16-3-88 से)	21.60 रु. प्रतिदिन (16-3-88 से)
4.	हरियाणा	मजदूरियां निर्धारित नहीं हैं।	500.00 रु. प्रतिमाह (1-4-87 से)	500.00 रु. प्रतिमाह (1-4-87 से)	21.00 रु, प्रतिदिन भोजन सहित या 25.00 रु. बिना भोजन के (1-1-89 से)
5.	हिमाचल प्रदेश	मजदूरियां निर्धारित नहीं हैं।	15.00 रु. प्रतिदिन या 450 रु. प्रतिमाह (15-4-87 से)	15.00 रु. प्रतिदिन या 550 रु. प्रतिमाह (15-4-87 से)	15.00 रु. प्रतिदिन या 450.00 रु. प्रतिमाह (15-4-87 से)

1	2	3	4	5	6
6.	जम्मू और कश्मीर	मजदूरियां निर्धारित नहीं है	15.00 रु. प्रतिदिन (24-3-89 से)	15.00 रु. प्रतिदिन (24-3-89 से)	15 00 रु. प्रतिदिन (24-3-89 से)
7.	पंजाब	मजदूरियां निर्धारित	21.86 रु. प्रतिदिन या 5.66.25 प्रतिमाह 1.10·88 से	19.88 रु. प्रतिदिन या 512.00 रु. प्रतिमाह (1-10 88 से)	21 086 रु. प्रतिदिन (बिना भोजन के) 19 25 रु. प्रतिदिन भोजन सहित (1-10-88 से)

रेशम परियोजना के लिए धनराशि

5860, **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मैसूर क्षेत्र में रेशम उत्पादकों की सहायता के लिए नेशनल वार्म सीड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पी. आई. सिल्क सीड्स के उत्पादन हेतु एक परियोजना की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय रूई निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश से कपास की खरीद

5861. **श्री सी. सम्भु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश से वर्ष 1988 के दौरान भारतीय रूई निगम द्वारा कितनी मात्रा में कपास खरीदी गई;

(ख) भारतीय रूई निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में दो वर्षों के दौरान कपास की किस मूल्य पर खरीद की गई ;

(ग) क्या कपास उत्पादकों के लाभ के लिए कपास के मूल्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) भारतीय कपास निगम ने चालू कपास वर्ष 1988-89 के दौरान आन्ध्र प्रदेश से 2·77 लाख क्विंटल कपास की खरीद की है ।

(ख) भारतीय कपास निगम ने कपास वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान समय समय पर प्रचलित बाजार कीमतों पर कपास की खरीद की है ।

(ग) और (घ) चूंकि कपास की चालू बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों से काफी अधिक हैं और निगम प्रचलित बाजार मूल्यों पर कपास की खरीद कर रहा है, इसलिए कपास की दरें बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

"ओजोन-परत संरक्षण संबंध सम्मेलन"

5862. **श्री शरद दिघे** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 मार्च, 1989 को लंदन में हुए ओजोन-परत संरक्षण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिये गये इस सुझाव कि वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के प्रयोग को आधा किया जाये, पर आधारित वर्ष 1987 के मांट्रीयल करार पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारत का विचार रेफ्रिजरेटरों और अन्य उपकरणों में प्रयोग की जाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का विकल्प तैयार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है और अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न भवनों में स्थित विभाग

5863. **श्री डाल चन्द जैन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से मंत्रालय/विभाग जो एक से अधिक भवनों में स्थित हैं और विभिन्न भवनों में इनके पास कुल कुर्सी क्षेत्र कितना है; और

(ख) कार्यालय के स्थान के औचित्य के बारे में अध्ययन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि एक विभाग केवल एक ही मन्जिल/भवन में स्थित हो;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सम्पदा निदेशालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार जिन मुख्य मंत्रालयों/विभागों के पास छुटपुट वास है, की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) अन्तर-मंत्रालीय विचार-विमर्श द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

विवरण

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर अधिकृत कार्यालय वास

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	अधिकृति	
		भवन	क्षेत्र वर्गफुट में
1	2	3	4
1.	**कृषि मंत्रालय**		
	(1) कृषि और सहकारिता विभाग	कृषि भवन	71,235
		शास्त्री भवन	10,075
		सुपर बाजार	8,000 किराया आधार पर
			89310

1	2	3	4
2.	(2) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	—	—
	(3) ग्रामीण विकास विभाग	कृषि भवन	19678=1500
		सी. जी. ओ.	
		काम्प्लेक्स (चरण)—I)	3093
		—वही—(चरण—(II)	5051
			29322
	(4) उर्वरक विभाग	शास्त्री भवन	6444
		कृषि भवन	1810
		जनपथ भवन	41508
		सुपर बाजार	6333 किराया आधार पर
			17787
3.	वाणिज्य मंत्रालय		
	(1) वाणिज्य विभाग	उद्योग भवन	68040
	(2) आपूर्ति विभाग	निर्माण भवन	10200
4.	संचार मन्त्रालय		
	(1) संचार मंत्रालय	संचार भवन	83484
	(2) दूरसंचार विभाग	डाक तार भवन	20788
		सरदार पटेल भवन	5500
		देविका टावर	29784
	3. डाक विभाग	(नेहरू प्लेस)	
			139536
5.	रक्षा मंत्रालय		
	(1) रक्षा विभाग	साउथ ब्लाक	
	(2) रक्षा उत्पाद और आपूर्ति विभाग	सेना भवन	
	(3) अनुसंधान विकास विभाग	"बी', ब्लाक	3651
		"क्यू" ब्लाक	8034 104905
		"सी II हटमेंट	4996 (वर्गफुट)
		वायु भवन	3420

1	2	3	4
5.	ऊर्जा मंत्रालय		
	(1) कोयला विभाग	शास्त्री भवन	10927
	(2) विद्युत विभाग	श्रम शक्ति भवन	20149
	(3) गैर पराम्परागत ऊर्जा स्रोत	सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स (चरण—I)	28146
6.	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
	(1) पर्यावरण विभाग	सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स (चरण—II) —वही—	45400
	(2) वन और वन्यजीव विभाग		14832
	(3) गंगा परियोजना निदेशालय	कोटा हाऊस हटमेंट	6348
7.	विदेश मंत्रालय		
		साउथ ब्लाक	68000
		अकबर भवन	102000
		शास्त्री भवन	22000
		पटियाला हाउस	28000
			220000
8.	वित्त मंत्रालय		
	(1) राजस्व विभाग	नार्थ ब्लाक	5490
		चर्च रोड हटमेंट	1250
		जीवन दीप बिल्डिंग	19.285 (किराया आधार पर
			74825
	(2) आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)	जीवन दीप बिल्डिंग	1644
	(3) व्यय विभाग (रक्षा प्रभाग	साउथ ब्लाक 19787 एस. हाउस	2190
		वायु भवन 3802 रा. कृ. पु	675
		"ए" ब्लाक 2033 सेवा भवन	2277
		"एल" ब्लाक 4135 योग	34899

1	2	3	4
9.	खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
	(क) खाद्य विभाग	कृषि भवन	39610
	(ख) नागरिक विभाग	शास्त्री भवन	10000
		कृषि भवन	12040 22040
10,	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय		
		परिवहन भवन	2500 वर्गफुट (लगभग)+
		जनपथ भवन	5300
			7800
11.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय	निर्माण भवन	71404
		विशाल सिनेमा बिल्डिंग	5000 (किराया आधार पर)
		एम. एम. यू कोटला रोड	7800
		बीकानेर हाउस हटमेंट	10500
			94704
12.	गृह मन्त्रालय		
		नार्थ ब्लाक	63922
		शास्त्री भवन	5758
		लोक नायक भवन	33806
		आर. के. पुरम	4703
		एक्सप्रेस बिल्डिंग	6977 (किराया आधार पर)
		नार्थ साउथ ब्लाक हटमेंट	800
			115966
	गृह मन्त्रालय का पुनर्वास प्रभाग	जेसलमेर हाऊस	20000
13.	मानव संसाधन विकास मन्त्रालय		
	(1) शिक्षा विभाग तथा पी. ए. ओ.	शास्त्री भवन	67125
		जनपथ भवन	3000
		कर्जन रोड बेरक्स	5372
			75497

1	2	3	4
	(2) कला विभाग	विज्ञान भवन एन. सी	2356
		नं. 5 डा. आर. पी. रोड	8000
			10356
	(3) संस्कृति विभाग	शास्त्री भवन	10000
	(4) महिला और बाल विकास विभाग	शास्त्री भवन	10374
		बेस्ट ब्लाक आर. के. पुरम	1408
		जामनगर हटमेंट	491
			12273
	(5) युवा कार्य और रेल विभाग	शास्त्री भवन	8536
14.	उद्योग मंत्रालय		
	(1) उद्योग विकास और भारी उद्योग विभाग	उद्योग भवन	56697
		—वही—	10223
			66920
	(2) कम्पनी कार्य विभाग	शास्त्री भवन	21935
	(3) रसायन और पैट्रो रसायन विभाग	शास्त्री भवन	4884
		जनपथ भवन	3000
			7884
	(4) सार्वजनिक उद्यम विभाग	सी. पी. ओ. कम्पलैक्स (चरण—I)	26605
15.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय		
		शास्त्री भवन	25832
16.	श्रम मन्त्रालय		
		श्रम शक्ति भवन	38632
17.	विधि और न्याय मन्त्रालय		
	(1) विधि कार्य विभाग	शास्त्री भवन	24510

1	2	3	4	
	(2) न्याय विभाग	——		
	(3) विधायी विभाग	—वही—	16789	
			41299	
18.	संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्रालय			
	(1) संसदीय कार्य विभाग	पटियाला हाउस	7500	
		जामनगर हाउस हटमेंट	1533	9030
	(2) पर्यटन विभाग	परिवहन भवन	10481	
		"सी" हटमेंट	10057	20538
19.	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन			
	(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	नार्थ ब्लाक	21040	
	(2) पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग	निर्वाचन सदन	17000	
		साउथ ब्लाक	2260	
	(3) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	सी. जी. ओ. काम्पलैक्स	4000	
		साउथ पटेल भवन	13389	
			5 689	
20.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	शास्त्री भवन	18569	
21.	योजना मन्त्रालय			
	(1) योजना विभाग	योजना भवन	125380	
	(2) सांख्यिकीय विभाग	सरदार पटेल भवन	26968	
		दीन दयाल विल्डिंग	40000	(किराया आधार पर)
		आसफली रोड	2500	(किराया आधार पर)
		अकबर रोड हटमेंट	2427	
			35895	

1	2	3	4	
22. कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय				
		योजना भवन	3000	
		सरदार पटेल भवन	5300	
		नार्थ ब्लाक	1200	
			4500	
23. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय				
(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		टैक्नोलोजी भवन	97212	
(2) वैज्ञानिकी और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग		—वही—	5225	
(3) बायो टैक्नोलोजी विभाग		सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स (चरण—I)	15752	
24. इस्पात और खान मन्त्रालय				
(1) इस्पात विभाग		उद्योग भवन	16457	
		"बी" ब्लाक हटमेंट	2083	18540
(2) खान विभाग		शास्त्री भवन	18640+	1000
		जनपथ भवन		
25. परिवहन मन्त्रालय				
(1) भूतल परिवहन विभाग				
(क) परिवहन		परिवहन भवन	34922	
(ख) सड़क विंग		—वही—	35327	80249
(2) नागरिक उड्डयन विभाग		सरदार पटेल भवन	13721	
(3) रेलवे विभाग		रेल भवन	136959	
26. शहरी विकास मन्त्रालय				
		निर्माण भवन	46000	
27. जल संसाधन सिंचाई मन्त्रालय				
		श्रम शक्ति भवन	17680	
		कृषि भवन	3020	
		शास्त्री भवन	3808	
		लोक नायक भवन	2500	
		सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स	6600	
			33608	

1	2	3	4
28.	कल्याण मन्त्रालय		
		शास्त्री भवन	19730
		नार्थ ब्लाक	1027
		लोक नायक भवन	4678
		आर. के. पुरम	8154
		जाम नगर हाउस	600
		"एच" ब्लाक हटमेंट	1089
29.	परमाणु ऊर्जा विभाग		
		साउथ ब्लाक	1676
	(शांच सचिवालय, परामणु खनिज प्रभाग)	आर· के. पुरम	31548
			33224
30.	इलैक्ट्रोनिकी विभाग	लोक नायक भवन	27523
	उत्पादन विभाग	निजी किराया आधार पर	12224 (किराया आधार पर)
			59747
31.	महासागर विकास विभाग		
		सी. जी. ओ. कम्पलैक्स	12017
32.	अन्तरिक्ष विभाग		
		लोक नायक भवन	8036
33.	मन्त्रिमण्डल सचिवालय		
	सचिवालय खास	साउथ ब्लाक	11043+3605
		बीकानेर हाउस (अनेक्सी)	5285
		बीकानेर साउथ (मेन)	3000
	अन्य स्कन्ध इत्यादि	सरदार पटेल भवन	16229
		योजना भवन	3384
		राष्ट्रपति भवन	——
			42547
34.	प्रधानमंत्री कार्यालय		
		रैल भवन	2556
		साउथ ब्लाक	20350
			8000
			30986

मच्छर भगाने के इलैक्ट्रानिक उपकरण

5864. **श्री पी. आर. कुमारमंगलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मच्छर भगाने की अनेक इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रानिक उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं और यदि हां, तो इनमें कौन सी कीटनाशी दवा प्रयोग की जाती है;

(ख) केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड द्वारा किन-किन को मन्जूरी प्रदान की गई है;

(ग) क्या इनमें प्रयोग होने वाली कीटनाशी दवाएं खतरनाक हैं और काफी विषैली हैं और भारत या इसके उद्गम वाले देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन या अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संघों के संगठन द्वारा इन पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है;

(घ) क्या अमेरिका जैसे अन्य देशों में इसी प्रकार के उपकरणों को मन्जूरी दी गई है और इन्हें प्रयोग किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इन उपकरणों के सुरक्षा पक्ष के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एजेंसी से सलाह प्राप्त करने का विचार है; और

(च) क्या मच्छर भगाने के ऐसे उपकरणों के अत्याधिक प्रयोग से ओजोन परत पर प्रतिकूल असर पड़ने की भी सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां, । कुछ इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रानिक मच्छर भगाने के मैटों में कीट-नाशक एलीथीन होती है ।

(ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत पंजीकृत विभिन्न कम्पनियों द्वारा बनाई जाने वाली मच्छर भगाने की मैटों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) कीटनाशी अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत गठित की गई पंजीयन समिति किसी कीटनाशी दवा का पंजीकरण करने से पहले स्वय को इस बात से संतुष्ट करती है कि उक्त कीट-नाशी प्रभावकारी है और यह विष विज्ञानी सहित अनेक मानदण्डो के बारे मे विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकडों के आधार पर मानव और पशुओं के लिए निरापद है । मच्छर भगाने वाली जिन मैटों को मानवों के लिए सुरक्षित पाया जाता है उन्हें पंजीयन समिति द्वारा पंजीकृत करने की अनुमति दे दी जाती है ।

(घ) इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने ओजोन परत पर मच्छर भगाने वाली मैटों के कुप्रभाव का अध्ययन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा मानव के खुले शरीर और मच्छरों पर मच्छर भगाने वाली मैटों की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	उत्पाद	व्यापारिक नाम यदि कोई हो।
1. मैसर्स ट्रांसलेक्ट्रा 22. ओसिज इन्डस्ट्रियल प्रेमिसिज, बकोला मस्जिद, सांताक्रुज (ईस्ट), बम्बई-490055	एलीग्रीन 47 मच्छर भगाने की मैट	"गुड नाइट"
2. मैसर्स सुपर डोमेस्टिक एप्लीएंसिस (पी.) लिमिटेड 52, होटल ताज, हमीदिया रोड, भोपाल 46200।	एलीग्रीन 0.5% मच्छर भगाने की मैट	"सुपरनेट"
3. मैसर्स सुरेका इन्टरनेशनल, 71, गणेश चन्द्र एवेन्यु, कलकत्ता-700013	एलग्रीन 4% मच्छर भगाने की मैट	
4. मैसर्स तायनवाला कैमिकल्ज एण्ड प्लास्टिक्स (इन्डिया) लि. 4-बी, गिरी कुंज इन्डिस्ट्रियल एस्टेट, मालिया काली केव्ज रोड अन्धेरी ईस्ट, बम्बई	एलीग्रीन 4 प्रतिशत मैट	
5. मैसर्स डैफोडिल कैमिकल्ज (पी.) लि. 328, स्ट्रीट नं.—9, मजलिस पार्क, आदर्श नगर, नई दिल्ली—33	एलीग्रीन 4% मैट	
6. मैसर्स सोविक इलैक्ट्रो कैमिकल्ज (पी.) लिमिटेड, प्लाटस नं. 45-ए पांथमपुर जिला	एलीग्रीन 4% मैट	"मैट"

कपड़ा उद्योग में माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित प्रणाली

5865. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग ने उत्पादकता में सुधार लाने के लिए माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित प्रणाली आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो प्रणाली प्रारम्भ करने के पश्चात उत्पादकता में कितना सुधार हुआ है; और

(ग) कपड़ा उद्योग में यह प्रणाली प्रारम्भ करने से पहले और बाद में कितने-कितने मजदूर नियुक्त किये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) हालांकि वस्त्र मिलों में माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित प्रणाली शुरू कर दी गई है, किंतु वांछित जानकारी देना कठिन है, क्योंकि सरकार ऐसी जानकारी एकत्र नहीं करती है।

चीनी उद्योग में माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण प्रणाली

5866. **श्री महेश्वर तांती** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रण प्रणाली को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को अपनाने के बाद से उत्पादकता में कितना सुधार हुआ है; और

(ग) चीनी उद्योग में इस प्रणाली को अपनाये जाने के पहले और बाद में कितने कामगार काम करते थे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राजस्थान) ने चीनी फैक्ट्रियों में लाइम्ड तथा सल्फाइटेड जूस के पी एच, के आटोमैटिक नियंत्रण के लिए माइक्रो प्रोसेसर आधारित आटोमेटिक कम्प्यूटराइजड पी. एच. कंट्रोल सिस्टम (एम. ए. पी. सी. ओ. एन.) का विकास किया है। अब तक केवल कुछ ही चीनी फैक्ट्रियों ने इस सिस्टम की स्थापना की है और इसके वाणिज्यिक कार्यनिष्पादन का अभी अनुमान लगाया जाना है क्योंकि यह अभी भी परीक्षण की अवस्था में है।

"खुले मुहाने वाले खनन क्षेत्रों में वनरोपण"

5867. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में खुले मुहाने के खनन द्वारा पर्यावरण में कितनी गिरावट आई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न भागों में खुले मुहाने वाले खनन क्षेत्रों में वनरोपण की कोई योजना बनाई गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) खुले मुहाने के खनन या खुली खदान के कारण विभिन्न राज्यों में पर्यावरणीय गिरावट पर कोई विशिष्ट मूल्यांकन अथवा सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, पर्यावरणीय गिरावट आमतौर पर खुले मुहाने के खनन कार्यों द्वारा निम्न प्रकार से होता है :

(1) खनिजों के उत्खनन और भूमि पर अपशिष्टों के अधिक जमाव के कारण भूमि अवक्रमण होता है।

(2) हवा में उड़ने वाली धूल और एन. ओ. एक्स, सी. ओ. आदि गैसों के उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण होता है।

(3) सतह जल प्रदूषण जल निकायों में अधिक मात्रा में अपशिष्ट डालने से होता है।

(4) भूमिगत जल स्तर के गिरने से भूमिगत जल पर प्रभाव और रिसाव के कारण संदूषण; और

(5) भूमिगत लोगों का सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव।

(ख) विशिष्ट खुली खदान परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन करने की स्थिति में संगत पर्यावरणीय विषयों का अध्ययन किया जाता है।

(ग) खुली खदान परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाएं तैयार करते समय भूमि सुधार पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें वनरोपण शामिल है। देहरादून और मसूरी क्षेत्र में चूना पत्थर की खुली खदानों में वनरोपण के लिए एक विशेष स्कीम शुरू की गई है।

चावल खाने वालों को पेट में अल्सर होने की अधिक संभावना

5868. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश तथा विदेशों में किये गये अनुसंधान के परिणाम की यह जानकारी है कि चावल खाने वालों को पेट में अल्सर होने की अधिक संभावना होती है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) वैज्ञानिक आधार पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि चावल खाने वालों को पेप्टिक अल्सर होने की अधिक सम्भावना होती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

जाली एड्स रोग मुक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के विरुद्ध की गई कार्यवाही

5869. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक देश ने हाल ही में दो भारतीयों को उनके वहां पहुँचने पर उन्हें "एड्स रोग" से संक्रमित पाये जाने पर निर्वासित किया था तथा इन व्यक्तियों को एक प्राइवेट क्लिनिक द्वारा जारी किए गए एड्स रोग मुक्त प्रमाण-पत्र जाली थे; और

(ख) यदि हां, तो जाली प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राइवेट क्लिनिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। जिन दो भारतीयों को बम्बई में एक प्रयोगशाला द्वारा एड्स रोग मुक्त प्रमाण-पत्र जारी किया

गया था वे कतार गए थे जहां उनकी पुन जांच की गई और वे एलिसा और वेस्टर्न ब्लाट द्वारा पाजिटिव पाए गए थे। दोनों भारतीयों को कतार सरकार द्वारा वापिस भेज दिया गया था।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच-पड़ताल की है। उनकी सिफारिश है कि हमें विदेश की सरकारों को सूचित करना चाहिए कि केवल प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र ही मान्य समझे जाएं।

उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों को चावल की सप्लाई

5870. **डा. सुधीर राय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों को बढ़िया किस्म के चावल सप्लाई किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल मजदूर संघ से इस बीच कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी, नहीं.

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले की जांच की गई थी। जांच के समय चावल का कोई स्टाक उपलब्ध नहीं था क्योंकि स्टाक पहले ही वितरित कर दिया गया था। तथापि, चावल पुराना था और वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप था।

दिल्ली की यमुनापार की कालोनियों में महामारी फैलना

5871. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में प्रकाशित उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली में यमुनापार की कालोनियों में कुछ रोग महामारियों के रूप में तेजी से फैल रहे हैं और प्रतिदिन अनेक प्रभावित रोगियों को अस्पतालों में उपचार के लिये भर्ती किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में महामारियों के फैलने को रोकने के लिये और प्रभावित लोगों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। सरकार को विभिन्न समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक नई दिल्ली ने इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए 17.3.1989 को नई दिल्ली में कुछ मुख्य अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक बैठक की। यह पता चला था कि गुरुतेग बहादुर अस्पताल और लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में

आंत्र-शोथ के रोगियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अन्य अस्पतालों ने भी सूचित किया कि पिछले वर्ष की तुलना में आंत्र-शोथ के रोगियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दिल्ली प्रशासन ने इस रोग को दिल्ली में फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय कर रहा है। किसी भी अस्पताल से हैजा और आंत्र-शोथ रोगों का उपचार करने के लिए औषधों की कमी की सूचना नहीं मिली है।

सरकारी आवास का मानक किराया (स्टैंडर्ड रेन्ट)

5872. **श्री विजय एन. पाटिल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवास आवंटितियों की सेवानिवृत्ति के बाद मानक किराया (स्टेण्डर्ड रेंट) देकर उनके पास रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आवास का मानक किराया इस प्रकार के आवास के वर्तमान बाजार किराये से कम है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक नई नीति बनाने का है जो सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद, आवास के लिये प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के हित में, तत्काल सरकारी आवास खाली करने हेतु बाध्य करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। समिति अवधि के लिए जैसी कि प्रचलित नियमावली में व्यवस्था है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जूनियर डाक्टर्स फेडरेशन की मांगें

5873. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनियर डाक्टर्स फेडरेशन ने अपने भत्तों में वृद्धि की मांग की है और अपनी मांगों मांगों के समर्थन में मार्च, 1989 में दिल्ली में एक रैली भी आयोजित की थी; और

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने किस सीमा तक इन मांगों को स्वीकार कर लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) जूनियर डाक्टर परिसंघ ने निम्नलिखित मांगें की है :—

(1) सभी डाक्टरों को 600/-रुपये प्रतिमाह की दर से प्रेक्टिसबंदी भत्ता।

(2) प्रेक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ता

(3) 1.1.1986 से उपर्युक्त भत्तों की बकाया राशि

(4) कनिष्ठ रेजीडेंटों को 100 रुपए प्रतिमाह तथा वरिष्ठ रेजीडेंटों को 250 रुपए प्रतिमाह का आकस्मिक भत्ता

(5) 1.1. 987 से आकस्मिकता भत्ते का बकाया।

(6) ऐसे डाक्टरों की रेजिडेंसी अवधि को सेवाकाल मानना जो बाद में सरकारी नौकरी में आ जाते हैं।

सरकार ने निम्नलिखित कारणों से उनकी क्र. सं. (1) से (3) और (6) पर की गई मांग को स्वीकार नहीं किया है—

(1) कनिष्ठ डाक्टरों के समेकित वेतन में प्रैक्टिसबंदी भत्ता भी शामिल है।

(2) मंहगाई भत्ता वेतन का 90 प्रतिशत दिया जाता है जिसमें प्रैक्टिसबंदी भत्ता भी शामिल है।

(3) वरिष्ठ रेजीडैंट के नियमित रूप से सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो जाने की स्थिति में उनकी रेजिडेंसी की अवधि को पेंशन/सेवानिवृत्ति उपदान के लिए सेवा के रूप में गिनने के आदेश पहले से ही मौजूद हैं।

कनिष्ठ डाक्टरों को आकस्मिकता भत्ते के भुगतान के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

"वनों का विकास"

5874. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान वनों के विकास के लिए निर्धारित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्यवार आवंटन क्या है; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान वनरोपण के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउररहमान अन्सारी) : (क) परती भूमि विकास सहित विभिन्न केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा वानिकी के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय के चालू वर्ष के बजट में 104.30 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के बजटों में वानिकी के विकास के लिए निर्धारित की गई राशियों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और उनको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वनरोपण के लिए प्रस्तावित राज्य-वार लक्ष्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1989-90 के दौरान वनरोपण के लिए राज्यवार लक्ष्य

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(लाख हेक्टेयर में) प्रस्तावित लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.10
3.	असम	0.42
4.	बिहार	2.20
5.	गोआ	0.04
6.	गुजरात	1.90
7.	हरियाणा	0.43
8.	हिमाचल प्रदेश	0·43
9.	जम्मू व कश्मीर	0.37
10.	कर्नाटक	2..0
11.	केरल	1.00
12.	मध्य प्रदेश	2,90
13.	महाराष्ट्र	2.50
14.	मणिपुर	0.13
15.	मेघालय	0.18
16.	मिजोरम	0.21
17.	नागालैण्ड	0.16
18.	उड़ीसा	2.10
19.	पंजाब	0.30
20.	राजस्थान	1.00
21.	सिक्किम	0 09
22.	तमिलनाडु	1.35
23.	त्रिपुरा	0.18
24.	उत्तर प्रदेश	3.50
25.	पश्चिमी बंगाल	1.30

1	2	3
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.06
27.	चण्डीगढ़	—
28.	दादरा और नागर हवेली	0.02
29.	दामन एवं दीव	—
30.	दिल्ली	0.03
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पाण्डिचेरी	—
	कुल :	27.00

पटसन उत्पादों के लिए विपणन संवर्धन संगठन

5875. **श्री सनत कुमार मंडल :**

डा. वी. एल. शैलेश :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विविध पटसन उत्पादों के लिए एक अलग विपणन संवर्धन संगठन स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या पटसन उद्योग को मजबूत और अर्थक्षम बनाने के लिए कोई नए उपाय करने पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी, हां। प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार ने पटसन उद्योग को मजबूत तथा अर्थक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(I) 150 करोड़ रु. की पटसन आधुनिकीकरण नीधि स्कीम।

(II) 100 करोड़ रु. की विशेष जूट विकास निधि।

(III) पटसन पैकेजिंग सामान (पैक करने वाली वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम नियम, 1987।

(IV) मशीनरी की विनिर्दिष्ट मदों का शुल्क मुक्त आयात।

(v) दिनांक 1.4.89 से नकद मुआवजा सहायता की नई दरों की घोषणा जिसमें अधिक

पटसन उत्पाद कवर होंगे तथा इससे विनिर्माताओं के अलावा व्यापारी निर्यातकों को भी लाभ मिलेगा।

(vI) आंतरिक तथा बाहरी बाजार सहायता स्कीम लागू करना।

(VII) दोबारा तैयार की गई निर्यात कीमत स्थिरीकरण निधि स्कीम को लागू करना।

(VII) विविधीकृत पटसन उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन।

मिट्टी के तेल के ड्रमों को बाहर रखना

5876. **श्री पी. एम. सईद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1989 के "दि इन्डियन एक्सप्रेस" में "करोसीन ड्रम एक्सप्लोड्स एण्ड किल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या नई दिल्ली, दिल्ली तथा दिल्ली छावनी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के ड्रमों को जिस परिसर के लिए लाइसेंस दिया गया है, उससे बाहर तथा सड़क के किनारे रखा जाता है ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने सड़क के किनारे अथवा प्लेटफार्मों पर चलाये जाने वाले ऐसे डिपुओं के लिए भी लाइसेंस दिया है ; और

(घ) क्या इन ड्रमों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है यदि हां तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ;

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि लाइसेंसधारियों को केवल अधिकृत स्थानों में मिट्टी का तेल रखना होता है और सड़क के किनारे पर बने चबूतरों (प्लेट फार्मों) पर मिट्टी का तेल बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं। उल्लंघन होने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

आल इंडिया हेल्थ एम्प्लाइज एण्ड क्लर्क कान्फैडरेशन द्वारा आयोजित साइकिल स्कूटर मार्च

5877. **श्री गंगाराम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इन्डिया हैल्थ एम्प्लाइज एण्ड क्लर्क कान्फडरेशन ने अपनी मांगों पर बल देने के लिए 27 फरवरी, 1989 को नई दिल्ली में साइकिल-स्कूटर मार्च आयोजित किया था,

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस परिसंघ द्वारा रखी गई मांगों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। परिसंघ द्वारा रखी गई मांगों पर सरकार तभी विचार कर सकती है जब यह परिसंघ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त हो।

विवरण

मांगें

1. परिसंघ को मान्यता देना
2. अस्पताल तथा दूसरी संस्थाओं संबंधी विधेयक 1987 सहित सभी काले नियमों को वापस लिया जाए
3. स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को 1.10.1986 से अस्पताल रोगी परिचर्या भत्ता
4. सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान तीन पदोन्नतियां
5. एक स्थान कार्य के लिए एक समान वेतन
6. रेल कर्मचारियों के बराबर बोनस। नर्सिंग कार्मिकों के समान वर्दी भत्ता तथा धुलाई भत्ता देना और सिलाई प्रभार में वृद्धि करना।
8. विसंगति संबंधी समिति की रिपोर्ट लागू करना।
9. स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्दी तथा धुलाई भत्ता देना
10. अनुसचिवीय संवर्ग का पुनर्गठन
11. विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रमाण पत्र/डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किया जाए।
12. दैनिक तथा तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करना।
13. पात्र श्रेणियों को जोखिम भत्ता देना
14. सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना।
15. विभागीय पदोन्नतियों तथा काडर बदलने के मामले में शैक्षिक अर्हता शिथिल करना।

बेरोजगार इन्जीनियरों द्वारा आंदोलन

5878. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री जी. एस. बासवराजू :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में 1,500 से अधिक बेरोजगार सिविल और मैकेनिकल इन्जीनियरों ने उन्हें रोजगार न दिए जाने के बारे में आंदोलन करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक तथा अन्य राज्यों के इन्जीनियरों ने भी आंदोलन करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो इस समय बेरोजगार इन्जीनियरों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर इन्जीनियरिंग स्नातकों और स्नातकोत्तरों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में राज्यवार दी गई है।

(घ) इन्जीनियरों को रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी उपाय सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के खण्ड II के अध्याय 5 में दिए गये है।

विवरण

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	30.6.1988 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज इन्जीनियरों (स्नातक और स्नातकोत्तरों) की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8770
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	378
4.	बिहार	2295
5.	गोवा	139
6.	गुजरात	3,869
7.	हरियाणा	351
8.	हिमाचल प्रदेश	591
9.	जम्मू और कश्मीर	505
10.	कर्नाटक	8,807
11.	केरल	5,339
12.	मध्य प्रदेश	3,650
13.	महाराष्ट्र	4,040
14.	मणिपुर	826
15.	मेघालय	33
16.	मिजोरम	16
17.	नागालैंड	18
18.	उड़ीसा	1,568

1	2	3
19.	पंजाब	442
20.	राजस्थान	2,383
21.	सिक्किम ×	—
22.	तमिलनाडु	5,240
23.	त्रिपुरा	12
24.	उत्तर प्रदेश	2,396
25.	पश्चिम बंगाल	3,200
संघ शासित प्रदेश		
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	51
2,	दादर और नागर हवेली	3
3.	चण्डीगढ़	370
4.	दिल्ली	2,381
5.	दमन और दीव × ×	—
6.	लक्षद्वीप	शून्य
7.	पांडिचेरी	192
	योग :	57,865

टिप्पणी : 1. × इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2. × × आंकड़े नहीं रखे जाते।

"आन्ध्र प्रदेश में बाघों द्वारा ग्रामीणों की हत्या"

5879. श्री वी. तुलसीराम : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बाघ आरक्षित वनों में रहने वाले काफी ग्रामीणों को बाघों द्वारा हत्या की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में गत छः महीनों में बाघों द्वारा कितने ग्रामीणों की हत्या की गई है;

(ग) क्या आरक्षित वनों में कांटेदार तार लगाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में बाघ रिजर्व के निकट बाघों द्वारा ग्रामीणों को मारने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को बाघ रिजर्वों में बांध लगाने के लिए कोई वित्तीय सहायता मुहैय्या नहीं करती है।

बीड़ी मजदूरों के लिए अस्पताल

5880. **श्री वी. तुलसीराम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेशों में बीड़ी मजदूरों के कल्याण हेतु स्थापित किए गये क्षय रोग अस्पतालों और चेस्ट क्लीनिकों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे अस्पताल क्लिनिक किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अस्पतालों और क्लिनिकों से लाभान्वित होने वाले बीड़ी मजदूरों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे अस्पतालों में रोगी बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां तो तत्सम्बन्धीं ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) से (घ) बीड़ी कर्मकारों तथा उनके परिवारों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत दस स्थिर तथा [illegible] व चलते फिरते औषधालय स्थापित किए गए हैं। ये औषधालय निजामाबाद, अमारजिल्ला, कोराटला, कोटालकोटा, नेल्लोर, श्रीकालहस्ती सिदीमेट, निरमल, कमलापुरम और कामारेड्डी, में स्थित हैं। वर्ष 1987-88 के दौरान इन औषधालयों में रोगियों की कुल उपस्थिति लगभग 1.5 लाख थी। वर्ष 1985 से 1988 के दौरान, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत श्रम कल्याण संगठन द्वारा चलाए गए औषधालयों में 687 टी. बी. रोगियों का इलाज किया गया।

आन्ध्र प्रदेश में 'मैरीन पार्क की स्थापना'

5881. **श्री वी. तुलसीराम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर एक मैरीन पार्क के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब शुरू किये जाने की आशा है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) राज्य के पूर्वी किनारे पर मैरीन पार्क बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मैरीन पार्कों की स्थापना का अधिकार राज्य सरकार के पास है। फिर भी, राज्य सरकार द्वारा 360 लाख रुपये की अनुमानित लागत से विशाखापतनम के समीप एक मैरीन लैंड काम्पलेक्स

के निर्माण के लिए परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना 1985-86 में शुरू की गई थी। भारत सरकार ने परियोजना के लिए अब तक 13.84 लाख रुपये की राशि प्रदान की है।

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन

5882. श्री आर. एम. भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सरकार के नियंत्रण में राज्य-वार कितने आयुर्वेद संस्थान चल रहे हैं ;

(ख) इन संस्थानों में नियुक्त अध्यापकों, किये गए शोध कार्य तथा उपलब्ध लाइब्रेरी सुविधाओं की स्थिति क्या है;

(ग) आयुर्वेदिक डाक्टरों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये है ;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में आयुर्वेद में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का है; और यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) आयुर्वेद से संबंधित सभी पुरानी पुस्तकों का संकलन/अनुवाद कराने तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर नई पुस्तकें लिखने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा खापर्डे) : (क) देश में 45 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज है जिसका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रत्येक आयुर्वेदिक कालेज में पुस्तकालय की सुविधाएं होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार के पास इन कालेजों में नियुक्त किए गए शिक्षकों की संख्या और वहां पर किए जा रहे अनुसंधान कार्य के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता क्योंकि इनका संचालन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) व्यावसायिक रूप से अर्हताप्राप्त स्नातकों के लिए उन्नति के कई अवसर हैं जिनमें प्राइवेट प्रेक्टिस, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों में सेवा भी शामिल है।

(घ) मौजूदा संस्थाओं से आने वाली नर्सें आयुर्वेद के लिए भी उपयुक्त हैं।

(ङ) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद अपने साहित्यिक अनुसंधान कार्य के अन्तर्गत औषधों और रोगों पर संदर्भों के एककीकरण के अतिरिक्त पुराने और बहुमूल्य ग्रन्थों का अनुवाद/जांच, सम्पादन, प्रकाशन और माइक्रोफिल्म तैयार करने का कार्य कर रही है।

इस मन्त्रालय के अधीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर नई पुस्तकों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

विवरण

1988 में भारत में सरकारी आयुर्वेदिक कालेजों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद कालेजों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	—
3.	असम	1
4.	बिहार	3
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	4
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू व कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	3
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	7
13.	महाराष्ट्र	5
14.	मणीपुर	—
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	—
18.	उड़ीसा	2
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	1
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	—
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	10
25.	पश्चिम बंगाल	1
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—

1	2	3
27.	चंडीगढ	—
28.	दादरा व नागर हवेली	—
29.	दमन व द्वीव	—
30.	दिल्ली	—
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	—
	भारत	45

रश्मी रेडिएशन स्ट्रलाइजेशन संयंत्र की स्थापना

5883. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किदवाई इन्स्टियूट आफ आनकोलोजी, बंगलौर (किदवई अर्वदशास्त्र संस्थान) ने रश्मी रेडिएशन स्ट्रलाईजेशन संयंत्र खरीद लिया है,

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की कुल लागत क्या है इसे कब लगाया गया था;

(ग) संयंत्र की प्रति वर्ष संचालन लागत क्या है, और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का संचालन लागत का आंशिक भाग वहन करने के लिये वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) इस संस्थान में रश्मि रेडिएशन स्ट्रेरिलाइजेशन संयंत्र 17 फरवरी, 1989 को चालू किया गया था। इस उपस्कर की लागत लगभग 100.00 लाख रुपये है

(ग) इस संयंत्र की प्रचालन लागत लगभग 15.00 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

(घ) जी, नहीं।

हथकरघों सम्बन्धी सर्वेक्षण

5884. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की भूमिका और उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) इस निगम की स्थापना के समय इसके उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत फरवरी, 1983 में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना

एक स्वायत्त निकाय के रूप में की थी। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है : हथकरघा विकास के लिए राज्य हथकरघा अभिकरणों के प्रयासों को बढ़ावा देना, यार्न, रंजक और रसायन आदि जैसे कच्चे माल और अन्य निवेशों, जिनमें आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नत करना शामिल हैं, की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उत्पादकता बढ़ाना। निगम के मुख्य कार्य नीचे दिए गए है :—

(i) हथकरघा बुनकरों के लिए राज्य स्तरीय हथकरघा अभिकरणों के जरिए यार्न, रंजक और रसायन जैसे निवेशों की खरीद और वितरण,

(ii) हथकरघा संवर्धन और विपणन में सहायता देना;

(iii) हथकरघा संवर्धन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे : प्रदर्शनियों में भाग लेना, विपणन सम्बन्धी सेमीनारों का आयोजन करना, क्वालिटी नियंत्रण आदि;

(iv) विज्ञापन, स्लाइड और अन्य साधनों के जरिए बुनकरों में जानकारी का प्रसार।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने अपने आरम्भ होने के समय से ही विभिन्न राज्यों में बुनकर अभिकरणों को यार्न, रंजक और रसायन सप्लाई करके अपने उद्देश्य प्राप्त किए हैं। इसकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ी है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

मूल्य : लाख रुपए में
मात्रा : लाख किग्रा.

वर्ष	यार्न		रंजक एवं रसायन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1984-85	2.49	92.44	—	—
1985-86	20.87	629-75	0.48	58.2
1986-87	28.88	823.00	1.03	132.90
1987-88	63.05	2614.24	2.95	288.24

आवासों की कमी

5885. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान आवासों के निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी थी;

(ख) क्या योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छठी योजना के अन्त में आवासों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से कितनी कम थी और सातवीं योजना के अन्त में वह संख्या कितनी कम होगी तथा शहरी और ग्रामीण आवासों के आंकड़ों का तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सातवीं योजना में आवास को उच्च प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि यह इस तथ्य से पता चलेगा कि आवास में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय को छठी योजना में 1490.87 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सातवीं योजना में 2458.91 करोड़ रुपए कर दिया था।

(ख) आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी-अपनी स्थानीय आवश्यकताओं तथा योजना प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं निष्पादित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित योजनाओं के बारे में जितका-प्रबोधन केन्द्रीय सरकार स्तर पर किया जाता है। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान (28-2-89) तक निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं :

	योजना का नाम	लक्ष्य (लाखों में)	उपलब्धि
1.	आवास स्थलों का प्रावधान (परिवार)	23.64	33.75
2.	निर्माण सहायता (परिवार)	15.52	16.34
3.	इन्दिरा आवास योजना रिहायशी एकक	6.40	4.72
4.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (रिहायशी एकक)	5.18	6.02
5.	निम्न आय वर्ग रिहायशी एकक	0.84	0.94
6.	शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार (मलिन बस्ती निवासी)	60.68	75.55

(ग) 1981 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने देश में 1981 में 233 लाख रिहायशी एककों की कमी होने का अनुमान लगाया था। इस प्रवृत्ति के मुताबिक 1.3.85 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 179 लाख रिहायशी एकक तथा शहरी क्षेत्रों में 81 लाख रिहायशी एककों तथा 1 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 203 लाख एकक तथा शहरी क्षेत्रों में 108 लाख एकक का अनुमान लगाया गया है।

"नो बैन पुट आन किलर दाल" नामक शीर्षक से समाचार

5886. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च, 1989 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "नो बैन पुट आन किलर दाल" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के एक लाख लोग खाड़ी दाल के सेवन संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि हाल ही के वर्षों में स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में भी जहां केसरी दाल उगायी जाती है, लैथिरिज्म के कोई रोगी नहीं हुए हैं। तथापि, मध्य प्रदेश राज्य ने इस विषय के लाभों और हानियों की गहराई से जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है :

एक ही परिसर में राशन कार्ड का अलग-अलग किया जाना

5887. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्य और पूर्ति मडल, एक ही परिसर, विशेष रूप से सरकारी आवास में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए अलग-अलग राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं और इससे उन्हें परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो विद्यमान राशन कार्डों को अलग-अलग न बनाने के क्या कारण हैं; यदि इससे यूनिट नहीं बढ़ते या जाली राशन कार्ड जारी नहीं होते;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन को इस संबंध में कितनी शिकायत प्राप्त हुई थीं; और

(घ) क्या मंडल कार्यालयों को यह निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव है कि सरकारी कर्मचारियों को इस संबंध में परेशान न किया जाए ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी नहीं। अलग अलग राशन कार्ड कुछ शर्तों के अधीन बनाए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य सामग्रियों में रंग और सुगंध मिलाने पर प्रतिबन्ध

5888. **डा. वी. एल. शैलेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या खाद्य सामग्रियों और पेय पदार्थों में सिंथेटिक रंग और सुगंध मिलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित कानून को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक संसद में कब तक पेश किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) खाद्य पदार्थों में रंगों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव की जांच विशेषज्ञों के परामर्श से की जा रही है।

चीन से रेशम का आयात

5889. श्री श्रीकांत वत्त नरसिंहराव वाडियर : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीन से रेशम का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 में कुल कितनी मात्रा में चीन से रेशम का आयात करने का विचार है, और

(ग) वर्ष 1987-88 और 1988-89 में चीन से कुल कितनी मात्रा में रेशम का आयात किया गया, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जनवरी, 1988 में सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड को अपनी कीमत स्थिरीकरण योजना के तहत 100 मी. टन कच्चा रेशम आयात करने की अनुमति दी थी। इसमें से वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 दौरान बोर्ड द्वारा 36 मी. टन की कुल मात्रा का आयात किया गया। वर्ष 1989-90 के दौरान 64 मी. टन की शेष मात्रा का आयात किए जाने की सम्भावना है।

रूई का निर्यात

5890. प्रो. नरायण चन्द पाराशर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदर्न इन्डिया मिल्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस वर्ष एक लाख कपास की गांठों का निर्यात करने की अनुमति देने संबंधी निर्णय की इस आधार पर आलोचना की है कि इससे रूई के मूल्यों में भारी वृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि होगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की यह कार्यवाही करने हेतु विवश होने के क्या कारण हैं और एसोसिएशन की आलोचना पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) मिल उद्योग सामान्यत: रूई के निर्यात के खिलाफ रहा है।

(ख) रूई की उपलब्धता घरेलू बाजार में कीमतों और विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों तथा विदेशी मुद्रा अर्जन के हित में कोटा रिलीज किया गया था।

दुकानों और प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की कार्य करने की परिस्थितियां

5891. प्रो. नरायण चन्द पराशर : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दुकानों सहित उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की कार्य करने की दुखद और खराब परिस्थितियों की ओर ध्यान दिया है जो 20 अथवा इससे अधिक कर्मचारियों की अधिकतम सीमा की अपेक्षा 10 से कम व्यक्तियों को नौकरी पर रखते हैं और वे प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन ने इन कर्मचारियों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां। सरकार को उन लघु प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की दशा की जानकारी है जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम तथा अन्य श्रम कानूनों के अन्तर्गत नहीं आते है।

(ख) और (ग) विभिन्न श्रम कानूनों को धीरे-धीरे 20 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले लघु प्रतिष्ठानों पर लागू किया जा रहा है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की 10-1-1989 से 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाली दुकानों तथा प्रतिष्ठानों पर लागू कर दिया गया है।

पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

5892. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** : मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और भारतीय खाद्य निगम ने वर्षा और सर्दी के मौसम के दौरान पिछड़े पर्वतीय और बर्फ से घिरे क्षेत्रों में खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बार-बार और कभी-कभी लम्बे समय तक होने वाली गड़बड़ी की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कठिन समय के दौरान उक्त क्षेत्रों को नियमित और निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इन सभी क्षेत्रों में ब्लाक मुख्यालयों अथवा केन्द्रीय स्थानों पर सातवीं योजना के दौरान अनेक छोटे गोदामों/भंडारों की स्थापना किए जाने का विचार है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम पिछड़े, पहाड़ी और बर्फ से घिरे इलाकों में खाद्यान्न उपलब्ध करने की ओर विशेष ध्यान दे रहा है। स्टाक का संचलन करने के लिए यथा-व्यवहार्य पेशगी योजना तैयार करने के लिए प्रयास किए जाते हैं ताकि वर्षा और सर्दी के मौसम के दौरान इन इलाकों में पर्याप्त मात्रा में स्टाक उपलब्ध हो।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम कई नोडल स्थानों पर भण्डारण क्षमता का निर्माण करता है। नोडल स्थानों का चुनाव निगम की आवश्यकता और परिचालन संबंधी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टाक का उठान करने, बाद में उसका भण्डारण तथा वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे विशेषतया पहाड़ी, दुर्गम और दूर-दराज के इलाकों के उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त भण्डारण स्थान का निर्माण करें। भारतीय खाद्य निगम भी इस समय असम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा

जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के कुछ पहाड़ी जिलों और दूर-दराज के इलाकों में 1.93 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण कर रहा है।

बच्चों में पोलियो के मामले

5893. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों की तुलना में भारत में बच्चों में पोलियों के मामलों की संख्या बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में इस बारे में सही-सही आंकड़ों का वर्षवार ब्योरा क्या है और इसी अवधि के दौरान एशिया के अन्य विकासशील देशों के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पोलियो के मामलों की संख्या कम करने तथा इस रोग के निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। भारत में बच्चों में पोलियों की घटनाओं की संख्या अधिक है।

(ख) देश में 1985 से 1988 तक पोलियोमाइलाइटिस के रोगियों की संख्या तथा पड़ोसी देशों में 1985 और 1986 में सूचित किए गए पोलियोमाइलाईटस के रोगियों की संख्या नीचे दी गई है :—

भारत में 1985 से 1988 तक पोलियोमाइलाइटिस के रोगियों की संख्या

1985	1986	1987	1988
18111	16550	25886	20881

पड़ोसी देशों में 1985 से 1988 तक पोलियोमाइलाइटिस के रोगियों की संख्या

देश का नाम	1985	1986
बंगलादेश	810	1154
भूटान	2	6
बर्मा	109	91
जनवादी गणराज्य कोरिया	0	0
इन्डोनेशिया	88	24
मालदीव	0	0
मंगोलिया	2	7
नेपाल	30	10
श्रीलंका	11	9

(ग) सरकार ने एक रोग प्रतिरक्षण मिशन बनाया है जिसका लक्ष्य है कि देश में पोलियो-माइलाइटिस की घटनाओं को कम करने के लिए कम से कम 85 प्रतिशत शिशुओं को ओ. पी. वी. की तीन खुराकें दी जाएं। इस रोग प्रतिरक्षण मिशन के जरिए तीव्रीकृत कार्यकलाप के परिणाम-स्वरूप हमने लगभग 63 प्रतिशत शिशुओं को ओ. पी. वी. खुराकों से पहले ही लाभान्वित कर दिया है। लाभान्वित करने का यह स्तर सातवीं योजना में 45 प्रतिशत था तथा सातवीं योजना के अन्त तक यह लगभग 85 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

भारतीय रुई निगम में घाटा

5894. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे;

(घ) क्या भारतीय रुई निगम ने सरकारी ऋण और ब्याज को माफ करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद आलम) : (क) और (ख) भारतीय रुई निगम को पिछले तीन वर्षों 1985-86 से 1987-88 के दौरान 21.9 करोड़ रुपए की निबल हानि हुई है। हानि का मुख्य कारण बैंक ऋणों और सरकारी ऋण पर ब्याज भार था।

(ग) निगम ने ऊपरी लागतों को कम करने के लिए तथा निगम के कार्यकलाप में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं।

(घ) और (ङ) निगम ने अपने पूंजी आधार के पुनर्गठन दिनांक 31.8.1987 तक बकाया सरकारी ऋणों को इक्विटी में बदलने तथा दिनांक 1.9.1987 से कर अवकाश प्रदान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। सरकार ने बकाया ऋणों में से 4 करोड़ रुपए को पहले ही इक्विटी में बदल दिया है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की गृह निर्माण संबंधी गतिविधियां

5895. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम. वी. चंद्रशेखर मूर्ति :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के कम लागत पर मकान निर्माण संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि करने हेतु कोई ठोस कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा परिणामों को लागू करने के विचार से लागत में कमी लाने तथा कम लागत की भवन निर्माण प्रौद्योगिकी का बढ़ावा देने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को सौंपी गई है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का मुख्य कार्य भवन निर्माण डिजाइनों, भवन निर्माण सामग्रियों तथा आवास की अन्य समाजार्थिक मामलों में अनुसंधान तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग करना है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन प्रत्यक्ष रूप से कोई आवास निर्माण गतिविधि आरम्भ नहीं करता है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की प्रयोगात्मक आवासी योजना के तहत 3.09 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर अब तक 45 प्रयोगात्मक परियोजनाएं विभिन्न अभिकरणों द्वारा देश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुहिक प्रदर्शन आवासी परियोजनाओं के तहत, प्रौद्योगिक को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा कि स्थानीय क्षेत्र में उपयुक्त हो, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने अब तक अपने क्षेत्रीय आवास विकास केन्द्रों के माध्यम से 114 परियोजनाएं शुरू की हैं।

भारतीय खाद्य निगम को घाटा

[हिन्दी]

5896. श्री रामपूजन पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को भारी घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पिछले तीन वर्षों का वर्षवार ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एस. बैंठा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्नों की वसूली और उनका वितरण करता है। निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा हैंडल किए जा रहे खाद्यान्नों की लागत को पूर्णतया कवर नहीं करते हैं। सुविचारित सामाजिक नीति के रूप में सरकार द्वारा खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निर्गम मूल्यों के बीच के अन्तर की भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है।

तथापि, निगम को उसके विभिन्न परिचालनों में कुछ हानियां हो जाती हैं जो कि मुख्यतया मार्गस्थ और भण्डारण हानियों के रूप में होती हैं। इस संबंध में 1985-86 से 1987-88 तक के वर्षों से संबंधित संगत विवरण नीचे दिया जाता है :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)
(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	खरीद जमा बिक्री		हानि		खरीदने बिक्री की तुलना में मात्रा के हिसाब से हानि की प्रतिशतता
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1985-86	368.40	7585.01	5.95	136.12	1.62
1986-87	398.96	8949.10	6.51	151.60	16.3
1987-88	407.00	9113.17	7.01	170.78	1.72

"चंद्रपुर, महाराष्ट्र में सुपर ताप विद्युत परियोजना"

[अनुवाद]

5897. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

प्रो. रामकृष्ण मोरे :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में 2000 मेगावाट क्षमता का सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र पर्यावरण बोर्ड ने इस परियोजना को मंजूरी देकर केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए अब तक कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे मन्जूरी कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक मंत्रालय को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति-प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने परियोजना के पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए परियोजना प्राधिकारियों से आवश्यक सूचना तथा कार्य योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रक्रिया के अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी का निर्णय अपेक्षित सूचना के प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर ले लिया जाएगा।

'माइएलजिक एनसेफैलामाइएलाइटिस" रोग का फैलना

5898. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "माइएलजिक एन्सेफैलामाइएलाटिस रोग सम्पूर्ण विश्व में फैल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या भारत में भी माइएलजिक एनसेफैलामाइएलाइटिस रोगी होने के समाचार हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने रोगियों का पता चला है और उनका किन-किन स्थानों पर पता चला; और

(ग) क्या इस रोग के प्रभावी उपचार हेतु कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लहसुन से औषधि तैयार करने सम्बन्धी अनुसंधान

5899. **श्री पी. आर. कुमारमंगलम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फरवरी, 1989 में ल्यूनेबर्ग के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ख) क्या लहसुन के तेल का हृदय रोगियों पर अनुकूल प्रभाव हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो क्या लहसून से औषधि तैयार करने की दृष्टि से कोई अनुसन्धान किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जानवरों पर किए गए अधिकांश अध्ययनों ने पता चलता है कि लहसुन सीरम कोलेस्टराल तथा अन्य लिपिड़ों में कमी कर सकता है और प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन के बढ़ने तथा फाइब्रिनोलिटिक एक्टिविटी और स्कन्दन समय कम होने से रक्षा करता है। किए गए सीमित नैदानिक परीक्षण इन अध्ययनों में जानवरों पर किए गए अध्ययनों के परिणामों की पुष्टि नहीं करते। न तो हाइयोकोले स्ट्रोलिमिक और न ही फाइब्रिनोलिटिक कारक के रूप में लहसुन का कोई लाभदायक प्रभाव देखा गया। औषधीय सम्पाक विकसित करने के उद्देश्य से लहसुन पर आगे कोई अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। एक विख्यात भारतीय फार्मास्यूटिकल फर्म/कम्पनी जिसने सत्तर के दशक के अन्त तथा अस्सी के दशक के आरम्भ में लहसुन का सीरम का निर्माण तथा बिक्री की थी, ने शायद इसकी विषाक्तता के बारे में प्रतिकूल रिपोर्टों के कारण इस सम्पाक को बाजार से हटा लिया है।

2001 ईसवी तक जन्म दर में गिरावट

5900. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की 2001 में जन्म दर घटा कर शून्य स्तर तक की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दीर्घावधि उपाय किये गए हैं; अथवा करने का विचार है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में अन्य बातों के साथ-साथ 2000 ईसवी तक जन्म को घटाकर 21 करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) देश में जन्म दर को कम करने के लिए हमारी एक सुस्पष्ट नीति है जिनमें सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे के जीवित रहने के अवसर बढ़ाने, जनसंख्या शिक्षा तेज करने, लोगों की भागीदारी बढ़ाने, उन्नत संचार नीतियां अपनाने स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने, युवा दम्पतियों और कम बच्चों वाले दम्पतियों

को परिवार नियोजन अपनाने हेतु प्रेरित करके बच्चों के जन्म में अन्तराल रखने वाले तरीके अपनाने पर बल दिया गया है ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए वर्षवार रखा गया परिव्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि
	(करोड़ रुपये में)
1985-86	500.00
1986-87	530.00
1978-88	585.00
1988-89	636.00×
1989-90	653.00

× इससे 35.00 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान भी शामिल है ।

संस्थागत क्षेत्रों का विकास

[हिंदी]

5901. श्री परसराम मारद्वाज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन सम्पदा निदेशालय और भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा कितने संस्थागत क्षेत्रों का विकास किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां भूमि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संस्थाओं को आवंटित की गई है;

(ग) कितने संस्थाओं के आवंटन निरस्त किये गए और उनमें से कितने आवंटन बहाल कर दिए गए हैं; और

(घ) उन संस्थाओं का नाम क्या है जिन्होंने भूमि आवंटन के दस वर्ष बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : सम्पदा निदेशालय अथवा भूमि और विकास कार्यालय द्वारा संस्थागत क्षेत्रों का विकास नहीं किया जाता है । तथापि, भूमि और विकास कार्यालय उन संस्थागत क्षेत्रों का प्रबन्ध करता है जो इसके नियन्त्राधीन भूमि में अवस्थित हैं ।

(ख) संस्थाओं को भूमि का आवंटन पंजीकृत समितियों को जो लाभ-निरपेक्षा स्वरूप की हैं और जो ऐसे आवंटन के मानदण्ड को पूरा करते हैं, को किया जाता है और न समिति की सदस्यता के आधार पर । तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामलों का

प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थानों को रामकृष्ण पुरम, रानी झांसी रोड, करोल बाग और झन्डेवालान में भूमि आवंटित की गई है।

(ग) भूमि और विकास कार्यालय ने सूचित किया है कि कोई भी आवंटन निरस्त नहीं किया गया है परन्तु पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने के कारण कुछ मामलों में भूखंडों का पुनराधिकार कर लिया गया है।

(घ) भूमि और विकास कार्यालय ने सूचित किया है कि निम्नलिखित संस्थाओं ने निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया है :—

(i) सैक्टर—IV, रामकृष्ण पुरम में डा. हार्डिकर फाउन्डेशन।

(ii) सैक्टर—IV, रामकृष्ण पुरम में इन्डियन काउंसिस फार सोशाइटी वैल्फेयर।

(iii) लोधी कालोनी संस्थागत क्षेत्र में इन्डियन इन्स्टीच्यूट आफ आर्किटेक्चर :

दाइयों को प्रशिक्षण

[अनुवाद]

5902. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रशिक्षित दाइयां प्रसव कराती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का दाइयों को प्रशिक्षण देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने कोई योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत इन दाइयों को प्रशिक्षण के पश्चात गांवों में कुछ निश्चित समय कार्य करना पड़ेगा; और

(घ) परम्परागत अप्रशिक्षित दाइयां कितने गांवों में कार्य कर रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव कार्य कर रही दाइयों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। 1974 में इस योजना के आरम्भ से अब तक 5.72 लाख परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षिण के पश्चात ये दाइयां स्वयं अपना कार्य करती हैं।

अनुमान है कि देश के विभिन्न भागों में प्रसव कार्य करा रही अप्रशिक्षित दाइयों की संख्या अभी भी लगभग 1.38 लाख है।

चण्डीगढ़ में बच्चों की मृत्यु

5903. **श्री प्रकाश चन्द** :
श्री एम. रघुमा रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 मार्च, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार

कालाहांडी में जहरीली गोलियां खाने से कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई और अन्य गम्भीर रूप से बीमार हो गए हैं, और यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) जहरीली गोलियां खाने से वास्तव में कितने बच्चों की मृत्यु हुई और कितने प्रभावित हुए; और

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई जांच की गई है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में हथकरघा एकक

5904. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने हथकरघा एकक हैं, इन एककों से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, इन एककों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होता है ;

(ख) कितने नए एकक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ एकक बन्द किए गए हैं, यदि हां, तो उनका वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(घ) राज्य में इस समय हथकरघा उत्पादों का वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का उड़ीसा में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) उड़ीसा के हथकरघा क्षेत्र से संबंधित अन्तरिम गणना आंकड़े नीचे दिये गए हैं :

(1) राज्य में हथकरघों की संख्या :	1,19,005
(2) हथकरघा बुनाई तथा प्रारम्भिक कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या :	2,43,728
(3) हथकरघा फैब्रिकों का मासिक उत्पादन (मीटर में) :	157,53,041

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बुनकरों से सम्बन्धित गणना-आंकड़े संकलित नहीं किये गये हैं। केन्द्रीय सरकार, लगाने के लिए प्रस्तावित एकको और विगत तीन वर्षों के दौरान बन्द हुए एककों से सम्बन्धित जानकारी नहीं रखती है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार हथकरघा उद्योग के विकास और हथकरघा बुनकरों की सामाजिक आर्थिक तथा रहन-सहन की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से उड़ीसा सहित देश के सभी राज्यों में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है :—

(1) हथकरघा बुनकरों को सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिए शेयर पूंजी सहायता ;

(2) करघों के अधुनिकीकरण हेतु सहायता;

(3) राज्य हथकरघा विकास निगमों और हथकरघा सहकारी समितियों को करघा-पूर्व तथा करघा-पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता;

(4) बाजार विकास सहायता योजना;

(5) राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो और अन्य अनुमोदित प्रदर्शनियों में हथकरघा माल की बिक्री पर 20 प्रतिशत की दर से विशेष छूट;

(6) जनता कपड़ा योजना;

(7) ग्रिफ्ट फण्ड योजना;

(8) वर्कशेड-सह-आवास योजना; और

(9) हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के जरिए केवल हथरघा क्षेत्र में ही उत्पादन हेतु 22 मदों का आरक्षण।

लड़कियों और महिलाओं के खराब स्वास्थ्य के कारण

5905. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लड़कियों और महिलाओं के खराब स्वास्थ्य का मुख्य कारण लिंग भेदभाव है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि लड़कियों और महिलाओं के खराब स्वास्थ्य होने में स्त्री-पुरुष भेदभाव का कितना योगदान है। बेहतरीन, महिलाएं, विशेषतया गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं जो कि समाज का एक संवेदनशील वर्ग होती है उन्हें समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत प्रसव-पूर्व, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद, पोषण की कमी के कारण होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम, टैटनस टाक्साइड के टीके, चिकित्सीय गर्भ समापन सुविधाएं, पूरक आहार प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बहु-प्रचार क्रिया-कलापों जैसे रेडियो, टेलीवीजन, पैम्फलेट, पोस्टर आदि के माध्यम से लोगों को स्त्री-पुरुष भेदभाव को समाप्त करने की शिक्षा प्रदान की जा रही है।

"गैंडों की संख्या"

5906. श्री भक्त चरण दास : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय गैंडों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) गैंडे किन-किन स्थानों पर पाए जाते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन स्थानों पर गैंडों की सुरक्षा तथा इनको देखने के लिए पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 1984 की गणना के अनुसार, देश में गैंडों की अनुमानित संख्या 1340 थी। इसके पश्चात कोई गणना नहीं की गई है।

(ख) अधिकांश गैंडे असम के जोरहाट, कामरूप, ग्वालपाड़ा, दरांग और नौगांव जिलों तथा पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले में राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में पाए जाते हैं।

(ग) गैंडों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कुछ कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करना जिसमें इसके शिकार और वाणिज्यिक व्यापार निषिद्ध हैं ;

(2) इन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के रूप में गैंडों के सभी प्रमुख वासस्थलों की संरचना करना;

(3) उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों को सफलतापूर्वक फिर से रखना; और

(4) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "असम में गैंडों का संरक्षण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन।

अच्छी तरह से सुरक्षित गैंडा क्षेत्रों के बड़े पर्यटन स्थल बनाने की सम्भावना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

5907. **डा. टी. कल्पना देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि अनुवर्ती योजनाओं में कम होती जा रही है;

(ख) पांचवीं, छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान किए गए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कमी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान आबंटन बहुत कम है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए बजट आबंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। संलग्न विवरण से पता चलता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजना व्यय का हिस्सा लगभग पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जैसा ही है। सातवीं योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए बजट आबंटन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र की राशि में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

पांचवीं, छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र केन्द्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजना परिव्यय व्यय पर निवेश के पैटर्न का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

अवधि	कुल योजना निवेश परिव्यय (विकास के सभी शीर्ष	स्वास्थ्य कार्यक्रम	परिवार कल्याण	योग 3+4
1	2	3	4	5
पांचवीं योजना	39426.2	760.8	491.8	1252.6
1974-78	(100 प्रतिशत)			(3.2 प्रतिशत)
(वास्तविक)				
छठी योजना				
(1980-81)	109291.7			
वास्तविक	(100 प्रतिशत)	2028.7	1383.5	3412.2
				(3·1 प्रतिशत)
7 वीं योजना	180000.0			
1985-90	(100 प्रतिशत)	3392.89	3256.26	6649.15
परिव्यय				3.7%

भारत के लिए वीसा के इच्छुक विदेशी नागरिकों में एड्स" रोग की जांच

5908. डा. टी. कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावास एड्स रोग के भारत में प्रवेश को रोकने की दृष्टि से भारत आने के लिए वीजा मांगने वालों की इस रोग की दृष्टि से आवश्यक जांच करने के एहतियाती कदम उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) विदेशों में सभी भारतीय मिशनों और पदों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत में एक वर्ष से अधिक अवधि तक ठहरने के इच्छुक सभी विदेशियों/विदेशी पर्यटकों को एच. आई. वी. जांच करवानी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की किसी सहयोगी प्रयोगशाला द्वारा स्वीकार, आगमन से पूर्व एक महीने की अवधि के अन्दर जारी किए गये एच. आई, वी. युक्त प्रमाण पत्र को किया जा सकता है और उस अवस्था में भारत में एड्स की कोई भी जांच करवाना जरूरी नहीं होगा।

विभिन्न मिशनों में कार्य कर रहे विदेशियों और पत्र सूचना कार्यालय के लिए अधिकृत विदेशी पत्रकारों को एड्स की जांच से छूट दी गई है।

केरल में राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में लक्ष्य धनराशि का आबंटन

5910. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का कार्यान्वयन शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आंवंटित की गई थी; और

(घ) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल से सम्बन्धित वार्षिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

मद	लक्ष्य	उपलब्धियां (जनवरी तक)
पता लगाए गए रोगी	8000	7120
उपचार किए गए रोगी	8000	5885
छुट्टी दिए गए रोगी	7000	6466

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये केरल सरकार को वर्ष 1988-89 के दौरान 45.00 लाख रुपये के आवंटन के मुकाबले 55.00 लाख रुपये की नकद सहायता की जा चुकी है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए धन का उपयोग

5911. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिये विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने आबंटित धनराशि में से कितना व्यय किया है ;

(घ) आबंटित धन का पूर्ण उपयोग न करने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या कारण बताये हैं ; और

(ङ) इन कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (ङ) 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए आबंटित धनराशि

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वास्थ्य	परिवार कल्याण
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3400.00	3155.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	286.00	47.64
3.	असम	2550.00	1217.87
4.	बिहार	4515.00	2589.70
5.	गोवा	441.00	60.89
6.	गुजरात	2359.00	2257.98
7.	हरियाणा	1537.00	893.84
8.	हिमाचल प्रदेश	800.00	491.51
9.	जम्मू व कश्मीर	1909.00	469.34

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	2916.00	3420.32
11.	केरल	1400.00	2334.80
12.	मध्य प्रदेश	4500.00	3002.12
13.	महाराष्ट्र	7682.00	3989.81
14.	मणिपुर	350.00	191.14
15.	मेघालय	359.00	141.53
16.	मिजोरम	342.00	59.65
17.	नागालैंड	526.00	104.28
18.	उड़ीसा	1761.00	1935.56
19.	पंजाब	2068.00	1023-39
20.	राजस्थान	3038.00	2286.57
21.	सिक्किम	165.00	97.04
22.	तमिलनाडु	3607.00	3157.13
23.	त्रिपुरा	454.00	174,31
24.	उत्तर प्रदेश	9651.00	5890.33
25.	पश्चिम बंगाल	2390.00	3859.51
	संघ राज्य क्षेत्र		
26.	दमन और दीव	76.40	1.72
27.	पांडिचेरी	250.00	47.70
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	130.00	26.38
29.	चंडीगढ़	200.00	55.35
30.	दादर और नागर हवेली	30·00	11.52
31.	दिल्ली	4300.00	281.50
32.	लक्षद्वीप	26.04	4.08
	अन्य यदि कोई हो	—	—
	भारत योग	64018.44	43274.12

महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

5912. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कामगारों के हितार्थ कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत

अस्पताल और औषधालय खोलने का कोई विचार केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अहमदनगर जिले में वर्ष 1990 तक ऐसे कितने अस्पताल खोले जायेंगे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र में निम्नलिखित स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

स्थान	बिस्तरों की संख्या
बिबेवाड़ी, पूणे	100
चिंचवाड, पूणे	100
कोल्हापुर	100
सांगली	50
औरंगाबाद	100
नासिक	100

इस समय राज्य में कोई औषधालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अभी तक अहमदनगर जिले में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित नहीं की गई है। अतः इस जिले में कोई अस्पताल स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

"महाराष्ट्र में वन कटाई"

5913. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में वन क्षेत्र में कितनी कमी हुई है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने आदिवासी प्रभावित हुए हैं ;

(ग) सरकार इन क्षेत्रों में विशेष रूप से अहमदनगर जिले में वन रोपण और आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र में बीड़ी श्रमिक

5914. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में बीड़ी श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन बड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए कल्याण निधि से कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत जिलावार बीड़ी श्रमिकों के कितने आश्रितों को छात्रवृतियां प्रदान की गई हैं और इसका क्या उद्देश्य है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) महाराष्ट्र में बीड़ी कर्मकारों की कुल संख्या 2.05 लाख है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से खर्च की गई अनुमानित कुल राशि नीचे दी गई है :-

1985-86	—	33.13 लाख रुपये
1986-87	—	42.62 लाख रुपये
1987-88	—	93.64 लाख रुपये

वर्ष 1988-89 के बजट में 154.87 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी।

(ग) तीन वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गई राशि तथा लाभ प्राप्त किए गए बीड़ी कर्मकारों के आश्रितों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	वितरित की गई राशि
1985-86	5,123	16,89,405 रुपये
1986-87	4,894	15,00,000 रुपये
1987-88	5,445	16,99,980 रुपये

छात्रवृत्तियों के लिये वर्ष 1988-89 हेतु बजट में 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। बीड़ी कर्मकारों के उन आश्रितों को, जो स्कूल/कालेजों में पढ़ रहे हैं, सहायता के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

(घ) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा गठित कल्याण निधियों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

5915. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में जिला-वार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) महाराष्ट्र राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना से लाभ उठाने वाले कामगरों की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 10.39 लाख थी ।

विवरण

जिले का नाम	अस्पतालों की संख्या	औषधालयों की संख्या
बम्बई	8	14
नागपुर	1	15
पूणे	1	2
शोलापुर	1	4
नान्देड़	1	2
वर्धा		3
औरंगाबाद		4
चन्द्रपुर		1
अमरावती		1
अकोला		3
नासिक		4
सतारा		1
सांगली		3
कोल्हापुर		4
धुले		3
जलगांव		2
थाने		1
कुल	11	67

"वन (संरक्षण) अधिनियम के अधीन सिविल कार्यों को" करना

5916. श्री हरीश रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमित किये जाने से पूर्व मन्जूरी प्राप्त सिविल कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए इसे इस अधिनियम के अन्तर्गत मन्जूरी प्राप्त करना आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधित अधिनियम में ऐसा प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) यदि वन भूमि का उपयोग वनेत्तर प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केन्द्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत उस कार्य के लिए भी मंजूरी लेनी जरूरी होगी जिसको 1980 से पूर्व स्वीकृत किया गया था किन्तु जिसको वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने की तारीख को कार्यान्वियन के लिए हाथ में नहीं लिया गया था अथवा पूरा नहीं किया जा सका था।

"उत्तर प्रदेश में पेयजल योजनाओं को मंजूरी"

5917 **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पचास लाख रुपये की लागत से भी कम राशि की आरम्भ की जाने वाली पेयजल योजनाओं के लिए भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक ;है

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों से 1980 से अब तक निर्माण कार्य आरम्भ करने की मंजूरी प्राप्त करने की कितनी ऐसी योजनायें सरकार को प्राप्त हुई;

(ग) क्या ऐसे सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो लम्बित प्रस्तावों और रद्द किये गए प्रस्तावों का जिलेवार ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. कुल 105 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 84 प्रस्तावों को मंजूर कर दिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर किए गए प्रस्तावों की जिलेवार सूची।

जिला	संख्या
अल्मोड़ा	12
चमोली	1
नैनीताल	2
पौड़ी	3
	18

3. अल्मोड़ा जिले के केवल तीन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाना है।

चीनी का उत्पादन

[अनुवाद]

5918. श्री जी. एस. बासवराजू :

श्रीमती बसवाराजेश्वरी : क्या श्रम मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग मे वेतन वृद्धि सम्बन्धी वार्ता में गतिरोध उत्पन्न होने से चीनी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से बचने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ग) मजदूरी में कोई गतिरोध नहीं है। तीसरे चीनी उद्योग मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट संबंधित केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए भेज दी गई हैं। सरकार उनके विचार प्राप्त होने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है।

यमुना विहार में नालियों का निर्माण

5919. श्री राजकुमार राय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन को यमुना विहार की आवासीय कालोनी में नालियों और पुलियों के त्रुटिपूर्ण डिजाइन और निर्माण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नालियों और क्रास नालियां बनाने संबंधी कार्यों की दोष रहित योजना बनाकर उन्हें पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) (क) जी, हां।

(ख) यमुना विहार में, 3 ब्लाक अर्थात ए, बी, तथा सी को प्लाटिड विकास के रूप में निर्मित किए जाने थे। इस क्षेत्र पर अनधिकृत कालोनियों के निर्माण होने के कारण "ए" ब्लाक का निर्माण नहीं किया जा सका। सम्पूर्ण यमुना विहार की नाली अर्थात् ब्लाक ए, बी तथा सी के लिए नाली की आयोजना की गई थी। दिल्ली नगर निगम द्वारा यह योजना अनुमोदित की गई थी। अतिक्रमणों के कारण, ब्लाक "बी" की नाली को ब्लाक "सी" तक मोड़ा जाना था। अनुमोदित संशोधित योजना के अनुसार, पम्पिंग स्टेशन को ब्लाक "बी" में बनाया गया था और ब्लाक "बी" का सम्पूर्ण निपटान पम्प द्वारा ब्लाक "सी" के एस. डब्ल्यू. नालियों में डाला गया था।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विद्यमान वाली योजना दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित थी और यह दोष मुक्त थी। केवल ब्लाक "बी" में पम्पिंग क्षमता को बढ़ाया जाना है ताकि व्यस्ततम मानसून ऋतू में पानी खड़ा न हो। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फरवरी, 1989 में यमुना विहार की बरसाती पानी की नाली पद्धति को दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया गया हैं।

"यमुनापार की कालोनियों में पर्यावरणीय प्रदूषण"

5920. श्री राजकुमार राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की यमुना पार की कालोनियों में पर्यावरणीय और भूमिगत जल के प्रदूषण के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण और वन मंत्रालय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री शियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) यमुनापार की कुछ कालोनियों में भूमिगत जल के प्रदूषण के परिणामस्वरूप पेयजल के संदूषण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं।

जल-मल व्ययन व्यवस्था

5921. श्री राजकुमार राय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का रोहिणी आक्सीकरण तालाब से जल-मल को संबद्ध सहायक नाले में डालने का प्रस्ताव था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुदेश दिया था कि इस व्यवस्था को यमुना विहार और नेहरू विहार में भी लागू करने के लिए ऐसे अन्य मौजूदा निर्माण कार्यों की प्रभावकारिता और कार्यकुशलता की दृष्टि से केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड से जांच करायी जाए, यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं;

(ग) उक्त जल-मल व्ययन व्यवस्था से भूमिगत जल और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) इन निर्माण कार्यों की लागत कितनी है और ये निर्माण किन तिथियों पर पूरे होंगे।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जब तक स्थायी मल-निर्यास व्यवस्था आरम्भ नहीं हो जाती है, तब तक सैक्टर 18 से 2000 मकानों के निस्त्रावों का आक्सीकरण तालाबों द्वारा अनुपूरक नाले में निपटारे के लिए मई/जून, 88 में एक प्रस्ताव चलाया गया था।

(ख) जी, हां। हालांकि ऐसी कोई जांच अभी तक नहीं करवाई गई है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ऊपर उल्लिखित व्यवस्था से प्रदूषण नियंत्रित नहीं करता है। हालांकि वह स्थायी मल निर्यास व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहा है जो कि समस्त मल प्रणाली को, रिठाला शोधन संयंत्र तक पहुंचाएगा जो कि पहले से ही समस्त रोहिणी क्षेत्र के लिए चालू है।

(घ) स्थायी मल निर्यास व्यवस्था की लागत 3 करोड़ रुपये आंकी गई हैं तथा इस कार्य के 2-3 वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना विहार में नालियों को आपस में जोड़ना

5922. **श्री राजकुमार राय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास ने यमुना विहार की जल विकास नालियों का निर्माण किया है;

(ख) क्या आस-पास के अनधिकृत कालोनियों की गन्दी नालियों को यमुना विहार के वर्षा के पानी की नालियों के साथ जोड़ा गया है;

(ग) क्या वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत गन्दी नालियों और वर्षा के पानी की नालियों को आपस में जोड़ने की इजाजत है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अस्थायी जल निकास नालियों की व्यवस्था की गई है जबकि बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा 2 स्थायी जल निकास नालियों का निर्माण किया जाना है जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास 4 लाख रुपये जमा करा दिए हैं।

(ख) जी, हां। पड़ौसी अनधिकृत कालोनियों की मल जल नालियां आंशिक रूप से यमुना विहार कालोनी के सीवर में और आंशिक रूप से बरसाती पानी की नालियों से जुड़ी हुई हैं :

(ग) जी, नहीं। मानदंडों के अनुसार मल जल नालियों और बरसाती पानी की नालियों को आपस में जोड़ना अनुमेय नहीं है।

(घ) इस मामले को दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के ध्यान में लाया गया है। दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को यह सूचित करने को कहा है कि पड़ोसी अनधिकृत कालोनियों के मल जल नालियों को आंशिक रूप से यमुना विहार कालोनी के बरसाती पानी की नालियों के साथ क्यों मिलाया गया है।

मेडिकल स्टोर डिपो

5923. **श्री सोमनाथ रथ** :

श्री चिंतामणि जेना :

श्री मोहन भाई पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी मेडिकल स्टोर डिपुओं की वर्तमान संख्या क्या है और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक डिपो से कितने क्षेत्र में दवाएं सप्लाई की जाती हैं;

(ग) क्या प्रतिबंधित दवाएं अभी भी डिपुओं में रखी जा रही हैं; और

(घ) क्या भण्डारण स्थल की कमी के कारण दवाएं खुले में रखी जा रही हैं; और यदि हां तो स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) (क) बम्बई कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, गुवाहाटी, करनाल और नई दिल्ली में 7 सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार हैं।

(ख) प्रत्येक डिपो देश भर में संबंधित डिपुओं के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित मांगकर्ताओं, (जिनमें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अस्पताल और औषधालय शामिल हैं) को औषधियों की आपूर्ति करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कुछ डिपुओं में भण्डारण स्थान की कमी होने के कारण सामग्रियों को खुली जगहों पर रखा जाता है जिन्हें ढकने की अस्थायी रूप से व्यवस्था की जाती है और उन्हें उपयुक्त प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है। सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, गुवाहाटी के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है : अन्य डिपुओं के लिए नए भवनों के प्रस्ताव जहां आवश्यक है, विचार करने के लिए प्रस्तुत किए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों का तबादला

5924. **श्री हरिहर सोरन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही स्थान पर निर्धारित समय सीमा के पश्चात भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुछ अधिकारी विशेषकर दिल्ली और पंजाब से अपने तबादले से बचने की कोशिश कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है; और

(ग) नियमों के अनुसार उनके तबादले के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, नहीं। तथापि, कुछ अधिकारी हैं जिन्हें या तो प्रशासनिक आवश्यकताओं या अन्य यथार्थ कारणों से निर्धारित अवधि पूरे करने पर अन्य स्टेशनों पर स्थानांतरित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में नये अस्पतालों की स्थापना

5925. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं, और

(ग) वर्ष 1989-90 में दिल्ली में वर्तमान अस्पतालों के विस्तार और नये अस्पताल स्थापित करने हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) दिल्ली में नई कालोनियों की तेजी से हो रही वृद्धि और जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में 9 नए अस्पताल खोलने की योजना बनाई है।

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए रखी गई राशि इस प्रकार है :—

(1) मौजूदा अस्पतालों के विस्तार के लिए :—3387.00 लाख रुपये

(2) नए अस्पताल खोलने के लिए—438.00 लाख रुपये

"सिल्वी पैस्टारल बागान संबंधी कार्यक्रम"

5926. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सिल्वी पैस्टारल-बागान सम्बन्धी योजना लागू कर रही है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना के लिए राज्य के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वर्ष 1986-87 से सिल्वी चरागाह विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 में उड़ीसा सरकार ने उक्त परियोजना के अधीन 5 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था जो कि राज्य सरकार को दे दी गई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से अन्य कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

"भीतरी हिमालय में भू-स्खलनों के बारे में अध्ययन"

5927. **श्रीमती डी. के. भंडारी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड ने भीतरी हिमालय में भू-स्खलनों के बारे में अध्ययन किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन रोकने के लिए की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या ऐसे अध्ययन सिक्किम में भी किये गये हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जलपाईगुडी उपक्षेत्रीय कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

5928. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता के अन्तर्गत जलपाईगुडी में खोले गए नए

उपक्षेत्रीय कार्यालय में गत कुछ महीनों से लगभग दो लाख श्रमिकों के खातों में प्रविष्टियां न किए जाने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया कार्य को अविलम्ब पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में नालों का निर्माण

5929. **डा. वी. एल. शैलेश** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग को राजधानी के विभिन्न भागों में बनाए जा रहे नए पुनर्वास क्षेत्रों अथवा आवासीय परिसरों में खुले नालों का निर्माण न करने के निर्देश दिए थे जैसाकि 13 मई, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के गुलाबी बाग जैसे आवासीय परिसरों में खुले नाले बहते रहते हैं जिससे विशेष रूप से शून्य आबंटितियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरा बना हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने अप्रैल, 1988 में ये निर्देश जारी किए थे कि भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नालों को ढक दिया जायेगा। गुलाबी बाग में जो बरसाती पानी के नाले हैं, इन निर्देशों के जारी होने से पहले बनाए गए थे। जो निवासी गन्दे पानी को नाले में डाल रहे हैं उन्हें इलाके में स्वच्छता स्थिति को बनाए रखने के लिए इस आदत से बचना होगा।

वसन्त विहार में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय द्वारा बिजली की खपत

5930. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसन्त विहार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग परिसर, नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय बिना कोई मीटर लगवाए बिजली का उपयोग कर रहे हैं यदि नहीं, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास प्रतिभूति राशि किस तारीख को जमा की गई थी और मीटर किस तारीख को लगाए गए थे;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में लगाए गए नलकूप/पम्प सैट आदि भी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का मीटर लगवाए बिना कार्य कर रहे हैं; यदि नहीं, तो प्रत्येक नलकूप/पम्प सैट के लिए

मीटर लगवाने हेतु दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास प्रतिभूति राशि किस-किस तारीख को जमा की गई थी और ये मीटर वस्तुतः किस तारीख को लगाए गए थे;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक (निर्माण) और मुख्य इन्जीनियर (सतर्कता) की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी कनिष्ठ इन्जीनियरों/सहायक इन्जीनियरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) एक शिकायत प्राप्त हुई और जांच करने पर पता चला कि किसी पम्प या ट्यूबवैल या पूछताछ कार्यालय में बिजली का किसी प्रकार का अनधिकृत कनेक्शन नहीं था। इसलिए किसी कनिष्ठ इन्जीनियर सहायक इन्जीनियर के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं था।

विवरण

परिसर/उपस्कर का नाम	धरोहर राशि जमा करने की तारीख	मीटर के कनेक्शन की तारीख
1. पूछताछ कार्यालय, ट्यूबवैल और बूस्टर के लिए स्थायी कनेक्शन	फरवरी, 86	मार्च, 86
2. निम्नलिखित के लिए स्थायी कनेक्शन		
(i) ट्यूब वैल नं. 1	जुलाई, 86	अगस्त, 86
(ii) ट्यूब वैल नं. 2, 3 और 4	अगस्त, 86	मई, 88
(iii) ट्यूब वैल नं. 5 और 6	नवम्बर, 87	मई, 88
(iv) बूस्टर पम्प	अप्रैल, 87	नवम्बर, 88
3. पूछताछ कार्यालय के लिए स्थायी कनेक्शन	24 फरवरी, 89	13 मार्च, 89

"वन क्षेत्र"

5931. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी ने उपग्रह सर्वेक्षण के द्वारा यह पता लगाया है कि देश का वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 23 प्रतिशत के पूर्व अनुमान की तुलना में केवल 11 से 12 प्रतिशत तक ही है;

(ख) यदि हां, तो वन क्षेत्र के अन्तर्गत कवर की गई भूमि की राज्यवार प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या वन क्षेत्र में प्रति वर्ष कमी होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) देश में 1981-83 में उत्तम वन क्षेत्र (40 प्रतिशत से अधिक सघनता वाला) कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11 प्रतिशत था। इसी अवधि में दर्ज किया गया वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 22.7 प्रतिशत था।

(ख) वनावरण के अन्तर्गत क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) 1980-88 के बीच प्रति वर्ष औसतन लगभग 15,000 हैक्टेयर भूमि को वनेतर प्रयोजनो के लिए उपयोग में लाया गया।

विवरण

भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा मूल्यांकन किए गए वन क्षेत्र (1981-83) का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.)	वन क्षेत्र (वर्ग किमी.) (10% से अधिक सघनता)	भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	276820	50194	18.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	83580	60500	72.38
3.	असम	78580	26386	33.57
4.	बिहार	173880	28748	16.53
5.	गोआ (दमन और दीव सहित)	3810	1285	33.72
6.	गुजरात	195980	13570	6.92
7.	हरियाणा	44220	644	1.46
8.	हिमाचल प्रदेश	55670	12882	23.14
9.	जम्मू व कश्मीर	222240	20880	9.39
10.	कर्नाटक	191770	32264	16.82
11.	केरल	38870	10402	26.76
12.	मध्य प्रदेश	442840	127749	28.85
13.	महाराष्ट्र	307760	47416	15.41
14.	मणिपुर	22360	17679	79.06
15.	मेघालय	22490	16511	73.41

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	21090	19092	90.52
17.	नागालैंड	16530	14351	86.82
18.	उडीसा	155780	53163	34.13
19.	पंजाब	50360	766	1.52
20.	राजस्थान	342210	12478	3.64
21.	सिक्किम	7300	2839	38.89
22.	तमिलनाडु	130070	18380	14.13
23.	त्रिपुरा	10480	5743	54.79
24.	उत्तर प्रदेश	294411	31443	10.67
25.	पश्चिम बंगाल	87850	8811	10.03
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	8290	7603	91.71
27.	चन्डीगढ़	114	2	1.75
28.	दादर और नगर हवेली	490	237	48.36
29.	दिल्ली	1490	15	1.01
30.	लक्षद्वीप	30	—	—
31.	पांडिचेरी	492	8	1.62
	कुल :	3287797	642041	
	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत			19.52%
	कुल .	328.78 मिलियन हैक्टेयर	62.20 मिलियन हैक्टेयर	

सुपर बाजार के कर्मचारियों की संख्या

[हिन्दी]

5932. **श्री सरफराज अहमद :**

श्री एस. डी. सिंह :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार, दिल्ली के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से, श्रेणीवार, कितने कर्मचारी स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं ।

(ग) किसी कर्मचारी को स्थायी घोषित करने के लिए उसके द्वारा कितना सेवाकाल पूरा किया जाना आवश्यक है;

(घ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो भविष्य निधि में अन्शदान कर रहे हैं, किन्तु अभी अस्थाई हैं;

(ङ) क्या पदोन्नति स्थायी किए जाने आदि के संबंध में सुपर बाजार के कर्मचारियों पर वही नियम लागू होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो पर लागू होते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो सुपर बाजार के कर्मचारियों पर क्या नियम लागू होते हैं ;

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) और (ख) सुपर बाजार में 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या 2365 थी, जिसमें से 413 दिहाड़ी पर, 4 प्रतिनियुक्ति पर तथा शेष 1948 स्थाई कर्मचारी हैं ।

(ग) सुपर बाजार, दिल्ली के अनुसार, अस्थायी/दिहाड़ी कर्मचारियों को सेवाओं को, भंडार की आवश्यकता के अनुसार तथा उनके कार्य तथा आचरण को संतोषजनक पाए जाने पर सुपर बाजार द्वारा नियमित कर दिया जाता है ।

(घ) 385

(ङ) और (च) जी नहीं। सुपर बाजार दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के तहत पंजीकृत एक सहकारी भण्डार है। सुपर बाजार के कर्मचारी, सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा बनाए गए सेवा तथा आचरण नियमों और भर्ती व पदोन्नति नियमों द्वारा शासित होते हैं ।

सर्व प्रिय को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी की वार्षिक आम बैठकें

[अनुवाद]

5933. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावनि** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 और 1988 के दौरान सर्वप्रिय को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी वार्षिक आम बैठकें संबंधित अधिनियम के उपबंधों तथा नियमों के अनुसार आयोजित की गई हैं;

(ख) क्या इन बैठकों में वार्षिक रिपोर्टों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं पर विचार किया गया;

(ग) क्या ये बैठकें दिल्ली सरकारी समिति अधिनियम. 1972 के उपबंधों के अनुसार सहकारी समिति पंजीयक, दिल्ली के प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में आयोजित की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट बैठकों में पढ़ी गई या पढ़ी गयी के रूप में सम्पादित की गई थी तथा रिपोर्टों को आम सभा (जनरल बाड़ी) की बैठकों में विचार-विमर्श के लिए रखा गया था। लेखापरीक्षक द्वारा लेखा परिक्षित आय और व्यय के लेखे आम सभा की बैठकों में विचार-विमर्श के लिए रखे गए थे।

(ग) जी, नहीं। दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 31 (1) के अन्तर्गत सहकारी आवास समितियां नहीं आती हैं जिसके अन्तर्गत चुनाव एक निर्वाचन अधिकारी की देख-रेख में सम्पन्न किये जाने होते हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सम्पदा निदेशालय द्वारा बारी से पूर्व आवंटन में अनियमितताएं

5934. **श्री डाल चन्द जैन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय द्वारा बारी से पूर्व आवंटन में अनेक अनियमिततायें बरते जाने, में बारी से पूर्व आवंटन के जाली पत्र जारी किये जाने/अनधिकृत रूप से मकान आगे किराये पर देने के मामलों में कार्यवाही न किये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है और यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्टों अथवा अन्य आधार पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन मामलों के संबंध में एसोसिएशनों/क्षेत्रों कल्याण अधिकारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन भारी अनियमितताओं की जांच के लिए कोई निष्पक्ष एजेंसी नियुक्त की गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि विभिन्न सहकारी कालोनियों में एस्टेट सक्रिय हैं जो सरकारी मकानों को व्यवसायी वर्ग को आगे किराये पर देने का धन्धा करते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, बिना बारी के जाली आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार एक शिकायत अनधिकृत उप किरायेदारी के विरुद्ध कार्रवाई न करने के बारे में प्राप्त हुई थी।

(ख) जाली आवंटन से सम्बन्धित शिकायतें सी. बी. आई. को भेज दी गई थी और आगामी कार्रवाही उनकी रिपोर्ट के अनुसार की गई है।

(ग) उप किरायेदारी की ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(घ) ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल सामान्य नियमों के अनुसार की जाती है। यदि आवश्यक समझा जाता है, तो किसी बाह्य एन्जेसी को लगाया जाता है।

(ङ) एक सरकारी कालोनी में से एक कालोनी में दलालों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के बारे मे एक शिकायत मार्च, 1986 में प्राप्त हुई थी।

(च) यह मामला सी. बी. आई. को भेजा गया था।

"वन क्षेत्र"

5935. डा. बी. एल. शैलेश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान समय में पर्यावरण की बिगड़ती हुई स्थिति और वनों के विनाश तथा वन उत्पादों की मांग और सप्लाई के बीच बढ़ते हुए अन्तर को ध्यान में रखते हुए देश में वन रोपण-पोषण के कार्यों में सुधार करने, वनों के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करने तथा वन सम्पदा से उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कोई नीति तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी पूंजी लागत आयेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1988 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण और विकास तथा वन संसाधनों के और अधिक ह्रास को रोकने पर अधिक बल दिया गया है। वनों के संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में भी संशोधन किया गया है। वननाशन को रोकने, वन क्षेत्र में वृद्धि करने और वन उत्पादों की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अन्तराल को पाटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सातवीं योजना में वनरोपण के लिए निर्दिष्ट परिव्यय 1859.10 करोड़ रुपए है।

विवरण

वनवासन रोकने, वन क्षेत्र में वृद्धि करने और वन उत्पादों की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते हुए अन्तराल को पाटने के लिए उठाए गए कदम :

1. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह उल्लेख किया गया है कि कुल भूमि के एक तिहाई भाग में वृक्षावरण का राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। चराई, अग्नि और अनाधिकार प्रवेश से वनों की सुरक्षा के लिए इसमें विशेष उपबन्ध हैं।

2. गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था। 1988 में इसमें संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है।

3. वनों की सुरक्षा हेतु आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों की सहायता हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है।

4. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईन्धन की लकड़ी के प्रतिस्थापन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है।

5. पैकिंग, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

6. वन उत्पादों के लिए आयात नीति को उदार बना दिया गया है।

7. लकड़ी के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

8. झूम खेती को नियन्त्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

9. वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए जाते हैं :—

(1) प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य बागवानी दृष्टिकोणों से, इस प्रकार की कटाई अपरिहार्य हो वहां पहाड़ों पर इसका क्षेत्र 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

(3) पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें वनों की कटाई से सुरक्षा करने और तत्काल व्यापक वृनरोपण की जरूरत है।

(4) 4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीव मंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।

(5) दावानल से वनों की सुरक्षा के लिए विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं।

10 देश में लोगों की भागीदारी से ईन्धन की लकड़ी और चारे की पौधरोपण के लिए गहन वनरोपण कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु 1985 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी।

11 सरकार द्वारा अनुमोदित प्रबन्ध योजना जिसे एक निर्धारित आकार में होना चाहिए और जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप होनी चाहिए, के बिना किसी वन में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

12 उत्पादन वानिकी कायक्रम का लक्ष्य ईन्धन की लकड़ी की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते हुए अन्तराल को कम करने के लिए होना चाहिए।

13 वनों पर विद्यमान दबाव कम करने के लिए वनों की उत्पादकता में वृद्धि करनी चाहिए।

कर्नाटक को चावल और चीनी की सप्लाई

5936. **श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कर्नाटक को वर्ष 1988-89 के दौरान प्रतिमास कितनी मात्रा में चावल और चीनी सप्लाई किए जाते हैं;

(ख) राज्य को वास्तव में ये मदें कितनी मात्रा में चाहिए; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आगामी उत्सव को देखते हुए राज्य को मार्च, 1989 से चावल और चीनी का अतिरिक्त कोटा देने का विचार है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति राज्यमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं और ये केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किये जाते हैं। त्यौहारों के लिए लेवी चीनी का कोटा सामान्यतया अक्तूबर/नवम्बर के दौरान निर्मुक्त किया जाता है और कर्नाटक को तदनुसार 1988 में उपर्युक्त महीनों के प्रत्येक मास के लिए उनके हिस्से के रूप में 2675 मीटरी टन की मात्रा आवंटित की गई थी।

विवरण

1988-89 के दौरान कर्नाटक के सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल चीनी की मांग और आवंटन

(हजार मीटरी टन में)			(हजार मीटरी टन में)	
मास	चावल		चीनी	
	मांग	आवंटन	मांग	आवंटन
अप्रैल, 1988	75.0	55.0	कर्नाटक को 1-10-1986 की स्थिति	
मई, 1988	75.0	55.0	के अनुसार परियोजित जनसंख्या	
जून, 1988	75.0	45.0	के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति	
जुलाई, 1988	75.0	45.0	मास के एक-समान मानदण्ड के	
अगस्त, 1988	75.0	45.0	आधार पर फरवरी, 1987 से प्रति	
सितम्बर, 1988	75.0	45.0	मास 17769 मीटरी टन लेवी चीनी	
अक्तूबर, 1988	75.0	50.0	का आवंटन किया जा रहा है और	
नवम्बर, 1988	75.0	50.0	राज्य सरकार से उनकी मांग	
दिसम्बर, 1988	75.0	50.0	आमन्त्रित नहीं की जाती है।	
जनवरी, 1989	75.0	50.0	उपर्युक्त के अलावा कर्नाटक सरकार	
फरवरी, 1989	75.0	40.0	को अक्तूबर, 1988 के प्रत्येक महीने	
मार्च 1989*	75.0	40.0	के लिए त्यौहार कोटे के रूप में	
			2675 मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित	
			की गई थी।	

खुले बाजार में तथा उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर

5937. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में तथा उचित दर की दुकानों के द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में बहुत कम अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम-स्वरूप राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तुएं कम मात्रा में ली गई; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने तथा उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का अनाज उचित दरों पर उपलब्ध करवाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री. डी. एल. बैठा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार भारी मात्रा में राज-सहायता देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं को निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप किस्म वाले गेहूं तथा चावल उचित दरों पर मुहैया कर रही है।

आठवीं योजना में हथकरघा उद्योग का विकास

[हिन्दी]

5938 **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वस्त्र उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा उद्योग विकास के अर्थोपायों पर विचार करने के लिए गठित उपसमिति का प्रवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस प्रतिवेदन में क्या सुझाव दिये गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) हथकरघा पर उप समिति की रिपोर्ट में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए वैकल्प रणनीति पर जोर है, जिसमें शामिल है सुपर्दगी पद्धतियों पूरी रद्दोबदल और स्कीमों के रूप विन्यास की पूरी तरह ऐसी पुनः संरचना जिसमें लाभ भोगी बुनकर की सम्पूर्ण योजना प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु माना जाए। रिपोर्ट में कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वियन और मानीटरिंग में व्यवसायिक दृष्टिकोण पर भी जोर दिया गया है। योजनाओं की रचना और कार्यान्वियन में उप समिति ने "परियोजना पैकेज" "कल्याण पैकेज" और 'संगठन विकास पैकेज" नामक तीन भिन्न एकीकृत पैकेजों के अन्तर्गत काफेटेरिमा दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है।

दिल्ली में आंत्र शोथ प्रकोप की रोकथाम के लिए उपाय

[अनुवाद]

5939. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि::

(क) क्या दिल्ली में आंत्रशोथ रोग तेजी से फैल रहा है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में आंत्रशोथ रोग के फैलने को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) गुरु तेग बहादुर अस्पताल और लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आंत्रशोथ के रोगियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अन्य अस्पतालों से भी पिछले वर्ष की तुलना में आंत्रशोथ रोगियों की संख्या में वृद्धि होने की सूचना नहीं मिली है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली ने इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए 17-3-1989 को नई दिल्ली में कुछ मुख्य अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ एक बैठक की।

दिल्ली प्रशासन, इस रोग को दिल्ली में फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय कर रहा है। किसी भी अस्पताल से हैजा और आंत्रशोथ के उपचार के लिए औषधों की कमी की सूचना नहीं मिली है।

ब्रिटिश मेडिकल कांउसिल द्वारा भारतीय मेडिकल डिग्रियों की मान्यता रद्द किया जाना

5940. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश मेडिकल काउन्सिल ने भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली मेडिकल डिग्रियों की मान्यता रद्द कर दी है और जिसके परिणामस्वरूप मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया को भी ऐसा ही करने के लिए बाध्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि यूनाइटेड की जनरल मेडिकल काउन्सिल ने मई, 1975 में भारतीय चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता एक तरफा वापस ले ली है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने इस मामले पर नवम्बर, 1985 में विचार किया और 12 नवम्बर, 1975 को या उसके बाद प्रदान की जाने वाली ब्रिटिश चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता वापस लेने का निर्णय किया। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश चिकित्सा अर्हता प्राप्त कर चुके भारतीय डाक्टरों द्वारा भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए ब्रिटिश चिकित्सा अर्हताओं को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल किया गया था और उन्हें 11 नवम्बर 1978 को या इससे पहले मान्यता प्राप्त अर्हता माना गया यदि वे केवल भारतीय नागरिकों द्वारा प्राप्त की गई हों।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मासिस्टों की शिकायतों के बारेमें एक समिति का गठन

5941. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के फार्मासिस्टों की शिकायतों की जांच

करने के लिए कोई समिति गठित की थी, यदि हां, तो कब और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो कब तक तथा समिति द्वारा क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ग) कार्यान्वित की गई और कार्यान्वयन के लिए लम्बित पड़ी सिफारिशों का अलग-अलग ब्योरा क्या है; और

(घ) लम्बित सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्यरत फार्मासिस्टों सहित ख, ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा करने के लिए एक संवर्ग, समीक्षा समिति गठित की गई है। समिति की सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही प्रगति पर है। इन सिफारिशों को सही-सही किस तारीख तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है, बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करना जरूरी है।

आन्ध्र प्रदेश में बीड़ी का उत्पादन करने वाले एकक

5942. **श्री सी. सम्बु** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत फर्मों की श्रेणी के अन्तर्गत बीड़ी का उत्पादन करने वाले कितने एकक हैं; और

(ख) इन एककों में से कितने बीड़ी मजदूरी हैं, जो न्यूनतम मजदूरी लागू किए जाने के पात्र हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) (क) और (ख) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अधीन 5,516 बीड़ी प्रतिष्ठानों को लाइसेंस प्राप्त हैं इस प्रतिष्ठानों में कर्मकारों की संख्या लगभग 2.35 लाख है तथा ये सभी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं।

दिल्ली में "फास्ट फूड" वाहन

5943. **डा. जी. विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चलाए जा रहे 50 प्रतिशत "फास्ट फूड" वाहनों के पास वैध लाइसेंस नहीं हैं और वे घटिया खाद्य सामग्री बेचते हैं ;

(ख) क्या अधिकांश "फास्ट फूड" वास्तव में "जंक फूड" होते हैं जिनमें न्यूनतम पौष्टिक तत्व भी नहीं होते हैं ;

(ग) क्या सरकार का इन विक्रेताओं द्वारा बेचे गए खाद्य की गुणवत्ता से संबंधित मामले की जांच करने तथा उचित स्वास्थ्य स्थिति सुनिश्चित करने और जन स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न खतरे से निपटने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का दूरदर्शन प्रकाशवाणी पर इनके विज्ञापनों पर रोक लगाने का विचार है जिससे असंदिग्ध उपभोक्ता विशेष रूप से बच्चे इन संदेहस्पद प्रचार से आकर्षित न हों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार दिल्ली में 122 गश्ती खान-पान वाहन कार्यरत हैं। इनमें से 185 लाइसेंसशुदा हैं, 14 बिना लाईसेंस के हैं तथा 6 वाहन न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों के तहत चल रहे हैं।

वर्ष 1988 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन वाहनों से नमूने लिए गए थे। जिनमें से एक नमूना मिलावटी पाया गया था विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन का इन गश्ती खान-पान वाहनों द्वारा बेची गई खाद्य सामग्रियों के यादृच्छिक नमूने लेने का विचार है।

(घ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, जैसाकि मैंने समझा है कल आपने दसवीं अनुसूची के उद्देश्य से जनता दल को मान्यता देने की घोषणा की थी। यहां यह स्पष्ट किया जाए कि क्या जनता दल को इस सभा के नियमों के अन्तर्गत संसदीय दल या एक संसदीय गुट के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यह केवल दसवीं अनुसूची के उद्देश्य के लिए है जो दल बदल विरोधी कानून है। अन्यथा यह आभास हो रहा है कि उन्हें एक संसदीय दल के रूप में मान्यता दे दी गई है। उनके पास 55 सदस्य नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है कि 55 तो तब होता है जब अपोजीशन रिकगनाइज हो और उसको स्टैट्स मिलता हो, तो उसमें 50-55 होता है। ऐसा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक : संसदीय दल के लिए उनकी संख्या 55 होनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने जो किया है, वह आप पढ़िये। उसमें हमने पूरा ब्योरा दिया है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है,

[अनुवाद]

इसमें सब कुछ स्पष्ट किया गया है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मन्त्रिमंडल के एक सदस्य श्री दास मुन्शी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु के खिलाफ एक आक्षेप लगाया था। उन्होंने कल वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते समय इसी आरोप को फिर दोहराया था···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करिए, एक आदमी बोलता है, तो उसे बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर क्या करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक आदमी कहे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गर्म होने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

मुझे समझने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय यह बहुत गंभीर आरोप है। उन्हें मन्त्रिमंडल से हटा दिया जाना चाहिए महोदय, आपको सभा की गरिमा को कायम रखना है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने कहा कि उनके पास इस मामले के कुछ दस्तावेज हैं। हम मांग करते हैं कि ये दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाएं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ऐसे गैर-जिम्मेदार व्यक्ति मन्त्रिमडल में नहीं रह सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही होगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुनते क्यों नहीं ? मैंने सुन ली आपकी बात। आप सुनते क्यों नहीं, गर्म क्यों हो रहे हैं। अपने कानून के हिसाब से आप लिखकर दीजिए, मैं ले लूंगा। उसका कोई निदान तो होता नहीं है। काम करने से ठीक होगा। आप मुझे लिखकर दीजिए, मैं पूछता हूं कि क्या गड़बड़ है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं क्या करूं इनका। मि. आचार्य, आप भले आदमी हैं, मैंने एक दफे आपको बोल दिया।

(व्यवधान)

*कार्यवी वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : न तो आपके कहने से वह रिमूव होता है, न उसके कहने से कोई प्रूव होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप देखिये, ऐसा क्यों करते हैं ? कोई फायदा मिलता है इस बात से ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मेरी बात सुनिए, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, मैंने आपकी बात को सुना है, मैं उस पर एक्शन लूंगा. मुझे आप लिखकर दें, मैं पता करके जो होगा, एक्शन लूंगा। दंगा-फसाद करने से, जोर से बोलने से बिना मतलब का वातावरण बिगड़ता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक आदमी

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब ऐसा कहा ?

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (बलियाबोर) : महोदय, मैं 7 अप्रैल को असम-नागालैंड सीमा पर हुई घटना के बारे में एक मामला उठा रहा हूं। महोदय, एक सभ्य देश में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। इस घटना में 26 लोग घटनास्थल पर ही मर गए तथा कुछ सौ लोग घायल हुए हैं। अनेक मकान जला दिये गये हैं। मेरे पास तीन वस्तुएं हैं···महोदय, पवित्र 'कुरान' तक को जला दिया गया है बुताई करने के उपकरण जला दिए गए। धान के खेत जला दिए गए हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, ऐसा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं, बीच में ? एक आदमी बोल रहा है, उसको बोलने दो।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, अब आप बात भी सुनें तो ? गुस्सा नहीं दिखाया करते। आप भी गलत काम करते हैं, अगर उन्होंने उसको किया है, तो आप क्यों करते हैं ?

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय मेरे पास तीन प्रमाण हैं और मैं इन्हें रखना चाहता हूं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको यह नहीं दिखाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि. तांती, ऐसा नहीं होता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी आपको समझाया था कि··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कहना कानून के खिलाफ होगा। अगर उन्होंने कानून के खिलाफ

(व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती : जो कुछ वहां हुआ वह भी कानून के खिलाफ हुआ है।

[अनुवाद]

महोदय, देश के नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति नष्ट हुए हैं। लोगों की ऐसी दशा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तांती आप इसी प्रकार बोलना जारी मत रखिए। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं स्थिति को समझ गया हूं। मैंने तथ्यों के लिए पहले ही कह दिया है और यदि इसके लिए चर्चा की जरूरत होगी तो मैं इसकी भी अनुमति दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको सतर्क करता हूं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर आप वही काम कर रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ क्यों नहीं सीखते हैं ?

[हिन्दी]

जोर से बोलने से बात नहीं बनती है। आप जोर से बोलकर केस को खराब कर रहे हैं। आपके साथ सिम्पेथी है और जो आदमी मर गये हैं उनके साथ भी सिम्पेथी है। —लेकिन

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है तो फिर आप गलत काम क्यों करते हैं।

[अनुवाद]

आप फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि मैं कहता हूं कि उनसे हमें पूर्ण सहानुभूति है। हम कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

सब कुछ समझा है। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको खुद ही समझ लेनी चाहिए। मुझे गर्म करवाने का क्या फायदा है।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : लेकिन मैं सबसे अधिक पीड़ित व्यक्ति हूं। यह घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घटी है।

श्री पियूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाया है। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वह कोई साधारण सदस्य नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो बात हो गई है।

[अनुवाद]

श्री पियूष तिरकी : उन्होंने कहा कि इसके पक्ष में उनके पास अनेक पत्र हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप समझदार आदमी हैं। उस बात को दुबारा करने का क्या कोई फायदा है। जब मैंने कह दिया है।

[अनुवाद]

मैं अपना विनिर्णय पहले ही दे चुका हूं। आप इसे क्यों दोहरा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे प्रिवलेज नोटिस का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : देख रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कब तक हो जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे। आप जल्दी क्यों करते हैं।

डा. कृपा सिंधु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैंने नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

डा. कृपासिंधु भोई : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए यदि कोई व्यक्ति संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं है। इस कारण से मंत्री महोदय के संयुक्त दायित्व के बारे में.....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह देखेंगे।

[अनुवाद]

डा. कृपासिंधु भोई : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। आपने मुझे कहा है कि आप इस पर विचार करेंगे। इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख लो लूं ।

डा. कृपा सिंधु भोई : महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि मैं घटिया औषधियों और नकली औषधियों के बारे में आधा घंटे की चर्चा चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैं इस पर विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्यों गड़बड़ करते हैं । मैंने कह दिया है ।

[अनुवाद]

प्रो मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने इस सभा में बार-बार यह निर्णय दिया है कि इस सभा में भाषणों के दौरान विशेष रूप से विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्बन्ध में अपमानजनक उल्लेख न किए जाएं । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कार्यवाही वृतांत से यह कथन निकाल दिया है जिसमें एक माननीय सदस्य ने श्री ज्योति बसु के खिलाफ यह कहा था कि वह श्रीमती गांधी के हत्यारों को आश्रय दे रहे हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर आपने वही बात कर दी है ।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : यह भिन्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा । मुझे इसके बारे में पता नहीं है ।

प्रो. मधु दंडवते : कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा । मुझे पता नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों के लिये बछावत वेज बोर्ड 1985 में बना था । आठ बार उसका समय बढ़ाया जा चुका है । अभी तक उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे ।

श्री रामेश्वर नीखरा : अध्यक्ष महोदय, इस बार फिर दो महीने का समय बढ़ा दिया गया है ।... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय : डिजरैली की बात आपने सुनी है ।

श्री रामेश्वर नीखरा : अध्यक्ष महोदय, फिर उसका समय न बढ़ाया जाये, उसमें सरकार हस्तक्षेप करे... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने डिज़रैली की बात नहीं सुनी है ।

श्री रामेश्वर नीखरा : वह क्या थी ?

अध्यक्ष महोदय : पहली दफा डिजरैली पार्लियामेंट में खड़े हो बोलने के लिये खड़े हुए, स्पीकर ने इजाजत दे दी, उठे और कहने लगे···

[अनुवाद]

"लेडीज एण्ड जैंटलमैन, आई कन्सीव।"

[हिन्दी]

फिर घबरा गये : दुबारा पूछा, बोला, फिर घबरा गये और फिर न बोल पाये। तीसरी दफा फिर बोला। दूसरी तरफ से एक आनरेबल मैम्बर पूछने लगे।

[अनुवाद]

"अध्यक्ष महोदय, श्री डिजरैली ने तीन बार कंसीव किया लेकिन अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है।" यही भी यही समस्या है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : अध्यक्ष महोदय, फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। डाक्टर्स, टीचर्स और अन्य सभी के पे-स्केल रिवाइज हो गये हैं। इस मामले में कोई जल्दी करनी चाहिये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

12.09 म. प.

रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें और रक्षा सेवा प्राक्कलन, 1989-90

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : महोदय, मैं, श्री कृष्ण चन्द्र पंत की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 7733/89]

(2) रक्षा सेवा प्राक्कलनों, 1989-90 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-7734/89]

पंजाब नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 1988 और शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) पंजाब राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987 की धारा 3

की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 9), जो 15 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7735/89]

(2) शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7736/89]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं, पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7737/89]

वित्त मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : मैं वित्त मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7738/89]

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7739/89]

उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7740/89]

किदवई स्मारक अर्बुदशास्त्र संस्थान (क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान तथा उपचार केन्द्र) बंगलौर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि और गुजरात कैंसर तथा अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और समीक्षा आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) किदवई स्मारक अर्बुदशास्त्र संस्थान (क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान तथा उपचार केन्द्र), बंगलौर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) किदवई स्मारक अर्बुदशास्त्र संस्थान (क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान तथा उपचार केन्द्र) बंगलौर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7741/89]

(3) (एक) गुजरात कैंसर तथा अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात कैंसर तथा अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुजरात कैंसर तथा अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 7742/89]

(5) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7743/89]

12.11 म. प.

प्राक्कलन समिति

70 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : मैं गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग)—पूर्वी बंगाल के प्रवासियों के पुनर्वास के संबंध में प्राक्कलन समिति का 70वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ।

12.11½ म. प.

लोक लेखा समिति

148वां और 150वां प्रतिवेदन

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) 'कार्टरिज टेपर्ड रोलर बियरिंग्स' की अधिप्राप्ति पर परिहार्य व्यय के सम्बन्ध में 148वां प्रतिवेदन।

(2) बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में 150वां प्रतिवेदन।

12.12 म. प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

55वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

12. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** (अल्लपी) : मैं भारतीय तेल निगम लिमिटेड—बंगलौर में रसोई गैस के सिलेन्डर भरने वाले दो संयंत्रों की स्थापना के संबंध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का पचपनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.12½ म. प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

45वां प्रतिवेदन

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग) बैंक आफ बड़ौदा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन

तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 45 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.13 म. प.

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि इस सदन में 19 अप्रैल, 1989 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) बुधवार, 19 अप्रैल, 1989 को अपराह्न 4.00 बजे नियम 193 के अधीन अखिल बोडो विद्यार्थी संघ द्वारा पृथक राज्य के लिए आंदोलन पर चर्चा।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : महोदय कृपया निम्न मदों को अगले सप्ताह की कार्यवाही में समिलित किया जाये—

महाराष्ट्र के अहमदनगर, पुणे और नासिक जिलों में कृषक अंगूरों की खेती कर रहे हैं जो एक बिगड़ने वाली वस्तु है। अंगूरों को लाने ले जाने के लिए प्रत्येक स्टेशन विशेषतया नासिक, लासल गांव और मन्माड में रेलवे वैगन उपलब्ध नहीं होते। अंगूरों के हजारों डिब्बे स्टेशनों पर रेलवे वैगनों की कमी के कारण खराब हो जाते हैं। सरकार को इस जल्दी खराब होने वाले फल के ट्रांसपोर्ट को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : न्यायमूर्ति बछावत के नेतृत्व में पत्रकारों के वेतन और मजदूरी के बारे में प्रेस कमीशन की रिपोर्ट में काफी विलम्ब हुआ है। यह राष्ट्र के लिए बहुत चिंता की बात है। जनता को इसमें हुए विलम्ब का कारण नहीं बताया गया है।

इस लिए मैं सरकार से शीघ्र रिपोर्ट देने और इसे सभापटल पर रखने और चालू सत्र में इस पर चर्चा करने का अनुरोध करता हूं

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर (मैसूर) : महोदय, कर्नाटक में बड़ी मंझोली और छोटी सिंचाई परियोजनाओं तथा भूमिगत जल के उपयोग सहित कुल सिंचाई क्षमता लगभग 28.67 लाख हेक्टर है।

राज्य की नदियों के पूरे जल का इस्तेमाल करने में कठिनाई हो रही है। कर्नाटक राज्य सरकार अपने हिस्से के नदी जल का पूरा इस्तेमाल कर सके इसके लिए अधिक धन निवेश करना आवश्यक है। भारत सरकार ने बाण्डों के माध्यम से संसाधन बढ़ाने के लिए एन. टी. पी. सी., आई. डी बी आई और रेलवे की अनुमती दी है। इसी प्रकार कर्नाटक राज्य को नदी जल का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए मैं भारत सरकार से राज्य को सिंचाई बाण्ड जारी करने की अनुमती का अनुरोध करता हूं।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हमारे देश में अपनी आधुनिक सुविधाओं के कारण एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है हम यहां सारे देश के रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की आशा करते है लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक इस संस्थान को केवल सिफारिश कर भेजे गए रोगियों वाला अस्पताल नहीं बनाया जाता। इसके अतिरिक्त विभिन्न मण्डलों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की चार शाखाएं खोलनी होंगी जिसमें पूर्वी मण्डल के लिए एक शाखा भुवनेश्वर में होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार एवं देश के अन्य राज्यों के बीड़ी-उद्योगपतियों द्वारा एक्साइज ड्यूटी के करोड़ों रुपयों का गबन किया जा रहा है और दूसरी तरफ कम से कम मजदूरी देकर लाखों महिला और पुरुष बीड़ी मजदूरों का घोर शोषण भी कर रहा है।

अखिल भारतीय पैमाने पर बीड़ी मजदूरों की मजदूरी कम से कम पच्चीस रुपये प्रति हजार निर्धारित की जाय और इस पर अगले सप्ताह विचार किया जाय।

2-आज देश भर के किसान सरकारी एवं गैर सरकारी कर्जों के बोझ से लदे हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि कार्यों पर भी पड़ रहा है।

देश और कृषि एवं किसानों के विकास के लिए किसानों के दस हजार तक के कर्जों को माफ करने के विषय पर आगामी सप्ताह में विचार किया जाय।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : फाउन्डरी एकक जो मूल उद्योग है को लम्बे अर्से से कच्चे लोहे की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में फाउन्ड्री एककों को गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे लोहे की कम सप्लाई के कारण सी. आई. सपन पाइप निर्माताओं को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन को ऊंचे स्तर पर बनाये रखने के लिए, यह जरूरी है कि सेल द्वारा कच्चे लोहे की निरन्तर सप्लाई की जाती रहे।

वृद्ध महिला शरणार्थी लम्बे समय से दिल्ली प्रशासन के अधीन समाज कल्याण केन्द्रों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वर्दी सिलने का कार्य कर रही है। हाल ही में कार्मिक विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है कि केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपनी वर्दी किसी भी दर्जी से सिलाने के लिए कपड़ा दिया जायेगा और इस प्रकार इन वृद्ध महिलाओं को अप्रैल 1989 से उनकी नौकरियों से निकाल दिया जायेगा। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति-जनजाति से लोगों को आगे लाने तथा देश के विकास गति में बराबरी तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के सभी शासकीय, अर्धशासकीय तथा उपक्रमों में आरक्षण की सुविधा दी गई है। वैसे ही सामाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन कार्य व व्यवसाय में भी अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को रियायत दी जानी चाहिए।

अतः शासन से अनुरोध है कि आरक्षण प्रावधान के तहत इस व्यवसाय से जुड़े हरिजन आदिवासी युवकों को विशेष रियायतें दी जायें। आरक्षण के अनुसार ही यदि वे पत्र—पत्रिकायें स्वयं निकाल रहे हैं तो विज्ञापन नीति में, कागज कोटे की नीति में, आवास सुविधा की नीति में तथा प्रिन्टिंग प्रैस खरीद के ऋण नीति में विशेष रियायत एवं सुविधा दी जायें।

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, संविधान द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को क्रमश 15 प्रतिशत एवं साढ़े सात प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है। परन्तु खेद है कि आजादी के 41 वर्ष बीतने के बाद भी इन वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका।

उच्चतम न्यायालय ने डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नती देने के बारे में 29 अगस्त, 1988 को एक आदेश जारी करके चार महीने के अन्दर आदेश का क्रियान्वयन करने का निदेश दिया। परन्तु इस का पालन संबंधित आदेश उच्च अधिकारियों ने नहीं किया जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों में और भी ज्यादा बेचैनी और असंतोष उभर रहा है। सबसे दुःखद स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब न्यायपालिका द्वारा जारी संविधान प्रदत्त एवं न्यायोचित निर्देशों का पालन कार्यपालिका नहीं करती और यही कारण है कि देश के अन्दर दलितों, शोषितों, पीड़ितों के युवा वर्ग में भयंकर असंतोष फैलता जा रहा है।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि शासन एवं न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण आदेशों का अनुपालन निश्चित अवधि में पूरा कराए।

12.19 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकारी, प्रबंधक और व्यवसायी संवर्गों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया समान नहीं है और समूचे देश के सभी अभ्यार्थियों को समानता के अवसर की शर्तों को पूरा नहीं करता। संसद द्वारा इसकी कभी संवीक्षा अथवा जांच नहीं की गई। अभ्यार्थियों का चयन करने के लिए यू. पी. एस. सी. जैसे स्वायत्त बोर्ड नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सार्वजनिक नियुक्तियों का काफी अधिक अनुपात सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति की प्रक्रिया को समान व उचित बनाने के लिए तरीके सुनिश्चित करने चाहिएं।

मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि सदन बाबरी मस्जिद—राम जन्म भूमि पर अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करे।

डा. दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, दि हिन्दुस्तान लीवर प्रबन्ध ने बम्बई में अपनी फैक्टरी में 21 जून, 1988 से तालाबंदी की घोषणा की है जिससे 4000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करने के अलावा सरकार को प्रतिदिन 17 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क का नुकसान हो रहा है और पिछले दस महीनों में लगभग 40 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क का कुल नुकसान हुआ है।

इसी अवधि के दौरान कम्पनी को नये उत्पादों को शुरू करने के लिए नये लाइसेंस दिये गए और कम्पनी का लाभ बढ़ गया है।

मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इस पर सदन में चर्चा करने की अपील करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा किये गये सभी निवेदनों को नोटकर लिया है और मैं इन्हें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा।

12.21 म. प.

[अनुवाद]

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1989-90 (जारी)

कृषि मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 5 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए 8 घण्टे का समय नियत किया गया है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर अपना कटौती प्रस्ताव रखा है। क्या वे अपने कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहते हैं ?···वे उपस्थित नहीं हैं ···कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 5 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1989-90 के लिए कृषिमंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	17 मार्च, 1989 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
कृषि मंत्रालय		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि	70,79,00,000	3,34,00,000	346,60,00,000	16,72,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवायें	56,77,00,000	25,88,00,000	283,85,00,000	129,40,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	38,50,00,000	...	192,50,00,000	...
4.	ग्रामीण विकास विभाग	1072,97,00,000	5,,00,000	1147,77,00,000	25,00,000
5.	उर्वरक विभाग	1015,94,00,000	41,75,00,000	3400,94,00,000	208,75,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मदन पांडे बोलेंगे ।

[हिन्दी]

श्री मदन पान्डे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष जी, बड़ी कृपा है कि आज अपोजिशन के लोगों ने कृषि की मांगों पर कोई कट मोशन मूव करने पर जोर नहीं दिया है और शायद ऐसा पहली बार हुआ है । इस के लिए मैं इस सदन की तरफ से, जो विचारक लोग हैं, उन की तरफ से उन को बधाई देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष जी, कृषि इस देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है । इसके लड़खड़ाने से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था लडखड़ा जाती है और यह जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारा देश और हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी और इस मामले में हमारे कृषि मंत्रालय ने न केवल वर्तमान कृषि मंत्रालय ने बल्कि इस के पहले के कृषि मंत्रालय ने भी बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है । मुझे याद आता है वह समय, जब 1952-53 में जो मक्का अमेरिका में सुअर खाते हैं, वह मक्का इस देश के लोगों की कोजाती थी और उस के लिए भी लाइनें लगती थीं । इन आंखों से मैंने वह दृश्य देखा है और आज यह दृश्य देख रहा हूं कि अगर राशन की दुकानों पर थोड़ा सा सब-स्टेन्डर्ड गेहूं पहुंच गया, तो खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री, दोनों की हम लोग सिंचाई करने की कोशिश करते हैं यह जो उन्नति हुई है, इस के लिए इस देश का किसान तो बधाई का पात्र है ही लेकिन हमारे देश के कृषि कार्यों का संचालन करने वाला कृषि मंत्रालय और उस के मंत्रीगण भी बधाई के पात्र हैं । रबी की जो अच्छी फसल हुई है, उस के लिए भी मैं उन को बधाई देना चाहता हूं । कृषि के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन की आलोचना करने की कतई गुन्जाइश नहीं है, और यह इस बात से सिद्ध होता है कि अपोजीशन के लोगों ने भी समर्थन किया है कट मोशन न मूव कर के लेकिन सुझाव तो निश्चित रूप से दिये जाने चाहिए क्योंकि चाहे जितने साधन इस ढंग से लगाने की बात करें, लेकिन ऐसा सम्भव नहीं कि कोई भी योजना सर्वांगपूर्ण हो जाए । आपने जो व्यवस्था की है वह बहुत प्रशंसनीय है ; लेकिन इसके आगे भी सोचने की आवश्यकता है , मसनल हमारी कृषि की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यहां तक हुई है कि 52 की मक्का को देखने के बाद आज हमारा देश दूसरे देशों को खाद्यान्न भेज सकता है । लेकिन हमें आगे की ओर भी देखना होगा और हमें इस प्रकार की प्लेनिंग और नियोजन करना होगा कि हमारी जो प्रति एकड़ उपज अब होती है भविष्य में हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं । क्या हमारी प्रति एकड़ उपज भविष्य की आबादी के लिए पर्याप्त होगी ? क्या हम इससे अधिक प्रति एकड़ उपज नहीं कर सकते ?

मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक कृषि प्रधान प्रदेश के योग्य प्रशासक और उस केमुख्य मंत्री के रूप में रह चुके हैं । आज भी उस प्रदेश की जनता आपकी तरफ आशा भरी निगहों से देखती है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे यहां प्रति एकड़ धान की उपज नहीं बढ़ सकती ? जैसे जापान में 90-95 प्रतिशत तक उपज होती है, क्या उतनी या उसके स्तर तक की उपज हम अपने यहां नहीं कर सकते हैं ? क्या गेहूं की उपज को भी कई गुना बढ़ाने की बात हम नहीं कर सकते ? क्योंकि जिस तरह हमारी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, हमारी जो वर्तमान उपज है, वह शायद हमारी भविष्य की आबादी का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं होगी ।

मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में कृषि के लिए

क्या आवश्यक है। हमारे देश में कृषि के मामले में यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में लेन्ड रिफार्म्स जिस एन्ग से किये गये हैं वे तो किये ही गये हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं उनकी एक कमी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारे देश में कृषि जोतों का जो आकार है वह बहुत छोटा हो गया है। हमारे यहां जो कृषि से साधन हैं वे भी 20, 30 सालों में नहीं बल्कि एक-सक साल में बदलता जा रहा है। जिस प्रकार से हमारी जोतों के आकार बदले हैं उन बदली हुई जोतों में हम अपने यन्त्रों के आकारों को बदले बिना उन छोटी जोतों में उनका उपयोग नहीं कर पायेगें। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर हमारे यन्त्रों का आकार छोटा नहीं होगा तो हम अपनी कृषि को आधुनिक कृषि के स्तर तक ले जाने में कठिनाई महसूस करेंगे। अभी इसका संबंध निश्चित रूप से हमारी कृषि की जोतों से नहीं पूरी तरह से हो पाया है; मैं सारे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सरकार से ऐसी दूरवर्ती योजनाएं बनाने के लिए निवेदन करें जिससे कि छोटी-छोटी जोतें न हों और वे वाएबल जोतें हों। जिससे कि उन्नत कृषि यन्त्रों का उपयोग उन पर हो सके।

यह ठीक हैं कि हमने नये-नये यन्त्र ईजाद किये हैं। लेकिन हमारी आवश्यकता की कुछ बातें हैं जिनमें कमी रह गयी है। हमने ट्रेक्टर बनाने शुरू किये हैं, हमने कल्टीवेटर, फीडर बनाने शुरू किये हैं। लेकिन जिस किसान के पास एक या दो एकड़ जमीन है वह इन सारे यन्त्रों का किस प्रकार से उपयोग करेगा?

इसके साथ ही आज उसकी उपज की चीजों की कीमत इतनी ज्यादा हो गयी है कि वह इस वजह से कर्ज से लद जाता है, या फिर उनके बगैर ही रह जाता है। बिचौलिये उसकी उपज को अपने पैसे का उपयोग करके खरीद लेते हैं और उस पर लाभ उठाते हैं। इस तरह से वे छोटे किसान का अपने पैसे के बल पर शोषण करते हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना बने जिससे कि कृषि के जो उन्नत यन्त्र हैं उन यन्त्रों का उपयोग 5-10 गाँवों के बीच में इस प्रकार से कराया जाए ताकि जो छोटे किसान हैं वे भी सस्ते मूल्य पर उन कृषि यन्त्रों की सेवाएं प्राप्त कर सकें।

कृषि का दूसरा सबसे आवश्यक अंग खाद और बीज का है। इस क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ने बहुत प्रशसनीय काम किया है। खाद के लिए करोड़ों और अरबों रुपए की सबसिडी की राशि किसानों को दे रहे हैं, लेकिन गांव के पैमाने पर मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि लाभ किसान तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। गांव में जाकर हमको बताया जाता है कि सबसिडी का लाभ किसानों के बजाए बिचौलियों को मिलता है, इस व्यवस्था को बदलकर खाद की किमत में कटौती की जाए, ताकि किसानों को इसका लाभ सही मायने में मिल सके। इस व्यवस्था को आवश्तक रूप से करना चाहिये।

खाद का आयात भी किया जाता है, मेरी जानकारी के अनुसार इसके उत्पादन को देश में ही काफी बढ़ाया जा सकता है। कारखानों की टेक्नालाजी सन् 1960 की है, इसका आधुनिकाकरण किया जाना चाहिए। जो पैसा आप आयात में खर्च करते हैं उसको आधुनिकीकरण में खर्च किया जाना चाहिए। गोरखपुर के बारे में बताना चाहता हूं कि यहां पर जो कारखाना है, उसके पास इतनी जगह है कि वहां पर एक नया संयंत्र लगाया जा सकता है और 60-70 करोड़ की लागत से पुराने संयंत्र को दुरस्त किया जा सकता है और खाद की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इस ओर बार-बार ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, आज मुझे जो

अवसर दिया गया है, उसका लाभ उठाते हुए इसकी ओर मैं पुनः सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बीज के बारे में पूसा इन्स्टीट्यूट आदि कई संस्थान हैं जिन्होंने शोध करके अच्छे बीज दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत प्रयास करने बाकी हैं। जो उन्नत बीज आप देते हैं, ये उन लोगों को पहुंच पाते हैं, जिनको अगर आप न भी दें तो भी वे कहीं न कहीं से इसका इन्तजाम कर लेंगे, इनको गरीब किसान के पास पहुंचना चाहिए। इसके लिए मशीनरी का इस्तेमाल करें और कोई रास्ता निकालें ताकि यह सुविधा जन जन तक पहुँच सके।

कृषि के लिए तीसरी आवश्यकता पानी की है। अच्छा खाद मिले बीज मिले, लेकिन समय पर पानी नहीं मिले तो अच्छे ढंग से खेती नहीं हो सकती। इन चीजों को आपसे डायरेक्ट संबंध नहीं है, इसलिए मैं सब बातों को कहने में जरा संकोच कर रहा हूं. आज 35-40 प्रतिशत खेती हमारी सिंचित है और 65 प्रतिशत असिंचित है। इसको सिंचित करने के लिए हमको इन्तजाम करना पड़ेगा। इसके लिए हमको हिम्मत करनी पड़ेगी। आज हमारे देश का नियोजन इस स्थिति में पहुँच गया है कि हम आकाश पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए हमको बांधों, झील, सागर आदि कृत्रिम तरीकों को अपनाना होगा, इनकी तरफ तेजी से बढ़ने का आज वक्त आ गया है। इसके लिए बड़ी-बड़ी योजनाओं की आवश्यकया है। एक इन्जीनियर सिंचाई मंत्री थे, जिन्होंने एक एन्बीशस योजना बनाई थी।क्या उस पर विचार कर सकते हैं आपका कृषि मंत्रालय अगर एक साल का अपना पूरा बजट देकर के उसको कार्यान्वित कराने में समक्ष हो तो वह वर्थवाइल होगा इस लिए मैं आपका ध्यान गंगा-कावेरी को जो ग्रिड है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं हमारे देश का लाखों करोड़ों घन फुट पानी समुद्र में चला जाता है, उसे बचाने के लिए वह ऐसी योजना है जो राष्ट्रीय एकता को कायम रखने के लिए बहुत ही उचित होगी। जिस तरह से बिजली का ग्रिड बनाने की बात सोच रहे हैं उसी तरह से हमको वाटर ग्रिड बनाने की बात करनी चाहिए तब हम किसान को पानी दे सकेंगे। आपके जमाने में किसान को उसकी उपज का उचित दाम नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा। इसके लिए आपने प्रयास किया है, उसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। पहले से जो दाम मुकर्रर किए हैं, उसमें काफी बढ़ोत्तरी की है। आज सुबह ही कास्ट प्राइस इन्डेक्स के बारे में सामन्त जी का प्रश्न था ' हमें यह देखना है कि जो वृद्धि समने कृषि उत्पादों के मूल्या में की है वह सतोषजनक है या नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ दिक्कतें हैं। आपने प्रयास किया है उसके लिए प्रशंसा करना चाहता हूं। जिस तरह से औद्योगिक उत्पादों का दाम बेतहाश बढ़ रहे हैं, उसके अनुपात में हमको कृषि उत्पादों का बढ़िया मूल्य देना चाहिए। आप घन्टा बजा रहे हैं इस-लिए मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। सबसे पहले मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। मन्त्री जी के समय में कृषि की जो तरक्की हुई है उसके लिए बधाई स्वीकार करें।

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान की आबादी का 76 परसेंट हिस्सा गांवों में रहता है और गाँव के लोगों का गुजारा कृषि पर ही होता है। यह खुशी की बात है कि बहुत तजुर्बेकार और पुराने आदमी इस एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं। इसके बावजूद भी जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। हिन्दुस्तान की तमाम इकोनोमी कृषि पर डिपेंड करती है। गांवों में खुशहाली लाने के लिए पानी और बिजली की जरुरत पड़ती है। पानी का जहां तक सवाल है, पानी की वजह से हरियाणा और पंजाब हिन्दुस्तान अनाज पैदा करने में पहले नम्बर पर है। वहां पहले भी नहरें थी और भाखड़ा डैम बनने से और भी नहरें आ गई। बिहार में

जितनी नदियां हैं वहां कोई डैम नहीं है। तमाम बिहार का इलाका फ्लड के दिनों में तबाह हो जाता है। वहां पैदावार का सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नमेंट को लाखों-करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वाटर रिसोर्सेज में सुधार लाने के लिए हिन्दुस्तान की तमाम नदियों पर डैम बनाए जाएं। हमारे हिस्से में सतलुज, रावी और व्यास है, इनमें से दो पर तो डैम बन चुका है और रावी पर थीन डैम बन रहा है, वह डिले हो रहा है। उसके पूरा होने के बाद वहां से पानी और बिजली आ सकती है और पूरे हिन्दुस्तान में पैदावार में इजाफा हो सकता है। इसी तरह से राजस्थान कैनाल कई सालों से बन रही है। काफी इलाके में आ गई है लेकिन उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। सरकार को इन योजनाओं पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। एग्रीकल्चर का एलोकेशन थोड़ा है। इसको बढ़ाना चाहिए। पैसे लगाने के लिए सबसे पहले तो डिफेंस होना चाहिए जिस पर देश की एकता और अखण्डता निर्भर करती है। इसलिए डिफेन्स के बाद कृषि आनी चाहिए। कृषि के लिए बिजली और पानी दोनों जरुरी है। इनके साथ-साथ अगर डैम बनाएंगे तो पावर हाउसें भी बनेंगे तभी बिजली मिलेगी और पानी आएगा। हिन्दुस्तान के आदमी बाढ़ से तबाह होते हैं वे भी बचेंगे। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि हर नदी के ऊपर डैम बनाए जाएं, जिनका पानी वेस्ट होता है। हमारे यहां 65 प्रतिशत पानी वेस्ट होता है और 35 प्रतिशत पानी इस्तेमाल होता है। इसलिए उस पानी को वेस्ट होने से बचाया जाय और किसानों को दिया जाए। किसानों को पानी मिलेगा तो वह खुशहाल हो जाएंगे जैसे पंजाब और हरियाणा के हैं। इसी तरह से देश के दूसरे राज्य भी हो जायेंगे। हरियाणा के अन्दर आजकल जो रबी की फसल की कटाई चल रही है वहां पर 38 रुपये मजदूरी मिल रही है, जबकि राजस्थान में जहां कि डेजर्ट है वहां के मजदूरों को दस रुपए मिलते हैं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : कौन कहता है कि राजस्थान में दस रुपए मिलते हैं। हरियाणा से ज्यादा मिलते हैं।

श्री राम नारायण सिंह : आई. एम. सोरी। हमारे हरियाणा के अन्दर राजस्थान के सैकड़ों मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। अगर राजस्थान में ज्यादा मिलती तो वे हरियाणा क्यों आते बिहार वाले भी यहां आते हैं। हम तो आपको मदद करना चाहते हैं। अगर आप पर असर पड़ता है, तो हरियाना पर भी इसका असर पड़ता है। हम चाहते हैं कि राजस्थान को ज्यादा बिजली मिले। हरियाणा में बीस घण्टे बिजली मिलती है, जबकि राजस्थान में दस घण्टे मिलती है। मैं कहूंगा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कृषि तो सब प्रान्तों में है लेकिन जो राज्य पिछड़े हुए हैं वहां पर पानी और बिजली का इन्तजाम किया जाए। हम चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा की तरह देश के दूसरे राज्य भी खुशहाल हो जायें और आपने पिछली दफा विदेश से अनाज मंगवाया वह न मंगवाना पड़े, यह पैदा हो। लेकिन सरकार की जो कमियां हैं वह दूर होनी चाहिए। भजनलाल जी आप तो अनुभवी आदमी हैं, स्वयं किसान हैं, अगर आपके समय में भी काम नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि सरकार को इन्टेशन नहीं है। दूसरी बात मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा। उनको कीमत ठीक नहीं मिलती है। चने की कीमत 900 रुपए प्रति क्विंटल हैं, किसान की फसल आने वाली है इसलिए इसका भाव आजकल 500 रुपये हो गया है। किसानों के पास फसल आती है तो कीमत घट जाती है और जब साहूकार के पास जाती है तो तमाम कीमतें बढ़ जाती हैं। आप चने को देख लें गेहूं को देख लें। गेहूं का भाव 180 रुपये क्विंटल है, थोड़े दिनों में 250 रुपए हो जाता है। इसी तरह ज्वार जिसको जानवर खाते हैं, पिछले साल 1100 रुपए क्विंटल हो गई, सूखे की वजह से हमारे यहां काफी फसल हुई तो दो-तीन सौ रुपए

तक आ गई। सरकार को चाहिए कि किसानों के इन्टरेस्ट के लिए काम करे और उनको लाभकारी मूल्य दिलाए। 10 महीने तक इसका मूल्य 300 रुपए से कम नहीं होता, इसलिए इसका समर्थन मूल्य 250 रुपए होना चाहिए। कभी बढ़ जाता है और कभी घट आता है इससे कोई फायदा नहीं है। इससे किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, उनको बीज पूरे नहीं मिलते हैं। अभी इस बारे में कोशिश हो रही है और अच्छे बीज उत्पादित हो रहे है लेकिन जितने मिलने चाहिए वह नहीं मिलते हैं। किसानों के सूद का जहाँ तक ताल्लुक है वह 15 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत कर दिया है, इसका 6 प्रतिशत होना चाहिए। क्योंकि जो अनाज पैदा करता है, जो आपका कमाऊ पूत है, रात-दिन काम करता है, आप अन्दाजा लगा सकते हैं। चौधरी भजनलाल जी जानते हैं कि जब दिसम्बर और जनवरी के महीने में रात के एक बजे नहरों का पानी आता है तो कैसे किसान अपने कच्छे में रजाई को छोड़कर दौड़ पड़ता है और पानी को जाकर काटता है। शहर वालों को उसका अन्दाजा कैसे हो सकता है। रात में किसी को सांप काट सकता है कोई दूसरी दुर्घटना हो सकती है लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद किसान मेहनत करके फसल तैयार करता है, अनाज पैदा करता है। उसकी कोई मिल या फैक्ट्री तो है नहीं, इसलिए 5-10 हजार रुपए उसे नाम मात्र के इंटरैस्ट पर मिलने चाहिए। आपने जिस तरह से फैक्टरियों और मिलों के लिए मैक्सिमम क्रैडिट लिमिट बाँध रखी है कि 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक उसे बैंकों से कर्जा मिल सकता है, मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरह किसानों के लिए भी उसकी खेती के क्षेत्रफल के आधार पर लोन दिए जाने की कोई सीमा बांध दें, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, सीमा बधी होने से वे बिना किसी झगड़े में पड़े, सीधे बैंकों से जाकर कर्जा ले सकते हैं और समय पर उसे वापस भी कर देंगे। आज जब किसान बैंकों से कर्जा लेने जाता है तो उससे पहले 10 परसेण्ट या उससे भी ज्यादा रिश्वत के रूप में देना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे थोड़ा बहुत कर्जा मिल पाता है। इस रिश्वत से बचाने के लिए, आपको मैक्सिस क्रैडिट लिमिट बांधनी होगी, जैसे आपने तमाम इण्डस्ट्रीज के लिए फिक्स की है। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने अनेक मौकों पर कहा है कि जितना रुपया हम छोटे किसानों, गरीबों आदि के लिए विभिन्न योजनाओं में मदद करने के लिए देते हैं, एग्रीकल्चर के लिए अरबों रुपया हर साल दिया जाता है, मगर उसका 80 प्रतिशत हिस्सा बीच के लोग खा जाते हैं और 20 प्रतिशत हिस्सा भी नीचे तक नहीं पहुंच पाता। उसका कारण यह है कि सरकारी नौकरियों में आज 10 प्रतिशत गांव के लोग और 90 प्रतिशत शहरों के लोग हैं. वे सोचते हैं कि गाँव का आदमी तो ऐसे ही है, यदि वह शहर में चला गया तो अनाज कौन पैदा करेगा। उनकी गाँव वालों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं होती, शहर वालों के साथ हमदर्दी होती है। यही कारण है कि आपकी योजनाएं ठीक प्रकार इम्पलीमैंट नहीं हो पातीं और ज्यादातर उनका पैसा बीच में खा लिया जाता है। हमारे देश में 76 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है, आप इसी आधार पर नौकरियों में 76 प्रतिशत पोस्टस गांव वालों के लिए रिजर्व कर दीजिए. उसमें हरिजन, गिरिजन, बैकवर्ड, पिछड़े लोग सब कवर हो जायेंगे, 25 परसेन्ट शहर वालों के लिए रहने दें, तो आपके सारे कानून भी ठीक तरह से एम्पलीमैंट होने लगेंगे और बीच में पैसा खाने वाली बात भी सुनने में नहीं आएगी। आप जितना पैसा एलोकैट करेंगे, उसका पूरा रिटर्न आपको मिलेगा यदि आप ऐसे ही चलते रहे, तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आज स्थिति यह है कि सरकार अनगिनत चीजों पर सबसिडी देती है लेकिन वह किसान तक पहुंच नहीं पाती, बीच में उसे लोग हड़प कर जाते हैं। ऐसा सारे हिन्दुस्तान में होता है। दूसरे मुल्कों में, जैसे अमेरिका में किसानों पर कोई टैक्स नहीं है लेकिन यहां एग्रीकल्चरल इम्पलीमैंटस पर भारी टैक्स है। जिस ट्रैक्टर की कीमत 15 साल पहले 20 हजार रुपए थी आज वही ट्रैक्टर डेढ़ लाख रुपए में मिलता है जबकि गेहूं के दाम मुश्किल से दुगने बढ़े होंगे। आज किसान ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता। जब

हमारी 76 परसेन्ट आबादी गांवों में रहती है तो आप कुल बजट का ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 परसेंट हिस्सा गांवों में लगाएं, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जितने हमारे यहां छोटे लैण्ड ओनर्स हैं, शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, यदि उन पर 5-7 हजार रुपया कर्ज होता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। आप कहेंगे कि कर्जा माफ करना मुनासिब नहीं है. लेकिन चौधरी साहब, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पक्का पता है कि जब यूनाइटिड पंजाब होता था तो अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान छोटे किसानों के कर्जे माफ करने के लिए एक बिल लाया गया था और छोटे किसानों के कर्जे माफ हुए हैं। वहां सर छोटूराम किसानों के नेता थे, जब वे मिनिस्टर हुए तो उन्होंने भी कर्जे माफ करवाए थे और जिन छोटे किसानों की जमीनें रहन रखी थीं, उन्हें भी वापस दिलवाया था। वे सारी जमीनें गवर्नमेंट के हुक्म से वापस की थीं। मैं यहां बड़े कर्जदारों की बात नहीं करता, उन्हे तो जाने दो, लेकिन जिनकी तरफ 10 हजार रुपए से कम कर्ज है, जो छोटे किसान हैं शैडयूल्ड कास्टस या शैडयूल्य ट्राइब्स के बैकवर्ड के लोग हैं, जिनके पास थोड़ी जमीन है उन बेचारों का तो कर्जा माफ होना चाहिए।

दूसरी बात अब मैं हरियाणा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। हरियाणा की सबसे बड़ी लाइफ लाइन एस० वाई. एल. कैनाल है। यदि वह कैनाल बन जाए, तो हरियाणा और पंजाब सारे हिन्दुस्तान को अनाज देंगे। अब 100 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इसकी सबसे पहले इंदिरा जी ने नींव रखी थी और तब यह कहा गया था कि यह डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन आज आठ साल हो गए हैं, अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। कीमतें रोजाना बढ़ती जा रही हैं और इनके लिए जो धन रखा गया था उसमें बढ़ोत्तरी होती जा रही है। इसलिए मेरा सबसे पहले कहना तो यह है कि इस एस. वाई. एल. कैनाल को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि हरियाणा पंजाब के बराबर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ जाए।

यमुना नगर में एक थर्मपल पावर प्लांट बना है। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसी प्रकार इलैक्शन से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एलान किया था कि करनाल में आयल रिफाइनरी बनेगी और उसकी नींव भी उन्होंने रखी थी जिससे हजारों आदमियों को नौकरी मिलेगी और गरीब लोग उसमें नौकरी पर लगेंगे, लेकिन वहां आज कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा कहना है कि हरियाणा में ये दो-तीन चीजें बननी चाहिए और किसानों के साथ हमदर्दी से पेश आए। अगर आप इनका इलाज करेंगे तो सारा हिन्दुस्तान खुशहाल हो जाएगा, वरना गांवों से सारे किसान मजदूर बनकर शहरों में आ जाएगे। आज शहर वाले अगर यह सोचते हैं कि हम ऐश करेंगे, तो उनका ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा तादाद में गांवों से किसान शहरों में मजदूर बनकर आ जाएंगे तो पाल्यूशन आदि की समस्याएं पैदा करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप गांवों को शहरों जैसा बना दें, ताकि गांवों से शहरों में आएं ही नहीं। वहीं रह जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय और इसके विभिन्न विभाग सम्पूर्ण सरकार ढांचे का आधार हैं। पिछले दिनों लगभग एक वर्ष पहले जब देश में भयकर सूखा पड़ा था तो इस मंत्रालय के प्रयासों के कारण ही भारत की जनता उस कठिन स्थिति का

सफलतापूर्वक सामना कर सकी थी। विश्व बैंक जैसी समस्याओं ने भी सूखे का सामना करने के भारत सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की थी। परन्तु महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि कृषि मंत्रालय द्वारा सूखे का सामना करने के प्रयास में विरोधी पक्ष के किसी भी सदस्य ने तहेदिल से अपना सहयोग देने की पेशकश नहीं की। मुझे याद है कि जब श्रीमती गांधी सत्ता में नहीं थी तो उन्होंने कहा था, मैं लोगों के निर्णय को स्वीकार करती हूं। यदि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मैं अपना सहयोग देने और सरकार की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहूंगी। उन्होंने सत्ताधारी दल के लिए ऐसा कहा था। परन्तु विरोधी दलों की ओर से इस प्रकार का सहयोग कभी नहीं दिया गया और इसके विपरीत, जब प्रधानमंत्री महोदय ने इस स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था और मुख्य सचिव और समाहर्ता से मुलाकात की थी ताकि यह पता चल सके कि हम सूखे अथवा बाढ़ का सामना किस प्रकार से कर रहे हैं तो कुछ दलों ने यह कहकर प्रधानमंत्री की आलोचना की थी कि उन्हें मुख्य सचिव अथवा समाहर्ता इत्यादि से सम्पर्क स्थापित करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः बाढ़ अथवा सूखे का सामना करने के लिए उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया था अपितु इसके विपरीत, विरोधी दलों ने कुछ कठिनाईयां ही उत्पन्न की थीं।

महोदय, कृषि मूलतः राज्य का विषय है। राज्य सूची में विभिन्न मदों जैसे मद 14, 15, 16 और 21 का उल्लेख किया गया है। मद 14 में कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कीटों से बचाव और कीट बीमारियों की रोकथाम के बारे में उल्लेख किया गया है। मद 16 में भण्डारण इत्यादि में सुधार और उसके संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। ये सभी विषय मूलतः राज्य सूची से सम्बन्धित हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनके बारे में जांच पड़ताल करना राज्य सरकारों का दायित्व है। परन्तु इस स्तर पर मैं एक सुझाव दूंगा। जिस प्रकार हमारी राष्ट्रीय स्तर पर

[हिन्दी]

कृषि नीति है इसी प्रकार आप विभिन्न राज्यों से यह कहें कि वह एक कृषि नीति अपनी जरूरत के अनुसार बनायें। वह नीति बनाकर उस नीति की कापी आपको भेजें। इससे आपको अन्दाजा हो जायेगा कि वह उनके हिसाब से और उस नीति के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। इतना ही नहीं इससे आपको उनकी दिक्कतों के बारे में भी जानकारी हो जायेगी। मेरा सम्बन्ध में एक सुझाव है कि आप एग्रीकल्चर के मामले में सेंट्रल नीति न बना कर राज्यों की अपनी अपनी नीति बनाने के लिये मजबूर करें। आप तो जानते ही हैं कि भिन्न-भिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न प्राबलम्स होती हैं।

[अनुवाद]

दूसरे, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करना चाहूंगा जिसका उल्लेख श्री पांडे पहले ही कर चुके हैं। यह बात भूमि सुधारों के बारे में है। मैं विशेष रूप से इस मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि यद्यपि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्य विषयों के बारे में हमने काफी उन्नती की है परन्तु इस विषय में मेरा राज्य अभी बहुत पीछे है। परन्तु भूमि सुधारों के बारे में हमारी कुछ समस्यायें हैं। जब हमने एक विधान बनाकर गोआ में किसानों को भूमि देनी चाही तो उस कानून को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। यह मामला 8 अथवा 10 वर्षों से अधिक समय से अब भी न्यायालय में लम्बित पड़ा है और भारत में स्वतन्त्रता के 40 वर्षों और गोआ में स्वतन्त्रता के 25 वर्षों के बाद भी गोआ सरकार खेती करने वालों को भूमि देने में सफल नहीं हो सकी है। मुकदमे के न्यायालय में लम्बित

होने के कारण खेती करने वालों को भूमि नहीं दी जा सकी है। इसके लिए मैं एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दूंगा। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय में महाअधिवक्ता अथवा हमारे वकील से यह अनुरोध कर सकती है कि वह न्यायाधीश महोदय से भूमि सुधारों से सम्बन्धित सभी मामलों में कार्यवाही करने और उन्हें 6 महीने में निपटाने के लिए अनुरोध करें। यदि ऐसा किया जाता है तो जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, वहां 20 सूत्री कार्यक्रम के एक सबसे महत्वपूर्ण विषय को पूर्णतः क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

दूसरे, मैं भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। अधिकतर राज्यों ने किसी न किसी रूप में भूमि की अधिकतम सीमा लागू कर दी है। परन्तु जहां तक गोआ का संबंध है, हम भूमि अधिकतम सीमा विधान बनाने में सफल नहीं हो पाये हैं। जब गोआ एक संघ राज्य क्षेत्र था तो केन्द्रीय सरकार को विधानों का प्रारूप भेजा जाता था जिसे वापस संघ राज्य क्षेत्र को भेजा जाता था और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करने अथवा संशोधन के लिए उसे पुनः केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाता था। यह स्थिति लगभग 5 अथवा 6 वर्षों तक जारी रही। गोआ सरकार को राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी हम किसी न किसी कारण से भूमि अधिकतम सीमा के बारे में कोई कानून नहीं बना सके हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे हमारे राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री को बुलाकर उन्हें इस बारे में सुझाव दें। मैं यह नहीं कहता कि आप उन्हे निर्देश दें। परन्तु आप उन्हें यह सलाह दे सकते हैं कि वे एक निश्चित तारीख तक भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में कानून बनायें। यदि यह साधारण सा कार्य हो जाता है तो मुझे विश्वास है कि इस कार्य को 3 माह की अवधि में ही पूरा कर दिया जायेगा। आज कल केन्द्र द्वारा राज्यों को कोई अनुस्मारक नहीं भेजे जाते हैं और केन्द्र द्वाना इस बात पर भी जोर नहीं दिया जाता है कि इस विधान के बारे में शीघ्रता की जानी चाहिए। यही कारण है कि राज्य सरकारें भी इस बारे में चुप हैं। अतः इस बात पर जोर अवश्य दिया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को यह बताया जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार यह चाहती है कि गोआ में भूमि की अधिमतम सीमा सम्बन्धी कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसा किए जाने के पश्चात् यह कानून बन जाएगा।

महोदय, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 60.65 लाख हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसमें से 45.13 लाख हैक्टेयर भूमि का वितरण कर दिया गया है और इससे 41.72 लाख व्यक्तियों को लाभ हुआ है जिनमें से 14.70 लाख लाभ भोगी अनुसूचित जाति के थे और 5.70 लाख लाभभोगी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित थे। ये आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर दिए गए है। यदि ये आंकड़े वास्तविक आंकड़ें हैं।

[हिन्दी]

अगर इन लोगों को समूचे सामान दे दिए गए हैं तो

[अनुवाद]

यह एक भारी उपलब्धि है। परन्तु गोआ में भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में कोई कानून नहीं हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत लाखों एकड़ भूमि का वितरण किया जा रहा है। यह स्थिति है। दूसरी बात 1.00 म. प.

जो मैं कहना चाहता हूं वह समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी के बारे में है। जहां तक इन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, मैंने एक सुझाव

भी दिया था और वह यह है कि हमें केवल अक्षरों का उल्लेख करने की बजाय इन कार्यक्रमों के नामों के साथ अपने कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के नाम जोड़ने चाहियें। जो कार्यक्रम हाल ही में शुरू किए गए हैं, उनके सम्बन्ध में, उनके साथ हमारे वयोवृद्ध नेताओं के नाम दिए जा रहे हैं। पहले भी नेताओं के नाम दिए जाते थे। अत जहां कहीं एन. आर. ई. पी. अथवा आर. एल. ई. जी. पी. जैसे अक्षरों का उल्लेख किया गया है मैं निवेदन करता हूं,

[हिन्दी]

मैं निवेदन करता हूँ कि अपने देश में बड़े नेता हैं, उनके नाम से ये प्रोग्राम जोड़े जाएं। इण्दिरा जी के नाम पर "इण्दिरा विकास पत्र" इश्यू कर दिए गए, केवल एक नाम जोड़ने से ही उसमें आत्मीयता आ गई और "इन्दिरा विकास पत्र" पोपुलर हो गए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये प्रोग्राम भी नेताओं के नाम से जोड़े जाएं। निगरानी रखने के सम्बन्ध में, आपने वार्षिक रिपोर्ट में ठीक ही कहा है कि "नवम्बर, 1988 तक देश में लगभग 70 प्रतिशत डी. आर. डी. ए. कार्यालयों में कम्प्यूटर लगा दिए गए हैं और इसके लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारियों के आंकड़ों के

[अनुवाद]

कम्प्यूटरीकरण तथा कम्प्यूटर संचालन में प्रशिक्षण दिया गया है। यह आशा की जाती है कि 31 मार्च, 1989 तक डी. आर. डी. ए. के सभी कार्यालयों में कम्प्यूटर लगा दिये जायेंगे।" यह बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कार्यक्रम की निगरानी रखने के उद्देश्य से कम्प्यूटरों की जरूरत है परन्तु विभिन्न कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा? अभी कुछ कृत्रिम साधनों द्वारा हासिल किये गये आंकड़ों से समस्या का समाधान नहीं होगा। मुझे मालूम है कि आपके पास कुछ तन्त्र हैं। परन्तु अभी आप राज्य सरकारों से आंकड़े लेते हैं और कम्प्यूटर में डाल देते हैं। वे केवल यही कहेंगे कि हमारा लक्ष्य इतना है और इतना हमने प्राप्त कर लिया है। इससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि क्या यह लोगों तक पहुंचा है या नहीं प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा था कि एक व्यक्ति को एक रुपया देने के लिए हमें प्रशासनिक ढांचे पर पांच रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसलिये, वास्तविक कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना होगा। उन आंकड़ों को एकत्र करके कम्प्युटर में भरना चाहिए। केवल तभी उन सभी योजनाओं के सम्बन्ध में हमारा कम्प्यूटरीकरण प्रभावी होगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह ग्रामीण जनसंख्या के बारे में है। यदि हम ग्रामीण जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना चाहते हैं तो पहले हमें उपयुक्त आधारभूत ढांचा प्रदान करना होगा उदाहरण के तौर पर टेलीफोन, शापिंग कम्पलैक्स, सिनेमा घर तथा गांव में प्रशासनिक इकाईयों का शक्तियां का विकेन्द्रीकरण इत्यादि। अतः, यदि हम शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के पलायन को रोकना चाहते हैं तो ये सुविधायें प्रदान करनी होंगी। यदि लोगों को सभी शहरी सुविधायें प्राप्त होंगी तो वे शहरी क्षेत्रों में नहीं जायेंगे। कुछ देशों में ऐसी सुविधायें दी गई हैं। उन्हें शहरी क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें ताजा हवा मिलती है जो शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। गोवा में भी ऐसी कई इकाईयां हैं। एक मात्र कठिनाई यह है कि जब हम ऐसी इकाईयां

बनाते हैं और यदि हम उन्हें विद्युत प्रदान नहीं कर सकते तो उससे कुछ कठिनाई आती है। गोवा जैसी जगहों में ऐसी कठिनाई है। अधिकांश जगहों पर हम उन्हें इमारतें दे रहें है परन्तु हम उन्हें पानी तथा विद्युत की आपूर्ति नहीं कर पाते। फिर उन्हें भू-खण्ड देने का क्या फायदा है? अपने चुनाव क्षेत्र में मैं जब दौरा कर रहा था तो इस योजना के सम्बन्ध में मुझे लोगों से मुख्य शिकायत यह मिली कि उन्हें कुछ भवन तो दिये गये है, परन्तु कोई उपयुक्त सुविधा नहीं दी गई है। इस प्रकार उन्हे भू-खण्ड तो दिये गये हैं परन्तु उन्हें उपयुक्त सुविधा नहीं दी गई है।

जहां तक कृषि सम्बन्धी शिक्षा का सम्बन्ध है—मुझे खुशी है कि श्री हरिकिशन शास्त्री यहां उपस्थित हैं—जब श्री शास्त्री ने मेरे निवेदन पर गोवा का दौरा किया था तो उन्होने एक बहुत अच्छी घोषणा की थी। इसका सभी ने स्वागत किया था। उन्होंने यह घोषणा की थी कि यदि एक कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु गोवा सरकार से प्रस्ताव आता है तो वह अपना पूरा सहयोग देंने और कृषि महाविद्यालय का उद्घाटन करने स्वयं गोवा आयेंगे। उन्होने यह आश्वासन दिया था।

हमें आशा है कि उनके आशीर्वाद से गोवा में शीघ्र ही एक कृषि महाविद्यालय खुल जायेगा। । भूमि अर्जन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु हमारी बहुत सी विकास गतिविधियों में केवल इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों के कारण ही देरी हो रही है। यदि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रिया को सरल बना दिया जाये तो हमारी अधिकांश परियोजनायें पूरी कर ली जायेंगी। यदि कोई सड़क पांच वर्ष में पूरी करनी है तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने के बाद इसे 2 वर्ष के अन्दर ही पूरा किया जा सकता है। कुछ जगहों पर लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जा सकता है यह आश्वासन दिया जा सकता है यदि भूमि आबादी के लिए वे अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते है तो उन्हें घर बैठे ही बाजार भाव पर भूमि मूल्य दे दिया जायेगा फिर हमारी बहुत सी परियोजनायें पूरी की जा सकती हैं क्योंकि इस प्रकार लोग, जहां तक भूमि आवाप्ति का सम्बन्ध है, सरकार को सहयोग करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : क्या मैं आज के लिए मध्यान्ह भोजन के लिए सभा को स्थगित करने संबंधी प्रस्ताव रख सकती हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस बात से सहमत है कि सभा को आज मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर दिया जाये?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.10 म. प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है। 1.06 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.10 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

---

2. 15 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.15 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपसभाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1989-90

कृषि मंत्रालय [जारी]

[अनुवाद]

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। विपक्ष के लोग पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। केवल दो सदस्य ही उपस्थित हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। श्री जगदीश अवस्थी।

(व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। विपक्ष इस सभा का एक अंग है·· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री जगदीश अवस्थी।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष जी, हमारे कृषि मंत्रालय द्वारा जो अनुदानों की मागें प्रस्तुत की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश माना जाता है जहां पर लगभग 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं और हमारे देश का मुख्य व्यवसाय ग्रामीण अंचलों में कृषि माना जाता है। आजादी के बाद यह सत्य है कि इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है लेकिन फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि इसमें और सुधार किया जाए क्योंकि जैसे-जैसे देश में आबादी बढ़ती जा रही है कृषि पर भार बढ़ता जा रहा है और यह भार कैसे कम हो, यह बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है।

हमारे देश में आजादी के बाद लगभग दो साल पहले कुछ प्रदेशों में बहुत बड़ा सूखा पड़ा जैसे गुजरात में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और राजस्थान में लेकिन बड़ी ही तत्परता के साथ सरकार ने और प्रधान मंत्री जी ने उस का सामना किया और देश के अन्य भागों में यह महसूस नहीं होने दिया गया कि देश में सूखा पड़ा हुआ है और कोई संकट आया हुआ है। उसका मजबूती के साथ मुकाबला किया गया और इस के लिए यह मंत्रालय बधाई का पात्र है। इस के साथ-साथ इस बात की आवश्यकता है कि जहां पर हम कृषि का प्रबन्ध कार्य करते हैं, तो दो प्रकार की खेती होती है। एक तो सघन खेती होती है, जिसको इन्टेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं। और एक व्यापक खेती होती है, जिसको एक्सटेंसिव खेतीकहते हैं, पर देश की आबादी बढ़ती जा रही है और होल्डिंग्स जो है, जोतें जो है, वे छोटी होती जा रही हैं, इसलिए हम अधिक उत्पादन करने के लिए सघन खेती पर ज्यादा जोर दें। एक बीघा जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इस की बड़ी आवश्यकता है। खेती स्वतः अपने पर निर्भर नहीं करती है। जब तक कि समय पर बिजली और पानी न उपलब्ध हो, तब तक कृषक अपनी खेती की उन्नति नहीं कर सकता। जहां तक पानी का सवाल है. यह सही है कि आप ने कुछ डेम बनाए हैं और नहरें बनी हुई हैं और पम्पिंग सेट्स लगाए हुए हैं और उन के माध्यम से सिंचाई होती है लेकिन जो नहरें बनी हुई हैं वे बड़ी नहरें बनी हुई हैं और नहरों के बारे में आम शिकायत यह रहती है कि नहरों से किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है। हमारे कानपुर जिले में नहरें बनी हुई हैं, बम्बे खुदे हुए है लेकिन टेल के खेतों तक वह पानी नहीं पहुंचता है और पानी न पहुंचने से किसान बहुत दुखी रहता है। मैं चाहूंगा कि आप राज्य

सरकारों से परामर्श कर के, जहां नई नहरें खुदी हुई हैं, बम्बे खुदे हुए हैं, उन का पानी टेल तक, पूंछ तक पहुंचवाएं ताकि किसानों के खेतों की सिंचाई की समस्या हल हो सके। साथ ही साथ राज्य सरकारों ने यह नियम बना रखा है कि जहां पर नहरें बनी हुई हैं वहां पर ट्यूबवेल नहीं लग सकते। इस नियम को बदलना चाहिए। जहां पर नहरें बनी हैं लेकिन उसमें पानी नहीं आता है तो वहां कृषकों को और सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वहां पर वे ट्यूबवेल बना सक जिससे कि वहां सिंचाई की व्यवस्था की जा सके।

इसके साथ-साथ बहुत सी ऊसर और बंजर भूमि पड़ी हुई है। खास कर उत्तर प्रदेश में बहुत ऊसर और बंजर भूमि पड़ी हैं। उस ऊसर और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार की योजना चलती है लेकिन उसमें पर्याप्त प्रगति नहीं हो पायी है। तो हम मंत्री जी से चाहेंगे कि आप उसका सर्वे करा कर उसके लिए योजना बनाएं। हमारे कानपुर जनपद, हमारे क्षेत्र में भी बहुत सा ऊसर पड़ा हुआ है। उस ऊसर की कानपुर कालेज ने कुछ भूमि लेकर फार्म बनाया ट्यूबवेल खोदा लेकिन किसान को उसका लाभ नहीं हो पा रहा है। हम चाहेंगे कि आप ऊसर और बंजर भूमि को लेकर के उसे उपजाऊ बनाएं और उसे किसानों को दें जिससे कि उसमें खेती हो सके और उससे आपको उपज मिल सके।

हम आप से यह भी चाहेंगे कि आम तौर पर यह शिकायत की जाती है कि किसान जो उत्पादन करता है, उस अनाज का उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। यह आम शिकायत सब तरफ से की जाती है। आपने कृषि मूल्य और लागत आयोग बनाया है। लेकिन आप इस बात को देखें कि लागत के बारे में आपने कौन-से मापदंड अपना रखें हैं। हर साल किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, उसके लिए जो आपने मापदंड बना रखे हैं उनमे सुधार की आवश्यकता है।

आज भी इस बात की शिकायत रहती है कि किसान जितना परिश्रम करता है, जितनी वह लागत लगाता है उसके हिसाब से उसको उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलता, उसमें उसको लाभ नहीं हो पाता। अतः इस बात को भी देखने की आवश्यकता है।

हमारे देश में कृषि की तकनीक का ज्ञान बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने कृषि विद्यालय बना रखे हैं जो खेतीबाड़ी के बारे में अनुसंधान कर के उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। उस ज्ञान के बारे में ऐसा लगता है कि वह कुछ सीमित हिस्सों में ही रहता है। उस ज्ञान का लाभ सब को मिले इसकी व्यापक व्यवस्था हो, कोई व्यापक कार्यक्रम बने। मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि हमारे कानपुर में बहुत बड़ा कृषि विद्यालय है। उसकी योजनाओं का जितना लाभ कृषकों को मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पाता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस प्रकार की योजनाएं बनाएं जिससे कि हमारी विज्ञान प्रगति का लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल पाए। आप ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कि गांव गांव में हमारे कृषकों को कृषि के नये-नये तरीकों की जानकारी हो पाए। इस बात की बड़ी आवश्यकता है।

आप जानते हैं कि बाढ़ और सूखा इन दो चीजों का किसानों को हर साल सामना करना पड़ता है। जब बाढ़ आती है तो आप उसके लिए राहत की व्यवस्था कर देते हैं लेकिन बाढ़ से लाखों एकड़ खेती बर्बाद हो जाती है। यह बात सही है कि बाढ़ आने के बाद उसकी खेती की उपज बढ़ जाती है। लेकिन बाढ़ आने से किसान को बहुत अधिक नुकसान होता है। इसलिए जहां पर अक्सर बाढ़ आती है वहां पर बाढ़ को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप बाढ़ आने के वक्त

व्यवस्था कर देते हैं, खाली इससे काम चलने वाला नहीं है। ये जो सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं इनके लिए आप निश्चित रूप से कार्यक्रम बनाएं, कोई स्थायी योजनाएं बनाएं तभी आप इनको रोक सकते हैं।

इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारे यहां बहुत जिलों में छोटी-छोटी नदियां बहती हैं। उनका बहुत-सा पानी बेकार चला जाता है। तो हम चाहेंगे कि जैसे कुछ प्रदेशों में व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, वहां के लिए भी कार्यक्रम बनाएं ताकि छोटे-छोटे बांध-बांध कर, उनका पानी इकट्ठा कर के उस पानी का सिंचाई के लिए उपयोग हो सके। इससे किसान को लाभ मिलेगा।

इसके साथ-साथ हम यह भी चाहेंगे कि हमारे यहां कृषि मौसम पर भी बहुत निर्भर करती है। अगर मौसम ठीक हो गया तो फसल अच्छी हो गयी। अगर बारिस हो गयी, ओले पड़ गये या सूखा पड़ गया तो फसल खराब हो जाती है। जब फसल खराब हो जाती है तो हम सारा दोष प्रकृति को देते हैं कि उसकी वजह से सारा गड़बड़ हो गया। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि प्राकृतिक आपदाओं से हम कृषि को कैसे बचाएं, इस बात पर आपको विचार करना पड़ेगा।

इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना बनायी गयी है उसका पूरा लाभ जो किसानों को नहीं मिल पाता है वह उनको मिले। आपने इसको कुछ जगह पर लागू किया है। मैं यह चाहता हूँ कि सभी जगह फसलों का बीमा होना चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे कानपुर जनपद में इस फसल बीमा योजना का प्रयोग करें और समस्त किसानों को इस योजना के अन्दर लाएं ताकि उनका जो नुकसान होता है, उसका लाभ उनको मिल सके। इसके साथ ही साथ आप कृषकों को खाद, बीज और बैंकों से ऋण भी दिलाते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि बैंको के माध्यम से खाद, बीज आदि के लिए जो ऋण दिया जाता है। उसमें पक्षपात होता है। खासतौर से जो सहकारी बैंक हैं उनके माध्यम से जो ऋण दिया जाता है उनमें बरसों से फर्जी ऋण पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में खासकर जिला सहकारी बैंकों में अरबों रुपया ऋण का पड़ा हुआ है, उसका सर्वे कराए और उसका सत्यापन भी नहीं हो पाया है। सत्यापन करवाकर ऐसे कृषक जिन्होंने ऋण नहीं लिया है उनको वह ऋण दिया जा सकता है। उसमें आपको योगदान करना चाहिए। इस बात का आपको प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह रुपया पड़ा रहेगा और किसान दुखी होते रहेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में राम-गंगा प्रोजेक्ट बनाया गया। स्कीम बनायी गई जिससे किसानों को खेत तक पानी मिल सके और पक्की नालियां भी बनाई गई। जिस वक्त नालियां बनायी गई उस वक्त कोई पैसा नहीं लिया लेकिन बरसों बाद नालियों पर पैसा लगाया गया जैसे पांच-छह हजार रुपया लगाया गया उसके बावजूद भी वह नालियां टूट गई और लाभ नहीं हो पाया। हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार इस बात को देखे कि राम गंगा प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जहां इस तरह की नालियां बनाई गई, कृषकों को नुकसान हुआ, उससे किसानों को मुक्ति मिलनी चाहिए। तिलहन और लहन दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज भी हमको बाहर से तेल आयात करना पड़ता है जबकि बहुत कोशिश की जाती है कि उत्पादन बढ़े। ऐसा कार्यक्रम बनाएं जिससे तिलहन की पैदाइश बढ़ सके। जितनी मात्रा में दालें होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। किसानों को यह बताया जाना चाहिए कि वे किस प्रकार की फसल बोएं। कभी गेहूं हो जाता है, कभी गन्ना हो जाता है और कभी कुछ और हो जाता है। कोई बेलेंस नहीं रहता है। आप इस बात की व्यवस्था करें जिससे किसानों को फसल के बारे में जानकारी हो और समुचित प्रबन्ध वह कर सके। फर्टिलाइजर के लिए आप नये कारखाने खोल रहे हैं और सब सिडी भी किसानों को दी जाती है।

बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया है कि जो नेचुरल खाद है उससे ज्यादा उत्पादन बढ़ सकता है। बनावटी खाद से उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन आगे चलकर उससे हैल्थ पर असर पड़ता है। मैं चाहूंगा कि गोबर और अन्य चीजों की खाद पर रिसर्च कराए तथा किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि आर्टिफिशियल खाद की बजाय नेचुरल खाद ज्यादा फायदेमंद है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री वी. एस. विजयराघवन (पालघाट) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ऐसी रिपोर्टें हैं कि अच्छे मौसम के साथ-साथ सरकार के कुशलता से कार्य करने की वजह से इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन: 175.2 मिलियन टन के लक्ष्य को पार कर जायेगा। इसके अलावा मौसमविद यह भी कहते हैं कि इस वर्ष सामान्य मानसून होगा। देश के किसान इस संबंध में बहुत खुश हैं। मैं प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री को खाद्यान्नों के इस अभूतपूर्व उत्पादन के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, पिछले वर्ष देश ने भयंकर सूखे का सामना किया है। इसका श्रेय सरकार को जाता है कि यह देश को इतने भयंकर सूखे के प्रभाव से बचा सकी। प्रधान मंत्री ने उन लोगों की तरफ जो कि देश के विभिन्न भागों में सूखे का सामना कर रहे हैं खाद्यान्न उपलब्ध कराने में विशेष ध्यान दिया। मैं उन्हें इस संबंध में समय पर लिए गए सभी कदमों के लिए बधाई देता हूं। इस विषय पर बोलते समय मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि इस वर्ष भी देश के कुछ भाग सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर केरल में जिला पालघाट। पूर्वोत्तर मानसून हमारे राज्य में लगभग असफल हो चुका है। पालघाट में अक्तूबर से दिसम्बर तक 80 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। 1-1-89 से 28-2-89 के मध्य पालघाट सहित केरल के समूचे मालाबार क्षेत्र में एक बूंद पानी भी नहीं बरसा है। इसके परिणामस्वरूप फसलों को भारी नुकसान हुआ है तथा पानी की बहुत कमी हो गई है। मैं, सरकार से स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय अध्ययन दल केरल भेजने का अनुरोध करता हूं। केरल सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1,000 हैक्टेयर में धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है और 14,000 हैक्टेयर में आंशिक रूप से नष्ट हुई है। केरल सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए दो करोड़ रुपए की मांग की है। इस सम्बन्ध में फैसला जल्दी किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा अन्य चीजों के अलावा पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई थी। यह मिशन केरल में क्रियान्वित किया जा रहा है। वस्तुत: मेरे जिले पालघाट में अभी इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। मेरी शिकायत यह है कि यह मिशन राज्य सरकार द्वारा ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। यह इस तथ्य से पता चलेगा कि मिशन 26-12-1986 को स्वीकृत किया गया था लेकिन 5-3-88 को ही इसका उद्घाटन किया जा सका। इससे इसमें राज्य सरकार की रुचि की कमी का भी पता चलता है। जब लोग पीने के पानी की कमी से परेशान हैं और चातक पक्षी की तरह पानी का इन्तजार कर रहे हैं तो भी राज्य सरकार की इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में रुचि नहीं है जिससे इस सूखा प्रभावित जिला क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है। केरल सरकार इस मिशन का दुरुपयोग कर रही है। मैं इस संबंध में आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। गांवों का चयन दल गत भावनाओं को

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 1983 में जब हमने गम्भीर सूखे की स्थिति का सामना किया तो तत्कालीन सरकार के साथ-साथ केन्द्र के सर्वेक्षण दल ने 11 गांवों का सूखा प्रभावित के रूप में चयन किया था। निस्सदेह समय के साथ-साथ यह संख्या बढ़कर 150 हो गई। इन गांवों का चयन करते समय कुछ मानदण्डों का अनुसरण किया गया था। परन्तु वर्तमान सरकार ने इन मानदण्डो को तिलान्जली दे दी है। वे ऐसे गांवों का चयन कर रहे है जहां से मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के विधान सभा सदस्य और पंचायत सदस्य चुन कर आते हैं। अतः राज्य सरकार ने इस मिशन को पूरी तरह से राजनैतिक रूप दे दिया है। यदि इसकी जांच की जाये तो मैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत देने हेतु तैयार हूँ। 1985 में जब माननीय प्रधान मंत्री ने केरल का दौरा किया तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि पालघाट जिले की विशेष समस्याओं पर भारत सरकार गम्भीरता से ध्यान देगी। इस घोषणा के अनुसरण में पालघाट को पानी के लिए प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल करने का फैसला किया था। पालघाट के लोग माननीय प्रधान मन्त्री के इस बात के लिए आभारी हैं। प्रधान मन्त्री ने अपने वचन का पालन किया, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया जिसे इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना था। उन्होंने हमें पालघाट में मिशन को क्रियान्वित करने के लिए चार करोड़ रुपए दिए है जबकि अन्य कई स्थानों को केवल दो करोड़ रुपए या ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ रु, मिले हैं। परन्तु क्रियान्वयन बहुत असंतोषजनक है। उदाहरण के तौर पर लक्ष्य 900 बोर कुएं बनाना था जबकि अभी तक केवल 500 ही बनाये गए है। इनमें से अब कवल 200 ही काम कर रहे हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है। अतः मैं सरकार से इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेने तथा इसे किसी केन्द्रीय ऐजेंसी द्वारा क्रियान्वित करने के लिए अनुरोध करता हूं।

महोदय, सरकार ने चौदह राज्यों में 169 जिलों को विशेष खाद्य उत्पादन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए चुना है। कई बार मैंने मांग की है कि केरल को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाये। वस्तुतः जब माननीय मंत्री श्री हरिकृष्ण शास्त्री ने पिछले वर्ष केरल का दौरा किया था तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस कार्यक्रम में केरल को शामिल करने के प्रश्न पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया जायेगा। परन्तु यह अब तक नहीं किया गया। है। वस्तुतः इस संबंध में केरल का मामला काफी मजबूत है। जैसे कि मंत्री महोदय को मालूम है केरल खाद्य के संबंध में कमी वाला राज्य है। हम अपना भोजन पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र आदि से प्राप्त करते है जहां से वह काफी दूर केरल में लाया जाता है। इससे खाद्यान्न अधिक महंगे हो जाते है। यदि दूसरी तरफ हम पर्याप्त खाद्यान्न अपने राज्य में ही उत्पन्न करने लगें तो हमें अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नये कार्यक्रम से हम निश्चित रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन कर सकेंगे। इस संबंध में मुझे अपने जिले पालघाट के बारे में कुछ कहना है, जोकि केरल का अन्न भंडार है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि केरल को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाये और पालघाट में इसे क्रियान्वित किया जाय। जैसे कि सभा यह जानती है कि राज्य सरकारों द्वारा आई. आर. डी. पी., एन. आर. ई. पी., आर. एल. जी. पी. और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। मैं पुनः कहूंगा कि ये कार्यक्रम मेरे राज्य में ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के कन्द्र द्वारा आवंटित धन को अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ी निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए कि धन जिस प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया है उसी के लिए वह खर्च किया

जाये। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन देने में भी असमर्थ है। इतनी तंग वित्तीय स्थिति में केन्द्र द्वारा इन गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग लाजमी है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि प्रभावी निगरानी व्यवस्था की जाये।

महोदय, नारियल केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वस्तुतः केरल नारियल के नाम से जाना जाता है। आज नारियल की अर्थव्यवस्था नारियल की कीमतों में एकदम कमी आने से लगभग ढह गई है। यह एक गम्भीर विषय है जिससे राज्य में लाखों छोटे नारियल उत्पादक प्रभावित है। नारियल के लिए एक समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग की गई है। मैं आज इस मांग को पुनः दोहराता हूं। निसंदेह मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें नेफेड को खोपरे को बाजार में बेचने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात समर्थन मूल्य निर्धारित करने की है। मैं सरकार से जल्दी से समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा नारियल उत्पादकों को बचाने के लिए अनुरोध करूंगा। मैं सरकार से नारियल को तिलहन घोषित करने के लिए भी अनुरोध करूंगा।

नारियल और काली मिर्च पर बीमारियां लग जाती हैं जिससे इन फसलों को काफी नुकसान होता है। हम अब तक इसका उपचार नहीं खोज पाये हैं। लाखों नारियल नष्ट हो जाते हैं और काली मिर्च की फसल का बहुत बड़ा भाग गम्भीर रूप से प्रभावित होता है। इस समस्या का निश्चित हल ढूंढने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिएं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था केरल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक नकदी फसलों पर निर्भर करती है। इन नकदी फसलों से हमें मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अतः यह केन्द्र सरकार का कर्तव्य है कि वह इन फसलों को नष्ट होने से बचाए। मैं सरकार से एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक दल इस समस्या का अध्ययन करने तथा रोगों पर अनुसंधान करने और तत्काल उपचार ढूंढने के लिए, नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं।

अन्त में, मैं फसल बीमा योजना के बारे में कुछ कहूंगा। यह योजना जहां तक चलन में है अच्छी है। तथापि इस योजना में कुछ खामियां हैं जिन्हें मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस वक्त फसल की कटाई तालुक स्तर पर की जाती है जो कि काफी दोषपूर्ण है। भले ही एक तालुक के कुछ भागों में फसल नष्ट हुई हो तो भी किसान बीमा योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा क्योंकि तालुक के बड़े भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष पालघाट के कुछ भागों में गंभीर सूखा पड़ा था लेकिन योजना की अपनी ही कमी के कारण मेरे जिले में भी किसान को यह लाभ नहीं मिला है। अतः मैं सुझाव दूंगा कि इस योजना में उपयुक्त संशोधन किए जायें और गांव को बीमा कवर उपलब्ध करने के लिए आधार इकाईयां बनाया जाए। यदि यह किया जाता है तो भले ही एक ही गांव में नुकसान हुआ हो तो भी किसान बीमे का लाभ पा सकेंगे। आखिर जब हम अपने लोगों के लिए एक योजना बनाते हैं तो हमें इस योजना को इस तरह क्रियान्वित करना चाहिए कि यह लाभ भोगियों की नियत की गई श्रेणियों को लाभ पहुंचा सके। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। मैं फिर एक बार मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का समय दिया।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मन्त्रीजी को, राज्य मन्त्री जी को उनके विभाग के सभी अधिकारीगण को, वैज्ञानिकों को और साथ ही देश के समस्त

किसानों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश में खाद्यान्न उत्पादन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मान्यवर, 1988-89 में भारत सरकार ने और माननीय कृषि मन्त्री जी ने खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 166.57 मि. मीट्रिक टन रखा था और उसको पुन: रिवाइज्ड किया है और 170 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे खुशी है और गर्व है कृषि मन्त्रालय पर, किसानों पर और उनकी मेहनत पर, हमारे कृषि वैज्ञानिकों को सूझबूझ पर और कार्य प्रणाली पर···आज हमारा उत्पादन उस लक्ष्य से भी अधिक होने की सम्भावना है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले खाद्य तेलों का आयात करने के लिये राष्ट्र के खजाने में से बहुत अधिक पैसा विदेशों में भेजा जाता था लेकिन आपने विशेष रूप से आयल सीड्स डैवलपमैंट की जो नीति अपनायी है, उसके अन्तर्गत इस वर्ष हमारे देश में जितना खाद्य तेलों का उत्पादन हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ, आप चाहे मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों, अलसी किसी भी चीज के उत्पादन को देख लीजिये, हमारा उत्पादन हर मामले में काफी बढ़ा है। मान्यवर, किसी भी देश में खाद्यान्न और कृषि जिन्सों के उत्पादन के लिये भूमि, जल, बीज, उर्वरक, खाद और किसानों की मेहनत, उनका श्रम आधारभूत तत्व हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, बेसिक रिक्वायरमैंट हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं। हमारे कृषि मन्त्रालय ने जहां देश में हरित क्रान्ति और उसके बाद श्वेत क्रान्ति लाकर देश के किसानों का आह्वान किया, आह्वान ही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ उनको समय-समय पर हर प्रकार से, सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और मौजूदा प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी का ध्यान सबसे पहले देश के किसानों की ओर, और उन का उत्पादन बढ़ाने की ओर गया। उन्होंने गांवों में रहने वाले किसानों के दुख-दर्द को पहचाना, उनके कष्टों को दूर करने के लिये काम किया। मैं अपने मौजूदा प्रधानमन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शासन की बागडोर सम्भालते ही, सबसे पहले इस बात पर बल दिया, जोर दिया कि इस देश के किसान की आमदनी कैसे बढ़े। मैं उनकी सूझ-बूझ के लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले यह कहा कि यदि योजनाओं के जरिये हमें देश का सिस्टैमैटिक तरीके से विकास करना है तो उसके लिये आवश्यक है कि हम गांवों में रहने वाले हर व्यक्ति को सबसे पहले आश्वस्त करें कि उसके लिये रोटी की व्यवस्था होगी, उसे खाद्यान्न फूड स्पष्ट आसानी से मिलेगा और रीजनेबल प्राइस पर मिलेगा। हमें खाद्यान्न के मामले में किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना है। इसीलिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत ऑब्जैक्टिव टारगैट रखा गया कि हमें खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर होना है। दूसरा टारगैट श्रम का रखा गया कि हमें किस तरीके से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। तीसरा टारगैट रखा गया कि देश का किस प्रकार तेजी से विकास करना है, हम कैसी समन्वित नीति अपनायें जिससे औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ सके, ताकि हम हर प्रकार के उपकरण बनाने में समर्थ हो सकें, उत्पादन बढ़ायें और देश में खुशहाली लायें। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने 1984 से लेकर आज तक जितने बजट पेश किये हैं, उन सब में कृषि को प्राथमिकता दी गयी है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ष उर्वरक के ऊपर हमने 3 हजार करोड़ रुपये की सहायता राशि किसानों को देने का निश्चय किया है। इतना अधिक प्रावधान किसानों को उर्वरक, फर्टीलाइजर आदि इस्तेमाल करने के लिये आज तक किसी बजट में नहीं किया गया, यह पहली बार है। इतना ही नहीं प्रधानमन्त्री जी ने इसी सदन में 1 मार्च, 1988 को घोषणा की थी कि किसानों को अधिक उत्पादन के लिये प्रेरित करने के लिये उन्हें ऋण की सुविधा दी जायेगी। मैं खुश हूं कि 15 हजार रुपये तक किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर हमारे प्रधानमन्त्री जी ब्याज की दर 1.5 रुपये प्रति सैंकड़ा से लेकर 2.5 रुपये प्रति सैंकड़ा की दर तक कम की

है। इससे जाहिर होता है कि वास्तव में हमारी सरकार और हमारे नेता श्री राजीव गांधी यह चाहते हैं कि किसानों को अधिक से अधिक ऋण सुविधायें मिलें। कृषि मन्त्री जी ने भी देश में करीब 160 या 140 जिले ऐसे छांटे हैं जिनमें समग्र रूप से उत्पादन वृद्धि के लिये अधिक ऋण दिए जाने और वहां विपणन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। उत्पादन बढ़ाने और विपणन की व्यवस्था करने से अब किसान को डिस्ट्रेस सेल के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्यों कि उसके घर में रखी जिन्स की कीमत आप उसे दे रहे हैं, इसके लिये मैं कृषि मन्त्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। यह आपकी सूझ-बूझ है। यह आपने अच्छा कदम उठाया है।

माननीय कृषि मन्त्री जी मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि आप केवल कुछ जिलों तक ही इस नीति को सीमित न कर के इसका अधिकाधिक विस्तार करें जिससे किसान को डिस्ट्रेस सेल न करनी पड़े। मजबूर होकर अपनी जिन्सों को न बेचना पड़े। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि उर्वरक की, जो आज आपकी खपत है वह 113 लाख मीटरी टन की है। उस पर मात्र 3 हजार करोड़ रुपये की सहायता सबसिडी आप देते हैं। आपने इसमें जो नया सिस्टम निकाला है जिसके अन्तर्गत आप मिनिकिट करके खास तौर से स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को सप्लाई करते हैं, यह नीति बहुत कारगर है। इसमें आप 20 या 25 किलो की किट बनाकर देते हैं। इससे किसानों को बहुत आसानी है। वे इसको बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी फर्टीलाइजर कम्पनियां हैं, उनको आप निर्देश दें कि वे अपने उत्पादन का 20 या 25 प्रतिशत रेशो के हिसाब से ऐसे किट्स लाजमी तौर पर बनायें जिससे उनको विक्रय केन्द्र पर छोटा किसान भी आसानी से खरीद सके।

माननीय मन्त्री जी, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने वर्तमान खाद विक्रय केन्द्रों के अलावा 30600 विक्रय केन्द्र और स्वीकार किए हैं, बढ़ाए हैं। इससे किसान को बड़ी आसानी होगी इन केन्द्रों से किसानों को खाद आसानी से मिल सकेगी। इसके साथ-साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि तिलहन, मूंगफली, सरसों और तारामीरा के सम्बन्ध में जिन जिलों में उत्पादन बढ़ा है, यानी जो इस प्रकार के जिले हैं जहां इन चीजों की पैदावार ज्यादा होती है, या जो अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, आप ऐसे चीजों को टैक्नोलोजी मिशन नहीं दे सके हैं। मान्यवर मैं अलवर जिले से आया हूं। हिन्दुस्तान में अलवर और भरतपुर ऐसे जिले हैं जहां सबसे अधिक पैदावार सरसों की हो सकती है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अलवर जिला हिन्दुस्तान का एक ऐसा जिला है जहां सरसों की पैदावार सबसे अधिक होती है और वहां की सरसों अन्य जिलों की तुलना में भाव में भी दस-बीस रुपये क्विंटल अधिक भाव से बेची जाती है। लेकिन अभी तक वहां मस्टर्ड आयल डिवलपमेंट के लिए लिए कोई रिसर्च सेन्टर या टैक्नोलोजी मिशन का कोई यूनिट नहीं है। मैं श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके पिता स्व. लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने इस देश के लिए "जय जवान जय किसान का नारा दिया और इस देश के किसानों का आह्वान किया था कि वे ज्यादा पैदा करें। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे इस तरह के सेन्टर अलवर जिले में कायम करें।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उन्होंने जवानों के बारे में भी कहा था।

श्री रामसिंह यादव : जवान तो आप बगल में बैठे हुए हैं।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नैशनल सीड कार्पोरेशन हमारे देश का बहुत ही अच्छा संस्थान है। यह बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। बहुत अच्छे बीज पैदा करता

है। लेकिन उसकी जो बीज की कैपेसिटी है वह बहुत कम है। मेरे अलवर जिले में, जो कि मेरी कांस्टीट्यूएन्सी का हेडक्वार्टर है, उससे नेशनल सीड कार्पोरेशन का विक्रय केन्द्र 8-10 कि. मी., शहर से दूर है जिससे किसानों को मालूम नहीं पड़ता है कि सीड कार्पोरेशन के पास कौन से सीड हैं कम से कम उसके लिए आप एक नीति बना दीजिए कि कार्पोरेशन की डिपो में जो सीड होंगे उनकी सूचना अखबार में दी जाएगी या पंचायत समिति के द्वारा किसानों को दी जाएगी जिससे किसानों को मालूम रहे। इस बार क्या हुआ, महाराष्ट्र तक हजार क्विंटल बीज वहां से ले गया और हमारे किसानों को मिल ही नहीं पाया। हमारे किसान रह गए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो विक्रय केन्द्र शहर से इतनी दूर है, उसको वहां से हटाइए और उसको शहर में लाइए जिससे वहां के किसानों को आने-जाने में आसानी हो सके। इसके अलावा आपने बीज विक्रय केन्द्र हैड क्वाटर या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर पर कायम किये हैं, मेरा निवेदन है कि आप सब डिवीजन हैडक्वाटर पर भी एन. एस. सी- के आफिस ले जाएं जिससे किसानों को सीड खरीदने में आसानी हो और ज्यादा दूर न जाना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर मूल्य नीति के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एण्ड प्राइस कमीशन ने एडवान्स में अपने भाव तय करना और उनकी घोषणा करना शुरू कर दिया है। लेकिन आज सरसों का भाव 460 रुपए है, जबकि सरसों के ऊपर आप कृषि मन्त्री जो जानते हैं कि बहुत रिस्क है। कीड़ा उसमें लगता है, पाला उसमें लगता है, चेंपा उसमें लगता है। हालांकि हमारे साइंटिस्ट्स कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने टी-59 किस्म पैदा की है जिसमें काफी रेसिस्टेंस है, लेकिन पूरी तरह से, अधिक पाला पड़ जाए, तो उसको रेसिस्ट कर सके, ऐसी अभी कोई भी किस्म तैयार नहीं हो पाई है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसके मूल्य को भी देखें। यह 460 रुपया, बहुत कम मूल्य है। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव 460/- रुपए से भी नीचे चला गया है, तो मान्यवर कृषि मन्त्री जी, आप नैफेड के माध्यम से, या डेयरी डवलपमेंट के माध्यम से या फिर आपकी जो दूसरी एजेन्सियां हैं, उनके माध्यम से, राजस्थान की मंडियों में सरसों की खरीद को अविलम्ब जारी करें जिससे कि किसानों को मजबूर होकर अपनी सरसों को कम दाम पर न बेचना पड़े। जो मूल्य आप तय करते हैं, उनमें गेहूं के साथ तो बिल्कुल इन्साफ नहीं है। गेहूं का मूल्य 183 रुपए तय किया है। आपको मालूम है कि गेहूं की फसल के लिए, कम से कम राजस्थान में जहां नहर नहीं है, मेरे जिले अलवर और भरतपुर में कोई नहर नहीं है, कुएं से पानी निकलता है, वहां किसान 8 बार पानी देता है बीज डालता है और 3 बार खाद देता है, और उसका भाव आपने 183 रुपए तय किया है जो कि बहुत कम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मूल्य को रिवाइज किया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र अलवर में राजस्थान सरकार का कृषि फार्म ग्राम पिनकी रूड़ी में जिला अलवर में है। इस कृषि फार्म में कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र खोला जाए अथवा सरसों, तिलहन विकास अनुसंधान केन्द्र अथवा तिलहन उत्पादन विकास टैक्नोलोजी मिशन खोलने की व्यवस्था की जाए जिससे सरसों की अच्छी फसल पैदा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्री जी और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं।

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, निस्संदेह कृषि और गांव विकास भारत के लिए ऐसा चीज है जिससे कहा भी जा सकता है कि यदि कृषि का विकास होता है तो भारत की तरक्की होती है। यदि किसान और गांव का विकास नहीं होता तो दूसरी कोई योजना

वक्त नहीं रखती। हमें इस बात का संतोष है कि हमारे नेता राजीव जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री श्री भजन लाल जी, स्वयं एक किसान हैं, सशक्त हैं और किसानों के दर्द को जानते हैं. उनके हाथों में कृषि और गांव विकास के महकमें जुड़े हैं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ये कृषि और विकास की योजनायें गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पातीं, उनका फायदा उनको नहीं मिलता क्योंकि ये योजनाएं बीच में सरकारी तंत्र में और जगह-जगह भ्रष्टाचार में फंस जाती हैं।

हमारे नेता तो बधाई के पात्र हैं ही, क्योंकि वह नेता हैं, लेकिन हमारे साथ में श्री भजनलाल जी भी बधाई के पात्र हैं। राजस्थान में गत 4 बरसों से किसान अकाल से जूझ रहे थे, उनका गांव में रहना दुश्वार हो रहा था हमारे कृषि मन्त्री जी ने उनकी सहायता करके अकाल से उबारा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि उस अकाल से निकलने के बाद जब किसानों से वसूली प्रारम्भ की गई, सहकारिता विभाग, पंचायत का विभाग भी आपके पास है सहकारिता समितियों के ऋण की जब वसूली की गई तो हमने आवाज उठाई कि इसको आपको देखना पड़ेगा। जिस जगह लगातार अकाल हो जाए, अगर वहां के किसानों के एक साथ वसूली की जाती है तो उसमें भारत सरकार को दखल देना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि जिन वर्षों में अकाल रहा है, उन वर्षों के ब्याज किसानों से न लिए जायें। आप पूरा कर्जा तो माफ नहीं कर सकते, आप श्री देवीलाल जी की तरह नहीं करना चाहते, यह ठीक है, लेकिन आप किसानों के विकास के लिए सही बात तो कर सकते हैं कि अकाल के समय का ब्याज उनसे न लिया जाए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक और दूसरे बैंकों से जो पैसा किसानों को दिया जाता है, जब वह उनसे वापिस वसूल किया जाता है तो जो प्रिंसिपल धन है, उसके दुगने से ज्यादा वसूल न किया जाए। इस तरह के आदेश आप जारी कर सकते हैं और किसानों को राहत पहुँचा सकते हैं।

गांव में पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में आपने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह लिखा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी गांवों को स्वच्छ पेय जल का कम से कम एक स्रोत दिया जाएगा लेकिन वहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान जैसे पिछड़े इलाके में बाड़मेर और जैसलमेर जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं वहां पर लोगों को बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी का ध्यान पाली जिले की उस ग्राम पंचायत समिति की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जहां आज टैंकों से पानी पहुँचाया जाता है। जब जवाई बांध से पानी लेने के लिये मांग की जाती है तो कहा जाता है कि जोधपुर को पीने का पानी दिया जायेगा। जोधपुर को पीने का पानी दें इसके लिये हम मनाही नहीं करते हैं लेकिन बीच में जो तालाब हैं और जिन को पानी दिया जाता रहा है उनको अब भी वह पानी दिया जाना चाहिये। हमारे कृषि मन्त्री जी इसके लिये राजस्थान सरकार पर दबाव डालें कि जहां पाली के अन्दर पेय जल की समस्या है वहां पर पानी उपलब्ध कराया जाये और जवाई बांध से उन तालाबों को भरा जाये।

राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां उसके एक तरफ पूर्वी इलाके में बाढ़ आती है और दूसरी तरफ पश्चिमी इलाके में सूखे की स्थिति रहती है। मेरा इस सम्बन्ध में एक ही निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्यों के अलग-अलग हिस्सों के लिये जो अलग-अलग प्रावधान रखे गये हैं उसी के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी इलाके के लिये एक अलग बोर्ड स्थापित करें जिससे

कि स्थायी तौर पर अकाल की समस्या का हल निकाला जा सके। वैसे आप अकाल के समय पूरी सहायता देते हैं लेकिन उसका परमानेंट हल ढूंढा जाना चाहिये। इसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान को बाढ़ से बचाने के लिये अलग बोर्ड की स्थापना करना आवश्यक है। आप तो जानते ही हैं कि राजस्थान का पूरा इलाका एक ही जलवायु से सम्बन्ध नहीं रखता है।

इसी प्रकार से फसल बीमा योजना राजस्थान के अन्दर लागू करनी चाहिये जिससे किसानों को सुरक्षा की गारन्टी मिल सके और अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिल सके। पशु धन, डेयरी विकास यह सब कृषि उत्पादन का एक ऐसा आवश्यक अंग हैं जो राजस्थान से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। राजस्थान के पश्चिमी इलाके के लोग आज भी दूधारु गाय और भैंसों के ऊपर निर्भर हैं। उनको गाय और भैंस खरीदने के लिये जो तीन हजार रुपये ऋण दिया जाता है वह बहुत कम होता है। तीन हजार के अन्दर कोई अच्छी गाय और भैंस नहीं आ सकती है। अगर आप अच्छी नस्ल की गायें और भैंसें उन्हें देना चाहते हैं कि उन्हें ऋण के रूप में 10 हजार या इससे अधिक धन राशि दें।

लैंड रिफार्म्स के अन्दर राजस्थान एक ऐसा इलाका रहा है जहां सामन्ती और जहांगीरदारों का राज रहा है। वहां अभी तक सीलिंग ऐक्ट लागू नहीं हो पाया है। बड़े-बड़े लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से, दूसरे आदमियों के नाम से और यहां तक कि जानवरों के नाम पर बेबाकी जमीनें ले रखी हैं। बहुत से भूमिहीन लोग जमीन के लिये तरसते हैं। आपको इस तरफ देखना पड़ेगा। राजस्थान में लैंड सीलिंग का ऐक्ट सख्ती से लागू करने के लिये आप एक समिति बनायें। ऐसी व्यवस्था करने के बाद ही हम अपनी समाजवादी नीति को और महात्मा गांधी व जवाहर लाल नेहरू जी के सपनों को साकार कर सकेंगे।

अब मैं सहकारिता की शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब मैं जिला सरकारी संघ का अध्यक्ष था तो मुझे मालूम है कि उस समय सहकारी संघ के माध्यम से सहकारी समितियों को जो शिक्षा दी जाती थी वह बहुत ज्ञानवर्धक होती थी और उससे बड़ा ज्ञान गांवों के अन्दर पैदा होता था। इससे सहकारिता में पनपने वाला भ्रष्टाचार भी कम होता था। लेकिन अब सहकारी शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है जिससे सरकारी कर्मचारियों और उन सहकारी समितियों के मैनेजरों की मार्यत शोषण होता है। इसमें सहकारी समितियों के अध्यक्ष और कार्यकरिणी कुछ नहीं कर पाते हैं। मैनेजर के हाथ में सारी शक्ति होती है। चाहे वह गबन कर दें, चाहे कुछ कर दें, कोई सुनने वाला नहीं है।

3. प्र. प.

आपके पास पंचायती राज भी हैं, सहकारी समितियां भी हैं। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि गांवों के विकास के लिए एक स्कूल के अलावा एक पंचायत और एक सहकारी समिति होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि पंचायती राज के ऊपर आप आने वाले समय में बहस करने वाले हैं। आपने यहां पर एक सम्मेलन बुलाया था। पंचायती राज की नींव को हमारे नेता राजीव गांधी जी मजबूत करना चाहते हैं, आप भी मजबूत करना चाहते हैं लेकिन पंचायती राज, ग्राम पंचायत और सहकारी समिति का क्षेत्र को टर्मिनस बनायें, पटवार सर्किल का क्षेत्र भी को टर्मिनस बनायें, पटवार सर्किल, ग्राम पंचायत और सहकारी समिति का क्षेत्र को टर्मिनस हमारे पूरे देश के अन्दर होगा तो हमारा पंचायती राज, हमारी सहकारी समितियां उन भ्रष्ट पटवारियों के ऊपर पंचायती राज का अंकुश हो सकेगा।

आपने समय दिया, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्ष 1989-90 की कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने जो विचार अब तक प्रकट किये हैं, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।

यह सन्तोष की बात है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने कृषि मंत्रालय की कार्य पद्धति पर, उसकी उपलब्धियों पर, उसकी भविष्य की योजनाओं पर संतोष व्यक्त किया है, उसकी सराहना की है।

वर्ष 1988-89 में योजनागत व्यय बजट में 703 करोड रुपया रखा गया था, उसके मुकाबले इस वर्ष के बजट में 800 करोड़ रुपये का तखमीना पेश किया गया है जो निश्चिय रूप से उससे अधिक है। इस सिलसिले में माननीय सदस्यों ने बहुत सी योजनाओं की चर्चा की है, अपने क्षेत्र में विशेष कार्यक्रमों की मांग की है, उसका प्रावधान इस बजट में किया गया है, चाहे भूमि सुधार का कार्यक्रम हो, चाहे खाद के वितरण का सवाल हो या चाहे किसान की मदद करने का सवाल हो, तिलहन उत्पादन में सहयोग देने की बात हो, इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से सहायता देने का प्रयास किया गया है।...

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : माननीय मन्त्री जी, आपने आई.सी.ए.आर. का बजट इतना काट दिया है कि वहाँ रिसर्च होना सम्भव नहीं होगा। क्या आप उसके बारे में विचार करेंगे देश की जितनी संस्थाएं हैं, आपने उनका बजट कई गुना बढ़ते देखा है लेकिन इसके बजट को इस बुरी तरह से काटा है जिससे मालूम होता है कि आप की किसी रिसर्च में कोई रूचि नहीं रह गई है।

श्री श्याम लाल यादव : माननीय सदस्य ने आई.सी.ए.आर. के बारे में जो कहा है, उसका उन्हें विस्तार से उत्तर अगले मन्त्री जी देंगे। मैं उस सम्बन्ध में इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ।

श्री रणवीर सिंह : बढ़ोतरी की बात तो आप कर रहे हैं, कटौती की बात वह करेंगे, आपको इस वक्त बताना चाहिए।

श्री श्याम लाल यादव : माननीय मन्त्री जी इस तमाम बहस का जवाब देते हुए इन बातों का बयान करेंगे। मैं शुरू में ही उसमें कोई इजाफा नहीं करना चाहता। कुछ बातें कहीं गई हैं, या जो नहीं कही गई, शायद चर्चा में उठाई जायेंगी, मैं उन्हीं की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था।

कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और कुल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने जब सातवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया तो उन्होंने देखा कि कृषि के उत्पादन में स्थिरता सी आ गई है इसीलिए उन्होंने विशेष खाद्यान्न योजना का कार्यक्रम वर्ष 1988-89 में पिछले वर्ष शुरू किया। देश के जो 14 प्रमुख अनाज उत्पादक प्रदेश हैं, उन्हीं राज्यों के 169 जिलों का चयन किया गया। अभी केरल के माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके प्रदेश में यह कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया तो मैं बताना चाहता हूँ कि केवल जो प्रमुख अनाज उत्पादक प्रदेश थे और उनमें जो मुख्य जिले थे वहीं पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया क्योंकि नाम से ही विदित होता है कि विशेष खाद्यान्न योजना थी और उस योजना को कार्यान्वित करने

में माननीय सदन सहमत होगा कि देश ने जो उपलब्धि प्राप्त की है और जो उत्पादन हुआ है वह अपने आप में एक रिकार्ड है। इस साल 17 करोड़ टन से अधिक अनाज पैदा हुआ है। इस देश के इतिहास में बहुत बड़ी बात है। हमें इस पर ही संतोष ही नहीं करना है, हमें इस तरह की योजनायें बनानी हैं, इस तरह के कार्यक्रम बनाने हैं, जिससे अधिक उत्पादन हो सके और अगले तीन सालों में। इसलिए 1990-91-92 के बीच सोचा गया है कि प्रतिवर्ष गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन हो, इन तीन सालों में 4.5 मिलियन टन। इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इसके लिए हमारे विभाग ने अभी से कार्यवाही शुरू की है और ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं, जिससे हम यह कह सकते हैं कि हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे।

इस साल के बजट में जो मुख्य बातें की गई हैं, जिस तरफ सदन का ध्यान जाना चाहिए, मैं बहुत ही संक्षेप में उनका जिक्र करना चाहता हूं। हालांकि कई माननीय सदस्यों ने उसके बारे में अपने विचारों को रखा। पहला यह कि कृषि क्षेत्र में बैंकों के माध्यम से जो कर्ज का प्रतिशत दिया जाता था, उसको 17 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया जा रहा है। उसके द्वारा उम्मीद की जाती है कि चाहे हमारे कामर्शियल बैंक्स हो, ग्रामीण बैंक हो या को-आपरेटिव बैंक हो, इनके माध्यम से जो कर्जा दिया जाएगा इस वर्ष वह पिछले साल के मुकाबले में चार हजार करोड़ रुपया अधिक दिया जाएगा। जो किसान 15 हजार से 25 हजार कर्ज लेंगे, उनके लिए सूद की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। जो किसान मुर्गी पालन करते हैं, उनको 33-1/3 प्रतिशत की इनकम टैक्स में छूट दी गई है, जिससे मुर्गी पालन को प्रोत्साहन मिले और अधिक लोग इस काम को करें। स्कीम्ड मिल्क पाउडर और कन्डेंस्ड मिल्क पर भी एक्साइज ड्यूटी 15 परसेंट से घटाकर 10 परसेंट कर दी गई है। मछली मारने वालों के जो जाला बनाने के लिए या उससे संबंधित मशीनरी जो बाहर से मंगाई जाती थी, उस पर ड्यूटी 90 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। जिससे कि मछली मारने वालों को प्रोत्साहन मिले और वे इस उद्योग मे सफल हो सकें। बीज उत्पादन के लिए, उसके विकास के लिए सितम्बर, 1988 में प्रधान मंत्री ने एक विशेष कार्यक्रम घोषित किया था, जिसके तहत आशा की जाती है कि फल, सब्जी और फूलों के नए-नए किस्म के बीज दुनिआ से आयेंगे, मशीनरी और दूसरा आदान जो खेती के बीज के उत्पादन में और उसके प्रोसेसिंग से ताल्लुक रखते हैं, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 40 परसेंट एडवलोरम कर दी गई है। उसी तरह से जो मुर्गी के खाने का फीड होता था या जो अमीनोएसिड सोड बनता है, उस पर ड्यूटी 147.25 परसेंट से घटा कर 70 परसेंट कर दी गई है। खाद और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी आप जानते हैं कि दी जाती रही है। सन् 1980-81 में 1,179 करोड़ रुपए थी, 1988-89 में 4,343 करोड़ रुपए हो गई और इस वर्ष 1989-90 में यह सब्सिडी बढ़ाकर 5,173 करोड़ रुपए हो जाएगी। किसानों द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए प्रधान मन्त्री जी द्वारा जो कदम उठाया गया है, मैं समझता हूं कि उसका प्रभाव पड़ेगा और किसान जिस मेहनत से पैदावार बढ़ा रहे हैं, उसमें वे अधिक सफल होंगे।

सदन जानता है कि पिछले वर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस तरह से सूखा पड़ा, वर्ष 1987-88 में, जिसके फलस्वरूप अनाज की पैदावार काफी घटी। लेकिन जिस तरह की आशंका थी उस के मुकाबले में बहुत कम घटी। 1986-87 के मुकाबले में 3.5 परसेंट की केवल कमी हुई। सूखे का बन्दोबस्त, उसके पहले सतत् प्रयास होता रहा और एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाता रहा, जिसके चलते सूखे का प्रभाव बहुत कम हुआ। उससे यह पता चलता है कि हमारी खेती में सहनशक्ति उत्पन्न हुई है। और हमने वह स्थान प्राप्त कर लिया है खेती के क्षेत्र में, जहां हम इस तरह की मुसीबत का मुकाबला कर के मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं। इस में किसान का

जो योगदान है, वह बहुत ही सराहनीय रहा है। मान्यवर 1988-89 में जैसा मैंने कहा, खेती के उत्पादन में जो सफलता मिली, वह सभी के लिए बहुत ही गौरवान्वित है। खेती की तरक्की के लिए जो विशेष और बहुत से कार्यक्रम थे, उन में प्रधान मंत्री जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि मानसून के ऊपर इस तरह से प्रभाव रखें, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें और समय-समय पर उस को बताते रहें और देश को तमाम जमीन के हिसाब से, बरसात के हिसाब से, जो सिंचाई के लिए पानी मिलता है, उस के हिसाब से इस तरह के क्षेत्रों में बांटा जाए जहां पर विशेष कार्यक्रम उस क्षेत्र विशेष को देख कर चलाए जाएं। इस तरह से 15 एग्रो-क्लाइमेटिक रीजन्स बनाए गये हैं और इन रीजन्स को फिर और छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें जमीन की पैदावार की क्षमता क्या है, सिंचाई के क्या साधन हैं, बरसात कितनी होती है, इन तमाम चीजों का विचार कर के काम किया जाता है। जो इस तरह के जोन्स बने हैं, वे एक जो सीनियर वाइस चान्सलर होता है कृषि विश्वविद्यालयों का, उस को इन्चार्ज बनाया गया है और वह उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं और कमियों को देख कर किसानों को सलाह देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और उन को किस प्रकार से सहायता देनी चाहिए, यह भी वे बताएं।

एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं, वह कृषि का जो समर्थन मूल्य तय करने की बात है, उस के बारे में कहना चाहता हूं। कई सदस्यों ने कहा, सदन के बाहर भी और भीतर भी, अनेक बार इस पर चर्चा होती है और कृषि मूल्यों के बारे में अनेक प्रकार की बातें उठाई जाती हैं और जिस व्यक्ति के मन में या जिस दल के मन में जो भाव आता है कि यह भाव गेहूं का देना चाहिए, यह तिलहन का देना चाहिए और यह धान का चाहिए, वह कहता है लेकिन वे उन वास्तविकताओं पर विचार नहीं करते, जिन के आधार पर ये मूल्य तय किये जाते हैं। इसलिए यह जो पहले कमीशन था, कृषि मूल्य आयोग, इस का नाम भी प्रधान मंत्री जी ने बदल कर रख दिया है और अब यह कमीशन फोर एग्रीकल्चरल कास्ट्स एण्ड प्राइसेज यानी कृषि मूल्य और लागत आयोग है और वह पैदावार और उस के उत्पादन में जो खर्चा हो, दोनों पर विचार कर के मूल्य निर्धारण का काम किया जाता है और प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने पिछले तीन, चार वर्षों में यह किया है कि फसल बोने से बहुत पहले उस फसल का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाता है, जिससे किसानों को पता हो कि जो फसल वह बोने जा रहा है, उसकी क्या कीमत उसे मिलेगी और कीमत को देखते हुए वह अपनी फसल का चुनाव भी कर सकता है। दूसरा जो बहुत बड़ा कार्य प्रधान मंत्री जी ने किया है, वह यह है कि कृषि मूल्य और लागत आयोग में जो छः सदस्य होते हैं उन में तीन किसानों के प्रतिनिधियों को रखा है, जिससे किसानों की बात आयोग के सामने आती रहे और उन की बात पर विचार करके, वह अपनी सिफारिश करे। कृषि मूल्य और लागत आयोग जब जिन्सों के दाम तय करता है, तो उसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखता है, उत्पादन का व्यय क्या हुआ है, जो आदान है कृषि का, उस के मूल्य में क्या तब्दीलियां होती रहती हैं, जो पैदा करता है किसान और जो खरीदता है अपनी आवश्यकता की चीजें, उन दोनों के बीच में क्या पैरिटी है, बाजार का भाव क्या है, वस्तु की मांग और पूर्ति का क्या इन्तजाम है, क्या परिस्थिति है, एक फसल और दूसरी फसल के भाव में क्या एक रूपता है, समानता की क्या बात है, उस फसल का दाम तय करने से हमारे औद्योगिक क्षेत्र की चीजों के मूल्यों पर क्या असर पड़ेगा और उस भाव का आम बाजार भाव पर क्या असर पड़ेगा, उस का असर हमारी कास्ट आफ लिविंग पर क्या पड़ेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उस का भाव क्या है, उसके अलावा जो प्राइस दी जाती है किसानों को या जो प्राइस अपनी चीजें खरीदने के लिए देता है, उन दोनों के बीच क्या पैरिटी है, इन तमाम चीजों पर वह विचार करता है और उन पर विचार करने के बाद फिर वह केन्द्रीय सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेजता

है और सरकार राज्यों से पूछ कर, उनसे विचार-विमर्श करके, इस बात को देखती है कि किसानों को तमाम खर्चों के बाद, मुनासिब फायदा भी मिलना चाहिए। उसे एक रीजनेबल मार्जिन आफ प्राफिट भी प्राप्त होना चाहिए जो कि किसान के लिए उत्साहवर्धक हो। इसीलिए, मान्यवर, कृषि मूल्य और लागत आयोग इन तमाम चीजों पर विचार करता है।

इसमें एक बात बार-बार कही जाती है कि किसान का जो उत्पादन मूल्य है वह बहुत बढ़ता जाता है और उसके लिए जो समर्थन मूल्य तय होता है वह उसके उत्पादन व्यय के बराबर नहीं मिलता है। प्रश्न उठता है कि यह उत्पादन व्यय क्या है ? देश के किसानों की जिंसों का उत्पादन व्यय जब यह आयोग विचार करने के लिए देखता है तो वह उन तमाम बातों को देखता है जो वास्तव में कृषि के उत्पादन में लगती हैं। जैसे किसी को क्या मजदूरी देनी पड़ती है जो किराये का मजदूर रखता है अगर कोई अपने जानवर रखता है तो उसका जो व्यय होता है या जो किराये के जानवर रखता है तो उसका किराया देखता है। या जो मशीनें किराये पर लेता है, जैसे ट्रेक्टर, ऋशर आदि लेता है, पम्पिंग सेट हैं ये लेता है इनका जो किराया वह देता है, या जो मशीनें उसकी खुद की होती हैं उन पर जो लेवर चार्ज लगता है इसको भी आयोग देखता है। जो बीज किसान उपयोग में लाता है उसका क्या व्यय होता है। चाहे उसका खुद का बीज हो, या बाजार से खरीद कर लगाता है उसको भी देखा जाता है ! इनके अलावा जो कीटनाशक दवाएं लेता है, उसका क्या व्यय होता है, या जो खाद डालता है, चाहे वह खरीद कर, चाहे अपनी खुद की, गोबर की, या फिर रसायनिक खाद खरीदता है, उसकी क्या कीमत है, उसमें जो ओजार लगते हैं, इन तमाम चीजों का मूल्यांकन होता है। सिंचाई का जो व्यय है, उसे जमीन की जो मालगुजारी देनी पड़ती है, टेक्स देता है, जो कर्ज लेता है, उसके वर्किंग केपिटल पर जो सूद देता है, उसके व्यवहार में जो दूसरे खर्चे होते हैं, जो जमीन का रेंट देता है, जमीन को छोड़कर जो उसके दूसरे केपिटल असेट्स हैं, उन पर जो सूद देना पड़ता है ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। मान्यवर जो जमीन होती है उसकी वेल्यु भी तय की जाती है, उसकी इन्क्रीडेंटल वेल्यु। उसका खेत में जो श्रम लगता है, उसकी वेल्यु भी जोड़ी जाती है।

इस तरह से आप देखेंगे खेती की पैदावार में कोई ऐसा व्यय नहीं है जिसको न देखा जाता हो। कास्ट आफ प्रोडक्शन में तमाम चीजों को देखने के बाद उनको जोड़ा जाता है और फिर मूल्य तय किया जाता है इसलिए मैं समझता हूं कि यह आरोप निराधार है या अज्ञानतावश लोग लगाते हैं कि खेती की पैदावार का जो मूल्य या जो लाभ किसान को मिलना चाहिए वह नहीं उसे दिया जाता है। तमाम चीजों पर विचार करके ही दाम तय किये जाते हैं।

उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि अरहर, मूंग और उड़द का समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले में इस साल 35 रुपया क्विंटल अधिक तय किया गया है और 89-90 के दाम बढ़ाने के लिए 35 रुपया क्विंटल बढ़ा है। इसी तरह से आयल सीड, दलहन, या दाल जैसी हर चीज में मूल्य हर साल बढ़ाया जाता है। मूंगफली के दाम में भी 40 रुपया क्विंटल की वृद्धि हुई है सनफ्लावर में 60 रुपए क्विंटल, रेपसीड, सरसों का भी 30 रुपया क्विंटल दाम बढ़ाया गया है।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा (गूंटूर) : अन्य कीमतों के संबंध में ?

श्री श्याम लाल यादव : उसी वस्तु के पिछले वर्ष की कीमतों के संबंध में।

[हिन्दी]

माननीय, एक बात मैं और कहूंगा। बहुत बार कहा जाता है कि समर्थन मूल्य में सारी चीजें खरीदी जाएं। हम गेहूं या चावल तो खरीदते ही हैं, फूड कारपोरेशन या दूसरी संस्थाओं के लिए लेकिन जहां दूसरी चीजें पैदा होती हैं उनकी भी खरीदारी का इन्तजाम भारत सरकार की तरफ से नाफेड करता है। वह हमारी सेंट्रल एजेंसी है जो मुख्यत: खरीद सकती है। इसके अलावा अभी केरल के माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके यहां जो नारियल होता है, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में आलू या महाराष्ट्र में प्याज होता है, उसके दाम गिर रहे हैं यह सही है। यह कोशिश की जा रही है कि नारियल की सपोर्ट प्राईस कुछ तय की जाए या नहीं की जाए : यह प्रश्न विचाराधीन है। मुझे आशा है कि इस पर जल्दी निर्णय होगा। लेकिन जहां तक मार्केटिंग इन्टरवेंशन का सवाल है, यह काम नाफेड के जरिये से करने पर हम विचार कर रहे हैं। इसके बारे में जैसा कि मैंने एक हफ्ते पहले इस सदन में कहा था उस पर हम शीघ्र ही निर्णय कर रहे है। इसी तरह से अण्डे के बारे में भी नेफेड मार्केट इन्टरवेंशन कर रहा है। मार्केट इन्टरवेंशन और सपोर्ट प्राइस खरीद में इतना ही फर्क है कि मार्केट इन्टरवेंशन में राज्य सरकार आधा घाटा वहन करती है जबकि सपोर्ट प्राइस खरीद में सारा घाटा भारत सरकार को देना होता है। इसलिए जो राज्य सरकारें चाहती हैं कि उनके प्रदेश में ऐसी जिंस हैं जिसका मार्केट इन्टरवेंशन होना चाहिए तो उन्हें सहर्ष इस कार्यक्रम को स्वीकार करना चाहिए ताकि वे भी इसमें अपनी भागीदारी कर सकें।

माननीय, खेती की उपज बढ़ाने के लिए नई बीज नीति जो घोषित की गई है वह बहुत उत्साहवर्द्धक है और उससे किसानों को काफी लाभ होगा। बीज का उत्पादन सारे देश में बढ़े और अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाए जाएं यह कोशिश सरकार की है। आज किसान भी बहुत जागृत है, कुछ दिन पहले किसान खुद का बीज उपयोग करता था, नए बीज के चक्कर में नहीं रहता था, लेकिन अब किसान जागृत है और हर साल नया बीज लेना चाहता है। इस बारे में सरकार भी उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करती है। इस सिलसिले में वर्ष 1987-88 में कुल 56.30 लाख टन, 1988-89 में 56.80 लाख टन बीज बांटा गया और 1989-90 में कुल 70 लाख टन का लक्ष्य है, इसमें आइल सीड और जिंस की सोरियल्स भी शामिल हैं। राज्य सरकारें भी किसानों को बीज उपलब्ध कराती है। हम चाहते है कि अच्छे बीज का उत्पादन बढ़े, किसान स्वयं भी बीज का उत्पादन करे, इससे उसको भी फायदा होगा और किसानों की जरूरत भी पूरी हो सकेगी. अधिक से अधिक बीज किसानों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा : और बीजों में कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्यामलाल यादव : कोशिश यही की जाती है कि मिलावट न हो और जहां जहां भी इसका पता लगता है, तत्काल कार्यवाही की जाती है।

माननीय, पशुपालन पर भी विशेष बल दिया गया ताकि लोगों को अधिक काम मिल सके और उनकी आमदनी भी बढ़े। इसके परिणामस्वरूप दूध का उत्पादन बढ़ा है। वर्ष 1985-86 में 440 लाख टन दूध का उत्पादन था जो बढ़कर 1988-89 में 487 लाख टन हुआ। इसके साथ ही दूध उत्पादन कार्यक्रम में एन. डी. डी. बी. का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी यह कार्यक्रम अधिक सफल हो सका है। सभी माननीय सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सरकारी संस्थाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को मजबूत करें। पशु-

पालन के काम में अधिक दिलचस्पी है और जिस तरह से आनन्द में सहकारी संस्थाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, अन्य भागों में भी उसका अनुसरण करें. इससे देश को अधिक लाभ होगा।

मछली पालन में भी काफी प्रगति हुई है। 1988-89 में 31.34 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है जबकि 1985-86 में यह 28.76 लाख टन था। मुल्क के अन्दरूनी हिस्से और समुद्र में मछली उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें, ट्रेडीशनल मछुआरे इसका अधिक फायदा उठा सकें।

मान्यवर, किसानों को नई टेकनीक की जानकारी देने का भी बराबर प्रयास हो रहा है। लैंड टू लैंड कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। टी एण्ड वी स्कीम, ट्रेनिंग एण्ड विजिट का कार्यक्रम किसान सहायक के माध्यम से चलाया गया, जहां यह कार्यक्रम चलाया गया वहां पर काफी सफल रहा। हाल ही में 25 मार्च से 10 अप्रैल तक दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय कृषि मेला लगाया गया जिसे देखने के लिए लगभग डेढ़ लाख किसान आए। इस तरह के कार्यक्रमों से किसानों में जागृकि आती है, देश के हर भाग से लोग वहां पर आए और इसका लाभ उठाया। हमें आशा है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे और किसान इसका लाभ उठायेंगे।

हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए मानसून या जलवायु की लम्बी अवधि की जानकारी प्राप्त करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया है, इसके माध्यम से हमें विश्वास है कि किसानों की काफी लाभ होगा, किसान उसके अनुसार अपनी फसल बो सकेंगे, प्राकृतिक विपदाओं से अपने को बचा सकेंगे और अपनी फसल को बचा सकेंगे। यह कार्यक्रम कृषि मंत्रालय में बहुत ही सफलता और परिश्रम से किया गया है। देश में जो सूखा पड़ा या बाढ़ आई, वहां पर लोगों की अधिक मदद करने और राज्यों को सहायता देने के लिए बहुत ही तत्परता से विभाग ने काम किया। जो भी कार्यक्रम बनाए गए उनको निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास किया गया। राज्यों से जो रिपोर्टस आई या मेमोरेंडम आते हैं, उस पर टीम वहां पर जाती है और विचार करती है, उसकी सिफारिश पर सरकार फैसला करती है और एक महीने के अन्दर अन्दर सहायता करने की कोशिश करती है। पिछले वर्ष देश में जो सूखा पड़ा या बाढ़ आई, उसमें भारत सरकार ने जो योगदान दिया, प्रधान मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की सहायता का तत्काल इन्तजाम करवाया। कृषि मंत्री जी ने कृषि मंत्रालय के संचालन में जो नेतृत्व प्रदान किया है, इस क्षेत्र में उनकी जो व्यक्तिगत जानकारी है और उनकी जो भूमिका रही है, उसकी सराहना किए बगैर मैं नहीं रह सकता, उनके नेतृत्व में विभाग ने बड़ी सक्रियता से काम किया है। प्रधान मंत्री के कार्यक्रम को भी सक्रियता से पूरा किया गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कृषि विभाग से जो अपेक्षायें किसानों को हैं या देश के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उनको कृषि मंत्री जी के नेतृत्व और प्रधान मंत्री जी के निर्देशन में विभाग अवश्य पूरा करेगा। इसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिन रात काम कर के कृषि उत्पादन में आशातीत सफलता प्राप्त की है।

श्री बुधार सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, 2-3 मिनट का समय शेष रह गया है, मुझे उम्मीद है कि अगली बार मुझे बोलने का मौका मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के ऊपर मेरे से पहले बहुत से सदस्यगण बोल चुके हैं और सबने चाहे वे अपोजीशन, के हों, या कांग्रेस

पार्टी के हों, कृषि क्षेत्र में जो देश ने उन्नति की है, उसके लिए बधाई दी है, मैं भी अपने आपको उनमें जोड़ना चाहता हूं। कृषि की तरफ भारत सरकार और राज्य सरकारों का विशेषतौर पर ध्यान गया है और कृषि के सभी अंगों में ज्यादा धन उपलब्ध कराया जा रहा है। तकनीकी सहायता भी पहले के मुकाबले ज्यादा मिलने लगी है, वह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए मैं भारत सरकार और कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इससे भी बड़ी बात उपाध्यक्ष महोदय यह है कि पहले कृषक जो बहुत पुराने विचारों का था, अब पिछले कई वर्षों से सरकार के प्रयासों के कारण बहुत जागृत हुआ है और नए विचारों और नई टेकनालाजी की तरफ पूरा ध्यान देता है, उसको गृहण करने की उसकी मंशा है। सरकार की तरफ से मदद करने की इच्छा और किसान की तरफ से उसको गृहण करने की भावना, इन दोनों की वजह से कृषि क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। अभी तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी यह थी कि हम नए विचारों को बड़ी मुश्किल से ग्रहण करते थे, लेकिन आज हर रोज टीवी और रेडियो पर जो प्रोग्राम आते हैं, बाकी लोग उनको सुनें या न सुनें लेकिन कृषक उसको बड़े ध्यान से देखता सुनता है और उसको अमल में लाने की कोशिश करता है। यह बहुत अच्छी बात है और में महसूस करता हूँ कि कृषि क्षेत्र में सरकार की मदद से किसान बहुत उन्नति कर सकेगा।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण 19 अप्रैल को जारी रख सकते हैं।

3.30 म. प.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

6वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करौल बाग) : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 11 अप्रैल, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गये 64वें प्रतिवेदन से सहमत है।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 11 अप्रैल, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए 64वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किए जाने के लिए उपायों के बारे में संकल्प–(जारी)

3.30 ½ म. प.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम डा० कृपासिन्धु भोई द्वारा 31 मार्च, 1989 को प्रस्तुत किए गए जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करने के उपायों सम्बन्धी संकल्प पर और आगे चर्चा करेंगे। श्री अजीज कुरैशी अपना भाषण जारी रख सकते हैं वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। श्री जाटव।

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव (भुरैना) : डा भोये ने परिवार नियोजन के सम्बन्ध में छोटे परिवारों का जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आजकल देश में छोटा परिवार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और इससे उसे रोकने में नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। इस जनसंख्या के आधार पर देश के अन्दर चार भाइयों का परिवार है और उसके पास 25 बीघा जमीन है तो उस जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं और बेरोजगारी छा जाती है। इसी कारण देश में अधिक बेरोजगारी हो गई है, गांवों के पढ़े-लिखे नौजवान लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है। मैं ज्यादा न कहते हुए इसका समर्थन करता हूं कि परिवार नियोजनों पर ज्यादा से ज्यादा कार्य किया जाए।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या विस्फोट की समस्या है जिसे उच्च स्तर पर तथा अत्यधिक शीघ्रता से हल किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक हमारी जनसंख्या वृद्धि का सम्बन्ध है हम सभी इस बात को जानते हैं कि हम भारत में एक आस्ट्रेलिया जोड़ रहे हैं। बहुत अधिक मात्रा में कृषि उत्पाद होने के बावजूद आज देश में खाद्यान्नों का उत्पादन 170 मिलियन टन से भी बढ़ गया है—मैं नहीं समझता कि 2000 ई. तक हम अपनी विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के साथ अपने कृषि उत्पादनों का मिलान करने में समर्थ होंगे। जहां तक हमारी जनसंख्या के लिए आवश्यक आवासों, विद्यालयों तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का सम्बन्ध है इसमें हम बहुत अधिक पिछड़ जाएंगे। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग तथा हमारे बजट आवंटन का अधिकांश भाग केवल आधारभूत सुविधाओं का प्रबन्ध करने में ही लग जाता है। यदि आप इन पश्चिमी देशों पर नजर डालें जहां जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है तो आप पायेंगे कि विद्यालयों, अस्पतालों जैसी सुविधायें और सभी बुनियादी अवश्यकतायें, जिनसे नागरिक जीवन आरामदायक रहता है और जो उसे अच्छा मानव तथा अच्छा नागरिक बनने में सहायक हैं सभी नागरिकों को उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ इंग्लैंड में पिछले 45 वर्षों में एक भी नया अस्पताल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इससे उन्हें अपने अस्पतालों को आधुनिक बनाने में मदद मिली है। उनके पास अस्पतालों को वैज्ञानिक ढंग से लैस करने और अच्छी शिक्षा देने के लिए काफी धन है बजाय इसके कि बढ़ती हुई जनसंख्या को प्राथमिक शिक्षा देनी पड़े। इससे हमारे देश के विकास में ठहराव आ गया है। मैं माननीय मंत्री को कुछ ऐसे सुझाव देना चाहूंगा जिससे आगे चलकर हमारे देश या हमारे समाज में जनसंख्या

नियंत्रण की अवश्यकता के सम्बन्ध में अधिक जागरूकता आएगी और सरकार द्वारा चलाये जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहायता मिलेगी।

मेरा पहला सुझाव यह है कि कार्यक्रमों में समाज की भागीदारी और अधिक बढ़नी चाहिए। आज अधिकांश परिवार कल्याण और नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम सरकार द्वारा ही बनाए जाते हैं और कार्यान्वित किए जाते हैं और सरकार द्वारा ही उन पर नजर रखी जाती है। मेरा सुझाव यह है कि इसमें अधिक से अधिक गैर-सरकारी सामाजिक संगठनों को शामिल किया जाना चाहिये। हमारे देश में आज सबसे बड़ी बाधा धर्म की है। आज भी हम किसी न किसी तरह से पुत्र प्राप्ति की दुर्भीति में जकड़े हुए है और पुत्र की तलाश में लोग लड़कियों की कतार लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों का स्वागत नहीं किया जाता। किन्तु यह कुछ धर्मों का दर्शन है। कुछ ऐसे धर्म भी हैं जहां परिवार नियोजन के उपायों का प्रयोग करने की भर्त्सना की जाती है ऐसे भी धर्म हैं जिनमें गर्भपात को धर्म विरोधी कार्य माना जाता हैं। मैं केवल इन्डोनेशिया का उदाहरण देना चाहता हूँ। यह मूलतः मुस्लिम देश है। उनका भी गांव की जनता में परिवार नियोजन के साधनों का वितरण करने का कार्यक्रम था। उन्होंने देखा कि इस कार्यक्रम में गति नहीं आई है। तब उन्होंने यह किया कि उन वितरण केन्द्रों में जहां नागरिकों, विशेषकर स्त्रियों, को परिवार नियोजन के साधन वितरित किए जाते थे, वहां मौलवी या मुल्ला को खड़ा करना शुरू कर दिया। धार्मिक पुस्तकों में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि कम बच्चे पैदा करना पाप है इस प्रकार उन्होंने यह किया कि जहां लोग ये गर्भ निरोधक (वस्तुयें) और अन्य परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग करने तथा लेने आते थे वहां उन्हें मुल्ला खड़ा दिखाई देता और वे उससे यह संदेश भी ग्रहण करते थे कि यह कार्य धर्म-विरोधी नहीं था। इस तरह से इस कार्य में प्रगति हुई।

जहां तक हमारे गाँवों का सम्बन्ध है, परिवार नियोजन आन्दोलन में तेजी लाना वांछनीय है आज ग्रामीण क्षेत्र— मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ कर रही है— अधिक शहरोन्मुख हो गए हैं। हम शहरी क्षेत्रों में ही, जहां धनी, उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के लोग रहते हैं, परिवार नियोजन के अधिक कार्यक्रम चलाते हैं। जहां तक परिवार नियोजन आन्दोलन का सम्बन्ध है हम सभी यह जानते हैं कि समाज के इस वर्ग के लोगों ने परिवार नियोजन को गम्भीरता से और सफलता पूर्वक ढंग से अपना लिया है। किन्तु गाँवों में अभी भी इस आन्दोलन को तीव्र किए जाने की आवश्यकता है। इसका मूल कारण यह है कि गरीब लोग शहरी क्षेत्रों के गरीब लोग—यह समझते हैं कि अधिक बच्चे होना आर्थिक वरदान है : क्योंकि यदि किसी श्रमिक के पास 10 या 12 वर्ष की आयु के पांच बच्चे हों तो वे धनी उच्च मध्य वर्गीय और मध्य वर्गीय लोगों के घरों में घरेलू कार्य करना आरम्भ कर सकते है। ऐसा करके वे कुछ पैसा लाएंगे और जिस घर में काम करने जाते हैं वहां उन्हें मुफ्त खाना मिलता है, पुराने कपड़े मिलते हैं आदि-आदि इस लिए, आर्थिक रूप से गरीब परिवार के लिए इतने बच्चे होना कोई बोझ नहीं है क्योंकि उन्हें न तो शिक्षा मिलती है न ही उन्हें अपना स्तर बनाये रखने की चिन्ता हैं, इसलिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्वयं अन्य मन्त्रालयों के सहयोग से एक कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत गरीब लोगों के बच्चों की देख भाल की जाए और उन्हें नौकरी दी जाए। माननीय प्रधान मन्त्री ने यह कहा है कि इस घोषणा के अनुसार सम्मिलित की गई योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार दिलाया जाएगा। उन्हें अधिक सम्मानजनक व्यवसाय या उचित रोजगार देने के लिए इस कार्यक्रम को तीव्र किया जाना चाहिए

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है मेरे विचार में शिक्षा मन्त्रालय अपना उतना कार्य नहीं कर रहा है जितना कि वे कर सकते हैं। यह देखा गया है कि हमारे देश के कुछ राज्यों, जैसे केरल में जहां शिक्षा की प्रतिशतता बहुत अधिक है, जनसंख्या पर अधिक अच्छी तरह नियन्त्रण रखा गया है। परिवार नियोजन आन्दोलन के परिणाम हमारे देश के उन राज्यों में अधिक अच्छे हे रहें जहां प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा में विशेषकर महिलाओं की शिक्षा में तीव्रता लाई गई है।

जहां तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है, शिक्षा पर इतना अधिक बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था और महिलाओं के सम्बन्ध में तो यह बहुत ही कम है। महिलायें पुरुषों की तुलना में जनसंख्या नियंत्रण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

अन्त में मैं यही सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वातावरण में सुधार हो रहा है, उसी तरह हमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपने बजट में भी उसी गम्भीरता से स्थान देना चाहिये। किन्तु मुझे यह देखकर दुख हुआ है कि पूरे बजट में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए एक भी पंक्ति नहीं लिखी गई है। जब हम गरीबों, बेरोजगारों, उनकी आवासीय समस्या, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा देखभाल, उनकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं आदि पर इतना अधिक खर्च कर रहे हैं तो क्या हम गरीबों की जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ धन खर्च नहीं कर सकते, जो कि सरकार पर बोझ बन गए हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि जिन लोगों ने अधिक बच्चे पैदा किए हैं वे गरीब वर्ग से ही सम्बन्धित हैं। क्या हम उन्हें कुछ मनोरंजन के साधन नहीं दे सकते ? शाम को, उनके मनोरंजन के लिए कोई स्थान नहीं उनके बच्चों के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, मनोरंजन के लिए कोई क्लब नहीं है। सभी क्लबों और मनोरंजन के स्थानों पर धनी व्यक्तियों का ही अधिकार है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री को यह सुझाव दूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कुछ किया जाना चाहिए ताकि उन गरीब लोगों जो लोग गर्भनिरोधक लेने आते हैं केवल गर्भनिरोधक ही नहीं मिलने चाहिए बल्कि उनके लिए ऐसे स्थान भी होने चाहिए जहां वे शाम को अपना मनोरंजन कर सके। आप किन्हीं स्थानों पर कुछ टी. वी. सेट रखिये ताकि वे शाम को कुछ मनोरंजन कार्यक्रम देख सकें, आप किन्हीं स्थानों पर कुछ सिलाई मशीनें रखवाइए ताकि नवयुवतियां सिलाई का काम सीख सकें, आप कुछ टाइप राइटर भी उपलब्ध कराइए ताकि गरीब लोगों के बच्चे टाइप सीख सकें या बड़े लोग भी टाइप करना सीख लें क्योंकि आज टाइप से गरीब वर्ग के लोगों को काफी आय हो सकती है। इसलिए, मैं यह सुझाव दूंगा कि आप इस मन्त्रालय को जनसंख्या विस्फोट से लड़ने के लिए केवल केन्द्रीय मन्त्रालय ही न बनाइये बल्कि अन्य मन्त्रालयों विशेषकर समाज कल्याण और शिक्षा मन्त्रालयों द्वारा भी इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए इन लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए।

श्री हेतराम (सिरसा): उपाध्यक्ष महोदय, सभा इस बात पर चर्चा कर रही है कि जनसंख्या विस्फोट को कैसे काबू में किया जाए। वास्तव में, भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा समस्या है क्योंकि इस समस्या का सामना केवल एक गरीब देश कर रहा है जहां लोगों की आवश्यकता के अनुरूप इस प्रणाली का विकास नहीं किया गया है। परन्तु हम संसाधन नियंत्रण की बजाय व्यवस्था को नियन्त्रित करने जा रहें हैं और इसके कारण, यदि हम विश्व भर में देखें तो यह वृद्धि हमें उनके सांस्कृतिक तथा शैक्षिक संसाधनों में नजर आयेगी इंग्लैण्ड तथा पश्चिम जर्मनी जैसे यूरोपीय

देशों में जनसंख्या दर में कमी हो रही है, स्वीडन में ऐसा प्रस्ताव है कि यदि उनकी जनसंख्या में कमी हो रही है तो वे प्रजननक्षम माता-पिता को सुविधाएं प्रदान करते हैं ताकि उनकी जनसंख्या सीमित रहे। परन्तु भारत में यह समस्या सामाजिक समस्या है और सरकार इस सामाजिक समस्या का सामना ठीक तरह नहीं कर रही है। क्योंकि आपको पहले अनुसूचित जातियों तथा निर्धन वर्ग के लोगों का ध्यान रखना होगा— जैसा कि कुछ माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं— जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं— धनी लोगों या समाज के उच्च वर्ग के लोगों का इसमें योगदान नकारात्मक है ऐसा शिक्षा सुविधाओं की कमी, सामाजिक जागरूकता की कमी तथा अन्य साधनों, जो गरीब समाज के विकास में वास्तविक बांधाएं हैं, की कमी के कारण है। गरीब व्यक्ति सोचता है कि यदि उसके दो या तीन बच्चे हैं तो वे अपनी सम्पति को—उनके पास जो कुछ भी है— आपस में नहीं बांटेंगे। वे एक ही छत के नीचे रहेंगे और यदि एक बच्चा भी है तो वह प्रधान मंत्री या और कुछ नहीं बन जायेगा, बल्कि वह केवल एक मजदूर या किसी दूसरे के घर में नौकर ही रहेगा तथा यही समस्या जारी रहेगी। शिक्षा कपडे तथा अन्य चीजों की समस्यायें रहेंगी और उसके अनुसार चाहे पांच बच्चे भी हैं तो भी वही समस्या रहेगी। इसलिए सर्व प्रथम सरकार की यह करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जिसके एक बच्चा हो उसे तीन न्यूनतम आवश्यकताओं अर्थात शिक्षा मकान तथा कपड़े का आश्वासन देना चाहिए। यदिसामाजिक सुरक्षा नहीं है तो अब दिये जाने वाले 500 रुपये या 700 रुपए के लिए कोई भी व्यक्ति परिवार नियोजन नहीं अपनायेगा चाहे वे यह पैसा ले भी लेते हैं तो इसे महाजन का ऋण चुकाने में खर्च कर देते हैं क्योंकि वे केवल महाजन से ऋण लेकर ही जीवित रहते हैं।

सरकार द्वारा इस ढंग से काम किया आता है कि केवल फर्जी आंकड़े तैयार किए जाते हैं। वे केवल ऐसा दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि इतने आपरेशन किए गये हैं। हमने देखा था कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ था। अब गरीब औरतें इन आपरेशनों से डरती हैं। राजस्थान में हाल ही में क्या हुआ है ? आपरेशन के बाद 93 लोग मर गए। जिन औरतों का आपरेशन किया गया वे मर गईं और ऐसे आपरेशनों के विरुद्ध वहां एक आंदोलनों चल रहा है। क्योंकि डाक्टर केवल यही सोचते हैं कि आपरेशन के लिए पशु आ रहे हैं और उन्हें फार्म भर कर आंकड़े देने हैं।

यदि हमें जनसंख्या पर काबू पाना है तो हमें देश तथा समाज का विकास करना होगा। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। नहीं, धर्म कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। तुर्की ने ऐसा किया है। केवल गरीब या अशिक्षित वर्ग के लोगों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया गया है। वे कुरान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्हें केवल गुमराह किया गया है। परन्तु यदि शिक्षा का प्रसार होगा, मुस्लिम समाज का विकास होगा तो मुझे विश्वास है कि कोई भी परिवार नियोजन का विरोध नहीं करेगा। पिछड़ी जातियां तथा अनुसूचित जातियां राजनैतिक प्रचार के कारण गुमराह हुई हैं।

केवल पिछड़े वर्ग के लोग जो सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, विशेष तौर पर अनुसूचित जातियां तथा मुसलमान और अन्य पिछड़े हुए समुदाय ही वास्तव में अधिक बच्चे पैदा करने वाले हैं। जैसा कि एक अर्थशास्त्री ने कहा है, मेरा भी यही विचार है कि लोगों को संसाधनों के अनुरूप व्यवस्थित करने की अपेक्षा, प्रथमत: उनको संसाधनों का समान रूप से बंटवारा करना चाहिए तथा देश में जो कुछ उपलब्ध है उसमें सभी का हिस्सा होना चाहिए।

परन्तु आज हम क्या देखते हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों में यहां तक कि पीने का पानी भी नहीं है। गरीब लोगों के लिए खाने तथा पहनने के लिए कुछ भी नहीं है और 500 या 700 रुपए के लिए सरकार परिवार नियोजन के लिए उनका आपरेशन कराना चाहती है तो वे सहमत नहीं हो सकते। वे सोचते हैं कि अधिक बच्चे उनके लिए लाभदायक होंगे क्योंकि बुढ़ापे में वे उनकी देखभाल करेंगे।

हरियाणा में श्री देवीलाल, मुख्य मंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत संतानहीन वृद्ध लोगों की सहायता की जायेगी। मैं केन्द्र सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि 65 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों तथा संतान-हीन लोगों को 200 रुपए पेंशन दी जानी चाहिए ताकि वे जीवित रह सकें।

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सरकार को सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लोगों, विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे :

श्री चिन्तामणि जैना* (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, डा. कृपासिंधु भोई द्वारा प्रस्तुत इस अति उपयोगी संकल्प पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। चर्चा में भाग लेते समय मैं अपनी मातृभाषा उड़िया में बोलना चाहता हूं जिसके लिए मैं पहले ही सूचना दे चुका हूं।

महोदय, पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में हुई असाधारण वृद्धि सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है। बढ़ती हुई जनसंख्या का हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सरकार इस देश के लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष योजनायें बनाती आ रही है। परन्तु जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण योजनाओं का लोगों की प्रगति पर बहुत कम असर होता है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भारी निवेश के बावजूद लोगों को इसका अधिक लाभ नहीं मिल रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण आवश्यकता कई गुना बढ़ रही है तथा संसाधनों की कमी के कारण हम देश के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए जनसंख्या में भारी वृद्धि से हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारत विदेशों से भारी मात्रा में ऋण ले रहा है। प्रति वर्ष हमारा ऋण भार बढ़ रहा है। अतः जनसंख्या विस्फोट देश में सबसे बड़ी समस्या बन गया है अपना संकल्प प्रस्तुत करते हुए डा. कृपा सिन्धु भोई ने जनसंख्या विस्फोटक पर अपनी गम्भीर चिन्ता जाहिर की है। डा. भोई द्वारा अपने भाषण में व्यक्त की गई चिन्ता से मैं सहमत हूं। बहरहाल इस गम्भीर राष्ट्रीय समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें अवसर प्रदान करने हेतु मैं डा. भोई का आभारी हूं।

महोदय, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का नियन्त्रण स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के अधीन था। परिवार नियोजन लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया है। अतः सरकार ने परिवार नियोजन विभाग का नाम बदल कर परिवार कल्याण विभाग रख दिया। अतः मैं इस परिवर्तन के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं।

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

अब मैं जनसंख्या वृद्धि के कारणों के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। जनसंख्या वृद्धि का सर्वप्रथम और सबसे प्रमुख कारण आम लोगों की अनभिज्ञता है। इस देश में रहने वाले अनेक लोगों को परिवार नियोजन के तरीके और उससे होने वाले लाभ की जानकारी नहीं है : परिवार नियोजन नहीं अपनाने का दूसरा कारण निरक्षरता है। परिवार नियोजन नहीं अपनाने का तीसरा कारण लोगों का अन्ध विश्वास है। अभी भी अनेक लोगों को पुत्र प्राप्त करने की सनक है। वे सोचते हैं कि वृद्धावस्था में उनकी देखभाल सिर्फ पुत्र ही कर सकता है। महोदय, फिर आम लोगों तक परिवार नियोजन का वास्तविक संदेश पहुँचाने मे जन संचार के माध्यम भी उतने प्रभावकारी नहीं है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता या विफलता में लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा भी प्रमुख भूमिका निभाती है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश के लाखों लोग अपने दिन भयंकर गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं। वे इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि परिवार में जितने अधिक सदस्य होंगे आमदनी उतनी ही अधिक होगी। मैं अपने निजी अनुभव से यह कह रहा हूं। अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते वक्त मैं विभिन्न लोगों से मिला हूं। मैं ग्रामीण लोगों हरिजनों, आदिवासियों जो कि समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं, से मिला हूं। मैंने उनसे पूछा है कि वे छोटे परिवार का मापदंड क्यों नहीं अपना रहे हैं। लेकिन महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि परिवार के अधिक सदस्यों के रहने से अधिक सदस्यों को काम मिलेगा और परिवार की आमदनी को बढ़ाने के लिए वे ज्यादा धन कमायेंगे। फिर वे अपने माता पिता की वृद्धावस्था में देखभाल भी करेंगे। इसके अतिरिक्त, कृषि की देखरेख के लिए और मवेशियों की देख रेख के लिए उन्हें कुछ बच्चों की आवश्यकता होती है। अतः उन्हें अधिक बच्चों की आवश्यकता है और वे परिवार नियोजन अपनाना नहीं चाहते हैं।

महोदय, परिवार नियोजन की विफलता के लिए उत्तरदायी एक बहुत ही प्रमुख कारण का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सललता पर बहुत बल दिया था। हमारे स्वर्गीय नेता संजय गांधी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की महान सफलता के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्होंने "हम दो, हमारे दो", 'हम में से प्रत्येक, शिक्षित को एक' और 'एक वृक्ष लगाओ' का नारा दिया था। जन संख्या वृद्धि के कारण हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की उन्हें जानकारी थी। अतः उन्होंने परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता महसूस की। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के पीछे उनका बहुत ही नेक इरादा था। लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि विपक्ष के सदस्यों ने उस वक्त सही कदम नहीं उठाया। उन्होंने परिवार नियोजन की भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि सरकार चकबन्दी कार्यक्रम कार्यान्वित कर जमीन ले लेगी और सरकार परिवार नियोजन के गैर कानूनी तरीकों द्वारा जन-संख्या में कमी करेगी। महोदय, फिर हमारे देश में दुर्भाग्यवश आपातकालीन स्थिति लगा दी गयी थी। जब आपात स्थिति उठा ली गई और चुनाव के आदेश दे दिए गए थे तो विपक्ष के सदस्यों ने सरकार पर आपातकाल के दौरान की नई ज्यादतियों का आरोप लगाया। उन्होंने परिवार नियोजन के कार्यक्रम के सही उद्देश्य की रचनात्मक ढंग से नहीं देखा। उन्होंने गलत प्रचार शुरू कर दिया। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लोग बहुत ही सीधे-सादे और निर्दोष हैं। उन्होंने महसूस नहीं किया कि विपक्ष द्वारा कहे हुए तथ्य बिल्कुल झूठे और सच्चाई से परे हैं। विपक्ष के गलत गठबंधन के फलस्वरूप जनता पार्टी का उदय हुआ और यह केन्द्र तथा कुछ राज्यों

में भी सत्ता में आई। जब वे सत्ता में थे तब भी उन्होंने इसी प्रकार का प्रचार किया। इसके परिणामस्वरूप, परिवार नियोजन को 1977 से एक जबरदस्त झटका लगा। उनके सत्ता से हट जाने के बाद भी इसका प्रतिकूल प्रभाव कुछ वर्षों तक रहा। अब भी उनमें से जो विपक्ष में हैं सरकार की आलोचना एक या अन्य मुद्दों पर कर रहे हैं। वे सरकार को रचनात्मक परामर्श देना नहीं चाहते हैं। सरकार के प्रत्येक कार्यों की बिना उसके गुणों की जांच किए आलोचना करने की उन्होंने शपथ ले रखी है। हमारे विपक्ष के मित्रों की यही एक विशेषता है।

महोदय, जनसंख्या में हो रही चिंताजनक वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए योजना आयोग ने 1984 में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी और शताब्दी के अन्त तक जनसंख्या में होने वाली संभावित वृद्धि को भी जानने की कोशिश की थी। लोगों को गुमराह करने और प्रत्येक मुद्दे को राजनीतिक स्वरूप प्रदान करना विपक्ष का कर्तव्य नहीं बनता है। वर्ष 1977 में जनसंख्या की विकास दर 1.83% थी और 1978 में यह बढ़कर 8.91 प्रतिशत हो गई। विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह महसूस करना चाहिए कि जनसंख्या में वृद्धि का सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दो वर्षों में बतौर नमूना किए गए सर्वेक्षण के परिणामों को मैं बताना चाहूंगा।

महोदय, अभी मैंने प्रथम बात ही कही है और आप घण्टी बजा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, एक छोटे परिवार की तरह आपको अपनी बात बहुत संक्षेप में कहनी है। कृपया विस्तार पूर्वक न कहें। आपको इसी के मुताबिक योजना बनानी है।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, मैंने सिर्फ एक ही मुद्दे पर अपनी बात कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्य अपनी बात कहने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें समय नहीं मिलेगा।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, पहले माननीय सदस्यों को आधे घंटे और पच्चीस मिनट तक बोलने की अनुमति दी जाती रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वह बोल रहे हैं। आप बहुत से व्यक्तियों को ले आये हैं, वे सब बोलने की प्रतिक्षा कर रहे हैं।

श्री चिन्तामणी जेना : महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

महोदय मैं नमूने के तौर पर किये गये सर्वेक्षण की बात कर रहा था। वर्ष 1971 में स्वाभाविक विकास दर 2.20 प्रतिशत थी और 16 वर्षों बाद, 1987 में अभी भी यह 2.12 प्रतिशत ही रही। इसका अर्थ यह है कि विकाश दर सिर्फ 0.0 8 प्रतिशत कम हुई। अत: इस प्रवृत्ति पर हमें विशेष ध्यान देना है। पहले हमारे परिवार नियोजन का मापदंड 'हम दो-हमारे दो' का था। लेकिन अपने सकल्प द्वारा डा. भोई ने एक बच्चे का मापदंड अपनाने का अनुरोध किया है। डा. भोई के परामर्श की प्रशंसा करने के साथ ही मैं यह परामर्श देना चाहूंगा कि हम इसे कैसे लागू कर सकते है।

प्रथमत: एक या दो बच्चों के मापदंड को स्वीकारने वाले जोड़ों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि वे कुछ व्यवसाय करना चाहें तो उन्हें वरीयता के आधार पर ऋण दिया जाना

चाहिए । उन्हें आत्म निर्भर बनाने का प्रत्येक उपाय किया जाना चाहिए । परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए ।

4.00 म. प.

द्वितीय आपरेशन करवाने वाले जोड़े को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए । उड़ीसा जैसे राज्य ने ग्रीन कार्ड प्रणाली लागू की है । अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार की प्रणाली लागू करनी चाहिए और परिवार नियोजन कार्य क्रम को बढ़ावा देना चाहिए । ग्रीन कार्ड धारी व्यक्तियों के रोजगार, मकानों के आवंटन आदि में वरीयता दी जानी चाहिए ।

महोदय हम फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और स्वैच्छिक संगठनों पर निर्भर हैं । पूरे देश में 300 के करीब स्वैच्छिक संगठन इस कार्यक्रम में व्यक्त हैं । मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने का अनुरोध करूंगा । महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के माननीय राज्य मन्त्री जो यहां बैठे हुए हैं का ध्यान ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों की समास्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । इस सभा में कुछ दिन पहले मैंने इस सन्दर्भ में प्रश्न उठाया था । महोदय, ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों की नियुक्ति 1977 में हुई थी । उस समय उन में से प्रत्येक को 50 रुपये परिश्रमिक मिल रहा था। इसके अतिरिक्त उन्हें 50 रुपये मूल्य की दवा दी जाती थी जो कि वे गांवों में बांट देते थे । अब उन्हें कुछ भी पारिश्रमिक नहीं मिलता है । राज्य सरकार कह रही है कि उनकी नियुक्ति एक केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत हुई थी । महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए । विगत 26 महीनों से उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिला है । जब मैंने इसे केन्द्र सरकार की जानकारी में लाया तो माननीय मंत्री ने कहा कि भुगतान शीघ्र ही किया जायेगा । लेकिन इस सन्दर्भ में कुछ भी नहीं किया गया । मैं सरकार से यह भुगतान शीघ्र करवाने का अनुरोध करता हूँ । साथ ही में सरकार को परामर्श देना चाहूंगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रचार के लिये पर्याप्त संख्या में ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों की नियुक्ति की जाये । इस प्रकार से हम परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा दे सकते हैं । मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरी सलाह पर विचार करेगी । महोदय, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये कर्मचारियों की उचित प्रशिक्षण दिये जाने के कुछ उपाय करने चाहिएं । मैं महसूस करता हूं कि वर्तमान समय में उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधायें बहुत ही अपर्याप्त हैं । अत: इस सन्दर्भ में सरकार को शीघ्र ही कुछ कदम उठाने चाहिए । महोदय, चूंकि एक भी 'वैसेक्टोमी 'अथवा' ट्यूबक्टोमी' आपरेसन के असफल हो जाने से कर्मचारियों पर दोष लगाया जाता है और थोड़े से लोग जन समुदाय में अफवाह फैलाते हैं और उनके दिमाग पर गलत छाप छोड़ जाते हैं । इस परिस्थिति का सामना करने के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभारी कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । महोदय, एक दिन मैं विपक्ष के माननीय सदस्य श्री साहबुद्दीन का भाषण सुन रहा था । वह मुस्लिम समुदाय के लिये बहुपत्नी विवाह का समर्थन कर रहे थे । श्री साहबुद्दीन जैसे बहुत वरिष्ठ और उत्तरदायी सदस्य के द्वारा ऐसे तर्क सुन कर मैं सचमुच बहुत दु:खी हूं । कम से कम उन्हें इस प्रकार के विचार सभा में व्यक्त नहीं करने चाहिएं । समाज पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और यह देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वियन में बाधा डालेगा । महोदय, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं । मैं 1976 में यू-एस.एच.आर.

गया था। उस देश में उस वर्ष एक कानून बनाया गया था। उस अधिनियम के अनुसार जिस व्यक्ति के एक से अधिक बच्चे होंगे उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जायेगा। एक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति दी जायेगी। उस अधिनियम के सम्बन्ध में मैंने कुछ रूसी नागरिकों की प्रतिक्रिया जाननी चाही। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सुविधा दिये जाने के बावजूद भी वे एक से अधिक बच्चे नहीं चाहेंगे। इसलिए यदि लोग बहु-विवाह भी करते हैं तो भी हमें अपने देश में किसी को भी एक बच्चे से अधिक बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम में सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा है कि एक दम्पत्ति के एक बच्चे को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए हमें केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और अपने प्रधान मन्त्री के हाथ मजबूत करने चाहिएं। मुझे आशा है कि यदि हम इस संबंध में अपने प्रधान मन्त्री के सुझावों का अनुसरण करें तो सन् 2001 तक हम अपने देश को जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के खतरों से बचा सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ई. अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा है मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा क्यों कि हम परिवार नियोजन पर बोल रहे हैं और हमें अपने भाषणा को भी नियोजित करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, पिछले सप्ताह जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तब मुझे ही इस विषय पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री ई. अय्यपु रेड्डी : महोदय, मुझे प्राप्त एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर को मैं उद्धृत करता हूं। मेरा प्रश्न यह था : "वर्ष 1988 में दर्ज जन्मों की कुल संख्या क्या है" इसका उत्तर यह दिया गया था : " वर्ष 1988 में 10.3 मिलियन बच्चों ने जन्म लिया। "इस प्रकार, वर्ष 1988 में 10.3 मिलियन बच्चों ने जन्म लिया। मुझे यह उत्तर लोकसभा में इस चालू सत्र में दिया गया है। इससे मतलब है कि 1988 में हमने 1.3 करोड़ बच्चों की और वृद्धि कर दी है। यह कहा जाता है कि हम एक आस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या हर वर्ष जोड़ रहे हैं वर्ष 1988 में हमने 1.3 करोड़ लोगों की वृद्धि की है। यह जन्म तो दर्ज हैं। लेकिन ऐसे अनेक बच्चे जन्मते हैं जो दर्ज नहीं होते हैं। लेकिन हम यह तो मान ही सकते हैं कि कम से कम 1.3 करोड़ की वृद्धि वर्ष 1988 मे हुई। यह आंकड़े तो पैदा होने वाले दर्ज हुए शिशु जन्म के अनुसार हैं। ऐसे अनेक बच्चे जन्म लेते हैं जिन्हें दर्ज नहीं कराया जाता है। लेकिन हम यहतो मान ही सकते हैं कि वर्ष 1988 में कम से कम एक करोड़ जनसंख्या और बढ़ी है। अब इस समस्या की गंभीरता की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को निःशुल्क और आनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगा। हाल ही में आयरलैंड के संसदीय शिष्ट मण्डल ने देश का दौरा किया था और जब हम उनसे संसद भवन के कमरा संख्या 62 मे मिले तो उन्होंने कहा कि भारत में निरक्षरता की दर इतनी ज्यादा है कि निरक्षरता के मामले में व्यावहारिक रूप में यह सबसे नीचे है। निरक्षरों की इतना ज्यादा तादाद के होते हुए आप लोकतन्त्र के कारगर होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं ? निःसंदेह

हमने उन्हें अपना उत्तर दिया। लेकिन भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को शिक्षा उपलब्ध कराने की इस समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप इसकी गणना करके देखिए। 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हर 50 बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक कक्ष तथा एक कक्षाध्यापक की जरुरत होती है। हर 50 बच्चों के लिए एक कक्ष की लागत कम से कम 25,000 रुपये होगी और एक अध्यापक के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 10,000 रुपये से अधिक लागत आएगी। इसका यह मतलब हुआ कि 50 बच्चों के लिए एक कक्ष तथा एवं कक्षा अध्यापक पर 35,000 रुपये की लागत आयेगी और अन्य उपकरणों आदि पर 5000 रुपये का अतिरिक्त खर्चा होगा अर्थात 50 बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए एक राज्य को कम से कम 40,000 रुपये व्यय करने हैं। 100 बच्चों के लिए राज्य को 80,000 रुपए का निवेश करना है। इसका यह मतलब हुआ कि प्राथमिक स्कूल में शिक्षा देने के लिए आपको हर बच्चे के लिए 800 रुपए की जरुरत होती है। इस प्रकार, एक करोड़ बच्चों के लिए आपको 80 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है और इन बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए राज्यों तथा केन्द्र को एक साथ 800 करोड़ रुपए धनराशि के अतिरिक्त संसाधन जुटाने हैं। मैं अपने राज्य की लोक सेवा समिति का सभापति था। मैंने प्रारम्भिक स्कूलों के अध बने भवनों से सम्बन्धित एक पैरा की जांच की थी। हमने उस समय शिक्षा विभाग को सिर्फ एक सामान्य कक्ष तथा कक्षा अध्यापक उपलब्ध कराने के लिए एक योजना भेजने के लिए कहा था। इसके लिए अनुमानित धनराशि अत्याधिक थी हाल ही में 'हिन्दू' समाचार पत्र ने शिक्षा तथा शिक्षा हेतु धनराशि देने के लिए हमारे संसाधनों पर एक बहुत अच्छा विस्तृत कार्टून छापा था— इसमें एक गहरी खाई के एक तरफ तो एक बैल खड़ा है और खाई के दूसरी तरफ एक गाड़ी खड़ी है। यहां यह खाई संसाधनों की कमी दर्शाती है, यह तो सिर्फ प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में हैं, स्वास्थ्य भोजन, वस्त्र, सफाई और पेयजल तो इससे अलग है।

महोदय समस्या बहुत बड़ी है। इसे कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। दुर्भाग्य से आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को कुख्याति मिली और इसके बाद से कोई भी सरकार इस पर गंभीरता से कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे विचार से यहां पर दूसरा मुद्दा यह है कि लोगों द्वारा हर दम्पति के लिए एक ही बच्चा पैदा करने के मानदंड को स्वीकार करने हेतु राष्ट्रीय सहमति ली जाए। हर दम्पति द्वारा एक ही बच्चा पैदा करना बहुत अच्छा विचार है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय सहमति ली जाए। मान लीजिए इस बारे में राष्ट्रीय सहमति है तो भी दुर्भाग्य से हम इस राष्ट्रीय सहमति को प्रभावी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सभी तरीकों द्वारा, प्रचार द्वारा परिवार नियोजन तथा परिवार नियंत्रण अपनाने की आवश्यकता के बारे में लोगों को निरन्तर शिक्षित करके राष्ट्रीय सहमतिबनाई जाए। लेकिन यदि यह असफल हो जाए तो मेरा सुझाव है कि हमें वैधानिक अनिवार्यता को अपनाना चाहिए। अन्यथा हम अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करसकेंगे। यदि हम अपनी जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं कर सके तो हमारे यहां ऐसी अराजक स्थिति हो जाएगी जिस पर नियंत्रण पाना संभव नहीं होगा। लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकेगा लेकिन भीड़तन्त्र हम पर हावी हो जायेगा। कानून और व्यवस्था स्वयं ही एक समस्या बन जायेगी। कानून और व्यवस्था के समस्या बन जाने के बाद हमारा राज्य एक कल्याणकारी राज्य नहीं रहेगा बल्कि हम इसे एक पुलिस राज्य बनाने पर बाध्य हो जायेंगे। कानून और व्यवस्था के कारण पहले ही सुरक्षा का खतरा बहुतबढ़ चुका है और सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था पर बहुत अधिक मात्रा में खर्च हुआ है कि अन्य पश्चिमी देश भी इस बारे में अचरज कर रहे हैं कि क्या हम वास्तव में कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं या फिर एक पुलिस

राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए, इस जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वयं प्रजातंत्र का बुनियादी सिद्धान्त ही समाप्त हो जाता है। मैं 1955 से ही पिछले 34 वर्षों से चुनाव लड़ता रहा हूं। 1956 में जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए गया था तो मैंने बच्चों की इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। अब जब हम गांवों में एक बीप में जाते हैं तो हमारे पीछे बच्चों की एक भीड़ दौड़ती नजर आती है। जनसंख्या में वृद्धि का जायजा लेना सम्भव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा ही है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में स्थिति भयावह है। झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में आप चल भी नहीं सकते हैं। वास्तव में 1985 में जब मैं अपने नगर में पद यात्रा पर था तो झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के लोगों ने मुझे बताया था कि वे कंकरीट की सड़कों पर सोते हैं, उनके घर में सोने के लिए कोई जगह नहीं है। मकान इतने छोटे हैं कि उनमें उनके लिए कोई जगह नहीं है। वे तो सड़क पर गटर के एक तरफ सोते हैं। कोई जगह नहीं है। एक अध्यापक तो सड़क पर ही एक छोटा स्कूल चला रहे थे। हम बम्बई में झुग्गी झोपड़ियों तथा पटरियों पर रहने वाले लोगों की समस्या से वाकिफ है। यह समस्या हर नगर में फैलेगी। आज मुद्दा यह है कि क्या हमें इस जनसंख्या वृद्धि की अराजकता का सामना अवश्य करना है जो हमें प्रलयम-थलम और प्रलय की ओर ले जाएगा अथवा हमें अवश्य ही इसे नियंत्रित करना चाहिए।

हमें न सिर्फ राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिए बल्कि वैधानिक नियंत्रण तथा अनिवार्यता भी अपनानी चाहिए। यह ठीक है कि आप परिवार नियोजन अपनाने के लिए लोगों को आश्वस्त करें। यदि आप आश्वस्त करने में सफल नहीं होते हैं तो फिर अवश्य ही आपको वैधानिक नियंत्रण अपनाने होंगे। इसका कोई विकल्प नहीं है। निःसंदेह लोग अपने स्तर पर परिवार नियोजन के लिए उसका कार्य कर रहे है। लोक लेखा समिति में हमें इस पहलू की जांच करने का अवसर मिला था। जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है, हमारे यहां इस कार्य के लिए काफी तादाद में प्रतिबद्ध लोग है। हमने एक सचिव को परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने में निष्ठा और लगन से कार्य करते देखा था परन्तु यही पर्याप्त नहीं है। मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि हमें वैधानिक नियंत्रण अपनाने चाहिए।

श्री पीयूष तिरकी : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक राष्ट्रीय समस्या है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने कहां गलती की है।

परिवार हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद गांव, मण्डल, जिला, राज्य और फिर देश आता है। परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं। क्या सरकार ने कभी इस बारे में सोचा है कि इस परिवार की इकाई की मदद कैसे की जाए ? प्रत्येक परिवार एक प्रकार की सरकार है जहां माता और पिता हर कार्य के प्रबन्ध का प्रयास करते हैं। उन्हें अनेक दायित्व निभाने पड़ते हैं। उन्हें बच्चों के स्वास्थ्य, अपने बूढ़े मां, बाप तथा परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें उनके भोजन, वस्त्र, आवास, विवाह, सामाजिक दायित्व, शिक्षा, न्याय, जन्म तथा मृत्यु आदि का ध्यान रखना पड़ता है। इस बोझ का तो हर परिवार को सामना करना पड़ता है।

अभी-अभी हमारी सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि आपको बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार कम से कम पहले इस परिवार की इकाई की मदद क्यों नहीं करती, उन्हें आवास, भोजन, कपड़े, शिक्षा आदि की आवश्यकतायें क्यों नहीं पूरी करती है। इस कार्य पर पहले

ही काफी धनराशि व्यय की जा चुकी है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है कि कम से कम 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए ; क्या उनके पास ऐसा प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत कम से कम दो बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए और अन्य चीजें जैसे भोजन, स्वास्थ्य आदि की सुविधा भी दी जाए तब लोग सोचेंगे कि यदि वे 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो उनका दायित्व स्वतः ही परिवार पर आ जाएगा और इसलिए वे केवल दो बच्चे ही चाहेंगे। माता-पिता इस सम्बन्ध में सजग रहेंगे। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि भारत में जन्में सभी लोगों के अधिकार बराबर होने चाहिए। उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र आदि उन सभी सुविधाओं के अधिकार होने चाहिए जिनका लाभ यहां अमीर लोग उठा रहे हैं। इस सम्बन्ध के भी यह सोचना सरकार का कर्तव्य है कि इस देश के सभी बच्चों के अधिकार बराबर हैं। लेकिन यहां हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी है ? हमें शिक्षा खरीदनी पड़ती है। हम पैसे के बगैर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। आप पैसे के बगैर स्वास्थ्य सुविधाओं को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही आवास आदि के सम्बन्ध में है। भारत में एक परिवार कीइकाई के सम्मुख कितनी बड़ी समस्याएं हैं ? सरकार को जन्म दर पर नियंत्रण के साथ साथ हमारे देश की प्राथमिक इकाई अर्थात परिवार की देखभाल भी करनी चाहिए।

भारत में अविवाहित व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है इसके प्रति कोई आदर की भावना नहीं है। ऐसे अनेक सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्य के लिए अविवाहित रहना चाहते हैं, उनका समाज में आदर नहीं होता है। लोग उनके ब्रह्मचर्य पर शक करते हैं। विकसित देशों में बहुत से लोग ब्रह्मचर्य को जीवन शैली के रूप में अपनाते हैं। यहां तक कि 'नन' और 'ब्रदर' भी स्कूल, तथा कालेज चलाते हैं। वे बहुत अच्छे मिशनरी कार्यकर्ता हैं। मुझे राम कृष्ण मिशन से बातचीत करने का अवसर मिला था। मुझे यह बताया गया था, "श्री तिरकी, हमारे सामने कठिन समस्या है क्योंकि हमें कोई भी ऐसा स्वैच्छिक कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है जोकि अविवाहित रहकर समाज की सेवा करना चाहता हो।" ऐसा इसिलिए है क्योंकि भारत में भिखारी के लिए भी शादी करना आवश्यक समझा जाता है। भारत में एक भिखारी भी शादी करता है। भारतीय लोग यह सोचते हैं कि बच्चों की शादी करना उनका पहला कर्तव्य है उनकी शीक्षा, आवास अथवा स्वास्थ्य आदि नहीं। मां-बाप को केवल यही चिन्ता होती है कि उनके बच्चों की शादी कब होगी। यह एक मुख्य मुद्दा है। समाज के निम्न वर्ग के लोगों को यह चिन्ता नहीं होती कि शादी के बाद उनके बच्चे कैसे रहेंगे और उनके भविष्य का क्या होगा। वे केवल यही सोचते हैं कि उनके बच्चों की शादी होनी चाहिए। हमारी सामाजिक संरचना इसी प्रकार है।

कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र मुझे यह बता रहे थे कि धार्मिक दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के तीन अथवा चार पत्नियां रखने पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश में महिलाओं के लिए भी समान अधिकार है। सरकार एक महिला को भी तीन अथवा चार पति रखने के लिए क्यों नहीं कहती ? तब बच्चों की संख्या कम होगी। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं। किसी भी धर्म में यह नहीं कहा गया है कि आप जितने चाहो, बच्चे पैदा करते जाओ। यदि कोई परिवार सुरक्षित है, उसकी आय अच्छी है और अच्छा मकान है तो स्वभाविक रूप से उनका जीवन स्तर कुछ अच्छा होगा और उनके बच्चों की संख्या भी कम होगी। परन्तु हमारे देश में कोई जीवन-स्तर नहीं है। यहां इस प्रकार की कोई बात नहीं है। यह बहुत अव्यवस्थित है और हमारी सरकार धनराशि खर्च करके खुश है। वे कहते हैं कि परिवार नियोजन पर इतने करोड़ रुपये खर्च

किये गये हैं। परन्तु उसका परिणाम क्या है ? इसका परिणाम यह है कि झूठे नसबन्दी प्रमाणपत्र दिये जा रहे हैं। डाक्टर 5 रुपये में यह प्रमाण पत्र दे देते हैं।

श्री राज कुमार राय (घोसी) : मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं परिवार नियोजन के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप परिवार नियोजन पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं ?

श्री राज कुमार राय : हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री राज कुमार राय : धन्यवाद, महोदय।

श्री पीयूष तिरकी : हमारे यहां बहुत से साधू हैं वे इधर-उधर घूमते हैं और भीख मांगते हैं। परन्तु इन लोगों से समाज को क्या लाभ है ? आप सभी साधुओं से सामाजिक कार्य क्यों नहीं करवाते ? ग्रामीण क्षेत्र में भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे भारत के लोगों और विदेशियों के लिए समस्या उत्पन्न होगी। भीख मांगना तुरन्त ही बन्द किया जाना चाहिए। यदि सरकार में ऐसा साहस है तो उसे कोई अन्य कानून बनाने से पहले इस बारे में सांविधिक कानून बनाना चाहिए कि भीख मांगने पर तत्काल रोक लगा दी गई है क्योंकि यह एक समस्या बन चुकी है। प्रत्येक भारतीय के लिए शादी करना अनिवार्य है। भारत में एक भिखारी भी शादी करता है। आप जनसंख्या को कैसे नियन्त्रित कर सकते हैं ? सरकार का परिवार की प्राथमिक इकाई पर कोई नियन्त्रण नहीं है। जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है। इसे अपनाने के लिए परिवार उत्तरदायी है, सरकार नहीं। इसका एक अन्य पहलू भी है। सरकार का इसके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है। स्वास्थ्य की देखभाल, भोजन, वस्त्र, आवास, और अन्य सामाजिक समस्याओं के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। ये सभी बातें पक्षपाती लगती हैं। प्रत्येक परिवार को शादी, मृत्यु आदि पर बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा, प्रत्येक परिवार पर कर-भार भी डाला गया है। कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। उन्हें कोई भी सुविधा दिये बिना आप कैसे यह आशा कर सकते हैं कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनायेंगे ? सरकार हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक इकाई की कोई सहायता नहीं कर रही है। उचित शिक्षा के अभाव में सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता की आशा कैसे कर सकती है ? क्या सरकार ऐसा सोचती है कि उसे इस बारे में सफलता मिलेगी। हमारी 40 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार व्याप्त है चिकित्सा विभाग और सामाजिक कार्यकर्ताओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है और हर जगह परिवार नियोजन के नाम पर कुछ धनराशि लूटी गई है। सरकार द्वारा इतना अधिक सरकारी धन खर्च किया गया है। हमारी एक अन्य विचित्र समस्या है। भारत की जनसंख्या में अधिकाधिक बच्चे सम्मिलित हो जाते हैं। प्रतिदिन बच्चे जन्म लेते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण के आरम्भ में ही इस सभा में भाग लेने हेतु मुझे बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत

करने के लिए मैं डा. भोई का भी धन्यवाद करता हूं। इस विशेष विषय को चुनने के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि अपने चुनाव क्षेत्र के हित में वे किसी अन्य विषय को भी चुन सकते थे। परन्तु यह विषय राष्ट्रीय महत्व और रूचि का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इससे उनका राष्ट्रीय हित जाहिर होता है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है। हमें परिवार नियोजन कार्यक्रम और कल्याण कार्यक्रमों पर अधिकतम बल देना चाहिए। हमें बड़े पैमाने पर कार्यवाही करनी है। जहां तक जनसंख्या नियंत्रण का सम्बन्ध है, हमें इस बारे में काफी बड़े पैमाने पर कार्यवाही करनी है। इस वास्तविकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अब हमारा राष्ट्र एक महान राष्ट्र है। हमारा अतीत गौरवशाली है। हम एक महान राष्ट्र के रूप में उभरे है। स्वतन्त्रा के गत चार दशकों के दौरान कृषि उद्योग और सभी प्रकार के विकासात्मक क्षेत्रों में हमारी प्रगति आश्चर्यजनक और उल्लेखनीय रही है हमने काफी प्रगति की है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा राष्ट्र एक गरीब राष्ट्र है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारा राष्ट्र महान है परन्तु इसके साथ ही हमारा राष्ट्र एक गरीब राष्ट्र भी है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और वैज्ञानिकों की बात को ही लीजिए। मैं समझता हूं कि वैज्ञानिको के संदर्भ में विश्व में भारत तीन अथवा चार प्रमुख देशों में से एक है। परन्तु इसके साथ ही हमारे देश में निरक्षरता दर की स्थिति चिन्ताजनक है। दूसरी ओर के माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया था। कुछ अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस मामले को उठाया गया था और जब हाल ही में यहां एक संसदीय शिष्ट मंडल आया था तब भी इस मुद्दे को उठाया गया था। उन्होंने यह प्रश्न रखा था कि देश में निरक्षरता दर इतनी अधिक होने पर भी लोकतन्त्र किस प्रकार चल रहा है। स्वाभाविक रूप से हमें शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ा। हमारे सम्मान में बहुत सारी बातों के बावजूद भी यह एक ऐसी कमजोरी है कि हमें शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ता है। आज हमारा देश विश्व के देशों में सबसे अधिक निरक्षरता वाला देश है। क्या हमने स्वतन्त्रता के चार दशकों में इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है। अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी हमने काफी प्रगति की है। जैसाकि आप जानते हैं, विभाजन के समय हमारी जनसंख्या 35-36 करोड़ थी। तब हमारी साक्षरता दर लगभग 15 प्रतिशत थी। यदि आप गणना करे तो उस समय देश में लगभग 5-6 करोड़ लोग साक्षर थे। जब वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो लगभग 5-6 करोड़ लोग साक्षर थे। परन्तु आज साक्षरता दर बढ़कर 33 प्रतिशत अथवा 36 प्रतिशत हो गई है दूसरे शब्दों में एक तिहाई लोग है और दो-तिहाई लोग निरक्षर हैं। आज हमारी जनसंख्या 80 करोड़ है और साक्षर लोगों की संख्या 26 करोड़ है। विभाजन के समय साक्षर व्यक्तियों की संख्या 5-6 करोड़ थी जबकि अब यह 26 करोड़ हैं अर्थात् 20 करोड़ अतिरिक्त लोग साक्षर बने है। प्रतिशततावार यदि अब तक जनसंख्या 35 करोड़ पर स्थिर रहती तो हमारी साक्षरता दर क्या होती ? यह दर लगभग 80 प्रतिशत होती। यह साधारण अंकगणित है। लेकिन जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि को रोका नहीं जा सका। यह हमारी स्थिति है। विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त की गई सफलता के बावजूद भी हमारा देश विश्व भर में सबसे अधिक निरक्षरता वाले देश के रूप में बदनाम है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है परन्तु साथ ही हमारे देश में विश्व भर में सबसे अधिक निरक्षरता भी है। यह हमारी नियति है।

हम गरीब, लोगों को पेयजल, उचित खाना इत्यादि न मिलने के बारे में बातचीत करते हैं। वास्तविकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह स्वभाविक है। समृद्धता के बीच हमारे यहां निर्धनता और विभिन्न क्षेत्रों में अभाव की स्थिति है। यह हमारी स्थिति है। कलकत्ता जैसे शहरों में लखपति और करोड़पति लोग हैं। परन्तु भारी संख्या में लोग आसमान के नीचे फुटपाथों पर भी सोते हैं। ऐसा किसने नहीं देखा है ? इस स्थिति के बारे में कौन नहीं जानता है ? अतः मुख्य समस्या हमारी जनसंख्या वृद्धि है और हमें इसे नियन्त्रित करना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश चीन की जनसंख्या अब भी विश्व में सबसे अधिक है। परन्तु उन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अब हमारी जनसंख्या 2.1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है जबकि चीन में यह वृद्धि केवल 1.3 प्रतिशत है। यदि यही स्थिति जारी रही तो वर्ष 2040 तक हम चीन से आगे निकल जायेंगे और हमारा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जायेगा। जैसाकि आप जानते हैं, इस शताब्दी के अन्त तक हमारी जनसंख्या लगभग 100 करोड़ हो जायेगी हम प्रत्येक क्षेत्र में आवास स्थानों की व्यवस्था करने के लिए और बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। परन्तु यदि हमारी जनसंख्या में वृद्धि इसी प्रकार जारी रही तो बहुत सी और समस्यायें उत्पन्न होगी जिससे स्थिति जटिल हो जायेगी और परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। तब हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य न होकर कुछ और ही बन जायेगा। मेरे पूर्व वक्ता ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं और उनकी चिन्ता में भागीदार हूं। हम इसे कैसे कर सकते हैं ? समस्या यह है कि संसद में और सभा में हम एक चीज पर सहमत तो होते हैं पर संसद के बाहर हमारा व्यवहार कैसा है ? मेरा तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि राजनैतिक व्यवस्था से है। आपात् स्थिति के दौरान क्या हुआ था ? अकेले संजयगांधी ने इस दिशा में कार्य किया था। क्या कोई व्यक्ति उनकी देशभक्ति और परिवार नियोजन के प्रति दृष्टिकोण पर दोषारोपण कर सकता है। लेकिन इससे हम किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे ? उससे किस प्रकार का प्रचार किया गया था ?

स्वभाविक है कि भारत जैसे बड़े आकार के देश में समस्याओं को निपटाने के लिये सभी राजनैतिक दलों और धार्मिक नेताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। इसमें सर्वप्रथम राजनेतिक दलों को उसमें पहल करनी होगी। चाहे कुछ भी हो हमें एक साथ बैठकर राष्ट्रीय स्तर पर सहमति करनी होगी। लेकिन हमारा राजनैतिक व्यवहार और बर्ताव कैसा है ? हम सभा में किसी बात से सहमत तो होते हैं पर बाहर जाने के बाद हम इसे राजनीति से जोड़ने में नहीं चूकते। हम समझौतों का उल्लंघन करते हैं। हम जनता की भावनाओं को उभारते हैं ताकि हमें चुनाव जीतने में सहायता हो। यह प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा दोष है। निःसंदेह प्रजातंत्र में चुनावों का महत्व है तथा राजनैतिक दल और राजनीतिज्ञ इसके अंग हैं। लेकिन साथ ही हमें राष्ट्रीय हित को भी देखना है। जब देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम जोरों से चल रहा है, तब क्या हमें अपने निश्याडम्बरों को हटाकर, एकमत होकर पूरे देश को इसके प्रति आगरूक नहीं करना चाहिये ?

इसके लिये एक गम्भीर चर्चा होनी चाहिये। किसी भी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन को, धार्मिक जनसमूह की मनस्थिति से अपने आप को ऐसी आम सहमति से अलग नहीं होने देना चाहिये और न ही इससे भिन्न बात नहीं कहनी चाहिये। अन्यथा हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं और कुछ प्रगति भी की है। किन्तु हम ऐसे ही अभूतपूर्व प्रगति करके अभीष्ट परिणाम नहीं पा सकते हैं। चीन में अलग व्यवस्था होने के कारण वे इसे आसानी से कर पाये है। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां पुराने विचारों के लोग हैं, इस तरह के कार्यक्रम के लिये संभवत: कुछ जबरदस्ती करने की आवश्यकता है। अगर उद्देश्य अच्छा है और यह अच्छे कार्यों के लिये है तो कुछ हद तक जबरदस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। हमें इसे सांविधिक अनिवार्यता घोषित करना चाहिये कितनी ही अन्य बातों के लिये हमने ऐसा किया है। इसलिये, इस बारे में सर्वसम्मति होनी चाहिये।

महोदय, पिछले दिन जब आप भी यहां थे मैंने सामान्य बजट पर अपने भाषण के दौरान इसका उल्लेख किया है था। आज मैं उसे पुन: दोहराता हूं। केवल राजनीतिज्ञों का सम्मेलन ही क्यों होना चाहिये ? इस भारत में इस विषय पर धार्मिक नेताओं और विश्व धार्मिक नेताओं का सम्मेलन भी बुला सकते हैं। हम जानते हैं कि कुछ धर्म और समुदायों को परिवार नियोजन कार्यक्रम पर गम्भीर आपत्तियां हैं। वे इसके कड़े विरोधी हैं। लेकिन आप इन्डोनेशिया में वहां की जनसंख्या के संघटकों के बारे में जानते हैं . वहां 95 प्रतिशत लोग मुस्लिम हैं। वहां के धार्मिक नेता और मुल्ला परिवार नियोजन के सबसे बड़े समर्थक हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो यहां के मुस्लिम धार्मिक नेता यहां ऐसा प्रचार क्यों नहीं कर सकते हैं ? यह केवल ऐसे नेताओं को एकत्र करके मंत्रणा करने तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये तहे दिल से प्रयास करके किया जा सकता है। मैं सरकार और मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें।

इसी तरह अन्य कई बातें ग्रीन कार्ड इत्यादि के बारे में है। डा. भोई एक बात के लिए बहुत उत्साही और प्रगतिशील थे। उन्होंने प्रति परिवार एक बच्चे के सिद्धांत का सुझाव दिया था। मैं उस हद तक नहीं जा सकता हूं। हम प्रति परिवार दो-बच्चों के सिद्धांत को भी लोगों के द्वारा स्वीकार करवाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं लोगों की अभी भी यह राय है कि भारतीय प्रणाली में एक बच्चा पिता के लिये, एक माता के लिये और एक सड़क के लिए होना चाहिये। इसलिये वे तीन बच्चे की मांग करते हैं। यह स्वभाविक है कि अगर हम तुरन्त प्रति परिवार एक बच्चे के सिद्धान्त को अपनाते हैं तो इसके प्रति निश्चय ही कड़ा विरोध प्रकट किया जायेगा

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं दूसरे वक्ता को बुला चुका हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हमें उस व्यवस्था को क्रमि रूप से अपनाना होगा। दो बच्चों तक ही स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

4. 42 म. प.

[श्री एन. वेंकट रत्नम पीठासीन हुए]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : सभापति महोदय, मैं देश में जनसंख्या वृद्धि की विस्फोटक स्थिति के नियंत्रण के लिये डा. भोई द्वारा सुझाये गये उपायों के लिये प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। जनसख्या में अत्यधिक वृद्धि एक ऐसी समस्या है जिस पर सभा के दोनों पक्षों की ओर से चिंता व्यक्त की गई है। जहां तक इसका प्रश्न है मेरे विचार से इसमें कोई दो मत नहीं

हैं। इसलिये यह ठीक है कि यह गैर-सरकारी संकल्प के रूप में आज सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि जब ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो तब ज्यादा से ज्यादा सदस्य सभा में उपस्थिति रहे।

इस संबंध में आगे बोलने से पहले मैं अपने कुछ मित्रों, जो दूसरी ओर बैठे हैं, उनकी, जानकारी के लिए कुछ कहना चाहूंगा। मेरे विचार से श्री जेना और अब श्री पाणिग्रही ने किया परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में दिवगंत श्री संजयगांधी द्वारा किये गये उपायों का उल्लेख किया था। हो सकता है उनका उद्देश्य अच्छा रहा हो। मैं इससे इन्कार नहीं करता। लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह उन दो सालों की बात है—आपातकों का भयानक समय—जब कुछ अधिकारियों ने अत्यधिक उत्साह में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अनेकों युवाओं, अविवाहितों, बच्चे पैदा करने की आयुसीमा से अधिक उम्र वाले वृद्धों की भी नसबन्दी करवा दी थी। मैं यह अवश्य कहूंगा कि नीति के प्रयोग के कारण ही परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत पिछड़ गया और तब से आज तक हम इस झटके से उबर नहीं पाये हैं और परिवार नियोजन कार्यक्रम एक अग्रणी कार्यक्रम नहीं रह गया है। मैं यह केवल इसलिये कहना चाहता था क्योंकि मैं अपने अन्य मित्रों के विचारों से सहमत नहीं हूं। दिवगंत संजयगांधी के उद्देश्य अच्छे हो सकते थे, उनकी प्राथमिकता ठीक थीं लेकिन जिस तरीके से इस कार्यक्रम को लागू किया गया, उसने इस कार्यक्रम के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दीं।

सभापति महोदय, जनसंख्या पर नियंत्रण के उपायों के पहले हमें यह समझना होगा की यह स्थिति हमारे देश में क्यों पैदा हुई है। कई दशक पहले आप यह पायेंगे कि यद्यपि पहले भी जनसंख्या में वृद्धि होती थी पर पिछले तीन-चार दशकों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है उस तरीके से पहले कभी नहीं हुई। साक्षरता की दर पहले भी बहुत कम थी फिर भी आदिम समाज में साक्षरता कम होने पर भी जनसंख्या की वृद्धि इतना अधिक नहीं थी। जनसंख्या का संतुलन कई प्राकृतिक कारणों के द्वारा भी नियंत्रित होता था।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिये निश्चित समय समाप्त हो चुका है। इस विषय पर चर्चा के लिये ऐसे अनेक सदस्य हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं। अतः क्या सभा के हित में इसका समय बढ़ा दिया जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय। कम से कम दो घण्टे के लिये समय बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : ठीक है। इस संकल्प के लिये दो घण्टे समय बढ़ाया जाता है।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : सभापति महोदय, उस समय जब लोग कम संख्या में साक्षर थे, तब भी जनसंख्या में वृद्धि आज की तरह नहीं होता थी।

श्री विपिन पाल दास (तेजपुर) : इसका मुख्य कारण यह था की उस समय मृत्यु दर काफी ऊंची थी।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : मैं श्री विपिन पाल दास को उनके हस्तक्षेप और बहुत देर में इनका पता लगाने के लिए धन्यवाद देता हूं कि ऐसा मृत्यु दर में वृद्धि के कारण था। वह ठीक

कह रहे हैं । ऐसा नहीं है कि उस समय केवल मृत्यु-दर ही ऊंची थी पर जन्म-दर भी ऊंची थी। लेकिन दोनों एक दूसरे को संतुलित करते थे। इसी तरह विकसित समाज में भी केवल जन्म-दर ही कम नहीं होती बल्कि मृत्यु-दर भी कम होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना हर विकासशील देश ने किया है, जैसे स्थिति का सामना हमने पिछले दो-तीन दशकों में किया है। जब विज्ञान में प्रगति होती है और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो मृत्यु-दर कम हो जाती है । कुछ ऐसी सामान्य अवधि होती है जिसमें जनसंख्या में वृद्धि होती है। यद्यपि वैज्ञानिक उन्नति और चिकित्सा सुविधाओं, जैसे टीका लगाना इत्यादि के बेहतर रख-रखाव के कारण मृत्यु-दर में तेजी से कमी होती है परन्तु जन्म दर की स्थिति वैसी ही रहती है। हमारे देश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति का यही मुख्य कारण है।

मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है या नहीं लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि अगर साक्षरता में वृद्धि की जाती है तो प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इससे लोगों को पारिवारिक ढांचे को समझने में सहायता मिलती है जिससे वह अपने परिवार को नियोजित कर सकते हैं । लेकिन मूल रूप से साक्षरता के कारण ऐसा नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि कल हम 100 प्रतिशत साक्षरता या साक्षरता की उच्च प्रतिशतता प्राप्त करने जा रहे हैं। यह मानना सही नहीं है कि जनसंख्या नियन्त्रण के लिए साक्षारता पर भी बल दिया जाना जरूरी है। मेरा अपना विचार है कि साक्षरता नहीं बल्कि समृद्धि और अच्छा रहन-सहन किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार को नियोजित करने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे-विश्वास है कि यदि आप सर्वेक्षण करें तो आप पायेंगे कि उन परिवारों में लोग शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं या सही अर्थों में शिक्षित नहीं हैं, लेकिन यदि आमदनी का स्तर ऊंचा है तो वे अपने आप ही अपने परिवारों को नियोजित करना आरम्भ कर देते हैं यहां मेरे सहयोगी मित्र कहते हैं कि एक भिखारी भी हमारे देश में शादी करना चाहता है। उनका कथन सही है। कि ऐसा इसलिये कहना चाहते हैं कि एक भिखारी सोचता है कि यदि वह शादी कर ले तो उसके साथ भीख मांगने के लिये अधिक बच्चे हो सकते हैं । इसी प्रकार एक मजदूर अपने बच्चों द्वारा अपने काम में अधिक सहायता पाने की बात सोचता है। उस विशेष वक्त में वे यह नहीं सोचते है कि उन्हें अतिरिक्त पालन-पोषण का खर्च वहन करना पड़ेगा। यदि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है तो इसे ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के उन वर्गों में कार्यान्वित करना पड़ेगा जहां छोटा परिवार रखने की विचारधारा है ही नहीं। जब लोग बड़े परिवार की बात सोचते हैं तो वे उन पर पड़ने वाले उत्तरदायित्व की बात नहीं बल्कि प्राप्त होने वाले लाभ की बात सोचते हैं। आप पायेंगे कि नगरों और शहरों में इस परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार की जरुरत नहीं पड़ती है क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण और यहां तक कि घरेलू नौकर भी कम या अधिक रूप में अपने परिवारों को सीमित रखते है क्योंकि बड़े परिवार के कारण होने वाला खतरा उन्हें ज्ञात है । एक बार व्यक्ति पर जब उत्तरदायित्व आ पड़ता है तो अपने आप ही अपने परिवार को सीमित रखने की, ताकि उसकी सन्तति एक बेहतर जीवन यापन कर सके और वे जीवन में कुछ पा सकने के योग्य बन पायें बात उसमें उसके मन में आ जाती है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिये आपको श्रव्य-दृश्य तरीके अपनाने पडेगें। आज आपके पास बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रानिक माध्यम दूर दर्शन है। जब भी मैं दूरदर्शन खोलता हूं उसके कार्यक्रमों में प्रधानमन्त्री और अपने बहुत सारे मित्रों और सह-योगिओं को देखता हूं। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी प्रसारित किये जायें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मुझे आशा है कि जब आप घर जायेंगें आप दूरदर्शन देखेंगें. इन दिनों दूरदर्शन पर मेरे मंत्रालय से भी जन शिक्षा के लिये एक बहुत उपयोगी दूरदर्शन कार्यक्रम चलाया है।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : लेकिन वे वही बात कह रहे हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे : ये कार्यक्रम लोगों को शिक्षा देने के लिये चलाये गये है। इन कार्यक्रमों के पीछे यही विचार है।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : लेकिन वे उबकऊ बन चुके है: आपको इन्हें दिलचस्प बनाना चाहिए।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ऐसे कार्यक्रम अधिक होने चाहिए। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि आज महाभारत सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है, पहले रामायण था। उसके पहले आप अनेक विज्ञापन दिखाते है। उस दौरान जब अब आप जानते हैं कि हर कोई दूरदर्शन के पास है, आप के इस कार्यक्रम के लिये दो-तीन मिनट का समय नहीं दे सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि यह कब दिखाया जाता है इस के लिये इस प्रकार का मुख्य समय ही महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोग समाचार सुनते हैं। 10.30 बजे रात में कितने लोग संसद समाचार सुनाते हैं। अनेक लोग तो इसके प्रसारण के समय गहरी निद्रा में सो जाते होगें। यदि ये कार्यक्रम 12.00 बजे रात में या इसी प्रकार के किसी अन्य कठिन समय में प्रसारित किये जाते हैं तो इनका प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है।

फिर विभिन्न राज्यों की राजधानियों से इन कार्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषा में प्रसारिम किया जाना चाहिए।

श्री पीयूष तिरकी : जब परिवार के सारे सदस्य इक्कठे दूरदर्शन के कार्यक्रम देख रहे हैं उस वक्त दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम सारा मजा खराब कर देगें ···(व्यवधान)

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव। क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रमों में इसे अधिक महत्व दिया जाना चहिए। अधिकारियों को इसके लिये दोषी ठहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आखिर उन्हें भी उचित निर्देश देना पड़ता है। आप उनके लिए लक्ष्य निर्धारित कर देते है और फिर अपने जिलाअधिकारियो से पूछते है, वे इसके लिये पुलिस अधिक्षकों से पूछते हैं, और फिर वे थानेदारों से लोगों को अस्पताल में लाने के लिये कहते है और इस तरह के मामले भी होते हैं जहां वे सिर्फ इसका प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के भी मामले हैं जहां आर्थिक काम के लिये एक ही व्यक्ति का दो या तीन बार आपरेशन किया गया है। समस्या के समाधान का यह कोई तरीका नहीं है। उन्हें अस्थायी सुविधा, पुरस्कार अथवा रिश्वत जो भी चाहें आप इसे कह लें प्रदान कर उनमें इस प्रकार की विचारधारा उत्पन्न नहीं कर सकते है। यह पूर्ण रूप से अलाभकारी हो सकता है। इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रतिघात बहुत ही खराब होता है। जब आप इसे इस ढंग से करते हैं तो लोगों को संदेह होता है। हम उन्हें पैसे क्यों दें ? उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि यह उनकी खुद की भलाई के लिये है।

फिर जिनके एक या दो बच्चे हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और जिनके अधिक

बच्चे हैं उन्हें अन्तुत्साहित किया जाना चाहिए। मेरा तो विचार है कि आपके द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्ड के बाद प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के लिये उन लोगों को अनुत्साहित किया जाना चाहिए। छोटे परिवार के व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

श्री पीयूष तिरकी : लेकिन उन लोगों को जिनके पास दूरदर्शन सेट हैं अधिक बच्चे हैं और जिनके पास दूरदर्शन सेट नहीं है उनके परिवार छोटे हैं। इसका क्या प्रभाव रह जाता है ?

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : मेरे मित्र कुछ बातों से अनभिज्ञ हैं। दूरदर्शन का एक प्रभाव होता है। यदि एक गांव में एक दूरदर्शन सेट हो तो कम से कम पचास व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्यक्रम देखते हैं। दिल्ली में भी आप देखेंगे कि यदि किसी के पास दूरदर्शन सैट है तो आस-पास के क्वार्टरों के भी लोग कार्यक्रम देखने के लिये जमा हो जाते हैं। गावों में ऐसा सारे समुदाय के साथ है, कम से कम मेरे गांव में तो ऐसा ही है। आपके क्षेत्र की स्थिति मैं नहीं जानता हूं। लेकिन निश्चित रूप से यह मामला नहीं है।

महोदय, दूरदर्शन बहुत ही अधिक लोकप्रिय है। यह रेडियो और समाचार पत्रों तथा अन्य बहुत सी चीजों से अधिक प्रभावकारी भी है।

साक्षरता की दर को सुधारा और बढ़ाया जाना चाहिए। मैं सोचता हूं इस प्रकार की चीजों का बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है। इस सन्दर्भ में मेरे पास आंकड़े नहीं है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि उन राज्यो की अपेक्षा जहाँ साक्षरता उनकी अधिक नहीं है क्या केरल में जनसख्या वृद्धि दर कम है। मैं अपनी अनभिज्ञता के कारण यह प्रश्न कर रहा हूं। लेकिन चूंकि साक्षरता के इस पहलू का जिक्र किया गया है, मैं यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। मैं स्वयं महसूस करता हूँ कि यह सिर्फ साक्षरता से नहीं बल्कि जीवन स्तर या आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर है। हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसके मूल में निर्धनता पूर्ण आर्थिक स्थिति है।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहूंगा मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि मैं अपने सहयोगी श्री अय्यपू के विचारों से सहमत हूं कि विभिन्न वर्गों से सलाह मशविरा कर, क्योंकि जैसा कि मुझसे कहा गया है कि कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की सम्भावना है, एक विधेयक लाया जाना चाहिए। अन्य अनेक कारण भी हैं।

मार्गों में आने वाली अड़चनों को मैं नहीं जानता लेकिन वास्तव में मैं इस बात को अधिक पसन्द करता हूं कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मशविरा कर सरकार इस बात के लिये एक व्यापक विधेयक ला सकती है कि छोटे परिवार का मापदन्ड कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाये। चाहे कुछ प्रशासनिक आदेशों द्वारा उन लोगों की जिनके एक या दो बच्चे हैं, कुछ प्रोत्साहन देकर अथवा आप जो भी मापदन्ड निर्धारित करे उसके द्वारा मंत्रालय कुछ उपाय कर सकता है। यह भी आपको देखना चाहिए कि उन लोगों को जिनके अधिक बच्चे हैं यह दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं

आपका आभारी हूं। जनसंख्या की समस्या गम्भीर समस्या है, जिस पर कि आज सदन में बहस चल रही है। मेरी समझ से इस देश की यह सबसे भयंकर समस्या है। इसका निदान यदि समय रहते नहीं हुआ और लिए गए निर्णयों पर ठीक से कार्यान्वयन नहीं हुआ तो यह देश रसातल में चला जायेगा।

देश का विकास हो रहा है। देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो विकास नहीं चाहता है। इससे हम इन्कार नहीं कर सकते हैं कि इस दौर में हमारे यहां भी कमबेश विकास हो रहा है, लेकिन विकास का यह शिशु—बच्चा—जनसंख्या के राक्षस के सामने उसके पेट में चला जाता है। ऐसी स्थिति में विकास एक दम नगण्य लगता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसा संकल्प लें, हमारे में हमारी सरकार में और देश के नागरिकों में ऐसी इच्छा शक्ति हो कि हम उस इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए बाध्य हों। उसको करने के लिए यह नहीं कि सिस्टम बुरा है, डेमोक्रेसी है वोट लेना है, नहीं तो वोट बिगड़ जाएगा, वोट खराब हो जाएगा। हमने एक बार इस काम को शुरू किया तो हमको हटा दिया गया, हम हार गए और दूसरे लोग आ गए। जो कुछ भी हो, होने दो, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र रहेगा और अच्छा राष्ट्र रहेगा तो कोई भी बन बिगड़ सकता है। आदमी अपनी और अपनी पार्टी की बात को नहीं सोचेगा, सबसे ज्यादा वह राष्ट्र की बात सोचेगा और राष्ट्र तभी रहेगा, जब उन नीतियों को अपनाये जिसमें देश का विकास हो। मेरी समझ से सबसे प्रथम बात जनसंख्या को रोकने की बात है। मैं माननीया राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि परिवार नियोजन के बारे में बहुत से लोगों को शिक्षा मिली है। यह ठीक है कि इसमें काफी दिक्कत है और अभी बहुत कुछ करना है। अभी शिक्षा की बात आई। हम ठीक से शिक्षित हों और वे समझें कि एक लड़का हो, एक लड़की ही हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे सम्मान कम नहीं होता है, आमदनी कम नहीं होती है। इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। निर्धनता एक ऐसी चीज है निर्धनता के नाते हम शिक्षा नहीं पाते, दरिद्रता के नाते हमको रहने का मकान नहीं मिलता, तो हालत यह हो जाती है कि हमें एक ही कमरे में रहना पड़ता है। एक ही कमरे में बैठते हैं, सोते हैं, फिर एक बच्चा हुआ दस महीने एक साल के बाद दूसरा हुआ, तीसरे साल तीसरा हुआ और फिर चौथा हुआ, इस तरह से ऐसी कंडीशन्स होती जाती है कि उसमें होते जाते हैं। स्टैंडर्ड आफ लिविंग सोने का, बैठने का, रहने का और जगह होती, ऊंचा होता, मनोरंजन के साधन रहते और मनोरंजन करते वक्त हमारे दिमाग में ठेस लगती कि परिवार नियोजन के न रहने पर फला आदमी का नुकसान हुआ है···

5.00 म. प.

फला आदमी की हैसियत घटी या एग्रीमेंट हुआ। इस तरह की चीज होती है, तो उसी समय सोच लेना चाहिए और हमें दूसरे माध्यमों को अपनाना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि सरकार सब कुछ कर रही है लेकिन यही काम नहीं कर रही है और इच्छा शक्ति की कमी है। चीन ने कर लिया, वह सबसे बड़ा देश है दुनिया का। लगता है कि हम चीन से कम्पीट कर रहे हैं कि हम चीन को इस मामले में पिछाड़ देंगे और 2 हजार सदी जाते जाते और 21वीं सदी में हम चाहे कुछ और हों या न हों लेकिन दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हो जायेंगे, अशिक्षित राष्ट्र हो जायेंगे, मुखमरों के राष्ट्र हो जायेंगे और दरिद्र राष्ट्र हो जाएंगे। नहीं तो, इसकी क्या जरूरत है, कोई भी सिस्टम हो, हमें इस चीज को कन्ट्रोल करने के लिए कुछ भी करना चाहिए और लोगों की गरीबी को भी खत्म करना चाहिए और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है, वह यह है कि आजकल प्रेमे-

गेण्डा बहुत हो रहा है और अभी मेरे दोस्तों ने टी. वी. की बात कही कि गांवों में टी. वी. लगा दिए गये हैं। टी. वी. के बारे में मैंने एक सवाल भी किया था कि बहुत सारे गांवों के प्राइमरी स्कूलों में दो साल पहले टी. वी. लगा दिए हैं और आप कहते थे कि हम लड़कों को शिक्षित करेंगे, शिक्षकों को ट्रेंड करेंगे और हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में टी. वी. भी आपने लगवा दिए लेकिन आज उनको न कोई देखने वाला है और न कोई उनको तनख्वाह देने वाला है। निकम्मी सरकार ने यह सब कर दिया है और यह नहीं सोचा कि यह चीज कैसी चलती है। 10.5 हजार रुपया लगा कर उनको लगा दिया और गॉव के अन्दर उनको कोई देखने वाला नहीं हैं, उनका रख-रखाव करने वाला नहीं है, उनको न कोई तनख्वाह दी गई है और न वहां पर कोई प्रोगाम दिखाया जाता है और उनसे वहां कोई काम नहीं लिया जाता है और आप कहते हैं कि परिवार नियोजन हम करायेंगे। मैंने एक प्रश्न किया था और अजीत पांजा साहब उस समय राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की बात है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार कोई अलग है हम से।

दूसरी बात यह है कि परिवार नियोजन के सारे आंकड़े आते है, उनको आप देखिये। अभी "इण्डिया टूडे" में पांच, सात दिन पहले निकला है कि फर्जी आदमी की नसबन्दी करा दी गई और 60 वर्ष के आदमी की नसबन्दी करा दी और एक आदमी की दोहरी बार, तोसरी बार नसबन्दी करा दी। जब इस चीज का जिम्मा अधिकारिवों पर लगाते हैं, तो वे क्या करते है कि किसी न किसी को पकड़ कर नसबन्दा कर देतें हैं अपने ट्रांसफर के लिए, अपनी पोस्टिंग के लिये अपनी पीठ ठुकवाने के लिए और इनाम लेने के लिए और ये सारे फर्जी केस हो रहे हैं। अभी आपने इस बात का पता लगाया कि इस गांव में इस नाम का आदमी है। इसका हिसाब आप रख लेते। यह कितना बड़ा देश है और यह कैसी सरकार है, जो कि इसका हिसाब नहीं रख सकती। एक आदमी की चार-चार बार, पांच-पांच बार नसबन्दी दिखाई जाती है और 60 वर्ष के ऊपर के लोगों की नसबन्दी हो रही है। यह क्या मामला है ? इस तरह के केसेज यहां हो रहे हैं और ये सब चीजें बहुत घातक हैं देश के लिए। इस पर सरकार की नजर होनी चाहिये और फर्जी केस अगर कोई पकड़ा जाये, बड़ी संकल्प-शक्ति है माननीय राज्य मंत्री जी की, तो उसमें सजा दी जाये। आप मुझसे कहें, तो मैं दर्जनों केस दे सकता हूं, जिनमें दो बार, तीन बार नसबन्दी हुई है और 50 और 60 साल की उम्र के बाद वालों की नसबन्दी हुई है। अगर एक केस में भी पनिशमेंट हो जाए और एगजम्पलरी पनिशमेंट हो जाये, तो आप देखेंगे कि फिर लोग ऐसा काम नहीं करेंगे और भाग खड़े होंगे। बजट का काफी पैसा इसके लिए दिया जाता है और जो रुपया पैसा दिया जाता है, उसमें एकाध कैम्प लगा कर टी. वी. और अखबार वालों को और पत्रकारों को खुश करने के लिये. जिनका पैसा बंधा है, उनके बारे में रोज अखबारों में निकल रहा है। पता नहीं कि कोई उसको पढ़ता है या नहीं। जिसका इन्ट्रेस्ट नहीं है, वह उसको नहीं पढ़ता है। मैं जब बच्चा था, तो अखबारों में विज्ञापन पढ़ता था बींडमल और एवक साहब के लेकिन जब मेरे घर में कोई बीमार पड़ता था, तो मैं उनसे दवा लेने नहीं जाता था। मेरा कहना यह है कि विज्ञापनों में दम होना चाहिए और उनमें कुछ नहीं होता है, तो लोग परवाह नहीं करते हैं। इस पर बहुत रोया जा सकता है लेकिन रोने धोने से काम नहीं चलेगा। चीज बहुत बिगड़ चुकी है और अगर रोक थाम नहीं होगी तो स्थिति और खराब होगी। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। जो पैदा होता है, वह भारत माता का बेटा है या भारत माता की बेटी है और इस देश को अगर ठीक से रखना है, तो जनसंख्या को ठीक से रखना होगा और यह जो फर्जी काम हो रहा है और यह जो गलत काम हो रहा

है, इसको रोकना होगा। आप बजट चाहें जितना रखें, मैं तो यह कहूंगा कि गवर्नमेंट पाबन्दी लगाये कि अगर किसी के एक लड़का है, तो इतनी जल्दी सरकारी सेवा में उसको इन्क्रीमेंट मिलेगा, अगर दो लड़के हैं, तो इतना समय लगेगा, अगर तीन लड़के हैं, तो इतने समय बाद देंगे और अगर चौथा होगा, तो देंगे ही नहीं, और वह वैसा ही बैठा रहेगा। इसी तरह नौकरी देने में, जिनके लड़के ज्यादा हैं, उन पर रोक लगे। इस तरह से आदमी डरेगा। इसमें दिक्कत चाहे जितनी हो लेकिन हममें स्ट्रोंग बिल पावर होनी चाहिये और हमें बहुत मजबूती से इसके बारे में सोचना होगा। कुछ भी हो, वोट मिले या न मिले। हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिये कि फलां ने क्या कहा। लोग वक्त-बे-वक्त सबके लिये कुछ न कुछ कहते रहते हैं लेकिन जिसको देश को चलाना है, जो देश का मालिक है, अगुआ है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, हम इस चीज को करेंगे जिससे देश का नुकसान हो रहा है। हमें चाहे वोट मिले या न मिले। डेमोक्रेसी जरूरी है लेकिन फैमिली प्लानिंग एट द कास्ट आफ डेमोक्रेसी भी की जानी चाहिये। नहीं तो एक दिन आयेगा कि न हवा मिलेगी, न पानी मिलेगा, मिट्टी नहीं मिलेगी। आज जिस गति से आबादी बढ़ती चली जा रही है उससे ऐसा लगता है।

जनसंख्या का रेशो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, दूना, दूने से दूना बढ़ता है। अब एक लाख, दो लाख बढ़ रही है, फिर करोड़ में बढ़ेगी। सन् दो हजार तक यह एक अरब हो जाएगी और दो हजार पांच तक बढ़कर और भी विशाल हो जाएगी। तब लाखों या करोड़ों में नहीं बढ़ेगी अरबों में बढ़ेगी। हर एक आदमी इसको दूगना, तिगुना कर देगा।

इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए और माननीय राज्य मन्त्री जी की सराहना करते हुए मैं यही निवेदन करूंगा कि उन्होंने अपने आचरण से, ढंग से, व्यवहार से इस दिशा में कुछ मजबूती दिखाई है जिससे कि बल मिलता है और बल मिल रहा है। उन्हें यह महकमा मिलता है और चाहे कुछ भी हो, उन्हें बहुत मजबूती से प्रबल इच्छा शक्ति से इस काम को करना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वे इस परिवार नियोजन के काम को सख्ती से और कड़ाई से आगे बढ़ायें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, जब अभी राय साहब कह रहे थे कि सरकार को कुछ कदम ऐसे उठाने चाहिएं जिससे परिवार नियोजन का कार्यक्रम, चाहे कड़ाई ही क्यों न करनी पड़े, लागू हो सके। यह बात उन्होंने बहुत अच्छी कही। लेकिन यह एक ऐसा विषय है, यदि इस विषय को राजदंड के साथ कोई लागू करना चाहे तो उसके लिए साहस की जरूरत है। उसके लिए सरकार में ही साहस की जरूरत नहीं है बल्कि सारी पार्टियों में साहस की जरूरत होनी चाहिए। (व्यवधान) न केवल सरकार की हो देश के प्रति जिम्मेदार है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और उतनी ही जिम्मेदारी है जब आप राष्ट्रीय प्रश्नों पर सोचते है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में इस विषय में साहस नहीं है। सन् 75 76, और 77 के पूर्वार्द्ध में बड़ी तेजी के साथ परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू करने की चेष्टा की गई। पूरी सारी सरकारी मशीनरी इस दिशा में काम करती रही। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि लोगों में विसपरिंग केम्पेन चलाया गया, वातावरण को दूषित करने की चेष्टा की गई और उनको राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों में प्रचार किया गया। जिनका परिणाम न केवल कांग्रेस की हार हुई, बल्कि फैमिली प्लेनिंग के ऊपर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा। अगर कांग्रेस हारती तो भी कोई बात नहीं होती क्योंकि लोकतंत्र में पार्टियां हारती और जीतती रहती हैं। इस बात को हम सब को स्वीकार करना चाहिए।

मैं यह समझता हूं कि यदि सरकार इस विषय में, जैसा कि माननीय भोई जी ने सुझाव दिया है कि एक परिवार, एक दम्पत्ति और एक बच्चे के नोर्म को ग्रहण करे और इनको लागू करने की चेष्टा करे। इसके लिए न केवल सरकार को ही अपने आपको तैयार करना है बल्कि सारे राजनीतिक दलों से भी राय ली जानी चाहिए। यदि सभी इसके लिए तत्पर होते हैं तो इसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है।

सर इस समय हमारे सामने प्रश्न केवल इस बात का नहीं है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि सन् 1977 में कांग्रेस चुनाव हार गई मगर उसने ही इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम को कड़ाई के साथ लागू करने की चेष्टा की। उससे लोगों में अवेरनेस पैदा हुई और लोग जान पाये कि छोटे परिवार का क्या लाभ हो सकता है। क्षणिक आवेश में आकर लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया, लेकिन बाद में लोगों ने महसूस किया कि यह कार्यक्रम तो आखिर हमारी भलाई के लिए ही था। आज बुनियादी प्रश्न यह नहीं है कि छोटे परिवार के लिए अवेयरनेस पैदा की जाये, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं के ऊपर प्रहार करने की जरूरत है। आप टी. वी. पर निरोध का विज्ञापन दिखाते हैं, एक या दो बच्चे होने चाहिएं यह बताते हैं, ठीक है इसका भी लाभ होगा, लेकिन लोगों में जो यह मान्यता है कि जब बेटा होगा तभी वंश चलेगा, खासकर महिलाएं यह महसूस करती हैं, जब तक लड़का नहीं होगा उनको सहारा नहीं मिलेगा, पति के बाद लड़का ही उनका सहारा है, इसके बिना वे अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर पा रही हैं। वंश चलाने में अक्षमर्थ हैं, इस तरह की मान्यताओं पर विज्ञापनों के जरिए चोट करने की आवश्यकता है। आज भी बहु-संख्यक वर्ग ऐसा है जो इस बात को मानता है कि लड़का होगा तभी वंश आगे चलेगा। इस बारे में छोटी-छोटी फिल्में बने, सीरियल्स बनें, आज हर तरह के सीरियल दिखाए जा रहे हैं, राजनेताओं पर और राजनीतिक पार्टियों पर चोट की जा रही है तो इस तरह के सीरियल क्यों नहीं बनाए जाते जिस पर इन पुरानी मान्यताओं पर चोट हो सके।

हमारे कई मित्रों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव यहां पर दिये और इंसेंटिव की भी बात की गई। किशोर चन्द्र देव जी ने तो कहा कि ज्यादा बच्चे होने पर डिसइंसेंटिव की भी व्यवस्था होनी चाहिए, राशन कार्ड आदि सुविधाओं से उसको वंचित कर देना चाहिए, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसके बजाय जो एक बच्चा पैदा करते हैं या कुंवारे रहते हैं उनको इस प्रकार से इंसेंटिव दिया जाए ताकि दूसरा व्यक्ति स्वयं महसूस करे कि मैं इन सुविधाओं से वंचित रह गया, तो यह अपने आप में डिस्इंसेंटिव ही होगा।

सरकारी कर्मचारियों को टारगेट बनाकर इंसेंटिव स्कीम्स और फैमली प्लानिंग स्कीम्स को लागू करने की चेष्टा की जाती है। इससे यह लाभ होता है कि कुछ बचे बायें केसेस फैमली प्लानिंग के मिल जाते हैं, लेकिन इससे नुकसान भी हो रहा है। जब किसी को कहा जाता है कि तुमको केसेस लेने हैं तो वह ऐसे लोगों को पकड़ने की चेष्टा करता है जो इसके लिए आसानी से तैयार हो सकें। टीचर्स, पटवारी, राशनिंग आफिसर्स ऐसे ऐसे लोगों के केसेस लाते हैं जो 55-60 वर्ष की उम्र के होते हैं, जिनका पिछले कई वर्षों से बच्चा ही नहीं होता, ऐसे लोगों की नसबन्दी वे करवा देते हैं। जिनकी पहले से नसबन्दी हो चुकी होती है उनकी नसबन्दी करवा दी जाती है, कहीं कहीं पर डाक्टर के साथ मिलकर जाली सर्टिफिकेट बनवा दिए जाते हैं। मैं एक ऐसा केस जानता हूँ जहां पर 1976 में 600 नसबन्दी केसेस रिकार्ड किए गए, लेकिन जब वहां पर जांच की

गई तो 450 केस झूठ थे। इनमें जाली सर्टिफिकेट दिए गये और लोगों को बचा लिया गया। हम जब दबाव डालेंगे तो लोग प्रेरणा से काम नहीं करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि दबाव पूरे तरीके से हटा दीजिए, लेकिन दबाव इस सीमा तक भी नहीं होना चाहिए कि आदमी को लगे कि अगर इतने केसेस नहीं दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी और इस डर की वजह से वह लोगों की नसबन्दी करवाए। एक आग्रह और करना चाहता हूं और वह यह है कि राज्य सरकारों को कहा जाना चाहिए। राज्य सरकारें यह समझती हैं कि यदि फैमिली प्लानिंग का टारगेट इस समय तक पूरा नहीं करेंगे तो एलोकेशन के मामले में दिक्कत हो सकती है इस तरह से राज्य सरकारें सरकारी मशीनरी पर दबाव डालती है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अगर किसी हरिजन को मकान दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि पहले नसबन्दी करवाओ तब मकान देंगे। जो गरीब हरिजन नसबन्दी करवा लेता है, उससे कहा जाता है कि जब तक एक केस और नहीं दोगे तब तक मकान नहीं मिलेगा। वह अपनी पत्नी को लेकर जाता है नसबन्दी करवा देता है। इससे आपकी कागजी फीगर्स तो बढ़ रही हैं लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि जनसंख्या कम हो लेकिन इस तरह की नसबन्दी से परिवार कल्याण के प्रोग्राम को सफलता नहीं मिलने वाली है। राज्य सरकारों से कहा जाना चाहिए कि जो निर्बल वर्ग के लोग हैं उनके विषय में परिवार नियोजन की अनिवार्यता लागू न करें। यदि उसको मुद्दा बनायेंगे तो उससे हमारे कार्यक्रम की मंशा पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जन-जातियों में यह धारणा बनती जा रही है कि क्या हमारी ही नसबदी होंगी इसलिए राज्य सरकारों को कहा जाना चाहिए कि निर्बल वर्ग के लोगों के जो कार्यक्रम हैं उनके साथ परिवार नियोजन के टारगेट को जोड़ने की कृपा न करें। लोग चाहते हैं कि कोई न कोई मैथड अपनाया जाए। लेकिन हास्पिटल, डिस्पेंसरीज और डाक्टर्स इतने अच्छे नहीं होते कि कोई वहां लाभ उठा सके। इसके लिए स्पेशलाइज्ड डाक्टर्स होने चाहिए और जिनमें कमिटमेंट हो। मेरे क्षेत्र में भी कई बार ऐसा हुआ है कि परिवार नियोजन के कैम्प में डाक्टर समय पर नहीं आते। सुबह आना हो तो शाम को आते हैं। गैस की रोशनी में मरीज को लिटाया जाता है और 70-80 आपरेशन कर दिये जाते हैं। उनके रहने-खाने की व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। डाक्टर्स यह समझते हैं कि वे अब नहीं जा सकते क्योंकि सरकारी कर्मचारी बाहर बैठा हुआ है। वह कहता है कि जब तक नसबन्दी नहीं कराओगे, तुम्हारा काम नहीं होगा। जो भी प्रोत्साहन की राशि आप देते हैं, वह आप डाक्टर्स को या साधन उपलब्ध करवाने में दे सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप सुविधा देंगे तो जो प्रेरित लोग हैं वे बड़ी संख्या में वहां आएंगे। इसके बाद आफ्टर केयर भी बहुत जरूरी है। आपरेशन के बाद दो महीने तक हास्पिटल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं ऐसे केसेज जानता हूं जब जीप पर बैठाकर आपरेशन के बाद छोड़ दिया गया और कहा गया कि दो किलोमीटर तक पैदल चले जाओ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ हुई तो हास्पिटल वालों ने कहा कि हमने तो नार्मल करके छोड़ दिया। उसको तो वी.आई पी. ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जैसे स्टेट्स में विधायक या सांसद को जो सुविधाएं मिलती हैं दवायें मिलती हैं और सी. जी. एच. एस. में कार्ड होल्डर को फैसिलिटी दी जाती है वह इनको भी मिलनी चाहिए, यदि इन्हें दिक्कत होती है। अगर आपरेशन खराब हो जाय तो उनके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी चाहिए और उसके इलाज की पूरी व्यवस्था कराई जानी चाहिये। यदि हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो जो गलत धारणायें पैदा होती हैं वह समाप्त होंगी, लोगों के मन में जो हिचक होती है वह समाप्त होगी, जो डर है वह भी समाप्त होगा। ऐसी बात नहीं है, लोगों में जागरूकता आई है और उनमें यह धारणा बन गई है छोटे परिवार को कि इससे हम अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, देश में अच्छी भागीदारी कर सकेंगे जिससे देश

का विकास होगा तो उसके साथ हमारा भी विकास होगा। वह धारणा और पुष्ट हो सके इसके लिए आपको और प्रयास करने चाहिए। जिससे वे लोग अपने साथ और लोगों को इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए ला सकें और उन्हें परिवार नियोजन अपनाने के लिये प्रेरित करें।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, मैं डा. भोई को यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं। वास्तव में उस दिन पहला संकल्प मेरा था जो स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में था। चूंकि मुझे सभा से विलंबित कर दिया गया था, डा. भोई का संकल्प पहले पेश हुआ। किन्तु मेरे विचार से ये दोनों संकल्प आकस्मिक नहीं हो सकते क्योंकि इस संकल्प का उद्देश्य भी स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में कहना है। मैं उसी बारे में कहूंगी। फिर भी, यह संकल्प पेश करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं।

इस समस्या के आयाम के आंकड़ों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एक संख्या का जिक्र करूंगी। इस देश में हर 1.2 सैकंड में एक बच्चा जन्म लेता है। उसका अर्थ है कि जब एक वक्ता को 10 मिनट का समय दिया जाता है और उसके भाषण देने के लिए खड़े होने और बैठने तक के दौरान भारत में 500 बच्चे और जन्म ले लेते हैं। मेरे विचार से इस खतरनाक अनुपात के बारे में दो राय नहीं हो सकती न ही इस बारे में दो राय हो सकती हैं कि हमारे देश में वास्तव में सुधार लाने के लिए जन्म दर को काफी कम लाना होगा। प्रश्न यह है कि इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए। हमें इसी प्रश्न पर चर्चा करनी है।

डा. भोई ने बहुत से सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव यह है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को राष्ट्रीय अनिवार्यता के रूप में मान्यता दी जाए। सब लोग इससे तुरन्त सहमत होंगे। जी हां, ऐसा ही होना चाहिए। उस अनिवार्यता से क्या अभिप्राय है। इसके लिए दो तरह के सुझाव दिए गए हैं। एक सुझाव है उन्हें बाध्य किया जाए और दूसरा उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। जहां तक मेरा संबंध है, मेरा विचार है, इसके लिए बाध्य न किया जाए। प्रोत्साहन देना अलग बात है। बाध्य करना बिल्कुल दूसरी बात है। मैं नहीं समझती कि बाध्यता की प्रक्रिया सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।

दूसरा सुझाव एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना के बारे में है और डा. भोई मैं उन अभागों में से एक थी···मैं नहीं जानती कि क्यों···जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय महिला समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक समिति जैसे आपके नये आयोगों और समितियों में भाग लेने का फायदा या नुकसान हुआ। उन समितियों और आयोगों का कार्यकरण देखने के बाद मैं तो कहूंगी कि जब तक इनके काम करने की समूची प्रणाली को बदला नहीं जाता इससे कोई फायदा नहीं होगा। अतः उनके इस विचार के प्रति मुझे सहानुभूति है मुझे इसकी वर्तमान कार्य प्रणाली के ढांचे के अन्तर्गत विशेष सीमाएं हैं।

यद्यपि मैं उनके इस विचार का पूर्णतः समर्थन करती हूं कि महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, मैं समझती हूं कि मेरे विचार से जबकि कई लोगों का विचार है कि परिवार नियोजन संभवतः महिलाओं पर निर्भर है। मैं उस विचार को गंभीरता पूर्वक चुनौती देती हूं उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं महिलाओं को साक्षर बनाने के पक्ष में नहीं हूं किन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि

मैं नहीं समझती कि इससे उन्हें मदद मिलेगी। किन्तु मुझे यह भी विश्वास है कि जबकि परिवार नियोजन के लिए जरूरी है कि महिलाओं में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाए ताकि उसे बेहतर बुद्धि-बाएं मिलें तथा उसे विश्व की वास्तविकताओं के प्रति अधिक जागरूक बनाया जा सके—मेरे विचार से यदि इस एक महिला के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वास्तव में आप दुःख का असली कारण नदारत पाएंगे क्योंकि परिवार नियोजन का कार्यक्रम तब तक अधिकार सफल नहीं हो पाएगा जब तक हमारा समाज महिला को पुरुष के समान अधिकार नहीं देता। यही अनिवार्य है।

जब मेरी पार्टी ने भी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया कि हमें परिवार नियोजन के लिए कौन सी नीति अपनानी चाहिए, उन दिनों भी मैं भी उन कुछ कम्युनिस्टों में से एक थी, जिन्होंने वर्ष 1954 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार नियोजन कैंप लगाया था। मुझ पर ऐसा करने के लिए दबाव क्यों डाला गया था? क्योंकि जिन महिला किसानों के बीच में काम किया करती थी, वह मुझे एक कोने में बुलाकर पूछा करती थीं। मेरी प्यारी दीदी, मेरी बड़ी बहन क्या आप हमें इस बारे में जानकारी देने का कोई प्रबन्ध कर सकती है कि बच्चों के जन्म पर कैसे नियंत्रण किया जाए। मैंने कहा 'आप इस बारे में इतनी छिपकर क्यों पूछ रही है तो उनमें से एक महिला ने कहा कि क्या आप नहीं जानतीं कि यदि मेरे घर के पुरुषों को इस बारे में पता चल गया तो मैं इन सब बातों का अर्थ कभी नहीं समझ पाऊंगी।' इसीलिए मुझे किसान समिति की ओर से पुरुषों और महिलाओं की एक साथ बैठक बुलानी पड़ी ताकि पुरुष इसकी आवश्यकता को पहले समझें। केवल तब ही मैं वह सैंटर बना सकी, अन्यथा ऐसा नहीं किया जा सकता था। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब तक हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ते मात्र स्त्री के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का कुछ फायदा नहीं होगा, यद्यपि महिला को इसकी जानकारी पहले दी जानी चाहिए क्योंकि बच्चों को जन्म महिला ही देती है। अतः पूरा बोझ उन्हीं पर पड़ता है। मुझे डा. भोई तथा मेरे अन्य कई सहयोगियों द्वारा रखे गए विचारों से पूरी सहानुभूति है। हरीश जी ने बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं।

सर्वप्रथम, एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस समय जो भी दावा किया जाता है, वह सही होना चाहिए। उदाहरण के लिए पहले स्वास्थ्य मंत्री श्री चोरा जी ने दावा किया कि 1987 में जन्म दर प्रति हजार 32.6 से घटकर 32 हजार रह गई थी। यह संख्या विवादास्पद है। संभवतः ऐसा नहीं है। श्री हरीश ने इस बारे में पहले ही बता दिया है।

वास्तविक कार्य-निष्पादन के संबंध में मैंने पाया कि इस वर्ष नसबन्दी के मामलों में 7.2% कमी आई है यह बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए हम शुरूआत कहां से करें। मेरे विचार से, हमें सर्वप्रथम इस समस्या की वास्तविकता के प्रति धारणा से शुरू करना चाहिए कि यह समस्या पूरे राष्ट्र की, पुरुषों और महिलाओं, दोनों की प्रगति की समस्या है। आप कुछ विशेष लाभ महिलाओं को ही देते हैं किंतु साथ ही आप पुरुषों को भी प्रोत्साहन देते हैं। अतः उस दृष्टिकोण से मेरे विचार से काम करने के तरीके तथा वर्तमान प्रोत्साहन योजना दोनों ही में परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैं एक बच्चा होने के मापदंड के लक्ष्य से सहमत हूं। मानदंड को मानदंड ही है मानदंड का अर्थ बाध्यकर नहीं है। किन्तु साथ ही हमें अपना लक्ष्य 'हम दो' हमारे दो को छोड़कर 'हम दो' हमारा एक पर लाना चाहिए। किन्तु इसे ऐसे ही प्राप्त नहीं जा सकता। उसके लिए बहुत सी तैयारी करनी होगी।

सर्वप्रथम, जैसा कि मेरे अन्य मित्रों और श्री पीयूष तिरकी जी ने भी कहा है कि जब तक निर्धन व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठाया जाता, हम इसमें कभी सफल नहीं हो सकते, यह मूल प्रश्न है। मैंने अपने देश मे 4 राज्यो का दौरा किया है। जहां इसका परिणाम सबसे खराब रहा है। वे राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। यह राजनीतिक रूप देने का प्रश्न नहीं है। यदि आप इन चार राज्यों पर नजर डालें, तो वहां हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या का भाग निर्धनों का है, जिनकी रुढ़वादी परंपराएं और रुढ़िवादी प्रथाएं हैं। क्या इन राज्यों में भूमि सुधार हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ऐसा किया होता, तो वह परिवार नियोजन के मामले में सबसे बड़ा योगदान सिद्ध हो सकता था। आपको भूमि सुधार ही नहीं अपितु लोगों में यह विश्वास भी पैदा करना होगा कि उन्हें अपनी देखभाल के लिए अधिक बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है और उनकी देखभाल राज्य सरकार करेगी। उनमें यह भावना पैदा करनी होगी। आज वह इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं। यही कठिनाई है। जैसा कि मैंने पहले कहा महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

जहां तक प्रोत्साहन देने का संबंध है, रावत जी ने कुछ बातें बताई हैं, जिनका मैं पूरा समर्थन करती हूं। किन्तु मैं यह भी बताना चाहती हूं कि विभिन्न वर्गों के लोगों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने होंगे। उदाहरण के लिए निर्धन लोगों को प्रोत्साहन रोजगार के रूप में देना होगा अर्थात उन सभी योजनाओं में जो राज्य द्वारा रोजगार देने से संबंधित हों, उन निर्धन लोगों के परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने सचमुच छोटे परिवार के मानदंड को अपनाया हो। इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और उन्हें रोजगार देने के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी घोषणा करने के तुरन्त बाद ही आपको इसके परिणाम मिलने शुरू नहीं हो जाएंगे किन्तु यदि आप इस पर अमल करते रहे तो वे निर्धन लोग इस ओर आकर्षित होंगे। अतः रोजगार देना पहली बात है।

तत्पश्चात् महिला और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में कहा गया है। वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।

उनके लिए मकान उपलब्ध कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है। चीन में वे निर्धन लोगों को मकान के रूप में प्रोत्साहन दे रहे हैं क्योंकि वहां रोजगार की समस्या हमारे देश से काफी हद तक कम है। चीन में वे मध्यम वर्ग के लोगों को इस तरह का प्रोत्साहन दे रहे हैं। जैसा कि डा. भोई ने ठीक ही कहा है, यदि वे छोटे परिवार का मानदंड अपना लेते हैं तो उनके योग्य बच्चों को चिकित्सा और तकनीकी कालेजों में प्रवेश के समय आरक्षण मिलेगा। आजकल मध्यम वर्गीय लोगों के लिए यह बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। अतः निर्धनतम वर्गों के लिए, एक तरह का प्रोत्साहन देना चाहिए और मध्यम वर्ग के लिए दूसरी तरह का प्रोत्साहन होना चाहिए। इनका हिसाब सावधानी से करना है और मैं यह बातें स्पष्ट करने के लिए सदन का समय नहीं लूंगी। किंतु, मेरा मतलब यह है कि देश में गरीब जनता का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए, अन्य बातों का ध्यान रखते हुए इन प्रोत्साहनों का सतर्कता से हिसाब लगाना है।

महोदय, मशीनरी के संबंध में मैं कहती हूं कि यह पहले से ही काम कर रही है किंतु, मैं समझता हूं कि आज जो हमारे पास परिवार नियोजन की मशीनरी है वह इस मामले में उत्तम काम करने में सहायक नहीं हो सकती है। श्री हरीश रावत ने कहा है कि ऐसे एजेन्ट भी हैं या

जिन्हें ग्रामों में दलाल कहते हैं। हमने देखा है कि यह एजेन्ट ग्रामों से जनता को शिविर में ले आते हैं। यदि निचले स्तर पर ग्रामीण स्तर पर ऐसा किया जाता है तो योजना सफल हो सकती है। इन लोगों के संबंध ग्रामीण लोगों के साथ होते हैं और वे इस बात को लोकप्रिय बनाने में, जनता को शिविरों में लाने में अत्यन्त सहायक होंगे। अतः परिवार नियोजन की मशीनरी को नया रूप देने के लिए न केवल ग्रामों में निचले स्तर पर कर्मकारों द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को परन्तु औद्योगिक श्रमिकों द्वारा भी अधिकतम महत्व देने की आवश्यकता है।

वर्तमान ढांचा अफसरशाही पर आधारित है और इस ढांचे को पूरी तरह बदलना है और ऐसा तब हो सकता है यदि आप गम्भीर प्रयास करेंगे।

तीसरा, यद्यपि आबंटित राशि उतनी नहीं है जितनी जरूरत है, सामान्यतः परिवार नियोजन के लिए अपेक्षाकृत अधिक राशि आवंटित की जाती है। किंतु साथ ही साथ यह भी सत्य है कि इस मशीनरी में बहुत सारा भ्रष्टाचार भी है। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार के संबंध में सरकार के विचार स्पष्ट करें। दिनांक 7 मई, 1988 को "पेट्रियट" में एक समाचार आया। इसमें लिखा है कि मार्च 1988 में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के एक वरिष्ट अधिकारी ने दक्षिण कोरिया की मेसर्स रैंडिक्यूरा फार्मास्यूटिक्लस लिमिटेड को (750 लाख) निरोध सप्लाई करने का 3.25 करोड़ रुपये का ठेका दिया था। कोरिया की इस कम्पनी ने घटिया निरोध सप्लाई किए। इस अधिकारी ने निरोध सप्लाई करने के समझौते पर सेवानिवृत्ति के दिन हस्ताक्षर किये थे। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी मेसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लि. ने कम कीमत पर निरोध सप्लाई करने का प्रस्ताव किया था। किन्तु इन लोगों को निरोध सप्लाई करने का आर्डर नहीं दिया गया। यह केवल एक उदाहरण है।

महोदय, नसबन्दी अथवा जन्मदर नियत्रण संबंधी साधन और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई औषधियां प्रतिकूल परिणाम दे रही हैं। अतः वे जन्मदर नियंत्रण संबंधी साधनों का प्रयोग करने से डरते हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए संयुक्त उपाय करें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें जनता को आकर्षित करना है और यह प्रशसनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करने का प्रश्न है। अतः मैं चाहूंगा कि यह विभाग अपनी प्रणाली का ढांचा पुनः बनाएं और अपने कार्य को सुधारें और निरोध तथा परिवार नियोजन के अन्य साधनों की सप्लाई की प्रणाली में सुधार करें। मैं आशा करता हूं कि सरकार अपना रवैया बदल देगी ताकि परिवार नियोजन के अच्छे परिणाम प्राप्त हों। केवल ऐसा करने से हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। और मैं समझती हूं कि किसी प्रकार की जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। किंतु, एक राष्ट्रव्यापी चेतना अथवा अभियान महत्वपूर्ण है और मैं एक समान सिविल कोड के विचार से पूरी तरह सहमत हूं और जितनी जल्दी हम एक समान सिविल कोड का समर्थन करेंगे उतना ही सभी दृष्टिकोणों से और इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी अच्छा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः डा. भोई को यह संकल्प लाने के लिए धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति महोदय, डाक्टर भोई द्वारा लाये गये इस प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर, आज सबसे बड़ी आवश्यकता पापुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम की है

अर्थात फैमिली वैलफेयर प्रोग्राम की है। कई सारे मुद्दे पूर्व के वक्ताओं ने उठाये है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। हम जब सबसे पहले इन्साफ के माईल-स्टोन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले मदर का नाम आता है, मैटरनिटी और चाइल्ड हैल्थ का नाम सबसे पहले आता है।

जैसा कि गीता मुखर्जी ने बताया कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस वर्ष महिलाओं की आवश्यकताओं पर सबसे अधिक जोर दिया है। सबसे प्राथमिक चीज इसमें महिलाओं की शिक्षा की और उनके स्वास्थय की है। इसमें एक बात बहुत ही आवश्यक होगी। जब हम लोगों ने कोई प्रोग्राम शुरू किया है तो दो बातों को अलग-अलग रखने की कोशिश की है। सबसे आवश्यक बात इसमें यह है कि इकोनमिक ग्रोथ इण्डस्ट्रियल ग्रोथ को हमेशा सोशल और कल्चरल ग्रोथ के साथ समावेश किया जाये। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की भी होती है। यदि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के आपस के सम्बन्धों को यदि हम छोटा नहीं कर पाये तो फैमिली वैलफेयर प्रोग्राम पालिसी के आधार पर चलाने वाली बात जो केन्द्रीय सरकार ने की है वह कभी पूरी नहीं कर पायेंगे।

फैमिली वैलफेयर प्रोग्राम में कई सारे डायमेनशन है। पालिसी बनाते समय इन सारी बातों पर ध्यान भी दिया गया है। हैल्थ और फैमिली वैलफेयर की जो पालिसी बनायी गई है उसमें कई सारे मुददों पर एक साथ रखने की कोशिश की गई है और इन सारे मुददों पर एक साथ अटैक करने की आवश्यकता पर बल भी दिया गया है।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रेट आफ एडाप्शन आफ फैमिली वैलफेयर मैथड की आती है। हम मोटिवेशन की बात करते हैं और इसमे 1977 की बात करते हैं। जो कोई इमरजैंसी के समय की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 1977 में इमरजैंसी के समय 80 लाख फैमिली प्लैनिंग एक वर्ष में किया गया था। अब यह राजनैतिक बात उठती है कि उसका असर क्या हुआ था, विरोधी दल और सत्ता पक्ष के बीच में यह बातें आना आज बहुत अच्छा नहीं है क्यों यह एक ऐसा मसला है जिसमें राजनीति न आये तो बहुत अच्छा है लेकिन रेट आफ एडोपशन का जो मैथड होना चाहिए, वह मोटिवेशन होना चाहिए। बिना मोटिवेशन के फैमिली वैलफेयर के प्रोग्राम कोहम इस देश में पूरा नहीं कर पायेंगे, इसीलिए मोटिवेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, फैमिली वैलफेयर के लिए एक्सटैंशन प्रोग्राम बनाया गया है, प्राईमरी हैल्थ सैण्टर्स इसके लिए खोले गये हैं, फैमिली वैलफेयर के लिए अलग से डाक्टर्स बहाल किये गये हैं, उन पर अलग से राशि खर्च की जाती है लेकिन मोटिवेशन की अभी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है और मोटिवेशन के जो आयाम हमें देखने को मिल रहे हैं, जो डायमेंशन्स हमे देखने को मिल रहे है, फैमिली वैलफेयर प्रोग्राम में जो वर्कर्स, जो कार्यकर्ता विलेज लेबिल पर कार्यरत हैं, वह अच्छा काम कर रहे है, इसमें दो मत नहीं हैं लेकिन अभी जितना मोटिवेशन होना चाहिए, उतना मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है। कहीं-कहीं धर्म की बात भी बीच में आती है, हमारे यहां रिलीजन सबसे बड़ा आब्सट्रकल है, हमारी मान्यताएं भी है, धार्मिक रूप से और आर्थिक रूप से, कल्चरली भी हमारी कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनको अभी पूरा होने में, दूर होने में काफी समय लगेगा इसलिए इस प्लान को, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी पोपुलेशन ग्रोथ रेट 2.2 परसेण्ट से घटाकर 1.3 या चाइना को ग्रोथ रेट 1.2 या 1.3 के आस-पास हम ले आयें, उसमें जो हम एचीव कर पाये हैं वह अभी बहुत सन्तोषजनक नहीं है।

मैं आपको 76-77 की बात बता रहा था कि 80 लाख फैमली प्लानिंग 80 लाख स्टेरीलाइजेशन किये गये थे। इस दर से यदि 50 मिलियन कपल्स आज हमारे यहां रजिस्टर हैं। हमारे यहां मैरिज के समय कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो पहली आवश्यकता तो यह है कि मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया जाय और यह कम्पलसरी किया जाय, इसमें किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। हम यह नहीं जान सकते हैं कि एक गांव में आज कितनी शादियां एक साल में हुई हैं और उसी ढंग से हम कपल का सर्वे कर रहे हैं। सबसे पहली बात यहां कपलके सर्वे की है क्योंकि रीप्रोडेक्शन का सैण्टर कपल से शुरू होता है और कपल सर्वे में 90 मिलियन कपल्स की बात आज हमारे सामने हैं और इसमें मात्र 50 परसेण्ट कपल्स का ही मोटिवेशन हो पाया है, हमारा कपल्स का मोटिवेशन का रेट बहुत हाई नहीं है। फैमिली प्लानिंग का सबसे बड़ा अटैक कपल के मोटिवेशन में होना चाहिए और इसमें हमारा काम बहुत आगे नहीं है, इसमें और प्रगति करने की आवश्यकता है। वरना 2000 ईस्वी तक यदि हम 1000 मिलियन या 100 करोड़ की आबादी तक पहुँचते है तो उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमैण्ट्स हैं वह हम पूरी नहीं कर पायेंगे, न खिला पाएंगे, न कपड़ा दे पायेंगे, न रहने की व्यवस्था कर पायेंगे यह सारी बातें कही जा चुकी हैं इसलिए सबसे पहली आवश्यकता मैरिज के रजिस्टेशन की होनी चाहिए और कम्पलसरी होनी चाहिए। इसमें एक बिल आना चाहिए कि हर व्यक्ति शादी का रजिस्टेशन कराये। आज तक हमने सुना तो नहीं है, न कभी किसी लेजिस्लेशन की बात की गई है लेकिन लेजिस्लेशन होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है इसीलिए कपल सर्वे की आवश्यकता पड़ती है कि हर वर्ष कितने नये कपल और आ रहे हैं।

एज ग्रुप आफ कपल्स भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 से 40 वर्ष का ग्रुप रीप्रोडेक्शन का मेन ग्रुप है और इस आयु में ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं इस एज ग्रुप में यदि हम कोई ऐसी व्यवस्था कर पायें जिससे फर्टिलिटी घट पाये, यह हमारे कैलेमिटी पर भी निर्भर करता है. हमारा जो वातावरण है, हमारी जो ऋतुएं हैं, जो वैदर है उसपर भी यह काफी निर्भर करता है। फर्टिलिटी पर वातावरण का असर भी होता है और यह बात जग जाहिर है, इस पर कई सारी रिसर्च भी चल रही हैं···फर्टिलिटी घटाने की बात करने में वेक्सिन का बड़ा नाम है। प्रेगनैंसी वैक्सीन की बात कही गई है। प्रेगनैंसी वैक्सीन के बारे में जनरल्स में बहुत सारी चीजें आई हैं। प्रैस में भी पिछले कई दिनों से देखने को मिली है। यह बड़ी खुशी की बात होगी कि हमारे देश में भी वैक्सीन पर काफी काम हो रहे हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आगे आने वाले एक-दो साल के अन्दर प्रेगनेंसी वैक्सीन का बहुत बड़ा महत्व होगा। हमारे यहां अभी तक जितने आईयूसीडी के मैथड्स हम लोग इस्तेमाल करते है, कन्ट्रासैपटिव डिवाइसिस, उसमें ऐसा रा-मैटिरियल यूज किया जाता है, जिनसे रियैक्शन होते हैं। कन्ट्रासैपटिव पिल्स सेसाइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बाद टौक्सीसिटी है। जितनी सर्जरी हम लोग करते है, उसमें भी रेट बहुत अच्छा नहीं है। हमारे यहां रिकैनलाइजेशन रेट भी बहुत खराब है। रिकैनलाइजेशन का रेट विदेशों में 80 परसेंट है, जबकि हमारे देश मे 30-32 परसेन्ट है। यह मान लीजिए कि अगर किसी परिवार में दो बेटियां हो गई तो सबसे बड़ा खतरा तो वहीं पर है। हम यहां पर कुछ भी कह ले, लेकिन अभी भी जो हमारा समाज है, महिलाओं और पुरुष में डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। इस खाई को कम करने में अभी काफी समय लगेगा। ऐसी परिस्थिति में जिस परिवार में दो बेटियां हैं, उनको आज भी समझ पाना बहुत कठिन है कि आप फैमली वैलफेयर मैथड इस्तेमाल करें या फिर वैसैकटोमी करा लीजिए या टुबैक्टोमी करा लीजिए। यह तो बहुत ही दूर की बात होगी, सबसे बड़ा महत्व की बात यह है कि जिस परिवार में दो बेटियां हैं, उस परिवार के लिए एक इंसेंटिव की व्यवस्था की जानी चाहिए। वह दोनों

बेटियों की शादी भी करना चाहेगा, उनके रहने की व्यवस्था भी करना चाहेगा, उनके लिए कपड़े और भोजन की व्यवस्था भी करना चाहेगा, इसलिए उनके लिए एक इन्सैंटिव की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके पहले सरकार को अलग से एक सर्वे कराने की आवश्यकता है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके दो बेटियां हैं और उनकी सोशियल बैकग्राउन्ड और इकोनोमिक बैकग्राउन्ड क्या है। इस बात की जानकारी मिले तो हम उनकी इन्सैंटिव दे सकते हैं या उनके नाम पर कुछ पैसा भी जमा करवाया जा सकता है, जैसे सरकार की तरफ से सोशियल पैंसन चली हुई है। उसमें कई प्रकार की व्यवस्थायें की जा सकती हैं अर्थात् उन परिवारों को इन्सैंटिव देने की आवश्यकता है, जिन परिवारों में दो बेटियां हैं। कारण यह कि वे कभी भी आपरेशन नहीं करायेंगे, यह बात हम लोग जानते हैं और आए दिन हम देख भी रहे हैं। इसलिए ऐसे सर्वे की आवश्यकता है, यह पता लगाया जाए किन परिवारों में दो बेटियां हैं।

तीसरी बात हमारे यहां स्टरलाइजेशन की है स्टरलाइजेशन का जो हमारा पुराना व्यवहार होता था, जो आईयूसीडी डिवाइसेस थे, वे सारे के सारे आब्सोलिट हो गए हैं। यह ठीक है कि हम लोग निरोध वगैरह इस्तेताल कर रहे हैं। निरोध के बारे में भी हम लोगों ने जरनल्स में पढ़ा है, फीगर्स देखी हैं, उसका भी फैल्युर रेट बढ़ रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि जो इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको प्रोपरली एजूकेट नहीं किया गया है या फिर जो रा-मैटिरियल यूज किया जा रहा है, जैसा कि माननीय सदस्या ने बताया कि जो कन्डोम्स खरीदे गए, वे अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। जाहिर है कि जब इस तरह की बातें होंगी, तो इस का असर बड़ा खराब पड़ेगा फैमिली वैलफेयर के कार्यक्रम में। इस तरह से आईयूसीडी का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। दुनिया में आईयूसीडी का महत्व लगभग खत्म हो चुका है। हमें अब ज्यादा से ज्यादा सरजरी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा या फिर वैक्सीन, जो कि आगे आने वाली है, उस पर निर्भर होंगे। यदि वैक्सीन मिल जाती है, तो यह सबसे बड़ी अच्छी बात होगी और यह वैक्सी हमें एलोपैथी में न मिल कर यदि हौम्योपैथी में मिले या आयुर्वेद में मिले, जो ठीक रहेगा। आयुर्वेद में ऐसी हर्बल मेडीसिन्स हैं, जिन से इस को रोका जा सकता है। मैं एलोपैथी का प्रैक्टीशनर हूं लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे देश में आयुर्वेदिक सिस्टम का जो विकास हो रहा है, हमारे डा. भोई भी करा रहे हैं और गुजरात की आयुर्वेदिक युनिवर्सिटी में मैं गया भी हूं और मैंने देखा है कि वहां आयुर्वेदिक हर्बस पर जो रिसर्च की जा रही है, वह बहुत अच्छी है और मैंने बम्बई में भी देखा है कि वहां पर रिसर्च वर्क अच्छा चल रहा है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आयुर्वेद की हर्ब्स के आधार पर कुछ निकले और जैसा इन्होंने अपने वक्तव्य में भी बताया कि ऐसे वृक्ष भी हैं जिनको खाल के इस्तेमाल से हम स्टेरेलाइजेशन का काम ले सकते हैं। वह फर्टीलिटी को घटाता है और दूसरा वृक्ष भी हैं जिसकी ऊपरी खाल के इस्तेमाल से फर्टीलिटी बढ़ती भी है। इस तरह से घटाने और बढ़ाने, दोनों बातों को नेचर ने दिया है और जैसा बताया गया कि नेचर वैलेंस, इक्वीलिब्रियम रखने का उपाय भी करती है। मेरी यह मानना है कि आयुर्वेद को और तरजीह दी जाए और इन्सेंटिव दे कर और ज्यादा पैसा खर्च कर के उस पर और रिसर्च कराई जाए। अगर इस में हम कामयाब हो गये, तो यह इस सेंचुरी का सब से बड़ा काम होगा और खासकर हमारे देश के लिए जबकि 2,000 सदी तक हम चीन की आबादी के बराबर तो क्या, उस से ज्यादा हो जाएंगे और हम समझते हैं कि 2015 तक हमारी आबादी 125 करोड़ के लगभग होगी। तो यह जो परिस्थिति हो रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इस की डाइमैंशन को देखें, और 10,10 साल के आंकड़े देखें, तो हमारी पापूलेशन का ग्रोथ रेट 2.2 परसेंट

रहा है। इसका लांग-टर्म इफेक्ट देखें तो ज्योमेट्रीकल प्रोपोर्शन में यह ग्रोथ होगी। यह मानने वाली बात है। सन् 1921 से लेकर 1988 तक का हम रिकार्ड देखें, तो 3.2 परसेन्ट ग्रोथ हमारा रहा है। इस के साथ 4 परसेन्ट ग्रोथ रेट भी रहा है। हम विकासशील देश हैं और अगर हमारा ग्रोथ रेट 2.2 परसेन्ट है, जो यह सन्तोसजनक बात नहीं है हालांकि दूसरे विकासशील देशों का जो ग्रोथ रेट रहा है, वह 3.4 पर सेन्ट है, 4 परसेन्ट है और कहीं पर तो 5 परसेन्ट है। हम उन से अच्छी स्थिति में हैं लेकिन इस से हम को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं जहां तक पापूलेशन की बात है इसलिए हमें ग्रोथ रेट किसी भी तरह घटाना है। एक छोटी सी फीगर मैं दे रहहूँ। डा. गुप्ता ने एक छोटी सी किताब लिखी है और उन्होंने जो रिसर्च की है, उस पर वह आधारित है। उन का कहना यह है कि अगर 7 स्टेरेलाइजेशन पर थाऊजेन्ड पापूलेशन, पर इयर हम कराते हैं, तो लगभग 2.5 मिलयन पर रनम हमारे स्टेरेलाइजेशन होते हैं और इस से बर्थ रेट कितना घटेगा, यह देखने की आवश्यकता है। 1951 में 40.2 पर थाऊजेन्ड पर इयर हमारा ग्रोथ रेट था और यदि इसको घटा कर 33.2 हमें करना था, तो 25 लाख स्टेरेलाइजेन यदि एक वर्ष में हम कराते हैं. तो हमारा···अल्मोस्ट 7.2 या 7.3 पर सेन्ट ग्रो रेट घटता हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1975-76 में 80 लाख स्टेरेलाइजेशन हुए। यदि उस रेशों में स्टेरेलाइजेशन हर वर्ष हम करेंगे, तो जो हमारा लक्ष्य है कि 2.5 परसेन्ट थाऊजेन्ड पर एनम ग्रोथ रेट का, वह तभी संभव है, जबकि स्टेरेलाइजेशन हर वर्ष का कम से कम का 80 लाख लोगों का हो। उस समय के पीरियड को अगर हम देखें, तो 80 लाख स्टेरेलाइजेशन करने पर जो ग्रोथ रेट में कमी आई थी, वह अल्मोस्ट 10 परसेन्ट हो गई थी। इसलिए 80 लाख स्टेरेलाइजेशन की व्यवस्था अगर हम करते हैं, तो इस में हमें कुछ कामयाबी मिल सकती है।···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पाण्डे, क्या आप एक मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे ?

श्री मनोज पाण्डे : महोदय, मैं अगली बार बोलूंगा। मेरे पास बहुत से मुद्दे हैं, मुझे अनेक मुद्दों पर बोलना है।

सभापति महोदय : ठीक है। आप अगली बार बोलिये।

आधे घन्टे की चर्चा

सीमावर्ती क्षत्रों में शिक्षा का विकास

6.00 म. प.

सभापति महोदय . अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करते हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1916 उठाया था जिसका 9 मार्च, 1989 को जवाब दिया गया। मैंने सीमावर्ती क्षेत्रों में

शिक्षा के विकास के बारे में प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न का जवाब आने पर मैंने यह आधे घण्टे की चर्चा उठायी है।

मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा विकास कार्यों के अन्तर्गत अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सन् 1985-86 में कोई राशि का प्रावधान नहीं किया। 1986-87 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत करीब 29 करोड़ रुपया व्यय किया गया। सन् 1987-88 में 25 करोड़ रुपए व्यय किए और सन् 1988-89 में 45.5 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। सन् 1989-90 के लिए 50 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया गया।

उस वक्त मैं इस शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम में सड़कों के निर्माण का भी केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया। उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। उस कार्यक्रम को उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रीय शिक्षा विकास कार्यक्रम में परिवर्तित किया। जिसके बारे में 1987-88 में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और अभी 89-90 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इस जानकारी से यह स्पष्ट हुआ है कि जो 200 करोड़ रुपए का प्लेन में प्रावधान था उसमें से भी प्लेनिंग कमीशन ने 149 करोड़ रुपए का अभी तक प्रावधान किया है। प्लेनिंग कमीशन ने बकाया राशि का अभी भी किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया है। पहले मुझे यह कहना है कि जो दो सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है उसको तो प्लेनिंग कमीशन पूरी तरह से व्यय करना क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है और सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति यह है कि ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर बाड़मेर, जेसलमेर, गंगानगर और बीकानेर जिले—सीमावर्ती हैं। इसके साथ-साथ गुजरात की 9 ब्लाक समितियों में यह कार्यक्रम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के 49 ब्लाक्स में यह चल रहा है और पंजाब के 9 ब्लाक्स में चल रहा है। इस प्रकार यह कार्यक्रम 79 ब्लाक्स में चल रहा है। इस संबंध में जो 51 करोड़ रुपए का प्रावधान अभी रहता है उसको मैं चाहता हूं कि वह वर्ष 89-90 में करना चाहिए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास हो सके।

इस संबंध में मुझे यह कहना है कि प्रदेशों को जिस प्रकार से राशि का अलोकेशन किया है 87-88 में और 88-89 में वह अलोकेशन राजस्थान को पंजाब, जम्मू-कश्मीर के मुकाबले में कम किया गया है।

कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा की दृष्टि से जो ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए ज्यादा राशि रखने की आवश्यकता है।

शिक्षा की दृष्टि से मैं बताना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में है, जिसमें 4 ब्लाक्स हैं, वहां पर 12 प्रतिशत साक्षरता है और इस दृष्टि से यह हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसी तरह से जेसलमेर जिले में साक्षरता का प्रतिशत 16 है। शिक्षा का महत्व वहां पर और बढ़ जाता है जब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ ही परिवार नियोजन का कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ है। आज जब सारे देश में 2.5 प्रतिशत आबादी बढ़ रही है, इन जिलों में 4.5 प्रतिशत आबादी बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण अशिक्षा है। केरल को शिक्षा की दृष्टि से काफी प्रगति पर है, वहां पर परिवार नियोजन का कार्यक्रम भी काफी सफल रह है। जब तक शिक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र प्रगति नहीं करेगा तब तक परिवार नियोजन की दृष्टि से भी वहां पर सफलता हासिल नहीं की जा सकती। आपने राज्यों को जो राशि दी है, उसमें से पिछड़े हुए

सीमावर्ती जिलों के लिए अधिक राशि का एलोकेशन किया जाना चाहिए। आपने तो 79 ब्लाक्स के अनुसार बराबर-बराबर एलोकेशन कर दिया, लेकिन इसका मापदण्ड यह होना चाहिए कि जो क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वहां पर अधिक राशि दी जानी चाहिए, जनसंख्या का भी इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस मापदण्ड में परिवर्तन किया जाए।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नए स्कूल, स्कूलों को अपग्रेड करना, कमरे बनाना, प्रयोगशालाएं और शौचालय, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, युवा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यायाम शालाओं आदि के कार्यक्रम है। मुझे इस संबंध मे यह कहना है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले जो मेरे क्षेत्र में आते हैं, वहां पर अभी तक 1988-89 में कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया है। यह जानकारी दी गई है कि राजस्थान में 396 प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है, परन्तु अभी तक एक भी प्राइमरी स्कूल यहाँ पर नहीं खोला गया है और न ही किसी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल बनाया गया है। किसी सेकेण्डरी स्कूल की स्थापना नहीं की गई है। यह हुआ है कि 25×20 के दो दो कमरे सेकेण्डरी और मिडिल स्कूलों में बनाए गए हैं, शौचालय और प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, इसकी हम प्रशंसा करते हैं लेकिन प्राइमरी स्कूल कोई नहीं खोला गया है और न ही किसी स्कूल को अपग्रेड किया गया है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे क्षेत्र की विशेष रूप से यह मांग है कि अधिक से अधिक प्राइमरी स्कूल खोले जाएं। दस वर्ष पहले कोई प्राइमरी स्कूल की मांग नहीं करता था। मुस्लिम भी पढ़ना नहीं चाहते थे। अब वे लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन राजस्थान सरकार की कैपेसिटी नहीं है। फरवरी-मार्च में राजस्थान सरकार ने सौ स्कूल खोलने का निर्णय लिया है लेकिन अभी एक भी नहीं खुला है। बाड़मेर जिले में पांच-छह किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है क्योंकि उससे पहले स्कूल ही नहीं है। इसलिए, बाड़मेर जिले में तीन सौ और जैसलमेर जिले में डेढ़ सौ प्राइमरी स्कूल खोले जायें। जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको मिडिल स्कूल के लिए अपग्रेड किया जाए। हर पंचायत मुख्यालय में मिडिल स्कूल होना चाहिए और जहां सेकेण्डरी स्कूल हो सकते हैं वहां उनको खोला जाए। मिडिल स्कूलों में जहां कमरे की व्यवस्था नहीं है, वहां उसका प्रबन्ध किया जाए। अध्यापकों के लिए स्टाफ क्वाटर्स होना बहुत जरूरी है। कुछ क्वाटर्स बनाए गए हैं लेकिन और बनाने की आवश्यकता है। बिना क्वाटर्स के अध्यापक जाना नहीं चाहते हैं। वे लोग डाइरेक्टर एजुकेशन के आदेशों का पालन भी नहीं करते हैं। बहुत से मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां विषय के मास्टर और हैड मास्टर नहीं हैं। वे लोग अपना प्रमोशन भी छोड़ देते हैं। इसलिए, जो बार्डर एरियाज पिछड़े हुए हैं वहां के लिए स्पेशल अलाऊंस की व्यवस्था की जाये। वहां छात्रावास, व्यायामशालाएं और वाचनालय खोले जाएं तथा पढ़ाई के मामले में विशेष रुचि ली जाए। अण्डमान-निकोबार में स्पेशल अलाऊन्स देते हैं तो दुर्गम क्षेत्रों के लिए जब तक स्पेशल एलाऊन्स नहीं मिलेगा तब तक वे नहीं जा सकते हैं, और जहां ट्रांसपोर्ट के साधन बहुत कम हैं वहां भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बाड़मेर जिले में चार ब्लाक सम्मिलित किए गये हैं जो और चार ब्लाक हैं उनको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। वे भी इसी तरह से पिछड़े हुये हैं। जैसलमेर में दो ब्लाक में से एक ब्लाक पोकरण सांकड़ा का है, उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में दो सौ करोड़ की बजाय पांच सौ करोड़ की व्यवस्था करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। हम सीमा के प्रहरी हैं। 65 और 71 के युद्ध में हमारे क्षेत्र के लोग पूरी तरह से अटल रहे, मुसीबतें भोगीं और हर तरह से मुकाबला किया। उनका मोरल बूस्ट करने के लिए आवश्यक है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ दी कांस्टीच्यूशन में यह प्रोविजन है कि जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने का अवसर मिले, अगर अवसर नहीं मिलता है तो उससे बुरी बात और क्या हो सकती है। इसलिये यह जरूरी

है कि उनकी पढ़ाई के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाये। आपने बोर्डर एरियों के लिए एजुकेशन डेवलेपमेंट प्रोग्राम बनाया है वह सराहनीय कार्यक्रम है। हम इससे प्रगति की ओर बढ़े हैं और हम चाहते हैं कि इसका और विस्तार किया जाये। इसलिये इस कार्यक्रम से हमारे क्षेत्र की जनता की उन्नति की जाये ताकि यह क्षेत्र भी देश के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले आ सके और जो असन्तुलन है वह समाप्त हो सके।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : श्री जैन जी ने कुछ मुद्दों को उठाया है आपके सामने। ऐसा लगता है कि कुछ का जवाब तो वे स्वयं दे गये हैं। इसलिए मेरा काम हल्का हो गया है। उन्होंने जिक्र किया कि राजस्थान में अपेक्षाकृत दूसरे प्रदेशों से कम पैसा मिला है। पंजाब में 16 प्रखण्ड हैं, जम्मू कश्मीर मे 41 प्रखन्ड हैं और राजस्थान में 13 प्रखन्ड आते हैं बोर्डर एरिया में जिनके ज्यादा प्रखन्ड या एरिया आता है उनको ज्यादा पैसा दिया जाता है।

श्री बुद्धि चन्द जैन : क्षेत्रफल और जनसंख्या तो हमारे यहां की ज्यादा है।

श्री एल. पी. शाही : पढ़ेंगे तो उसमें रहने वाले लोग। इन्होंने कुछ और बातों की चर्चा की है जैसे वाचनालय या पुस्तकालय होना चाहिए, हर पंचायत में एक मिडिल स्कूल होना चाहिए नये स्कूय खोलने का जिक्र किया है, अण्डमान की तरह वहां काम करने वालों को स्पेशल अलाउन्स मिले इसका भी जिक्र किया है। जहां तक वाचनालय और पुस्तकालय का सवाल है, संस्कृति विभाग योजना आयोग के सामने इस प्रस्ताव के साथ जा रहा है कि अगले पंचवर्षीय योजना में हम ऐसा उपाय करें कि सारे देश में हर पंचायत में एक वाचनालय पुस्तकालय हो जाये। ऐसी हमारी कोशिश है। जहां तक हर पंचायत में मिडिल स्कूल खोलने का सवाल है इस देश में पांच लाख अस्सी हजार गांव ऐसे हैं और पांच लाख सैंतीस हजार प्राइमरी स्कूल भी हैं, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल को भी जोड़ लें और कुछ प्राइवेट स्कूल भी हैं तो सबको मिलाकर जोड़े तो सात लाख उनतीस हजार स्कूल इस देश में हैं। आम तौर से ऐसा समझा जाना चाहिए कि हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल हो जाना चाहिए, अगर नहीं है तो आगे हो जायेगा। कुछ गांवों की आबादी कम है, वहां अगर स्कूल खोल दें तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी नहीं होगी कि वह स्कूल चल सके। इसलिये कभी-कभी दो तीन गांवों को जोड़ना पड़ता है। जहां तक नए स्कूल खोलने का काम है, यह काम राज्य सरकारों के जिम्मे होता है। हमने उनको इसके लिए पैसा दिया है। यह बात सही है कि पिछले दो तीन महीनों में जैसा कि आपने कहा कि सम्भवत: नये स्कूल नहीं खुले हों। इस वर्ष वह खुल जायेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जहां तक स्कीम बनाने का सवाल है, हम इस बात पर निर्भर करते हैं कि राज्य सरकारें अपने एरिया के अनुरूप कोई योजना बनाकर लायें तो हम उस पर अलग से विचार करेंगे। लेकिन एजूकेशन सर्वे को देखकर ही पैसा देना है तो जैसा है वैसा हम दे रहे हैं। अगर राज्य सरकार अलग से स्कीम बनाकर लाये तो हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी थम्ब रूल हीं है। हम चार प्रदेशों के अन्दर 79 ब्लाक्स के लिए पैसा, दे रहे हैं। एक प्रखण्ड में एक साल में पचास लाख खर्च करने की बात है इस हिसाब से देखें तो पिछले दो वर्षों में 13 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि आपके यहां 13 प्रखण्ड हैं तो हमारे द्वारा 14 करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को दिया जा चुका है उस हिसाब से इनके यहां कमी नहीं हुई है : अब जहां तक सवाल है पढ़ने-लिखने का, पहले से उतना रिवाज नहीं है और लोगों का उतना ध्यान नहीं है। जहां तक नया रुझान पैदा करने का सवाल है तो हम नये प्राइमरी स्कूल खोल रहे है, मिडिल स्कूल मुकम्मल

बना रहे हैं, अगर हाई स्कूल है तो उसमें साइंस एपरेटस और दूसरे साधन सुविधाएं बढ़ा रहे हैं यदि कहीं पोलिटैकनिक है तो उस पोलिटैकनिक को मजबूत बनाया गया है। यदि कहीं नया पोलिटैकनिक खोलने की जरूरत समझी गई तो राज्य सरकारों से वैसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसमें भी हम मदद करते हैं। जहां तक प्रावधान का सवाल है, प्रावधान और एलाटमैंट में थोड़ा फर्क है। एलाटमैंट साल-ब-साल होता है। पहले यह स्कीम होम मिनिस्ट्री के अन्डर चलती थी बाद में शिक्षा मंत्रालय को दी गयी। आपने खुद ही कहा है कि जब से यह स्कीम शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आई है, पहले साल में, 1985-86 में कोई काम नहीं हुआ, 1986-87 में 28 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च हुआ, जिसमें से 4 करोड़ 33 लाख शिक्षा पर और बाकी सड़कें बनाने और दूसरे कामों पर, जो होम मिनिस्ट्री ने खर्च किया। उसके बाद यह कार्य शिक्षा विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। वर्ष 1987-88 में 25 करोड़ रुपए और 1988-89 में 45,50,00,000 रुपया हम खर्च कर चुके हैं। यह साल जो अभी चल रहा है, इसमें हमारा इरादा 50 करोड़ रुपया खर्च करने का है। इसलिए हमारा एलाटमैंट तो खर्च देखकर, पैसे की कैसी उपलब्धी रहती है, उसे देखकर किया जाता है। यदि पहले दो वर्षों में भी इसी तरह से खर्च हुआ होता तो सम्भव है 200 करोड़ रुपये तक हम पहुंच जाते लेकिन वैसा नहीं हो सका। अभी हमारी जो गति है, उसे तेज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हर पंचायत में स्कूल खोलने का सवाल है, बहुत अच्छी बात है, हमारे देश की तसवीर बहुत सुन्दर होगी यदि हर पंचायत में एक स्कूल हो जाए, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन चाहने के साथ-साथ कुछ दिक्कतें और अड़चनें भी हमारे सामने आती हैं, उनका ध्यान भी हमें रखना पड़ता है।

अन्त में, तात्पर्य यह है कि जो कुछ स्कीम हमारे सामने आयी है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। यदि हमारे सामने कोई नई दिशा की स्कीम आयेगी, जिस पर हम विचार कर सकें, जिसमें टीचर और विद्यार्थियों की रेश्यो बहुत एब्नोर्मल न हो जाए, तो आगे भी हम उस स्कीम पर विचार करेंगे और इस स्कीम को आगे चालू रखने की कोशिश करेंगे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य, राज्यों के द्वारा जो शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन्हें सप्लीमैंट करना है। जिस समय यह स्कीम प्रारम्भ की गई, इसका उद्देश्य यही था कि हमारे यहां जितने बौर्डर एरियाज हैं, जो हास्टाइल पड़ोसी देशों के साथ लगे एरियाज हैं, उनमें शिक्षा का प्रसार करना। इसलिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ सीमावर्ती इलाकों में यह स्कीम स्टार्ट की गई है। जिस समय यह स्टार्ट की गई, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, इसमें कुछ ऐसे एरियाज के नाम नहीं आ पाये जो चीन के साथ लगे बौर्डर एरियाज हैं, जिन एरियाज के दूसरी ओर होस्टाइल पड़ोसी देश लगता है। राजस्थान जम्मू कश्मीर और पंजाब में, सीमावर्ती एरियाज में कुछ विशेष किस्म की दिक्कतें हैं, यदि उनमें शिक्षा के प्रसार की स्थिति बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्कीम का जो कंसैप्ट है, जिस उद्देश्य से इसे लागू किया गया है, उसमें देश के कुछ अन्य इलाके भी फिट होते हैं, उन्हें भी इस स्कीम के अन्तर्गत कवर करने के लिए योजना को एक्सपैंड किया जाए, शिक्षा मंत्रालय प्लानिंग कमीशन के साथ विचार विमर्श करे। जिस उद्देश्य से यह स्कीम प्रारम्भ की गई उसमें हमारे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज भी फिट होते हैं, हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए, एक निवेदन तो मैं यह करना चाहता हूं।

दूसरे आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि 7 लाख 29 हजार के करीब स्कूल ऐसे हैं जिन्हें हम प्राइमरी एजूकेशन के दायरे में मान सकते हैं। गांव हमारे पास कम हैं। कुछ जगह ऐसी

हैं। जहां चार-चार, पांच-पांच गांवों के बीच में भी एक प्राइमरी स्कूल नहीं है। जूनियर हाईस्कूल के लिए दस-दस, बारह-बारह किलो मीटर दूर जाना पड़ता है और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां 36 किलो मीटर तक आदमी को जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं आप से आग्रह करना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन जिस समय राज्यों में स्कूल की संख्या एलोकेट करता है, जूनियर और प्राइमरी स्कूल हाई स्कूलों की संख्या बताता है कि इतने होंगे, तो उसमें संख्या का मानक,बार्डर एरियाज, ट्राइबल और फारेस्ट एरियाज हैं, उनमें इसको रिलैक्स करने की जरूरत है। वहां जनसंख्या को तो मानक बिलकुल माना ही नहीं जाना चाहिए जो वहां टैरेन हैं, भोगोलिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो जब प्लानिंग कमीशन से बात चीत की जाये, तो इस बात को सामने रखकर राज्यों में शिक्षा के लिए धन का आबटन और स्कूलों की संख्या कितनी होगी, इस बिन्दु को जरुर ध्यान में रखा जाए।

महोदय, जब आप बार्डर एरियाज में कार्यक्रम बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बात की सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं। मगर जब केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को खोलने का सवाल आता है, तब आप ऐसे एरियाज को प्राथमिकता नहीं देते, जब कि इन एरियाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि नवोदय विद्यालय खोलने के मामले में जितने बार्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें अभी तक आधे डिस्ट्रक्ट में नवोदय विद्यालय आप खोल पाए हैं, जब कि आपने वादा किया है कि 1990 तक आप सब में खोल देंगे, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम इस वर्षजरूर खुल जाने चाहिएं।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए इस कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और यह गुजरात, राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। यद्यपि हम इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट में इस विषय के लिए एक भी पृष्ट नहीं रखा गया है। हम ससद सदस्य इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन का मूल्य निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं। यह मेरी प्रारम्भिक टिप्पणी है।

मैं एक आवश्यक मुद्दा यह उठाना चाहता हूं कि हम प्रारंभिक स्तर पर बच्चो को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हैं। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक तथा अन्य कारणों से उन बच्चों की मातृ भाषा का यहां तक पता नहीं चलता है कि बच्चों के माता पिता और सरक्षक गलत भाषाको मातृभाषा के स्थान पर दर्ज करवात हैं। यदि मातृभाषा "क" हैं तो इसके स्थान पर" ख" लिखा जाता है। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है क्योंकि हम मातृ भाषा में शिक्षा देने के लिए वचन बद्ध हैं। आप कहते है कि बच्चे के माता पिता अथवा संरक्षक को इस बात की सर्वाधिक जानकारी होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मंत्रालय के पास बच्चों की मातृभाषा का पता लगाने का कोई साधन है ताकि संविधान के उपबन्धों को पूरा किया जा सके।

हम इस कार्यक्रम पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जिस प्रकार हम ग्रामीण विकास तथा अन्य कार्यक्रमों का आकलन करते हैं, क्या हमारे पास कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे हम इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठशालाओं की स्थापना, पाठशाला भवनों के निर्माण में लगाई गई सामग्री की किस्म आदि निर्धारित की जा सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यदि हम 200 करोड़ रुपऐ खर्च करेंगे तो इससे केवल 25 करोड़ रुपए की सेवा प्राप्त होगी। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस कार्यक्रम में सरकारी मशीनरी से मुक्त गुणवता नियंत्रण का कोई साधन है।

हम जिम्मेदार अध्यापकों का एक वर्ग तैयार करने के लिए वचनबद्ध हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में हाल ही में क्या हुआ। किसी अध्यापक ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गणित का पर्चा तैयार किया था जिससे वस्तुत: विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ मुद्दा उठाए जाने पर मंत्री जी ने सदन में आने की कृपा की और उन्होंने अपना उत्तर दिया। अत: कृपया इस पहलू पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है।

श्री एल. पी. शाही : सभापति महोदय, जहां तक श्री हरीश रावत जी के आब्जर्वेशन का सवाल है प्लानिंग कमीशन के सामने हम यह रख सकते हैं कि इन 4 प्रदेशों के अलावा दूसरे प्रदेशों के लोग भी चाहते हैं कि उनके यहां यह लागू हो। लेकिन इस बारे में अब इस स्कीम में लेना कठिन है क्योंकि यह स्कीम 4 प्रदेशों के लिए शुरू हुई थी और इस प्लान पीरिवड में पूरी हो जाएगी।

नवोदय विद्यालय खोलने की बात इससे संबंधित नहीं है, सुझाव के तौर पर है। नवोदय विद्यालय खोलने की गति थोड़ी धीमी हो गई है, पैसे की कमी के कारण, एलोकेशन आफ फण्ड की कमी के कारण। पिछले साल जितने खोलने थे, नहीं खोल सके हैं। इस साल उम्मीद कर रहे हैं, अगर अलाटमेंट बढ़ा लो नए विद्यालय खोलेंगे और उसमें उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके हैं, उन पर विशेष तौर से ध्यान देंगे।

गोआ के माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और रिपोर्ट में एक ही पन्ना है। जहां पर हम अपनी एजेंसी के द्वारा खर्च करते हैं, वहां पर डिटेल दे दिया करते हैं लेकिन यह खर्च तो राज्य सरकारों की मारफत हो रहा है, इसी वजह से रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आगे से चाहेंगे तो इसका विस्तृत विवरण भी दिया जा सकता है।

एक और बात सैंट्रल स्कूल के बारे में उठी है। मैंने एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया व दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपलों को बुलाकर बात की है और हमने फैसला लिया है कि दूसरे वर्षों में जिस तरह के अंक विद्यार्थियों के आये थे, उसी तरह के अंक अगर इस बार नहीं आते हैं तो जहां पर दो नम्बर कम हों, वह तो सब को मिलेंगे और जो आउट आफ कोर्स प्रश्न था, तो प्रश्न उठता है कि एक क्वेश्चन को आउट आफ कोर्स मान लेते हैं तो कुछ लोगों ने उसको भी मान लिया है, उनका क्या करेंगे, उनको क्या 100 नम्बर से फाजिल देंगे ? किसी के 98 आए हैं, 2 उसमें जोड़ेंगे तो 100 होगा। अगर कोई ग्रेस सबको दिया जाता है तो क्या उनको 106 और 108 दिया जाएगा, यह प्रश्न उठता है। कई विद्यार्थी हैं, जिनके 90 और 100 के बीच नम्बर आए हैं।

इसीलिए हमने कहा कि दूसरे साल के रिजल्ट को देख लें, और दिल्ली के अन्दर और दिल्ली के बाहर किस तरह के नम्बर आए हैं, उनको मिलाकर परसेंटेज देख लें और उसके मुताबिक हम विद्यार्थियों को कम्पैसेट करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा 19 अप्रैल को 11,00 म. पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.34 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 अप्रैल, 1989/29 चैत्र' 1911 (शक) के ग्यारह बजे म.पू तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स एस्प्लेनेड रोड दिल्ली-6